(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4 दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सैंतीसवां दिवस संख्या : 21

शुक्रवार,

28 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 554

श्री अध्यक्ष : श्री दलीचन्द।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भीमराज भाटी

विधान सभा क्षेत्र पाली के पशु चिकित्सालय

555. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पशु चिकित्सालय प्रजनन केन्द्र व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये ? क्या इन समस्त केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पाली में पशु चिकित्सालयों, प्रजनन केन्द्रों व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में कितने पशु चिकित्सक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? इनमें कितने पद कब से रिक्त हैं ? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों पर पदस्थापन का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री पशुपालन (श्री अर्जुन सिंह देवड़ा) : (1) पाली विधान सभा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय, तीन पशु चिकित्सालय, ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत तीन उप केन्द्र कार्यरत हैं। जी हाँ, स्थानों की सूची 'क' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पाली में आठ पशु चिकित्सक एवं 32 अधीनस्थ संवर्ग के पद स्वीकृत हैं। इनमें से दो पशु शल्य चिकित्सक एवं पाँच पशुधन सहायक के पद रिक्त हैं। स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की संस्थावार सूची 'क' में दर्शायी गयी है।

(3) जी हाँ। पशु चिकित्सकों के पदों को भरने की कार्यवाही चल रही है। पशुधन सहायक के प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होने पर वांछित कार्यवाही सम्भव होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह पाँच पशु शल्य चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं उसमें से दो पद खाली हैं वह पिछले साल

(श्री भीमराज भाटी)

अप्रेल, 1994 से खाली हैं और जो 16 पशुधन सहायक हैं, उसमें से पाँच खाली हैं, वह भी अप्रेल, 1994 से सितम्बर, 1994 से हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ पशु पालन मंत्री जी से कि पाली शहर में जो फैक्ट्रियाँ हैं उसकी वजह से जो तेजाब का पानी शहर के खड्डों में भर जाता है और शहर में जगज-जगह गाय भैंसे उस पानी में बैठती हैं, जो उनकी आदत है जानवरों की पानी में बैठने की, दिन में दोपहर के वक्त में। उस तेजाब के पानी में बैठने की वजह से उनकी चमड़ी जल जाती है, उनके खुर जल जाते हैं।

इसी तरह शहर की फैक्ट्रियों का पानी बांडी नदी में जाता है उस बांडी नदी में जाने से उस नदी के किनारे जो कुएं हैं उन कुओं में तेजाब का पानी हो गया है तो उस नदी में जानवर पानी पीते हैं उस नदी में जानवर चलते फिरते हैं, कुओं से पानी पीते हैं उसकी वजह से उन जानवरों को ऐसी-ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वे जो भी चारा वगैरहा खाते हैं वह पचता नहीं है। उनकी चमड़ी जल जाती है, और उनकी दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। चूंकि तेजाब का पानी रहता है तो वह ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, ज्यादा देर बैठें तो दूध बढ़ता है तो नहीं बैठने से दूध की क्षमता भी कम हो जाती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह ऐसी बीमारी है जिसमें जानवरों के शरीर की चमड़ी जल जाती है, उनके खुर तेजाब के पानी में पड़ते हैं तो सड़ जाते हैं तो ऐसी बीमारियों के लिये क्या दवाइयां उपलब्ध हैं?

यह जो ऊँट जिसको अपन रेगिस्तान का जहाज कहते हैं उन ऊँटों में एक सर्रा रोग होता है तो उस बीमारी के लिए अपने अस्पतालों में इन्जेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। वह इन्जेक्शन क्या उपलब्ध रहता है? अक्सर यह देखा गया है कि वह इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं रहता है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह इन्जेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे?

तीसरा मेरा प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो गौशालाएं हैं बड़ी-बड़ी....(व्यवधान).. जहाँ माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी पधारे थे उन गौशाला में।

श्री अध्यक्ष : आप पाइन्टेड प्रश्न करिये।

श्री भीमराज भाटी : पाइन्टेड प्रश्न कर रहा हूँ। ऊँट की बीमारियों के लिए क्या इन्जेक्शन उपलब्ध रहते हैं और मेरे यहाँ जो दो बड़ी-बड़ी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में सैंकड़ों की तादाद में बकरे-बकरी और हजारों की तादाद में गायें रहती हैं। उस गौशाला में माननीय मंत्री महोदय भी पधारे थे। मंत्री महोदय ने उस वक्त भी यह आश्वासन दिया था। जो हजारों गायें वगैरहा वहाँ रहती हैं तो उन गायों की चिकित्सा के लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसको पाइन्टेडली कहें।

श्री भीमराज भाटी : वही कह रहा हूँ सर।

श्री अध्यक्ष : इतनी देर में पाइन्टेडली? पाइन्टेडली में तो आधा मिनट लगता है।

श्री भीमराज भाटी : हाँ, तो वही बात बताकर ही तो कहूंगा। मंत्री महोदय को याद तो दिलाऊँ सर। माननीय मंत्री महोदय स्वयं वहाँ गौशाला में पधारे थे। हाथीखेड़ा की गौशाला में। तो क्या वहाँ गायों की चिकित्सा के लिए आप पशु चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं? या आजू-बाजू के गांवों में खोलने की योजना बनाई है? यही मेरे तीन प्रश्न हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान में करीब 465 पशु चिकित्सकों के पद रिक्त थे जिसके तहत 410 को अभी नियुक्ति दे दी गयी है। इस प्रकार राजस्थान में 55 ऐसी जगह हैं जहाँ पशु चिकित्सक नहीं हैं और करीब 280 पशुधन सहायक के पद रिक्त हैं जिसमें से करीब 200 पशुधन सहायकों को नियुक्तियां दे दी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, पाली में 16 डाक्टरों की कमी थी जिसमें से 14 को नियुक्ति दे दी गयी और इसी प्रकार पशुधन सहायक जो पाली में 18 रिक्त थे उसमें से 6 की नियुक्ति दे दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बता दूँ कि पशुधन सहायक की ट्रेनिंग अभी हो रही है वह जून के महीने में पास आउट हो जायेंगे। उसके बाद इन पदों को भी भर दिया जाएगा और जो 55 डाक्टरों के पद हैं वह भी भर दिये जायेंगे।

अब माननीय सदस्य ने जो इलाज के बारे में पूछा है कि उनके खुरों में जो बीमारी होती है वह किस प्रकार की होती है तो मैं, अध्यक्ष महोदय, डाक्टर तो हूँ नहीं लेकिन इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, क्या बीमारी है? उसके बारे में भी निर्देश दे दूंगा और जो ऊँटों के सर्रा रोग के बारे में माननीय सदस्य ने पूंछा इसके लिए टीकों की पशु चिकित्सालय में व्यवस्था होती है और जो ऊँट सर्रा रोग से बीमार पाया जाता है, उसकी तीन डाक्टर जाँच कर लेते हैं। यदि उसमें यह बीमारी पायी जाती है तो उसका सरकार की तरफ से निःशुल्क इलाज किया जाता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा धर्मपुर गौशाला के बारे में, तो वहाँ पर एक पशुधन सहायक की व्यवस्था कर दी गयी थी लेकिन अभी वह सेवा निवृत्त हो चुके हैं इसलिए जैसे ही हम दूसरे पशुधन सहायक लेंगे उस समय वहाँ उसकी भी नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न यह पूछा था कि तेजाब के पानी में गाय-भैंसें बैठती हैं उससे उनकी चमड़ी जल जाती हैं और उनके खुर खराब हो जाते हैं, उसकी बीमारी के इलाज के लिए आपके पास क्या प्रावधान हैं?

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : मेरा निवेदन है कि जो भाटी जी ने कहा है कि वहाँ तेजाब के पानी के अन्दर उनकी आंते भी जल जाती हैं और पशु का दूध भी सूख जाता है। हमारा पाली जिला पशुधन के हिसाब से बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमको यह शिकायतें मिली हैं कि आप इसी पशुधन के लिए जो दवाइयां गाँवों में और शहरों में भेज रहे हैं तो वह दवाइयां रास्ते में ही बिक जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरी बात है। आप बिराजें।

श्री सुखलाल सेणचा : इससे सम्बन्धित है। हमारा जो पशुधन मर रहा है और यह दवाइयां हमारे सफाखाने में बराबर नहीं मिलती हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात उठाई है कि दवाइयां वहाँ पर नहीं पहुँचती हैं। अभी तक तो मुझे माननीय सदस्य और पाली से आने वाले माननीय सदस्य रोज मिलते रहे हैं। कभी मुझे इस प्रकार की शिकायत कही नहीं। यदि आपके वहाँ पर ऐसी कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पर मुझे करें। मैं इसके सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जाँच करवाकर आपको अवगत करा दूंगा।

(५)

श्री अध्यक्ष : श्री किशना राम जी।

श्री भीमराज भाटी : मेरा स्पेसिफिक सवाल था कि यह जो तेजाब के पानी से बीमारियां होती हैं उसके लिए दवाइयां आपके पास उपलब्ध हैं क्या? जनरल दवाइयां तो आपके पास उपलब्ध हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री जी से मिलकर बात कर लें। दवाइयों की बात हो जायेगी। आपने पहले कभी बात उठायी नहीं कि मंत्री जी यों कह रहे हैं। आप बिराजें।

श्री किशना राम जी।

राजकीय रूपादेवी मोहता विद्यालय श्री डूंगरगढ़ का खेल मैदान

556. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय रूपादेवी मोहता विद्यालय श्री डूंगरगढ़ के खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो कब और कितनी?

(2) भूमि की निशानदेही आज तक न किये जाने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त भूमि की निशानदेही कर दी जायेगी?

(3) उक्त भूमि के चारों तरफ किन-किन व्यक्तियों की भूमि है तथा उन पर क्या-क्या निर्माण कार्य किया हुआ है?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हाँ। राजकीय रूपादेवी मोहता स्कूल श्री डूंगरगढ़ को खेलकूद मैदान हेतु जिला कलक्टर, चूरू के आदेश क्र. प. 12(3) (5) राजस्व/82 दिनांक 30.6.82 के द्वारा कस्बा श्री डूंगरगढ़ के ख. नं. 496 व 493 में 12 बीघा भूमि आवंटित की गयी है।

(2) उपरोक्त भूमि की निशानदेही राजकीय रूपादेवी मोहता स्कूल को दिनांक 17.9.82 को करवा दी गयी है।

(3) उक्त भूमि के उत्तर की तरफ सरकारी विभागों (समाज कल्याण विभाग, मुन्सिफ कोर्ट आदि) को आवंटित भूमि है। दक्षिण में खातेदारी भूमि है। पूर्व में खातेदारी भूमि है तथा पश्चिम में अकाल राहत गौ सेवा संस्थान को लीज पर आवंटित भूमि है जिसकी बाड बनी हुई है। उत्तरी पश्चिमी कोने की भूमि में केशवानन्द बगीची है तथा मुन्सिफ कोर्ट के लिए आवास गृह निर्माणाधीन है। केशवानन्द बगीची के कब्जे की भूमि पर 3 कमरे, रसोई, एक कुण्ड, गुफा एवं समाधि निर्मित है। विद्यालय को उक्त आवंटित भूमि मौके पर खाली है।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भूमि नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर स्थित है और इस भूमि पर तहसील कार्य के लिये, तहसील भवन के लिये, स्कूल के लिये, मुन्सिफ कोर्ट के लिये और धार्मिक स्थल के लिये यह भूमि आवंटित की जा रही है। केशवानन्द जो बगीची है इस पर बहुत दिन से नाजायज कब्जा कर रखा है और प्रशासन इसको उठा नहीं रहा है। वह बदमाशों का अड्डा बना हुआ है इसलिये मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह प्रशासन को आदेश देकर इसभूमि को खाली करवायें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि केशवानन्द बगीची का कब्जा राजकीय भूमि पर नाजायज है। इस कब्जे को हटाने के लिये 11 मार्च, 1986 में तहसीलदार की अदालत में धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ हुई थी।

(श्री गंगाराम चौधरी)

वह फैसला कर लिया गया था 21.4.86 को, उसके बाद में केशवानन्द द्वारा अपील की गयी। ए. डी. एम. ने इस मामले को दुबारा रिमाइंड किया था। तहसीलदार ने फिर से सजा कायम रखी, उस पर उन्होंने फिर से ए. डी. एम. के पास अपील की। ए. डी. एम. ने फिर सजा कायम रखी। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के पास में विचाराधीन है लेकिन उसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं है। इसलिये मैं, माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह नाजायज कब्जा अगर अदालत से कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ तो जल्दी ही इसको हटा दिया जायेगा।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया वह तो ठीक है लेकिन उसका आदेश कोई भी नहीं है। किसी तरीके का स्टे वगैरह कुछ नहीं है—

श्री अध्यक्ष : वह आपने कह दिया है कि हटा देंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : स्थगन आदेश नहीं हैं तो कब्जा हटा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रावत (अनुपस्थित) श्री जीतराम जी।

प्रश्न संख्या 557

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

वाणिज्यिक कर विभाग की स्थानान्तरण नीति

558. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में कोई स्थानान्तरण नीति बनायी गयी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में कई अधिकारी/कर्मचारी उक्त नीति के विरुद्ध लम्बी अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) सामान्य प्रशासम (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 28.6.1990 के द्वारा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा सामान्य नीति निर्धारित की गयी है। उसी के अनुरूप स्थानान्तरण किये जाते हैं लेकिन राज्य सरकार को किसी भी समय प्रशासनिक दृष्टि से किसी का भी स्थानान्तरण करने का अधिकार प्राप्त है।

(2) हाँ यह सही है कि कुछ अधिकारी, निरीक्षक एवं कर्मचारी एक ही स्थान पर कई वर्षों से कार्यरत हैं, किन्तु ऐसे अधिकारी/निरीक्षक की संख्या कम है। (सूची संलग्न है।)

सूची में अंकित अधिकारियों व निरीक्षकों में से अधिकांशतः जयपुर में ही अधिक अवधि से लगातार कार्यरत हैं, किन्तु इस अवधि में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जयपुर शहर में वाणिज्यिक वृत्तों (सामान्य व विशेष) की संख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय होने से राज्य स्तर के विभिन्न कार्यालय यहाँ स्थित हैं, जैसे कर, अपील्स, करापवंचन, ठड़नदस्ता, रिट्स, वादकरण, अधिकरण आदि हैं।

अतः इन महत्त्वपूर्ण पदों पर भी विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को नियुक्त करना आवश्यक है। फिर भी भविष्य में स्थानान्तरण करते समय इनका ध्यान रखा जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री जीतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि क्या नीतियां बनायी गयी हैं ? कितने साल एक ही जगह रह सकते हैं, एक ही शहर में ? कई-कई अधिकारी और कर्मचारी कई सालों से एक ही शहर में बैठे हैं। दूसरे बाहर वालों को मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो यही कहा था कि कौन-कौन कब से बैठे हैं ? क्योंकि सरकार भी बदल जाती है, अधिकारी नहीं बदलते। 5 साल में सरकार बदलती रहती है, अधिकारी नहीं बदलते, यही मैंने निवेदन किया था।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि जी. ए. डी. द्वारा एक सामान्य नीति बनायी गयी है जो सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है और उस नीति के आधार पर इनके स्थानान्तरण किये जाते हैं। दूसरा, जो अधिकारी यहाँ कुछ समय से कार्यरत हैं, वह भी एक ही विभाग में नहीं है। यहाँ सैल्स टैक्स विभाग के कई विभाग हैं जो मैंने 6-7 विभाग आपको बताये, तो उनके दूसरे विभाग में स्थानान्तरण कर दिये जाते हैं। मैंने बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन किया है कि इसके बावजूद भी अब भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जो कर्मचारी ज्यादा समय से यहाँ हैं उनके बारे में निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा।

श्री गोपीचन्द (नगर) : जो अधिकारी रह रहे हैं, भविष्य में उनको कब तक डिस्टर्ब करने की मंशा है, इसको स्पष्ट करें। कई विभागों में यहीं के यहीं परिवर्तन कर लें। इसका मतलब स्थिति बिल्कुल साफ है कि इनको ही सुविधा देना चाहते हैं। उनको लम्बे समय तक वहाँ रखना चाहते हैं। इसलिये वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। राजस्थान के अन्दर और भी अच्छे, ईमानदार अधिकारी हैं, उनको भी जयपुर में मौका मिलना चाहिये। उनकी कार्यकुशलता का भी मौका मिलना चाहिये। तो स्पष्ट करें कि लम्बे समय से रहने वाले व्यक्तियों को कब तक हटाने का आपका इरादा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। यह अभी वाणिज्यिक विभाग की बात हो रही है, सभी विभागों की नहीं।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। इनका सुझाव अच्छा है। सुझाव पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और उचित निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र नीनामा।

जिला बांसवाड़ा के छात्रावासों में कार्यरत अतिरिक्त अधीक्षकों का वेतन

559. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बांसवाड़ा जिले में कितने अनुदानित छात्रावास संचालित हैं एवं उनमें कार्यरत अतिरिक्त अधीक्षकों को कितना वेतन दिया जाता है ? क्या सरकार इनके वेतन में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कितनी व कब तक ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : बांसवाड़ा जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ग्यारह अनुदानित छात्रावास संचालित हैं। अनुदानित छात्रावासों में कार्यरत अतिरिक्त अधीक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता है। उन्हें रुपये 250/- प्रतिमाह के अनुसार मानदेय दिया जाता है।

श्री जितेन्द्र नीनामा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि अतिरिक्त

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

अधीक्षकों का वेतनमान आपने कह दिया कि वेतनमान दिया जाता है उनको, वेतन नहीं दिया जाता। मेरा सवाल है कि उन अधीक्षकों का, आज न्यूनतम मजदूरी 32 रुपये के हिसाब से मंथली 930 के करीब पड़ता है तो 250 रुपये में उनका पारिवारिक जीवन कैसे चल सकता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो उनका मानदेय बढ़ायें या उनको परमानेंट करें। क्योंकि अतिरिक्त अधीक्षकों का सेवा का जो स्तर है, उनको अगर 250 रुपये ही दिया जाये तो वह कैसे छात्रावासों में काम करेंगे। अगर वह छात्रावास में काम नहीं करेंगे जो आदिवासी लड़के छात्रावासों में पढ़ते हैं, उनकी देखरेख अच्छी नहीं हो सकती है। कई बार लड़कों में आपस में झगड़े हो जाते हैं। वहाँ अतिरिक्त अधीक्षकों को कम मानदेय प्राप्त होता है जिससे वह रह नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में छात्रावास चलाये जायें, नहीं चलाये जायें, एक ही बात है। वहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। लड़के पढ़ते नहीं हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं तो उनकी देख रेख कौन करेगा? इसलिये या तो उनको स्थायी किया जाये, या उनका मानदेय बढ़ाया जाये ताकि वह छात्रावासों में अपनी अच्छी सेवा दे सकें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता रहा हूँ कि यह छात्रावास अनुदानित संस्थायें चलाती हैं और दूसरी भाषा में इसको स्वयं सेवी संस्था कहते हैं। स्वयं सेवी संस्था का तात्पर्य होता है स्वयं की इच्छा से सेवा करने के लिये उस क्षेत्र में आती हैं। वैसे हम 90 प्रतिशत अनुदान, छात्रों को हम जो भत्ता देते हैं उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है लेकिन उसके और जो अन्य खर्चे होते हैं, जो 90 प्रतिशत मैंने कहा, उसका 10 प्रतिशत इन कर्मचारियों पर खर्च करते हैं। वेतन का दायित्व विभाग का नहीं है। मैंने कहा कि स्वयं सेवी संस्था तो इनकी प्रेरणा पर फील्ड में आती है और यह बहुत अच्छा सराहनीय काम करती है। जितने दानदाता लोग बैठे हैं, वह सब इसमें दान देते हैं और उसके माध्यम से वह उनका वेतन चुकायें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 250 रुपये ज्यादा नहीं हैं, बहुत कम हैं लेकिन यह मानदेय निश्चित रूप से अनुदानित संस्थाओं को यदि वह वेतन के रूप में देते हैं तो पर्याप्त राशि देनी चाहिये जिससे उनका पालन पोषण हो सके। इसलिये यह अनुदानित संस्थाओं का दायित्व है कि वह उनका पूरा जितना भरण पोषण हो सके उतना पैसा उनको दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इसमें क्या पूछना रह गया। बाकी क्या रह गया? बिराजें आप। बिराजिये आप। इसमें कोई पूछने जैसी बात नहीं है। यह अनुदानित संस्थायें हैं। अनुदानित संस्थाओं में संस्था की ड्यूटी है वह उनका इन्तजाम करे और 250 उनको मानदेय दे रहे हैं तो____

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, सरकार 90 प्रतिशत एड देती है तो सरकार को प्रशासनिक कार्यवाही को देखना चाहिये। फिर 90 प्रतिशत एड किस बात की देते हैं अगर वह ढंग से कार्य नहीं कर सके तो। आदिवासी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। या तो उनकी एड बंद करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : **मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि सरकारी छात्रावासों के मुकाबले अनुदानित छात्रावासों की हालत बहुत खराब है। उसका**

(श्री परसादी लाल मीणा)

कारण यह है कि वहाँ जो आपके अधीक्षक रहते हैं वह पूर्ण रूप से कम मानदेय मिलने के कारण वह उसकी पूर्ति के लिए छात्रावासों की सुविधाओं में से कटौती करते हैं। इसलिए सुविधायें नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपके छात्रावास ठीक से नहीं चलते हैं। क्या मंत्री जी आप इसमें सुधार के लिये कोई सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा सही हो सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार छात्रावासों में गड़बड़ कर रहे हैं, यदि मेरे को इस तरह की जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से ऐसी संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। ताकि और जो संस्थाएं गड़बड़ करती हैं वह गड़बड़ न करें और छात्रों को पर्याप्त सुविधायें मिल सकें।...(व्यवधान)...

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, लालसोट में जो अनुसूचित जाति का छात्रावास है...

श्री अध्यक्ष : लालसोट की नहीं, यह तो पूरे की ही बात है।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जानकारी के लिये कहा है, मैं बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बता देना उन्हें बाद में।

श्री परसादी लाल मीणा : वह छात्रावास साल में कभी एक महीने चलता है, नहीं चलता है।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय हम चाहते हैं टेक-ओवर करें, अनुदानित छात्रावास सरकार टेक-ओवर करे।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या इनको नियमित करने के लिये कोई कदम उठाने का विचार रखते हैं ?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बता देना, उनकी जाँच कर लेंगे। बिराजिये आप।

श्री फूलचन्द जी।

उप जिला मुख्यालय, सलूम्बर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना

560. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

(2) क्या सरकार उप जिला मुख्यालय सलूम्बर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (ए. डी. जे.) खोलने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशि दत्ता) : (1) जी हाँ। सरकार ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करने की दृष्टि से तहसील स्तर पर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उपखण्ड स्तर पर यथा सम्भव सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ उपखण्ड) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर जिला सैशन न्यायाधीश स्तर के न्यायालय स्थापित करा रखे हैं जिनके द्वारा मामले की नियमित रूप से सुनवाई की जाकर यथा समय शीघ्र निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में विधि सहायता बोर्ड, राजस्थान के तत्वावधान में लोक अदालत के शिविर भी लगाये जाते हैं

(श्रीमती शशि दत्ता)

तथा लोक अदालत के माध्यम से भी मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। उपखण्ड मुख्यालय, सलूम्बर पर अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश नं. 2 उदयपुर शहर माह में एक सप्ताह कैम्प कोर्ट करते हैं। यह कैम्प कोर्ट सन् 1986 से ही कार्यरत हैं। पूर्णकालीन अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की स्थापना के लिये माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श पर ही न्यायालय खोले जाने की कार्यवाही की जाती है। परन्तु यहाँ अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय खोले जाने के संबंध में अभी तक माननीय उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में यहाँ पर पूर्णकालीन न्यायालय की स्थापना किये जाने का औचित्य नहीं माना है। माननीय उच्च न्यायालय से पूर्णकालीन न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री फूलचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह पूर्णकालीन न्यायाधीश कब तक के लिये लागू नहीं करने की मंशा है? प्रस्ताव तो जो हाई कोर्ट ने दिया है उसने कब तक के लिये दिया था। जो भवन चल रहा है कैम्प कोर्ट का वह सरकारी भवन में चल रहा है या प्राइवेट में चल रहा है और कौनसे प्राइवेट भवन में चल रहा है? कितने वहाँ सिविल और क्रिमिनल केसेज पैण्डिग हैं? तीन कितने केसों का निपटारा अब तक हो चुका है? और इसको परमानेन्ट करने की सरकार पूरी मंशा रखती है या नहीं?

श्रीमती शशि दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत करा देना चाहूंगी उप खण्ड सलूम्बर ए. डी. जे. कोर्ट (कैम्प कोर्ट) वर्ष 1985 से चालू किया गया था। तथा यह वर्ष 1986 से वहाँ सलूम्बर में कार्यरत है। माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि उक्त कैम्प सरकारी भवन के अभाव में जैन समाज द्वारा आवंटित किये गये भवन में कार्य कर रहा है। वर्तमान में इस न्यायालय में फर्नीचर का भी अभाव है तथा पीठासीन अधिकारी के ठहरने की भी व्यवस्था नहीं है। न्यायालय भवन भी शहर से दूर है। मैं इनसे पूर्णतया सहमत हूँ।

आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे रही हूँ माननीय सदस्य, उपखण्ड सलूम्बर में ए. डी. जे. कोर्ट में इस समय कुल 220 फौजदारी मुकदमें, 1976 दीवानी प्रकृति के कुल वहां लम्बित हैं। इनमें से लोक अदालत के माध्यम से वर्ष 1991-92 में 114, वर्ष 1992-93 में शून्य, वर्ष 1993-94 में 47, वर्ष 1995 में 175 मोटर एक्सीडेंटल केसेज का निपटारा किया गया। इसी वर्ष ए. सी. जे. एम. न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 में 16 दीवानी, 151 फौजदारी वर्ष 1994 में पाँच दीवानी व 69 फौजदारी प्रकरणों का निपटारा किया गया। वर्तमान में उक्त न्यायालय रिक्त होने के कारण वर्ष 1995 में किसी प्रकार के प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पाया।

तीसरा, उक्त क्षेत्र के अलावा डूंगरपुर न्याय क्षेत्र में तहसील मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) का कैम्प कोर्ट लगाया जा रहा है। जो वर्तमान में अधिकारियों की कमी के कारण रिक्त है। डूंगरपुर मुख्यालय पर जिला एवं सैशन न्यायालय के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) के मुख्यालय भी कार्यरत हैं। इस न्याय क्षेत्र में वर्ष 1994 में

(श्रीमती शशि दत्ता)

लोक अदालत के माध्यम से कुल 895 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिसमें से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 164 प्रकरण व शेष प्रकरण शेष न्यायालयों द्वारा निष्पादित किये गये।

अब आपका सवाल है कि क्या कैम्प कोर्ट खोला जायेगा या नहीं? हर बार यही प्रश्न किया गया था...

श्री अध्यक्ष : कैम्प कोर्ट तो है पूरा कोर्ट चाहते हैं।

श्री फूलचन्द : पूर्णकालीन नया ए. डी. जे. कोर्ट वहां स्थापित किया जायेगा और भवन बनाया जायेगा या नहीं?

श्रीमती शशि दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को फिर पूर्व की भाँति आपके माध्यम से यह आश्वासन देना चाहूंगी कि अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी क्योंकि इनका जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और मैं इनकी भावनाओं की कद्र करती हूँ। इस वित्तीय वर्ष में जो भी हमें बजट मिलेगा उसमें हम निश्चित रूप से जनजाति क्षेत्र में एग्जामिन करवाकर सबसे पहले जनजाति क्षेत्र को देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

उदयपुर बाईपास निर्माण प्रकरण

561. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम), **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) एवं **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : **क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) उदयपुर बाईपास योजना कब बनी थी और इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर से 7 किलोमीटर दूर बलिचा गांव के निकट से बाई पास 17 किलोमीटर बनाकर भुवाणा, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की वर्ष 1993 में प्रस्तावित योजना की लागत 1370 करोड़ रुपये थी?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र से इस योजना हेतु 5 करोड़ रुपये मिले और उसे सरदारशहर मार्ग के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ने वाईपास की सर्विस लाइन के लिये राशि स्वीकृत की थी? यदि हाँ, तो कितनी और उसमें से कितनी राशि अभी तक किन-किन कार्यों पर व्यय की गयी? क्या सरकार यह महसूस करती है कि केन्द्र सरकार इरादतन इस बाई पास के कार्य को विलम्बित कराना चाहती है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार जनहित में अपने साधनों से इस बाईपास के कार्य को सम्पन्न कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) अध्यक्ष महोदय, उदयपुर बाईपास की 16.92 किलोमीटर लम्बाई की योजना को भू-तल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1986 में स्वीकृति प्रदान की गयी। इस स्वीकृति के अर्न्तगत भूमि अवाप्ति का तखमीना स्वीकृत किया गया एवं दिसम्बर, 1992 तक बाई पास की कुल लम्बाई में आने वाली भूमि अवाप्त कर ली गयी।

(2) प्रस्तावित योजना लागत रुपये 13.70 करोड़ थी।

(3) जी नहीं। उदयपुर बाई पास फैज-I जो कि किलोमीटर 0 से 5.718 तक है, के निर्माण कार्य की 410.32 लाख रुपये की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 31.3.95 को जारी की गयी। इसके पूर्व में इस योजना हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी थी। स्वीकृत प्रावधान को अन्य कार्य हेतु स्थानान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(4) जी हाँ। राज्य सरकार ने सर्विस रोड निर्माण हेतु 90.00 लाख रुपये की स्वीकृति 3 सितम्बर, 1990 में की थी। इस स्वीकृति के अन्तर्गत माह फरवरी, 1995 तक 62.58 लाख रुपये फोरमेशन एवं सी. डी. कार्यों पर व्यय किये जा चुके हैं। भू-तल परिवहन मंत्रालय उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यों की स्वीकृति अपनी योजनाओं में करता है। आवश्यकता परिप्रेक्ष्य में सम्भवतः सीमित संसाधनों के कारण भू-तल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली ने निजीकरण/निजी निवेशकों द्वारा बी. ओ. टी. (बिल्ट, ओपरेट एण्ड ट्रांसफर) के आधार पर पूरे देश में इस प्रकार के बाई पास और पुलों के निर्माण की योजना बनायी है। उदयपुर बाईपास की भी शेष लम्बाई को इसी प्रकार बनवाने का विचार चल रहा है। राज्य सरकार बाई पास निर्माण में शीघ्रता लाना चाहती है और इस हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर तथा शेष राशि भू-तल परिवहन मंत्रालय अथवा नगर सुधार न्यास, उदयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा या इन सभी के सम्मिलित निवेश द्वारा उपलब्ध कराकर इस फेज-II बाई पास को बनाने का प्रस्ताव भू-तल परिवहन मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय का निर्णय अपेक्षित है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उदयपुर शहर की बाई पास की समस्या से आप भी पूर्णतया परिचित हैं। आज छोटे-छोटे कस्बों की बाई पास बन गयी लेकिन उदयपुर शहर के बाई पास का मामला बहुत समय से लटका हुआ है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 1992 में भूमि अवाप्त कर ली गयी थी, करने के पश्चात् आपने स्वयं के संसाधनों से 1995 तक इस पर क्या-क्या कार्य किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? मेरा मंत्री महोदय से यह भी प्रश्न है कि आपने सर्विस रोड के लिये 90 लाख रुपये की स्वीकृति 3 सितम्बर, 1990 को कर दी थी, 1990 में 90 लाख की स्वीकृति के पश्चात् पाँच वर्ष के अन्दर 1995 तक आप मात्र 62 लाख ही क्यों खर्च कर पाये सर्विस रोड वगैरह के निर्माण में? इसमें यह इतनी ढिलाई क्यों रही? अंतिम प्रश्न मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उदयपुर शहर के और नाथद्वारा के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए बाई पास की मुख्य सड़क पर आप कब से कार्य प्रारम्भ कर देंगे और इस कार्य को कब तक समाप्त किये जाने की संभावना है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो उदयपुर बाई पास के विषय में चिन्ता प्रकट की है, राज्य सरकार उसी प्रकार इस दृष्टि से चिन्तित है। एक सवाल किया माननीय सदस्य ने कि 1992 में भूमि अवाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार ने अपने मद से क्या किया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, सदन को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। यह बाई पास भू-तल परिवहन विभाग नई दिल्ली के द्वारा है और इसलिए उन्होंने I फेज की स्वीकृति अभी 1.95 में की है जिसका मैं टाइम टेबल उनको तो बता सकता हूँ। दूसरा सवाल उन्होंने किया सर्विस लेने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस सर्विस रोड़ के लिए राज्य सरकार ने बाई पास के समानान्तर नगर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

परिषद् क्षेत्र में सर्विस रोड जिसकी लम्बाई 6.8 किलोमीटर है निर्माण हेतु 90 लाख की स्वीकृति माह 1990 में प्रदान की है। उक्त कार्य राज्य सरकार द्वारा आर. एस. बी. सी. सी. को आवंटित किया गया है। माह फरवरी, 1995 तक 62.58 लाख रुपये की दो किलोमीटर दोनों तरफ फारमेशन एवं सी. डी. वर्क्स पूरे कर दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि 14.10.91 को यह काम आबंटित किया गया था, 25.10.91 को प्रारम्भ कर इस काम को आगे करना था। किन्तु कार्य की प्रगति के दौरान भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त महा निदेशक बाई पास का निरीक्षण करने आये और उन्होंने कहा कि इस बाई पास के फारमेशन को रोक दिया जाये क्योंकि इसके लेवल्स तय नहीं हुए हैं और जब तक लेवल्स तय नहीं हों तब तक इस काम को स्थगित करें। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि इसके जो लेवल्स हैं और जो समानान्तर सड़क बनने वाली है मूल सड़क से 30 सी. एम. नीचा रखा जायेगा। अब मूल सड़क के लेवल्स उन्होंने तय करके नहीं भेजे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं, आप, सारा सदन जो पैसा लगातार भू-तल परिवहन विभाग द्वारा दिया जा रहा है जितनी सैंक्शन्स वे कर रहे हैं, राजस्थान में पिछले वर्षों में 30 करोड़ रुपये का डिफरेंस रहा है, जो सैंक्शन्स करके पैसा देते हैं। सदन इस पर विचार करे, हम अपने स्तर पर और राज्य अपने स्तर पर इस प्रकार का प्रयास कर रहा है कि सैंक्शनशुदा कम से कम पैसा जो दिल्ली वाले देते हैं वही पैसा नहीं दे पा रहे हैं, एक्सट्रा देने का सवाल आता ही नहीं है। I फेज का उपलब्ध हो गया है मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका कार्यक्रम हमने निश्चित कर लिया है और उस कार्यक्रम के आधार पर 4.1.95 को प्रेषित किया गया और जिसकी स्वीकृति अभी 31.3.95 को मिल गई है। उसमें बाई पास के कार्य फेज को उदयपुर-नाथद्वारा राजकीय उच्च मार्ग को उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सड़क से जोड़ना है। इस कार्य की शुरूआत हम अगस्त, 1995 में प्रारम्भ कर देंगे और मार्च 1998 तक यह काम पूरा हो जायेगा।

जहाँ तक फेज-II का सवाल है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक इस दृष्टि से कुछ भी करवाना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार बाई पासेज के बारे में बहुत पर्टिकुलर है, जयपुर, कोटा, देवली, महुआ, चौमूं, सीकर, बीकानेर, पाली, बर, सुमेरपुर, शिवगंज, जोधपुर इन सबकी स्कीम्स बनाकर भेजी हुई है। अभी तक केन्द्रीय सरकार भू-तल परिवहन विभाग इस दृष्टि से कोई भी पैसा आबंटित नहीं कर रहा है। इतनी कठिन समस्या जयपुर की है, ऐसी कठिन समस्या कोटा की है। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सारा सदन राज्य सरकार के साथ हो और भू-तल परिवहन विभाग पैसा मुहैया करे तो हम जल्दी से इन कामों को पूरा कर देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री है, छोटा–सा, माननीय मंत्री महोदय सिर्फ यह बता दें, मैं यह मानता हूँ कि केन्द्र सरकार से जो पैसा आपको अपेक्षित था वह नहीं मिला लेकिन फिर भी यह सत्य है कि राजस्थान के अन्दर भू-तल परिवहन मंत्रालय की ओर से जितनी राज मार्गों की पिछले वर्षों में स्वीकृति हुई है वह सम्भवतः अनुपात में दूसरे राज्यों में नहीं हुई है। प्रोपोशनेटली दूसरे

(श्री लक्ष्मण सिंह)

राज्यों को जितना पैसा मिला है अगर हमें उतना पैसा नहीं मिला तो यह भी कमी मैं मान सकता हूँ। तो यह कृपया बताइये कि दूसरे राज्यों के अनुपात में क्या हमसे ज्यादा पैसा मिला ? दूसरी बात, उदयपुर शहर के महत्त्व को देखते हुए क्या इस योजना को पूरी तरह से केन्द्र सरकार के पैसों पर ही निर्भर रखना चाहते हैं ? इधर कुछ अपवाद स्वरूप उदयपुर और नाथद्वारा के महत्त्व को देखते हुए कुछ प्रावधान करें तो मैं आपको मानूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा निश्चित रूप से मत है और कहना है, मैं वह बातें तो नहीं कहना चाहता जिस अनुपात की चर्चा की है, मुझे जानकारी मिली है कि गुजरात में अनुपात में ज्यादा पैसा दिया गया। अब कारण क्या हुआ मैं सदन में बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि कैसे पैसा इश्यू हो जाता है केन्द्र सरकार से उन दूसरी सरकारों को जो यह वर्तमान राज्य सरकार नहीं करा सकती। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बी. ओ. टी. की दृष्टि से हमने नगर विकास न्यास को किया, नगर विकास न्यास ने हमको पैसा मुहैया कराने का वायदा किया कि हम इस फैज-II का 15 पर्सेण्ट देंगे, 15 पर्सेन्ट राज्य सरकार देने के लिए तैयार है, 70 पर्सेण्ट हम निश्चित रूप से जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे पैसा लेंगे। इस योजना को बनाकर हमने केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिया है और जैसे ही केन्द्र सरकार से योजना की मन्जूरी आयेगी हम पैसा उनसे नहीं लेंगे, नगर विकास न्यास 15 पर्सेण्ट देगा और 15 पर्सेण्ट पैसा हम देंगे, 70 पर्सेण्ट पैसा फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूटशन देगी। बी. ओ. टी. के आधार पर बाई पास बनायेंगे और टोल-टैक्स के आधार पर वसूल करेंगे। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शिवकिशोर जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 5 करोड़ रुपया जैसा हमारे सांसद महोदय ने बताया है उन्होंने वहाँ पर पत्रकारों के सामने यह कहा और यह घोषणा की कि उदयपुर बाई पास के लिये पैसा सैंक्शन हो गया था लेकिन उस बाई पास के पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया सीकर की तरफ और उसकी वजह से नहीं बना, एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, यह जानना चाहता हूँ कि अवाप्ति का जो पैसा है उन सब लोगों को दे दिया गया है और अवाप्ति के लिए सारी भूमि फेज-I और फेज-II की अवाप्त कर ली गयी है और इसका सारा पैसा लोगों को चुका दिया गया है ? तीसरा, आपने कहा कि 86 में स्वीकृति प्रदान की गई जबकि हमारे सांसद महोदय ने उदयपुर में यह कहा कि राजस्थान सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रपोजल वहां पर नहीं गया। आप कह रहे हैं कि हमने प्रपोजल बनाकर भेजा है और वह कह रहे हैं कि प्रपोज ही नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारा प्रपोजल कब गया। भारत सरकार से जो यह I फेज का पैसा मिला है वह हमारे प्रयासों से मिला है या केन्द्र ने हमको वैसे ही दे दिया।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : आपके सांसद की चलती कहां है, चलती होती तो धरना क्यों देना पड़ता।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप, पहले जवाब आने दें।

एक माननीय सदस्य : स्थानीय सांसद

(१५)

(एक माननीय सदस्य)

गिरिजा जी ने कितनी बार घोषणा की कि इस बाई पास को...(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : + + + धरने पर क्यों बैठना पड़ता ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : जो संसद सदस्या अभी इस वक्त यहां नहीं हैं और उसके लिए माननीय सदस्य ऐसी टिप्पणी करें कि उनकी चलती नहीं है, इसको अंकित न करें।

श्री अध्यक्ष : हाँ, वह कह दिया है। बिराजें आप...(व्यवधान)...जो मूल प्रश्नकर्त्ता है, उनके प्रश्न तो आने देंगे या नहीं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मूल प्रश्नकर्त्ता मैं भी हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आर्डर मेन्टेन करें आप, बिराजें आप...(व्यवधान)... अभी आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, बिराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला सवाल जो किया था उसके बारे में मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि जिस 5 करोड़ रुपये की चर्चा की कि यह कहां से आया, किसने दिया, कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ। सरदाशहर मार्ग पर डाइवर्शन करने की चर्चा की है उन्होंने अपने सवाल में। मेरा स्पेसीफिक कहना है कि कोई पैसा प्राप्त ही नहीं हुआ तो डाइवर्शन का सवाल आकर खड़ा होता ही नहीं। अगर किसी ने किया है तो असत्य वाचन किया है, असत्य भाषण किया है। यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। दूसरा, फेज फर्स्ट और टू का सवाल है, मैंने कहा कि इतने बाई पासेज का हम प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को कर रहे हैं और अंत में 4.1.95 को लास्ट लैटर 472 लाख रुपये का हमने प्रेषित किया, उसकी स्वीकृति दिनांक 4.1.95 के पत्र के आधार पर भारत सरकार के पत्र संख्या आर. डब्ल्यू. एच. एल. 12014-613-91 डब्ल्यू. राज. दि. 31.3.95 द्वारा संशोधित कर 410.32 लाख रुपये दिया गया है। इसलिए यह कहना कि हम तो पत्र प्रेषित कर रहे हैं, परश्यू कर रहे हैं, मैं स्वयं गया हूँ और उसके बाद लास्ट पत्र गया है उसके माध्यम से I फेज का पैसा स्वीकृत हुआ है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, एक्वीजीशन के बारे में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक सवाल और किया था माननीय सदस्य ने भूमि अवाप्ति का।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, आपका होगा, माननीय जो प्रश्नकर्त्ता हैं, पहले उनका होगा, बिराजें आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : वे तो कोटा के हैं, मैं भी कोटा का हूँ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : क्या कोई जरूरी थोड़े है, कोटा-कोटा का आपस में प्रश्न करना।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने कोटा के बाई पास के लिए कई बार घोषणा की है...(व्यवधान)...कम्प्लीट हो जाता। अभी तक तो...

श्री अध्यक्ष : बिराजें। मूल प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न आने दें। अभी उदयपुर की बात हो रही है...(व्यवधान)...आप लक्ष्मणसिंह जी का प्रश्न

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

नहीं आने दे रहे हैं, आप बिराजें...(व्यवधान) मैं सभी को मौका दे रहा हूँ, आप मंत्रीजी को सुनें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप क्या कोटा के बारे में जवाब नहीं देना चाहते ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, मैं जवाब के लिये अनुमति दूंगा तो कोटा के लिए जवाब देंगे, पहले कैसे दे देंगे ? आप बिराजें, कोटा की अभी अनुमति नहीं है, अभी उदयपुर की बात चल रही है...(व्यवधान)...

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : We should proceed further. The reply has already come, and there is no use to repeat the reply.

श्री अध्यक्ष : यह आप अपने माननीय सदस्यों को समझाइये।

श्री भगराज चौधरी : वह तो आप थोड़ा करिये, आप चेयर पर हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : भूमि अवाप्ति के विषय में जैसा माननीय सदस्य ने सवाल किया है, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि उदयपुर बाई पास निर्माण के लिये भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा भूमि अवाप्ति की स्वीकृति दि. 26.9.86 को 69.4 लाख रुपये की प्रदान की गयी। भूमि अवाप्ति की सैक्शन 4 की कार्यवाही दि. 15.6.87 को की गयी। इसके बाद सेक्शन 6 द्वारा 17(1) की कार्यवाही दि. 22.7.87 को की गयी। भूमि अवाप्ति के अंतिम अवार्ड दिनांक 27.3.89 को 1 करोड़ 11 लाख 57 हजार 650 रुपये स्वीकृत किये गये। फिर इसमें संशोधन किया गया और 154.65 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 25.6.90 को प्राप्त हुई। इसके अन्तर्गत 122.74 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा और 31.91 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये गये। 122.74 लाख रुपये में से 122.88 लाख रुपये भूमि अवाप्ति के दे दिये गये और राज्य सरकार की ओर से 31.9 लाख रुपये के अगेंस्ट में 18.01 लाख रुपये कर दिये। यह जो डिफरेंस है, कुछ केसेज अदालत में पड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि अदालत का निर्णय होते ही अवार्ड हम पाते हैं, हम उनको दे देंगे और भूमि अवाप्त हो जायेगी और इस सारी भूमि का रूपान्तरण भूतल विभाग के नाम कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।...(व्यवधान)...श्री हीरालाल जी सहरिया।

एक माननीय सदस्य : केवल मात्र उदयपुर की ही बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप... (व्यवधान). माननीय, बिराजें आप... (व्यवधान). मैं जानता हूँ कि आप मेरी सुनेंगे नहीं... (व्यवधान)...बिराजें आप, माननीय मंत्रीजी आपके पास कोई राजस्थान भर की योजना हो तो बतायें...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद) : सीकर के लिए कहा है। सीकर का बाई पास मंजूर होकर के भूमि अवाप्त हो गयी, आधा कार्य हो गया, आधा कार्य आप कब तक पूरा करवा देंगे, यह मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ।...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल : कोटा के लिए जवाब देने को तैयार हैं, बाईपास कोटा के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं...

श्री अध्यक्ष : हाँ, सारे राजस्थान के बारे में बता रहे हैं, बिराजें आप, बिराजें आप, उसमें कोटा शामिल है, आप बिराजिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कोटा के लिए जवाब दे रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, आपका कोटा भी आ जाएगा...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : जयपुर से जो बाईपास गुजरते हैं उनके बारे में माननीय मंत्रीजी बतायें कि राज्य सरकार की क्या योजना है? जयपुर में रिंग रोड की बात चल रही थी, उसके बारे में क्या योजना है, जयपुर के बारे में बतायें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : प्रश्न संख्या 562.

श्री अध्यक्ष : आप शांतिलाल जी को मना कर दें तो आपकी बात हो जाये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कोटा के बाईपास के लिए मंत्री महोदय जवाब देने के लिए तैयार हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कोई बात कहना चाहते हैं, सारे राजस्थान के बारे में...(व्यवधान)...आप बिराजें। बीच-बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करें...(व्यवधान) आप आधा मिनट में मंत्रीजी को सुनना चाहें तो ठीक है, नहीं तो अगला प्रश्न काल करूंगा...(व्यवधान)...आप बिराजिये, एक मिनट।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में देखा होगा कि बाईपासेज के बारे में सारे माननीय सदस्यों में कितनी उत्कंठा है, राज्य सरकार के मन में भी ठीक उसी प्रकार एक उत्कंठा है और चिंता लगातार बनी हुई है। मैं विशेष रूप से जयपुर और कोटा के विषय में कहना चाहता हूँ। जयपुर राजस्थान की राजधानी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आगे का प्रश्न, हीरालाल जी सहरिया, प्रश्न संख्या 562....(व्यवधान)... माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के बारे में....

श्री अध्यक्ष : I cannot allow.

पंचायत समिति शाहबाद (बारां) के स्वीकृत एनीकट्स

562. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शाहबाद में वर्ष 1993-94 में स्वीकृत 6 एनीकट्स का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां द्वारा स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो सूची स्वीकृति आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व स्वीकृत कार्यों की अनुशंसा सिंचाई विभाग द्वारा नकारात्मक रूप से "सहरिया विकास परियोजना" के माध्यम से स्वीकृत नहीं करने बाबत की गयी थी? यदि हाँ, तो यह किस आधार पर स्वीकृत की गई एवं क्या ये तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है? क्या इनकी तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है?

(3) उक्त स्वीकृति एनीकट्स की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व अंतिम भुगतान की स्वीकृति व माप पुस्तिका के अनुसार राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन): (1) जी नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां द्वारा वर्ष 1993-94 में पंचायत समिति शाहबाद में किसी भी एनीकट की स्वीकृति जारी नहीं की गयी, अपितु 4

(श्री अनंग कुमार जैन)

एनीकटों की स्वीकृतियां वर्ष 1992-93 में जारी की गयी थी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये, माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न काल कर लिया है। 'I cannot allow.' —(व्यवधान)— आप बिराज जाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : X X X

श्री अध्यक्ष : यह मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं कितने लोगों को बोलने दूं। —(व्यवधान) डिसअलाऊ, अंकित नहीं करें इनका। बिराजिये आप।

श्री अनंग कुमार जैन : (2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां से इस सम्बन्ध में स्वीकृतियां जारी करने के बारे में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वह पूर्ण प्रतीत नहीं होती हैं। इस बारे में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1992-93 में 4 एनीकटों पर जारी की गयी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां एवं उन पर किये गये भुगतान इत्यादि का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एनीकट की स्वीकृत राशि का उपयोग —(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में बात कर लेना बाद में मंत्रीजी से जाकर।

श्री हीरालाल सहरिया : उसकी राशि बजट के अनुसार स्वीकृत की गयी थी। जो अधूरे कार्य अभी तक पूरे नहीं कराये गये हैं उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि कार्य अधूरे ही हैं, प्रश्न के दूसरे भाग में है कि जो 6 एनीकट्स का पूछा था मैंने उसमें आपने 4 का ही विवरण दिया है इसलिए आपके अधिकारियों ने अधूरी सूचना दी है इसलिए उनके खिलाफ भी आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि जिस वर्ष के लिये माननीय सदस्य ने पूछा उस वर्ष में कोई एनीकट की स्वीकृति जारी नहीं की गई, लेकिन 1992-93 में 4 एनीकट्स की स्वीकृति जारी की गयी और इन एनीकट्स पर कार्य प्रारम्भ हुआ लेकिन यह चारों कार्य अपूर्ण हैं। इसके बारे में जहां तक मैंने रिकार्ड में देखा। स्वीकृति के बारे में भी अनियमितता पाई गयी है। इसके लिए मैंने जांच के आदेश आज प्रातःकाल ही प्रसारित कर दिये हैं, इनकी सारी जांच की जायेगी और जिस अधिकारी ने भी इसमें अनियमितता की है या कोई गलती की है उसके खिलाफ जांच करके निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। —(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया है ?

श्री हीरालाल सहरिया : 1992-93 में पैसा दिया गया और आज 95 चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गया। जांच करा दी है आपके कहने से। आपके प्रश्न को इतना महत्त्व दिया है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

पुलिस हिरासत में मृत्यु प्रकरण

563. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1994 में राज्य के विभिन्न थानों में गिरफ्तार व्यक्तियों में से कितनों की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई ? सूची मृत व्यक्ति के नाम, पता व कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : वर्ष 1994 में राज्य के विभिन्न थानों में गिरफ्तार व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई। मृतकों के नाम, पते व मृत्यु के कारण सहित सूची परिशिष्ट (क) में संलग्न कर प्रेषित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि 12 व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस थानों में हुई—

एक माननीय सदस्य : शेम।

श्री अध्यक्ष : बहुत सरल है शेम करना।

श्री हरिसिंह : इन्होंने जो कारण बताये हैं वह इस प्रकार के हैं कि दिनांक 3.11.94 को 11 एम. एम. पर चौकी पैच की बावड़ी पर छोटे खां ने रिपोर्ट पेश की कि पांचू भील को 3 आर. ए. सी. के आदमियों ने पीट पीट कर मार डाला। इस प्रकार के कारण हैं, जिनमें पुलिस वालों ने पीट-पीट कर मारा है। मेरा स्पष्ट प्रश्न है आपसे कि जितने भी 12 मामले हैं जिनमें पुलिस वालों ने पीट पीट कर मारा है उसमें कितनों के चालान हो चुके हैं पुलिस वालों के खिलाफ और कितनों में एफ. आर. दी जा चुकी है और कितनों में कार्यवाही पेन्डिंग है ? एक तो प्रश्न मेरा यह है।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता आपसे इस बात की आशा और अपेक्षा रखती है कि आप हमारी जानमाल की सुरक्षा करेंगे और जहां आप ही जान ले लेते हैं जनता की उस मरे हुए व्यक्ति के परिवार को आप लावारिस बना देते हैं—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्टेड प्रश्न पूछें।

श्री हरिसिंह : पाइन्टेड प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जिससे दूसरों के प्रश्न भी आ सकें।

श्री हरिसिंह : पाइन्ट ही बना रहा हूं पूछने का।

श्री अध्यक्ष : तो यह परिवार को लावारिस करने का, यह नहीं। आई विल नॉट अलाऊ।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल रिलेवेन्ट प्रश्न है कि मरे हुए व्यक्ति के परिवार वालों को रिलीफ देने का कोई नियम है या नहीं है और यदि नहीं है, तो क्या आप नियम बनाने का विचार रखते हैं या नहीं ? जब एक्सीडेन्ट के कैसेज में सरकार रिलीफ देती है तो ऐसे कैसेज में जो आपके थानों में सरकार ने जिन लोगों को मारा है उनको रिलीफ देने के आपके क्या नियम हैं और नहीं हैं, तो क्या आप बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय 1985 से लेकर 90 तक पुलिस थानों में कितने लोगों की मृत्यु हुई, यह भी जरा बताने की कृपा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता का विषय है कि पुलिस हिरासत में किसी बंदी की मृत्यु हो और वह पुलिस जो कि रक्षक मानी जाती है और जिसको कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए

(श्री कैलाश मेघवाल)

उस पुलिस के द्वारा मारपीट के द्वारा यह हत्यायें हों। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में बहुत चिन्तित है और चिन्तित इसलिए है कि थर्ड डिग्री मैथ्ड के खिलाफ आज जो सोशियोलॉजीकल ट्रैण्डस ऑफ इनवेस्टीगेशन इन क्रिमिनल जुरिसप्रूडेन्स चल रही है उसमें थर्ड डिग्री मैथ्ड को मिनिमाइज करने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। अब यह सारे प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लगातार देखे हैं क्योंकि 1994 में 22 फरवरी या 20 फरवरी को मैं गृह मंत्री बन गया था और यह मेरी चिन्ता का विषय रहा है पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हाई कोर्ट की स्क्रूटनी में भी कई प्रकरण जा चुके हैं। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पेश हुई थी और उस जनहित याचिका में जितने भी हमारे प्रकरण हुए हिरासत में मौत के उनमें परीक्षण भी हो चुके हैं और इन सारे परीक्षण के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 4 कैसेज में तो चालान पेश किया गया है, जो सूची मैंने आपको दी है और 3 कैसेज में एफ. आर. दी गयी है नेगेटिव और 5 कैसेज अभी तक अन्वेषणाधीन हैं। उसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी रह गयी है। हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर स्तर पर और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इस तरह के निर्देश निकाले हैं जिन निर्देशों की पालना करने से पुलिस में थर्ड डिग्री मैथ्ड काम में नहीं ले सकेंगे। उनमें कमी आयेगी। राज्य सरकार ने भी लगातार और मेरे वक्त में भी एक बार नहीं दो तीन बार इस तरह के निर्देश थानों को और पुलिस अधिकारियों को और एस. पी. तक को इस बात के लिए जिम्मेदारी दी गयी है कि गिरफ्तारी के बाद थानों में जो अनुसंधान हो उस अनुसंधान के दौरान थर्ड डिग्री मैथड्स काम में नहीं लिये जायें और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष तौर से निर्देश भी दिये गये हैं और एक गाइडलाइन दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेन्ट में इस तरह की गाइडलाइन दी थी और सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइन्स में भी हमने सारे डी. आई. जी., एस. पी. और नीचे तक भेजे हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा भी तीन-तीन बार इस बात को रीइटरेट किया गया है कि पुलिस हिरासत में किसी बंदी के साथ कोई सख्ती नहीं की जाये, थर्ड डिग्री मैथड काम में नहीं लिये जाये और इसका परीक्षण हाईकोर्ट के द्वारा हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे हाईकोर्ट ने भी इस मामले में एक पाजीटिव व्यू लिया है और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेन्डिग कमेटी भी बनाई है और उस स्टेन्डिग कमेटी में इस तरह के प्रकरणों का परीक्षण किया जाय, यह भी उनके निर्देश हैं।

अब माननीय विधायक का दूसरा सवाल है रिलीफ का। माननीय अध्यक्ष महोदय रिलीफ के बारे में जैसा ला ऑफ दी लैण्ड आज है लॉ ऑफ टोर्टस की अगर हम बात छोड़ दें, क्योंकि लॉ ऑफ टोर्टस एक जनरल ला है जिसमें क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है और करते भी हैं लेकिन पुलिस की जो वर्तमान व्यवस्था है जिस तरह के नियम और उपनियम हैं उसमें इस तरह के मृतक को रिलीफ देने के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं, प्रावधान भी नहीं हैं। लेकिन ऐसे प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने स्तर पर उनके पास जो मुख्य मंत्री कोष है उसमें जब जिस प्रकार की आवश्यकता हुई मानवीय आधार पर यदाकदा मदद करते रहते

(श्री कैलाश मेघवाल)

हैं और उसका पूरे मानवीय दृष्टिकोण से भी परीक्षण किया जाता है कि जो भी डिसीज्ड की पुलिस थाने में मौत हुई है और जो डिसीज्ड है उसके जो वारीसान हैं उनको यथोचित्त राहत भी मिले इस बात के प्रयत्न हमेशा रहते हैं।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जैसे और केसेज में रूल्स हैं, नियम हैं जबकि राज्य सरकार के थानों के अन्दर मौत होती है जिनमें आप चालान कर देते हैं तो इस प्रकार के केसेज में तो रिलीफ देने का कोई न कोई सरकार को नियम बनाने चाहिए, ह्यूमन ग्राउन्ड्स पर बनाने चाहिए। यह मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह एक सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी स्वयं इसको देखें।

प्रश्न संख्या 564

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री भगराज चौधरी

तहसील आहोर (जालौर) के ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करना

565. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की आहोर तहसील में स्थित ग्राम कालस की ढाणी (निम्बला), बैडीया की ढाणी (बैडीया), थूंवा का गोलीया (भाद्राजून), गोपालनाड़ी (बरवा), रेवारियों की ढाणी (वाला), नौसरा की ढाणी (नौसरा), जोणी खेड़ा (जोगणी) 500 से भी अधिक जनसंख्या के ग्राम होने के बावजूद इन्हें अभी तक अलग से राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन ग्रामों को शीघ्र अलग राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो, कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जालौर जिले की आहोर तहसील में स्थित ग्राम कालस की ढाणी (निम्बला), बेडीया की ढाणी (बेडीया), रेबारियों की ढाणी (बाला) मुख्य आबादी से दूरी एक किलोमीटर से भी कम है तथा थूंवा का गोलिया (भाद्राजून), गोपालनाड़ी (बरवा), एवं नोसरा की ढाणी की आबादी 250 से कम है, इस कारण इन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाना सम्भव नहीं है। जोणीखेड़ा (जोगणी) ढाणी की आबादी 250 से अधिक है तथा यह मूल गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस कारण इसको नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने का प्रस्ताव जिला कलक्टर के द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत राज्य सरकार को प्रेषित करने पर इसे नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकेगा।

(2) जोणी खेड़ा (जोगणी) ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होने पर इसे नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकेगा।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जो उत्तर नीचे से आपके पास में आया आपने सदन में दिया है उसमें एक गांव के अलावा शेष गांवों के बारे में आपने जानकारी दी है वह बिल्कुल ही सच्चाई से परे दी है। न तो यह गांव छोटे हैं और न मूल गांव से इनकी दूरी कम है। इन सारे गांवों की आबादी 500 से अधिक है और मूल गांव की आबादी से करीब 3 से 4

(श्री भगराज चौधरी)

किलोमीटर की दूरी है। पर दिक्कत यह है नीचे के स्तर के अधिकारी न तो मौके पर गये हैं और न इन्होंने उन गांवों को देखा है। इसलिए फिर से आप इसकी जांच करवा लें ताकि इन्हें भी राजस्व गांव घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा सके। आप इसकी जांच करवा लें गांवों की।

श्री गंगाराम चौधरी : जांच करवा लेंगे। अगर नियमानुसार यह घोषित करने योग्य होंगे तो इन्हें राजस्व गांव घोषित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला बांसवाड़ा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

554. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने व्यक्तियों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के तहत कितने मामले लम्बित हैं? पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बांसवाड़ा में अनुसूचित जनजाति के 11 पुरूष व 3 महिलाओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के तहत 1995 के कुल 5 अभियोग दि. 31.3.95 को लम्बित थे। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरूद्ध 31 मार्च, 1995 तक कोई अभियोग लम्बित नहीं हैं। अनुसूचित जन जाति के लम्बित अभियोगों का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	अपराध सं. एवं धारा	थाना	अभियुक्त पुरूष	अभियुक्त महिला
1.	37/95 धारा 498ए भा. दं. सं.	आनन्दपुरी	2	—
2.	49/95 धारा 498ए भा. दं. सं.	लौहारिया	2	—
3.	30/95 धारा 498ए भा. दं. सं.	खमेरा	2	1
4.	60/95 धारा 498ए भा. दं. सं.	खमेरा	4	1
5.	75/95 धारा 498ए भा. दं. सं.	सदर	1	1
			11	3

बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपूतली में दूरबीन नसबन्दी सुविधा

557. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपूतली में दूरबीन से नसबंदी की सुविधा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में दूरबीन यन्त्र उपलब्ध होने के बावजूद भी यह सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती? यदि हां, तो क्यों व इस दूरबीन यन्त्र को कब तक चालू करने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपूतली में दूरबीन नसबन्दी की सुविधा उपलब्ध है।

(2) जी नहीं, चिकित्सालय में दूरबीन यन्त्र उपलब्ध है एवं चालू हालत में है तथा यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

विभागीय मुख्यालय/जयपुर इकाई पर प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी

564. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन के जयपुर स्थित मुख्यालय व जयपुर इकाई में अधिकारी व कर्मचारी अन्य यूनिट कार्यालयों से लम्बे अर्से से प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी कब-कब से किस-किस यूनिट कार्यालय से मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं ?

(2) क्या प्रतिनियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों को मुख्यालय/जयपुर यूनिट में प्रतिनियुक्त किये जाने से राज्य कोष को भारी हानि हो रही है तथा यूनिट कार्यालयों का कार्य बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) मुख्यालय/यूनिट जयपुर में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने-कितने, कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं और उनकी पूर्ति की सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या सरकार मुख्यालय व यूनिट कार्यालय जयपुर में प्रतिनियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। मुख्यालय एवं जयपुर यूनिट पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सदन पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) कोई पद रिक्त नहीं है।

(4) जी हां। आदेश दे दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बन्द किये जाने वाले राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों का समायोजन

798. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कौन-कौन से उपक्रमों को उनके घाटे में चलने के कारण बन्द करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय सरकार ने लिया है उनके कर्मचारियों को अन्य उपक्रमों/विभागों में समायोजित (एब्जोर्व) करने के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

(3) क्या जो उपक्रम बन्द होंगे उनके कर्मचारियों की छंटनी भी संभव है ? यदि हां, तो कौन-कौन से उपक्रमों के कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रमों की इकाइयों में से निम्न को बन्द करने का निर्णय लिया है :—

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. की लाडनूं व चूरू इकाइयां।
2. राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. की हाईटैक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर इकाई।
3. राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि., जयपुर।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(2) जिन राजकीय उपक्रमों को राज्य सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है उनके सरप्लस कर्मचारियों की अन्य राजकीय उपक्रमों में समायोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं (प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।)

इसके अतिरिक्त राजकीय उपक्रमों के अधिशेष कर्मचारियों की समस्या के समाधान हेतु, राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा जुलाई, 89 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरम्भ की गयी थी, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के परिलाभ अधिशेष कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। इन परिलाभों हेतु विकल्प नहीं देने वाले अधिशेष कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत छंटनी किये जाने का प्रावधान है। तथापि राज्य सरकार द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छंटनी शुदा अधिशेष कर्मचारियों को, उनका अंतिम वेतन सुरक्षित रखते हुए राज्य सरकार में उपलब्ध रिक्त पदों पर अनुबन्ध पर रखने हेतु भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) जिन राजकीय उपक्रमों/उपक्रम की इकाइयों को बंद करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है उनके कर्मचारियों के द्वारा यदि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प नहीं अपनाया जाता है तो ऐसे अधिशेष कर्मचारियों की छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुरूप की जानी है। यह प्रक्रिया लघु उद्योग निगम की लाडनूं व चूरू इकाइयों के कुछ कर्मचारियों पर लागू की जा चुकी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों का पुनरवलोकन

799. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य (राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक मामलों में तीन वर्ष से अधिक समय से निलम्बित अधिकारियों व राज्य कर्मियों के पुनरवलोकन हेतु समिति गठित की हुई है? यदि हां, तो उक्त समिति ने कितने मामलों में अपनी अंतिम रिपोर्ट कब दी ?

उत्तर

जी हाँ। राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक मामलों में राज्य सरकार द्वारा निलंबित किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के तीन वर्ष से अधिक अवधि के निलम्बन के मामलों का पुनरवलोकन करने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) की आज्ञा क्रमांक प. 6(23) प्र.सु./अनु.-3/93 दिनांक 5.1.94 के द्वारा एक स्थायी राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 71 अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले, जिनको दिनांक 31.1.94 को निलंबित हुए तीन वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया था, समिति के समक्ष पुनरवलोकन हेतु प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा उक्त 71 मामलों में गुणावगुण के आधार पर विचार कर कार्यवाही विवरण तैयार किया जाकर दिनांक 6.4.94 को प्रस्तुत किया गया।

मदनगंज (अजमेर) की जामा मस्जिद का अंकेक्षण

800. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगदीप धनखड़)

(1) क्या यह सही है कि अंकेक्षण विभाग द्वारा मदनगंज (किशनगढ़), जिला अजमेर की जामा मस्जिद का माह जनवरी, 1994 या इसके आसपास अंकेक्षण किया गया था? यदि हां, तो अंकेक्षण दल इस संबंध में कौन-कौन से कागजात जांच के लिए अपने साथ लाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अंकेक्षण विभाग द्वारा इस कार्यवाही का क्या विधिक आधार है?

उत्तर

(1) जी हां। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा मदनगंज (किशनगढ़) जिला-अजमेर की जामा मस्जिद के वर्ष 1983-84 से 92-93 तक के लेखों का अंकेक्षण दिनांक 12.1.94 से 31.1.94 तक किया गया था। अंकेक्षण के दौरान संभावित गबन का मामला सामने आने पर जांच के लिये अंकेक्षण दल द्वारा निम्नांकित कागजात अपने साथ लाये गये, जिसकी रसीद दिनांक 31.1.94 को ही जामा मस्जिद के सदर व्यवस्थापक को दे दी गयी थी : —

1. किराये की एक रसीद बुक क्रमांक-801 दिनांक 22.12.87 से क्रमांक 900 दिनांक 4.8.89 तक।

2. रोकड़ बही दिनांक 1.1.83 से दिसम्बर, 91 तक की लिखी (पृष्ठ संख्या 1 से 145 तक) जिसमें 1 से 4 तक पृष्ठ खाली, 5 से 138 तक, दिनांक 1.1.83 से दिसम्बर, 91 तक लिखी हुई, फिर क्रमांक 139 से 145 तक खाली, ऑडिट पेंसिल से नम्बर की गयी।

(2) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 के नियम 9 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गयी थी, क्योंकि उपर्युक्त दस्तावेज जांच हेतु प्राप्त करने के पर्याप्त कारण थे। संबंधित नियम 9 की प्रति संलग्न है।

(नियम की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता

801. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार राज्य में गरीबी उन्मूलन, आधारभूत संरचना, सड़कों का विकास, महिला विकास व विद्युत उत्पादन हेतु योजना तैयार करके अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई?

उत्तर

जी हां। भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता हेतु परियोजनाओं के प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं। राज्य में आयोजना विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों से वांछित परियोजना प्रस्ताव तैयार करवाये जाते हैं। संबंधित विभाग द्वारा भी इन परियोजना प्रस्तावों की एक प्रति भारत सरकार में संबंधित मंत्रालय के माध्यम से अभिशंसा सहित आर्थिक कार्य विभाग को उपयुक्त अन्तरराष्ट्रीय संस्था से सहायता दिलाने हेतु भिजवायी जाती है। राज्य सरकार द्वारा वांछित क्षेत्रों में अब तक किये गये प्रयासों की प्रगति इस प्रकार है : —

(मुख्य (आयोजना) मंत्री)

1. गरीबी उन्मूलन : —

विश्व बैंक द्वारा गरीबी उन्मूलन परियोजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राजस्थान राज्य को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में विश्व बैंक के मिशन/अधिकारियों से अक्टूबर, 1994 एवं नवम्बर, 1994 में राजस्थान यात्रा के दौरान विस्तृत चर्चा हुई है तथा सैद्धान्तिक रूप से परियोजना को आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया गया है। इस परियोजना के कुछ जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु आधारभूत संरचना के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम स्तर पर विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित एड-मेमोरिया के अनुसार राजसमन्द जिले की परियोजना का मॉडल प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। जिला योजना प्रकोष्ठ, आयोजना विभाग की देखरेख में राजसमन्द जिले के लिए गरीबी उन्मूलन की पाइलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है।

2. आधारभूत संरचना सड़कों का विकास :—

1. राज्य एवं पर्यटन सड़कों का सुधार परियोजना को विश्व बैंक से सहायता दिये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

2. एक हजार से अधिक जनसंख्या (1981) वाले सभी गांवों को बी. टी. सड़क से जोड़ने वाली सड़कों की परियोजना भारत सरकार को ओ. ई. सी. एफ. जापान से सहायता हेतु प्रस्तुत की हुई है।

3. अनु. जाति बहुल जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने वाली परियोजना भारत सरकार को ई. ई. सी. से सहायता हेतु भिजवाई हुई है।

4. मौजूदा साधारण सड़कों को बी. टी. सड़क में परिवर्तित करने की परियोजना भारत सरकार को ई. ई. सी. (यूरोपियन कम्यूनिटी) से सहायता हेतु भिजवाई हुई है।

5. तेरह सौ पिचहत्तर अनकनेक्टेड पंचायत मुख्यालय गांवों को बी. टी. सड़कों से जोड़ने वाली परियोजना भारत सरकार को ई. ई. सी. से सहायता हेतु भिजवाई हुई है।

उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित परियोजनाएं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई हैं, जो के. एफ. डब्ल्यू., जर्मनी से साधारण ब्याज दर पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के आर्थिक कार्य मामलात विभाग, नई दिल्ली को भिजवाई गयी हैं :—

1. भरतपुर बाई पास का निर्माण ;

2. जयपुर बाई पास ;

3. जोझारी नदी जोधपुर-पाली मार्ग पर पुल निर्माण ;

4. भांदू नाला और जोझारी नदी, जोधपुर-बाड़मेर मार्ग पर पुल निर्माण ;

5. कोटा शहर का बाई पास निर्माण ;

6. जिन्दौली घाटी (अलवर) में घाटी एवं सम्पर्क सड़क का निर्माण ;

7. अजमेर-पुष्कर सड़क पर नासूर गांव के पास घाटी एवं बाई पास निर्माण ; तथा

8. जयपुर बाई पास जोन-सी का निर्माण।

3. महिला विकास : —

समन्वित महिला विकास परियोजना, भारत सरकार के आर्थिक मामलात विभाग को यू. एन. एफ. पी. ए. अथवा अन्य उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भिजवाई गयी थी। भारत सरकार के

(मुख्य (आयोजना) मंत्री)

निर्देशानुसार इस परियोजना प्रतिवेदन को पुनः तैयार करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिये गये हैं, तदनुसार परियोजना तैयार की जा रही है।

4. विद्युत उत्पादन : —

सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना यूनिट-2 को ओ. ई. सी. एफ. (जापान) से सहायता हेतु ऊर्जा मन्त्रालय एवं आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भिजवाने पर 1994-95 के प्रस्तावों में शामिल न होने पर पुनः 1995-96 के प्रस्तावों में शामिल करवाने हेतु भिजवाया है।

शराब विक्रय से आय

802. डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994 से मार्च, 1995 के प्रथम सप्ताह तक विभाग में शराब विक्रय से कुल कितनी आय हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आबकारी विभाग पर सरकार का उक्त अवधि में कुल कितना व्यय हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबकारी विभाग शराब का सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय नहीं करता है। विभाग मदिरा एवं भांग-डोडापोस्त के एकल विशेषाधिकार राशि के आधार पर विक्रय के ठेके देता है। वर्ष 1991-92 से 1994-95 (31.3.95 तक) में मदिरा एवं भांग-डोडापोस्त से विभाग की कुल आय इस प्रकार रही : —

(राशि करोड़ रु.)

वर्ष	शराब से	भांग डोडा पोस्त से	कुल योग
1991-92	348.10	8.22	356.32
1992-93	406.93	7.76	414.15
1993-94	553.12	8.00	461.12
1994-95	544.14	14.00	558.50

(प्रोविजनल)

(2) आबकारी विभाग पर वर्षवार कुल व्यय निम्नानुसार रहा :—

वर्ष	मदिरा तथा स्प्रिट के क्रय पर व्यय	अफीम आदि के क्रय पर व्यय	स्थापना संबंधी व्यय	कुल व्यय
1991-92	28.00	.09	6.16	34.25
1992-93	43.38	.08	7.39	50.85
1993-94	51.00	.13	8.48	59.61
1994-95	79.98	.06	8.68	88.72

(प्रोविजनल)

नई आबकारी नीति

803. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार को नई आबकारी नीति से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना अधिक राजस्व मिलने की संभावना है? यदि नहीं, तो क्यों व नई आबकारी नीति का क्या औचित्य है?

उत्तर

राज्य सरकार को वर्ष 1994-95 में आबकारी से 558.50 करोड़ रुपये की अनुमानित आय हुई है। वर्ष 1995-96 में यह आय बढ़कर 720 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार नई आबकारी नीति से वर्ष 1995-96 में गत वर्ष के मुकाबले लगभग रु. 161.50 करोड़ अधिक राजस्व मिलने की संभावना है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति/पदोन्नति प्रकरण

804. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधि सचिव द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति को दी जाने वाली नियुक्ति से संबंधित प्रकरण जो गृह विभाग के सहायक लोक अभियोजक II से संबंधित था, में पत्रावली संख्या एफ. 3(2) (1) स्था/अभि/88 पर टिप्पणी दी थी? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधि सचिव द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को अनुभागाधिकारी से सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति प्रकरण में डी. पी. सी. 1994-95 का आयोजन करने से पूर्व कोई राय प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्तानुसार राज्य के विधि सचिव द्वारा दी गई दोनों राय एक दूसरे से भिन्न थी? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(4) क्या दोहरी राय से उत्पन्न स्थिति के लिए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) गृह विभाग के सहायक लोक अभियोजक-II से संबंधित प्रकरण में विधि विभाग की राय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए. आई. आर. 1993 में उल्लेखित नई नियुक्तियों के आरक्षण से संबंधित हैं। राय के अनुसार विज्ञप्ति पदों में आरक्षण अवशेष जोड़ने के पश्चात् भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। अतः यह राय पदोन्नति के आरक्षण से संबंधित न होकर नई नियुक्तियों के बारे में है। (प्रति संलग्न है)

(2) अनुभागाधिकारियों से सहायक शासन सचिव के पद पर पदोन्नति के बारे में विधि विभाग की राय ली गई है। प्रति संलग्न है।

(3) प्रश्न के भाग 1 व 2 में उल्लेखित उत्तर से स्पष्ट है कि विधि सचिव द्वारा जो राय की गई है वह दोनों प्रकरण भिन्न-भिन्न हैं। गृह विभाग का प्रकरण, नई नियुक्तियों के आरक्षण से एवं कार्मिक विभाग का प्रकरण पदोन्नति के आरक्षण से संबंधित है।

(4) किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विकलांग कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति का नियमितिकरण

805. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 3 (6) डी. ओ. पी/ए-II/80, दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 के तहत विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति नियमित नियुक्ति के रूप में किये जाने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो इन आदेशों के तहत वर्ष 1982 में शासन सचिवालय में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति की तिथि से नियमित नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे कनिष्ठ लिपिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 20(1) एफ.

(श्री हीरालाल)

डी/जी. आर.-2/92/ आर. ओ. एस/89/1-92, दिनांक 25 जनवरी, 1992 के तहत चयनित वेतनमान नियुक्ति तिथि को आधार मानकर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के कारण 25 जनवरी, 1992 से दिये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त वेतनमान दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हाँ। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 7.12.89 द्वारा राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970 के नियम 23 में उप नियम-8 जोड़कर संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि दिनांक 1.4.80 से 31.3.88 के बीच कनिष्ठ लिपिक के पदों के प्रति नियुक्ति विकलांग व्यक्तियों को उनका कार्य संतोषजनक होने एवं संस्थाई रिक्ति उपलब्ध होने पर नियमित किये जायेंगे। इस प्रावधान के अन्तर्गत वर्ष 1982 में सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त विकलांग व्यक्तियों को दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 के पश्चात स्थाई (नियमित) किया गया।

(2) जी नहीं। कनिष्ठ लिपिक पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक 7.12.89 से मानी गई है। अतः चयनित वेतनमान का नियमानुसार लाभ नियमित नियुक्ति होने के बाद 9 वर्ष की सेवा पर ही दिया जाना संभव होगा।

विधायकों के पत्रों का उत्तर देने बाबत दिशा निर्देश

806. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा विधायकों के पत्रों के उत्तर नहीं दिए जाते? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधायकों के पत्रों के उत्तर न दिये जाने की कोई शिकायत इस विभाग के ध्यान में नहीं आई है। माननीय विधायकों के पत्रों का उत्तर देने, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के बारे में इस विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं, जिनकी छाया प्रतियां परिशिष्ट क व ख पर संलग्न हैं।

(परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

सीकर जिले के लोसल कस्बे में महाविद्यालय

807. श्री अमराराम (धोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से 1994 तक राजकीय महाविद्यालयों में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या क्या-क्या थी?

(2) वर्ष 1984 से 1994 तक हर वर्ष कितने महाविद्यालय खोले गए तथा महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(3) क्या सीकर जिले के लोसल कस्बे में महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची तथा मापदण्ड संलग्न हैं।

(3) सीकर जिले के लोसल कस्बे में महाविद्यालय खोलने की सम्भावना का पता लगाने के लिए प्राचार्य, सीकर से वर्ष 1992 में

(उच्च शिक्षा मंत्री)

निरीक्षण करवाया गया था। लोसल सीकर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा यहां पर 20 कि. मी. में तीन सीनियर सैकेण्डरी स्कूल चल रहे हैं। अतः यह स्थान महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड पूरे नहीं करता है। अतः यहां महाविद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय

808. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां ?

(2) क्या वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में कोई नवीन विषय खोलने का भी प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो कहां-कहां एवं क्या विषय ?

उत्तर

(1) जी हां। एक महिला महाविद्यालय बांसवाड़ा में खोलना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। वर्तमान में चल रहे राजकीय महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 1995-96 में कुल 15 नये विषय खोलने का प्रावधान रखा गया है। जिसमें से 10 विषय राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिये), 3 विषय राजकीय महाविद्यालय महिलाओं के लिए एवं 2 विषय जनजाति उपयोजना क्षेत्र में चल रहे महाविद्यालयों के लिए प्रस्तावित हैं। स्थान व विषय का निर्णय सभी स्थानों से प्राप्त मांग एवं मांग की औचित्यता की जांच कर निर्णय लिया जायेगा।

धौलपुर राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान विषय की कक्षायें

809. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने जिला मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में विज्ञान विषयों की कक्षायें चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार धौलपुर की विशेष स्थिति एवं छात्र-छात्राओं की संख्या को देखते हुए धौलपुर राजकीय महाविद्यालय में भी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में विज्ञान विषयों की कक्षायें प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के जिला मुख्यालयों पर चल रहे 16 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं चल रही हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यहां पर्याप्त छात्र संख्या नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

विभिन्न जिलों की सड़कों के रख-रखाव पर व्यय

810. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में विभाग द्वारा कुल कितने किलोमीटर लम्बी सड़कों का रख-रखाव किया जाता है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रख-रखाव पर गत तीन वर्षों में हुए व्यय की सूची जिलेवार व वर्षवार सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) सा. नि. वि. द्वारा 63078 कि. मी. सड़कों का रख-रखाव किया जाता है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में सड़कों के रख-रखाव पर वार्षिक व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

भीलवाड़ा जिले की अधूरी सड़कें

811. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 में सड़कों और पुलों के निर्माण व संधारण हेतु कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कें अधूरी पड़ी हैं? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले की अधूरी पड़ी सड़कों की सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) इन अधूरी सड़कों को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में भीलवाड़ा जिले में सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु रुपये 86.84 लाख एवं रख रखाव हेतु रुपये 412.00 लाख का प्रावधान किया गया।

(2) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 तक स्वीकृत सड़कें प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सीमा तक व्यय कर निर्माण पूरा किया जा चुका है। योजना मद में वर्ष 1993-94 में 5 सड़कें स्वीकृत हुई। इनमें से 2 का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं शेष 3 का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1994-95 में 4 सड़क कार्य स्वीकृत हुए, ये सभी कार्य प्रगति पर हैं। इसका विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है। योजना मद में वर्ष 1984-85 से 1989-90 तक स्वीकृत सड़कों में से 34 सड़कों की स्वीकृति पूर्ण नहीं थी इसलिए इनको स्वीकृत लागत और लम्बाई सीमा तक पूरा करवा दिया गया।

(3) योजना मद के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 एवं 94-95 में 9 स्वीकृत कार्यों में से 7 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इसमें से 6 कार्य 3/96 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष एक कार्य भीलवाड़ा बाई पास की भूमि अधिग्रहण कर कार्यवाही प्रगति पर है।

वर्ष 1984-85 से 89-90 तक स्वीकृत सड़कों में से 34 सड़कें जिनका निर्माण पूरी लम्बाई में करवाना संभव नहीं हो सका, में से एक सड़क योजना मद में वर्ष 93-94 में पुनः स्वीकृत की गई है व कार्य प्रगति पर है। 6 सड़कों पर आने वाले गांवों की जिनकी 1971 की जनसंख्या 1000 से अधिक है प्लान 95-96 में प्रस्तावित किया गया है, 5 सड़कों को जिन पर 5 पंचायत मुख्यालय स्थित हैं व जिन पर अन्य रोजगार योजनाओं में मेटल सड़क का निर्माण करवा दिया है, प्लान 95-96 में प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा 5 सड़कें ऐसी हैं जो पंचायत मुख्यालय को

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जोड़ती हैं या 1991 की जनसंख्या के 1000 से अधिक गांव को जोड़ती हैं, को 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जायेगा। शेष 17 सड़कें नीतिगत प्राथमिकताओं में न आने के कारण इनका पूरी लम्बाई के लिए निर्माण की स्वीकृति वर्तमान में संभव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

बामनवास निर्वाचन क्षेत्र की सम्पर्क सड़कें

812. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कौन-कौन सी सम्पर्क सड़कें निर्माणाधीन हैं तथा किन-किन गांवों की सम्पर्क सड़कें विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम बिछोछ से खुर्रा गांव तक सम्पर्क सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र बामनवास में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन कुल 43 नम्बर सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" पर एवं वर्ष 1995-96 के प्रस्तावित कुल 8 नम्बर सड़कों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं। दोनों गांव बिछोछ (1842) बाटोदा से खड़ली एवं गांव खुर्रा (767) मंडावरी से बगड़ी डामर सड़क पर स्थित हैं। अब बिछोछ से खुर्रा तक सीधी सड़क 7 कि. मी. का निर्माण करवाना प्राथमिकताओं में नहीं आता है। अतः इसका निर्माण करवाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अधूरी सड़कें

813. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में अनेक सड़कें, अब भी या तो कच्ची हैं या अधूरी पड़ी हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? इनका कार्य कब तक सम्पन्न करवा दिया जायेगा?

(2) गत 2 वर्षों में इस क्षेत्र में सड़क निर्माण संबंधी क्या-क्या कार्य हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में आज भी कई सड़कें कच्ची हैं या अधूरी हैं। संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कुल 27 सड़कें कच्ची हैं या अधूरी हैं। इनमें से 25 सड़कें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पूरी लम्बाई में मैटल सड़क बनाने का कार्य प्रगति पर है। इन सड़कों पर मैटल सड़क निर्माण कार्य मार्च, 1996 तक पूर्ण हो जायेगा। एक सड़क का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा जमा राशि से कार्य प्रगति पर है। इस सड़क पर डामरीकरण कार्य मार्च, 96 तक पूर्ण हो जायेगा। शेष सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अन्तर्गत वर्ष 92-93 में अपर्याप्त प्राप्त हुई थी। पर 10 कि.मी. लम्बाई में से 4 कि.मी. का डामरीकरण करवाया गया है। इस सड़क को जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं।

25 सड़कें जो जवाहर रोजगार योजना में मैटल सड़क स्वीकृत हैं, में से दो सड़कें कृषि उपज मण्डल समिति में डामरीकरण हेतु स्वीकृत हैं एवं एक सड़क का डामरीकरण प्रस्तावित है। 12 सड़कें जो या तो 1971 की 1000 से अधिक की आबादी के गांवों को जोड़ती हैं अथवा पंचायत मुख्यालय को जोड़ती हैं उनका मैटल सड़क स्तर का निर्माण जवाहर रोजगार योजना में पूर्ण हो जाने के कारण प्लान 1995-96 में डामरीकरण हेतु प्रस्तावित है। एक सड़क पर विशेष सड़क मरम्मत में डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 4 सड़कों की 1991 की आबादी (1000) से अधिक के गांवों को जोड़ने के कारण नवीं पंचवर्षीय योजना में डामरीकरण में विचार किया जायेगा। एक सड़क का डामरीकरण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में स्वीकृत है व शेष 4 सड़कें सड़क नीति की प्राथमिकताओं में नहीं आने के कारण अभी डामरीकरण के लिए प्रस्तावित नहीं है।

(2) गत दो वर्षों में विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 63 किमी. ग्रेवल सड़क व 62 कि.मी मैटल सड़क एवं 8 किमी. डामर सड़क का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा 39 किमी. में पुनः डामर का नवीनीकरण का कार्य करवाया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

ग्राम रामसर न्यारा व बान्दनवाड़ा (नसीराबाद) की सड़कों पर रपट निर्माण

814. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम रामसर से कानपुरा रोड़ पर रामसर गांव के सांड के चौराहे पर जहां से सड़क आरंभ होती है कीचड़ और दूषित पानी इकट्ठा रहता है? यदि हां, तो सरकार इस सड़का को कब तक ऊंचा कराकर पुलिया/रपट बनाने का इरादा रखती है?

(2) ग्राम न्यारा व बान्दनवाड़ा रोड़ पर अमरपुरा के पास रपट के अभाव में आवागमन दूभर होने के साथ ही अधिक पानी की आवक से खेतों को भी नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को ऊंचा कराकर रपट बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रामसर से कानपुरा सड़क के उक्त भाग को ऊंचा कर पाइप कलवर्ट का कार्य मद 3054 विशेष मरम्मत के तहत प्रगति पर है जो माह जून, 1995 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) न्यारा बान्दनवाड़ा सड़क पर अमरपुरा गांव के पास किमी. 10 के डाई नदी क्रास करती है जिस पर वर्तमान में पक्का फ्लश काजवे बना हुआ है। आवागमन में कोई विशेष असुविधा नहीं है न ही खेतों को नुकसान होता है। अतः वर्तमान में सड़क को ऊंचा कर ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मकराना क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना

815. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ?

(2) सरकार उक्त क्षेत्र के कितने पंचायत मुख्यालयों को कब तक सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

(3) अब तक कितनी पंचायतों को सम्पर्क सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 36 पंचायत मुख्यालयों में से 4 को किसी प्रकार की सड़क से जोड़ा नहीं जा सका है।

(2) सभी पंचायत मुख्यालयों को 1996-97 से पहले सड़क से जोड़ने का विचार है।

(3) विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

सांसदों व विधायकों के वाहनों को टोलटैक्स से मुक्ति

816. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों पर जो टोल-टैक्स लिया जाता है उसमें से कौन-कौन से वाहन टोल-टैक्स से मुक्त होते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सांसदों व विधायकों के वाहन इस टोल-टैक्स से मुक्त रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों पर टोल-टैक्स से निम्नलिखित वाहनों को मुक्त किया गया है।

अ. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 21.2.92 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार :—

1. रक्षा वाहन, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वाहन, पुलिस वाहन, अग्नि शमन वाहन, रोगी वाहन, अन्त्येष्टयान डाक तार विभाग के वाहन, केन्द्रीय एवं राज सरकार के वाहन जो सरकारी कार्य पर हों।

2. अतिविशिष्ट व्यक्ति,चिन्हों वाले वाहन भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय एवं राज मंत्री, लोक सभा राज्य सभा, राज्य विधान सभा में विपक्षी नेता जो मंत्री मण्डल मन्त्री की प्रास्थिति के हों, राज्यपाल/उपराज्यपाल/कार्यपालक पार्षद/केन्द्रीय राज्य विधान मण्डलों के अध्यक्ष सभापति, भारत सरकार के राजनयिक दौरे पर आये विदेशी उच्च पदस्थकारों पर सीडी चिन्हों का उपयोग करने वाले भारत में तैनात विदेशी राजनयिक।

ब. राजस्थान राजपत्र दिनांक 29.10.94 में प्रकाशित अधिसूचनानुसार रक्षा विभाग के यान, पुलिस यान, आग बुझाने वाले यान, रोगी वाहन, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केन्द्रीय राज्य सरकार तथा पंचायत समितियों एवं स्थानीय निकायों के कर्तव्यारूढ़

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

यान व ट्रेक्टर ट्रोली जो कृषि उपज परिवहन कर रही हो अथवा इस उद्देश्य के लिये पंजीकृत हो।

(2) सांसदों एवं विधायकों के वाहनों को टोल-टैक्स से मुक्त किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 817

(स्थगित)

पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर में दर्ज प्रकरण

818. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुकदमा इल्जाम नं. 219/90 की तफ्तीश पुलिस थाना अशोक नगर (जयपुर) द्वारा की गई है? यदि हां, तो पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जाना शेष है? प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुकदमे का चालान न्यायालय में पेश किया जाना शेष है? यदि हां, तो चालान न्यायालय में कब तक पेश कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर शहर द्वारा अपराध संख्या 219/90 धारा 457 भा. दं. सं. में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से अपराधी का पता नहीं लगने के कारण अपराधी की तलाश जारी रखते हुए अदम पता मुलजिमान में दिनांक 31.8.90 को अंतिम प्रतिवेदन सं. 121/90 दिया गया है। प्रथम सूचना की प्रति व अंतिम प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(2) जी, नहीं। अभी तक मुलजिमान का पता नहीं लगा है। मुकदमे में अंतिम प्रतिवेदन दे दी गई है।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

पुलिस द्वारा गोली चलाने बाबत दिशा-निर्देश

819. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता बनने के पश्चात् कुछ और विस्तृत आदेश समय-समय पर जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुलिस अधिकारी भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे सकता है? यदि हां, तो किस परिस्थिति में तथा किस स्तर के अधिकारी को ऐसा आदेश देने का अधिकार है? क्या ये आदेश मौखिक होते हैं? यदि हां, तो इन्हें लिखित रूप में कब लिया जाता है?

(3) क्या सरकार या महानिदेशक पुलिस द्वारा इस प्रकार के बल प्रयोग बाबत कोई दिशा-निर्देश जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, अपराध प्रक्रिया संहिता बनने के पश्चात् पुलिस मुख्यालय द्वारा विस्तृत आदेश समय-समय पर जारी किये गये हैं। मुख्य आदेशों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत भारसाधक अधिकारी तथा उससे उच्च श्रेणी का अधिकारी ऐसे आदेश देने के लिये कानूनी तौर पर सक्षम है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिये कम से कम

(गृह मंत्री)

बल प्रयोग तथा प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुकूल बल प्रयोग किया जाता है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भीड़ को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा लिये ना तो गैर कानूनी करार दिया जाता है और ना ही भीड़ को तितर बीतर करने के लिए आदेश दिये जाते हैं। समूची कार्यवाही मजिस्ट्रेट के लिखित आदेशानुसार ही की जाती है। परन्तु अन्य परिस्थितियों में जब मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो तो भार साधक अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाही अपने विवेक एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए करवा सकता है। लेकिन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। भार साधक अधिकारी मौखिक अथवा लिखित रूप में ऐसे निर्देश देने का सक्षम अधिकारी है।

(3) जी हां। पुलिस मुख्यालय द्वारा बल प्रयोग बाबत दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं मुख्य आदेशों की प्रति संलग्न है।

(आदेशों की प्रति हेतु कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

थाना-चितलवाना (सांचौर) में अध्यापक की हत्या का दर्ज प्रकरण

820. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना चितलवाना सांचौर में किशनलाल अध्यापक की हत्या का मुकदमा नं. 53/94 दर्ज है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस मुकदमे के मामले में कोई तफ्तीश की गई ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या इस मुकदमे से संबंधित अपराधियों की पहचान हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) किशल लाल अध्यापक की हत्या के संबंध में श्री हीराराम पुत्र श्री रामचन्द्र विशनोई नि. सेवाड़ द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 56/94 दि. 25.6.94 धारा 302, 201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत थाना चितलवाना सांचोर, जिला जालोर पर दर्ज किया गया है।

(2) मुकदमें में स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक किये गये अन्वेषण के दौरान सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी । अन्वेषण से अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया है। उप अधीक्षक पुलिस, अपराध एवं सतर्कता, उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज कार्यालय जोधपुर द्वारा गहनता से अन्वेषण किया जा रहा है।

(3) जी नहीं । अनुसंधान से कोई भी अभियुक्त नामजद नहीं हो पाया है । अतः किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

अलवर में दहेज हत्याकाण्ड शराब, दंगे व बलात्कार संबंधी दर्ज प्रकरण

821. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर शहर में विगत तीन वर्षों में दहेज हत्याकाण्ड, शराब, दंगे, बलात्कार व अपहरण आदि अलग-अलग मामलों में कितने व्यक्तियों के कितने मामले दर्ज हुए और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई।

(2) पिछले तीन वर्षों में कितने मामलों में चालान पेश किये गये और कितने मामलों में एफ. आर. किन कारणों से लगाई गई ?

उत्तर

(1) अलवर शहर में विगत तीन वर्षों से दहेज हत्याकाण्ड, शराब, दंगे, बलात्कार व अपहरण के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सलंग्न है।

(2) पिछले तीन वर्षों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 7 से 14 में दर्शाया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के निदेशक पद पर पदस्थापन

822. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1992 से अब तक राजस्थान फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के निदेशक पद उप अधीक्षक पुलिस) पर कौन-कौन अधिकारी पद स्थापित रहे हैं ? क्या यह सभी अधिकारी सेक्शन 293 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट थे ?

(2) निदेशक फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो (उप अधीक्षक पुलिस) का पद कब से रिक्त चल रहा है ? इसके रिक्त रहने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में 22 पुलिस निरीक्षकों को उप अधीक्षक पुलिस के पदों पर पदोन्नत किया गया है ?

(4) क्या इनमें से कोई फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के निरीक्षक/फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट भी हैं ? यदि हां, तो सरकार उन्हें निदेशक, फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो (उप अधीक्षक) के पद पर कब तक लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992 से अब तक राजस्थान फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के निदेशक पद पर निम्नांकित अधिकारी पदस्थापित रहे हैं :-

पदस्थापित अधिकारी	अवधि
1. श्री जगदीश चन्द, उप अधीक्षक पुलिस	दिनांक 30.12.91 से 4.5.93 तक
2. श्री भंवरलाल, उप अधीक्षक पुलिस	दिनांक 5.5.93 से 7.6.93 तक
3. श्री सत्येन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस	दिनांक 8.6.93 से 21.4.94 तक
4. श्री भंवर लाल उप अधीक्षक पुलिस	दिनांक 23.4.94 से 25.7.94 तक
5. श्री इकबाल अहमद, पुलिस निरीक्षक	दिनांक 26.7.94 से लगातार (अतिरिक्त कार्य)

क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित अधिकारी फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट नहीं थे।

(2) यह पद दिनांक 26.7.94 से प्रशासनिक कारणों से रिक्त चल रहा है।

(3) जी, हां।

(4) पदोन्नत अधिकारियों में से श्री बी. सी. बनर्जी, फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट हैं। इनकी प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार की नई दिल्ली यूनिट में हो चुकी है तथा इन्हें शीघ्र ही प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान पुलिस से कार्यमुक्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः श्री बनर्जी को निदेशक फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के पद पर पदस्थापित करने बाबत विचार नहीं किया गया है। उक्त पद को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

भू-आवंटन अधिकारी, नैनवां द्वारा भूमि का आवंटन

823. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भू-आबंटन अधिकारी, नैनवां द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 1975 को ग्राम मानपुरा, पटवार सर्किल खानपुरा, तहसील नैनवां की भूमि का आवंटन

(श्री रामनारायण मीणा)

किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि का ? मिसल नम्बर एवं खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि के तत्कालीन एवं वर्तमान खसरा नम्बरान में रद्दोबल हो चुका है ? यदि हां, तो नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में आवंटियों के नाम अंकित की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो अब कब तक अंकित कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(1) उक्त भूमि के खसरा नम्बरान में क़ोई रद्दोबदल नहीं किया गया है।

(3) बारह व्यक्तियों को आवंटन किया गया था जिसमें से 3 का अमल होना शेष है जिसके बाबत जांच करवाई जा रही है जांच पूर्ण होने पर अग्रिम कर्यवाही संभव होगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

राज्य सेवा में मृत कर्मचारी के आश्रित का पेंशन नियुक्ति प्रकरण

824. डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कलक्टर, जयपुर के अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, आमेर (मुख्यावास-जयपुर) व तहसील कार्यालय आमेर के जनवरी, 1962 से दिसम्बर, 1964 तक किस-किस चतुर्थ श्रेणी/समकक्ष कर्मचारियों की सेवा में रहते हुये मृत्यु हुई तथा उनमें से किस-किस की विधवा/आश्रित को पेन्शन/नियुक्ति दी गई ? जनवरी, 1962 से अक्टूबर 1962 तक के उक्त दोनों कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची/हस्ताक्षर पंजिका तथा वेतन बिलों की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार कार्यालय के किन-किन मृत राज्य कर्मचारियों की किस-किस विधवा के पेन्शन व आश्रितों की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र कब-कब से लम्बित हैं ? प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की सूची व छाया प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रश्न के भाग 1 व 2 में 30-35 वर्ष से लम्बित उक्त विधवाओं के पेन्शन इत्यादि मामले मानवीय आधार पर अब शीघ्रता से निबटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें पेन्शन जारी कर उनके आश्रितों को नियुक्ति दे दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर मुख्यालय जयपुर एवं तहसील कार्यालय आमेर में जनवरी, 1962 से दिसम्बर 1964 तक की अवधि में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर किसी चतुर्थ श्रेणी/समकक्ष कर्मचारी की राज्य सेवा में रहते हुये मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु नहीं होने के कारण विधवा/आश्रित को पेंशन/नियक्ति देने का प्रश्न नहीं है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर में माह जनवरी एवं फरवरी, 1962 के वेतन बिल तथा उपस्थिति पंजिका उपलब्ध नहीं है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर में मार्च, 1962 से अक्टूबर, 1962 तथा तहसील कार्यालय आमेर में जनवरी, 1962 से अक्टूबर, 1962 तक कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की

(98)

(राजस्व मंत्री)

सूची, हस्ताक्षर पंजिका तथा वेतन बिलों की छाया प्रतियां संलग्न हैं।

(2) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उपखण्ड कार्यालय आमेर एवं तहसील आमेर में मृत राज्य कर्मचारी की विधवा के पेंशन/आश्रित की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है।

यद्यपि श्री सुरेश जागा का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.8.92 से लम्बित है, जो अपने आप को मृतक सुसीलाल, सुतर सवार का पौत्र बताता है और लिखता है कि मृतक सुसीलाल सुतर सवार की तहसील कार्यालय आमेर में कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो गई थी, जबकि कार्यालय रिकार्ड से श्री सुसीलाल को दि. 30.9.62 तक का गत वेतन भुगतान पत्र देकर स्थानान्तरण पर सामान्य प्रशासन विभाग के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया था। श्री सुसीलाल, सुतर सवार की किस विभाग में रहते हुए मृत्यु हुई इस बात की पुष्टि होने पर नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 के उत्तर के अनुसार किसी भी कर्मचारी की विधवा का पेंशन प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

तहसील जहाजपुर के पटवार मण्डल गंधेर व भोजपुरा ग्रामों की खातेदारी भूमि

825. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के पटवार मण्डल गंधेर, भीमपुरा ग्राम में स्थित होकर रकवा आराजी नं. 1,2,45 में विभिन्न कृषकों की खातेदारी भूमि दर्ज है। यदि हां, तो इस आराजी नं. 1, 2, 45 में कौन-कौन खातेदार कितनी-कितनी आराजी में कब से दर्ज हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सह सही है कि यह आराजीयात मेवाड़ गवर्नमेंट के समय तथा सीमा के मदारों के अनुसार इसी पटवार सर्किल में स्थित होकर विभिन्न खातेदारों के दर्ज एवं कब्जे काश्त हैं? यदि हां, तो क्या इन खातेदारों को तहसील केकड़ी में इसी भूमि को ग्राम बिसुन्दनी के आराजी रकबा नं. 1969 में भी दर्ज कर दिया गया है

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के गंधेर पटवार मंडल के भीमपुरा ग्राम भूमि को केकड़ी तहसील के ग्राम बिसुन्दनी में भी राजस्व रेकार्ड में चारागाह की श्रेणी में दर्ज कर दी गई है ? यदि हां, तो इस गलती का इन्द्राज दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा ?

(4) क्या यह सही कि जिला कलक्टर, अजमेर तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को भी यह प्रकरण ध्यान में लाकर उचित कार्यवाही एवं मार्ग दर्शन हेतु लिखा गया था ? यदि हां तो यह प्रकरण उन्हें कब भेजा और अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि भीमपुरा के खातेदारों को इन्द्राज गलत करके धारा 91 के अन्तर्गत वर्षों से बार-बार कार्यवाही कर जुमार्ना किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या एक ही भूमि को दोनों ग्रामों में पृथक्-पृथक् नम्बरों में इन्द्राज करने से काश्तकारों को परेशानी हो रही है ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(6) क्या सरकार इस गलत रेकार्ड को दुरुस्त कर भीमपुरा के काश्तकारों को राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि ग्राम भीमपुरा प.म. गंधेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर ग्राम भीमपुरा की आ. नं. 1,2,45 में निम्न खातेदारों की भूमि विवरणानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है :

क्र. सं.	खातेदार	आ.नं.	रकबा	अवधि जब से दर्ज है
1.	श्री हजारी/रामलाल	1	2.02	6.1.77
	पि. भुवाना मु. गोरी	2/3	1.13	,,
	बेवा भुवाना भील	45/1	0.10	,,
	देह.	45 मि.	1.00	12.2.83
2.	गंगाराम पि. उदा रेगर सादेह खा.	2/1	2.10	2.12.70
3.	पेमा पि. उदा रेगर	2/2	8.00	,,

(2) उक्त भूमि प्रश्न के भाग-एक के उत्तर में अंकित दिनांकों से कृषकों के कब्जेकाश्त में है। इसी भूमि को ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकड़ी के ख.नं. 1969 में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(3) बरवक्त सैटलमेंट ग्राम भीमपुरा प.मं. गन्धेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा की आ. नं. 1,2,45 को ग्राम बिसन्दनी तहसील केकड़ी, जिला अजमेर की सरहद में बताकर राजस्व रेकार्ड में ख.नं. 1169 एवं 1170 में चारागाह एवं सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा, जिला क्लक्टर, अजमेर एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त के द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, जिला क्लक्टर, भीलवाड़ा द्वारा क्लक्टर, अजमेर को दिनांक 19.12.91 को लिखा गया था, जिसकी पालना में नायब तहसीलदार, केकड़ी पटवारी हल्का बिसुन्दनी बशामलात पटवारी हल्का गन्धेर, भू-अभिलेख निरीक्षक पण्डेर व नायब तहसीलदार जहाजपुर द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई जाकर उक्त आराजिया को ग्राम भीमपुरा में दर्ज करने हेतु जिला कलक्टर, अजमेर को लिखा गया है।

(5) खातेदारों के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही ग्राम बिसुन्दनी में पटवारी हल्का बिसुन्दनी द्वारा की गई थी, किन्तु दोहरी पृविष्टियों की जानकारी के पश्चात् कृषकों को बेदखल एवं आर्थिक शास्ती से दंडित नहीं किया गया है।

(6) इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा, जिला कलक्टर, अजमेर एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर के द्वारा आवश्यक जांच कर दुरुस्ती की कार्यवाही जेरकार है।

राजस्व अभिलेख (भरतपुर) में दर्ज ईदगाह, मरघट व कब्रिस्तान की भूमि

826. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ईदगाह, कब्रिस्तान एवं मरघट की भूमि कहां-कहां पर कितनी-कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कब्रिस्तान, ईदगाह एवं मरघट की भूमि पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

(3) क्या सरकार अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है । यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्व रिकार्ड के अनुसार भरतपुर जिले में ईदगाह कब्रिस्तान एवं मरघट की भूमि की सूचना/विवरण मय ग्रामवार सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां । यह सही है अतिक्रमण की सूचना सूची के कालम 7 से 11 में अंकित कर दी गई है ।

(3)जी हां। संबंधित तहसीलदार द्वारा राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है एवं वर्तमान में भी कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नयागांव-बोलका (राजगढ़) में चारागाह भूमि

827. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में नया गांव-बोलका तहसील राजगढ़ (अलवर) में चारागाह भूमि है ? यदि हां, तो खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को वर्ष 1974 से चारागाह (भूमि) पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो अब तक प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शिकायतों के आधार पर समय-समय पर अतिक्रमणियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब-कब और क्या-क्या ?

(4) क्या यह सही है कि अतिक्रमियों द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर चारागाह भूमि पर खेती की जाती रही है ? यदि हां, तो कब-कब फसल को नष्ट एवं जब्ती की कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के स्थायी प्रबन्ध करने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। यह सही है। प्रति सदन पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। यह सही है। की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर 91 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण सख्ती से हटाने के लिये धारा 91 में परन्तुक (6) जोड़कर सख्त कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम देवली आऊवा चवाड़िया की आबादी भूमि

828. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन तहसील के ग्राम देवली, आऊवा व ग्राम चवाड़िया की आबादी की भूमि गत बन्दोबस्त से बन्दोबस्त के नवीनीकरण तक न तो बढ़ी है और न कम हुई है ? बन्दोबस्त के आबादी के नक्शे दोनों ही गांवों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रथम बन्दोबस्त व नवीनीकरण बन्दोबस्त के नक्शों में परिवर्तन है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) दोनों ही गांवों की आबादी भूमि का नवीन नक्शे के अनुसार आज की तारीख में आबादी भूमि का क्षेत्रफल कितना है व उसकी सीमायें क्या-क्या हैं ?

(4) प्रश्न के भाग 2 में बताये नक्शों में परिवर्तन से आबादी का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा ? यदि घटा, तो किसके कब्जे में भूमि गई व बढ़ा तो क्यों ? दोनों ही गांवों की आबादी की हदबन्दी बन्दोबस्त के नवीनीकरण के वक्त आबादी क्षेत्र की करवा कर आबादी क्षेत्र के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें। मौके के नाप से नवीनीकरण के वक्त तैयार किया गया नक्शा गलत है तो क्या सरकार उसे दुरुस्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन तहसील के ग्राम देवली व ग्राम चवाड़िया की आबादी भूमि गत बन्दोबस्त के पश्चात् बन्दोबस्त के नवीनीकरण में क्षेत्रफल बढ़ी है। दोनों ग्रामों के आबादी के गत व हाल बन्दोबस्त के नक्शे संलग्न हैं।

(2) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन तहसील के ग्राम देवली व ग्राम चवाड़िया के गत व हाल बन्दोबस्त के नक्शों में नये खसरा नम्बरान की भूमि भू-प्रबन्ध के दौरान आबादी में जोड़ने के फलस्वरूप परिवर्तन हुआ है।

(3) दोनों ग्रामों के नवीन नक्शों के एवं अंतिम जमाबन्दी के अनुसार आज की तारीख में आबादी भूमि का क्षेत्रफल निम्नानुसार है, इन खसरा नम्बरान की सीमाएं नवीन नक्शों सम्वत् 2029 में अंकित है :—

ग्राम देवली की जमाबंदी संवत् 2050 से 2053

ख.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल
473	178	0.2529 है.
	180	0.53.12 है.
	587	0.2150 है.
	815	2.32.70 है.
	825	0.16.44 है.
	893	9.87.68 है.
	1054	2.79.48 है.
	1055	1.20.14 है.
योग	8	17.30.35 है

ग्राम देवली से टूटकर मुकनपुरा नवीन ग्राम घोषित किया गया है, अतः देवली ग्राम के निम्नांकित खसरा नम्बर आज की तारीख में ग्राम मुकनपुरा की जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 में आबादी भूमि के रूप में अंकित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

खाता नं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
89	1346	0.32.88 है.
	1347	2.46.60 है.
	1413	2.51.66 है.
	1344	0.56.91 है.
	योग 4	5.88.05 है.

जमाबन्दी ग्राम चवाड़िया संवत् 2050 से 2053

(राजस्व मंत्री)

खाता नं.	खसरा नं	क्षेत्रफल
192	549	2.16.25 है.
	557	4.14.80 है.
	555/693	0.05.06 है.
	381/701	0.37.94 है.
	569/702	0.63.23 है.
	381/709	0.37.94 है.
	418/710	1.26.47 है.
कुल योग	7	9.01.69 है.

(4) दोनों ग्रामों में आबादी का क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध के दौरान आबादी के इन्द्राज एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा विभिन्न अभियानों में आबादी क्षेत्रफल के विस्तार से बढ़ा है। दोनों ग्रामों की आबादी का क्षेत्रफल जमाबंदियों में ग्राम पंचायत के खातों में अंकित है, जिसके नक्शे प्रश्न के भाग-1 में तथा भूमि का विवरण प्रश्न के भाग-3 के उत्तर में खसरा नम्बरवार क्षेत्रफल सहित अंकित किया गया है। जमाबंदी के अनुसार किसी भी ग्राम में आबादी का क्षेत्रफल नहीं घटा है।

(नक्शा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सीलिंग कानून के तहत कृषकों की अतिरिक्त भूमि

829. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सीलिंग कानून के तहत कृषकों के पास कितनी भूमि अतिरिक्त है ?

(2) सीलिंग कानून से अतिरिक्त भूमि में से कितनी सरकार कब्जे में ले पाई है ?

(3) इस अतिरिक्त भूमि में से कितने लोगों को भूमि का वितरण किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य में सीलिंग कानून के तहत कृषकों की दिनांक 31.12.1994 तक 5,99,586.98 एकड़ भूमि अधिघोषित की गई।

(2) सीलिंग कानून के तहत अधिघोषित भूमि में से 5,55, 158.47 एकड़ भूमि कब्जे राज्यहक ली जा चुकी है।

(3) सीलिंग कानून के तहत अधिघोषित भूमि में से राज्य में 77,138 व्यक्तियों को 5,05,785.17 एकड़ भूमि का वितरण किया गया है।

भू-राजस्व अभिलेख के अनुसार खातेदारान को पास बुक

830. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम दयालपुरा, तहसील बस्सी में भू-राजस्व रेकार्ड के अनुसार वर्तमान में किस-किस खसरा नम्बर की भूमि चारागाह, सिवाय चक और इसके अलावा अन्य सभी खसरा नम्बर किस-किस खातेदार के नाम है ? प्रत्येक खसरा नम्बर के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिवाय चक के खसरा नम्बर में पृथक्-पृथक् नम्बर दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे खसरा नम्बरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान खातेदारान में से किन-किन खातेदारान को सिवाय चक या चारागाह में से किस खसरा नम्बर की भूमि कब किस आधार

(श्री भीखा भाई)

व आदेश के तहत आबंटित की गई ? आवंटित भूमि की आबंटियों के जमाबंदी की नकल सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस आबंटन की प्रक्रिया में एक ही खसरा नम्बर का आबंटन समय-समय पर भिन्न-भिन्न खातेदारान को किया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा और किस आदेश के अन्तर्गत ?

(5) क्या यह सही है कि पटवारी, गिरदावर द्वारा रेकार्ड में खसरा नम्बरों का हेर-फेर कर एक ही खसरा नम्बर को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर के बारे में यह कार्यवाही की गई और सरकार इसको दुरूस्त करने एवं पटवारी और गिरदावर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) ग्राम के सभी खातेदारान को राजस्व रेकार्ड के अनुसार पास बुक दी गई अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों और अब कब तक पास बुक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां।

विवरण परिशिष्ट "ब" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्तमान खातेदारों में से 27 खातेदारों को समय-समय पर आबंटन सलाहकार समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में नियमों के अन्तर्गत आबंटन किया गया है । विवरण परिशिष्ट "स" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां । एक ही ख.नं. के अलग-अलग भाग का आबंटन, आबंटन सलाहकार समिति को सिफारिश पर किया जाना नियमानुसार है लेकिन राजस्व अभिलेख में अमल दरामद बटा नम्बर डाल कर किया गया है। विवरण एवं आदेश की तिथि परिशिष्ट "स" पर ही अंकित है।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) ग्राम के कुल 104 खातेदारानों में से 50 खातेदारानों को पास बुक दी गयी है। शेष 46 द्वारा पास बुक जारी कराने हेतु राशि जमा नहीं कराने के कारण जारी नहीं की गयी है। राशि जमा होते ही पास बुक जारी की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत नगरपालिका की भूमि का मूल्यांकन

831. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत नगरपालिका क्षेत्र में खसरा नं. 1760 वक्फ भूमि को कम मूल्य पर बेचने तथा कम स्टाम्प लगाकर पंजीयन की शिकायत संबंधित तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत को आम मुस्लिम समाज द्वारा की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सारे प्रकरण की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार इस पंजीयन को इमपाउण्ड कर इस भूमि का सही मूल्यांकन करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सोजत नगरपालिका क्षेत्र में ख.नं. 4760 वक्फ भूमि को कम मूल्य पर बेचने तथा

(राजस्व मंत्री)

कम स्टाम्प लगाकर पंजीयन की शिकायत संबंधित तहसीलदार, सोजत को मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि श्री अब्दुल सत्तार पुत्र श्री फतेह मोहम्मद मुतवली द्वारा की गई । शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच उप पंजीयक (तहसीलदार) सोजत द्वारा की गई एवं पाया गया कि कीमत का निर्धारण क्षेत्रीय वक्फ अधिकारी, पाली ने दि. 29.1.91 को अध्यक्ष राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ की मौजूदगी में रु. 2,21,000/- बेचान इकरा किया गया। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर के अध्यक्ष द्वारा बेचान स्वीकृति का आदेश संख्या वक्फ/258/94 दि. 30.11.94 द्वारा किया गया।

उप पंजीयक तहसीलदार (सोजत द्वारा जमीन का मौका देखकर दस्तावेज में अंकित मालियत का आंकलन निर्धारण जमीन आबादी के नजदीक होना तथा उसका उपयोग कृषि मानते हुए रु. 5000/- प्रति एयर से रु। 2,50,000/- का पंजीयन जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित दर 1485/- प्रति एयर एवं सूची संख्या 2 की प्रचलित दर 1680/- प्रति एयर अंकित होने से पंजीयन किया गया। पंजीयन के समय जमीन की कीमत का आंकलन 5,000/- प्रति एयर आबादी के नजदीक होने से एवं भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन मानते हुए किया गया है, जो जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित दर व सूची संख्या 2 में अंकित दर से अधिक है।

(2) बेचान शुदा जमीन का पंजीयन जिला कमेटी द्वारा अनुमोदित दर एवं सूचि संख्या 2 में अंकित दर से अधिक मालियत मानते हुए दस्तावेज का पंजीयन किया गया है। अतः प्रथमदृष्टया दस्तावेज को इमपाउण्ड करना आवश्यक नहीं पाया गया है।

ग्राम नयागांव पटवार सर्किल हिंगोनियां (केशोरायपाटन) की भूमि का आवंटन

832. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भूमि खसरा संख्या 19 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा ग्राम नयागांव पटवार सर्किल हिंगोनियां तहसील केशवरायपाटन की भूमि विक्रय मिसल नं. 525/68 द्वारा आबंटन की गई थी ? यदि हां, तो आबंटन आदेश की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि विक्रय के लिए फर्द नीलाम तैयार की गई थी ? यदि हां, तो फर्द नीलाम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भूमि विक्रय के पश्चात् कब्जा भूमि क्रेता के सुपुर्द कर दिया गया ? यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । परन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है । पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के संबंध में तहसीलदार, केशवरायपाटन को जांच करने के आदेश दिये गये हैं ? पत्रावली उपलब्ध होने पर आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(2) भूमि आबंटन पत्रावली उपलब्ध न होने से फर्द नीलाम की प्रति भेजा जाना संभव नहीं है।

(3) कब्जा दिया अथवा नहीं इसकी सूचना पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं है। जब तक कब्जा नहीं देने की सूचना उपलब्ध नहीं हो तब तक कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

ग्राम अणतपुरा (अनतपुरा) तहसील चौमू की अधिग्रहीत भूमि

833. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम अणतपुरा (अनतपुरा) तहसील चौमू, जिला जयपुर में कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है ? भूमि का खसरा नम्बर, रकबा व खातेदारों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के खातेदारों को खुदकाश्त के नाम पर भूमि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो आबंटित भूमि का खसरा नम्बर, स्थान एवं खातेदार के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के खातेदारों को जिन्होंने खुद काश्त के लिये आवेदन नहीं किया उन्हें अब आवदेन करने पर खुद काश्त के लिये भूमि आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम अणतपुरा में किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। ग्राम अणतपुरा के रेकार्ड के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। जब भूमि इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत ही नहीं की गई तो आबंटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

ग्राम मांचड़ा तहसील आमेर की भूमि का अनियमित नामान्तरकरण

834. श्री मोतीलाल (रूपवास) : क्या राजस्व मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम मांचड़ा, तहसील आमेर के खसरा नंबर 356, 357, 381 से 386 की जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2023 तक रावजी ठिकाना नींदड़ के खुद काश्त में दर्ज है ? यदि नहीं, तो किस-किस के नाम से दर्ज है ? इन सभी वर्षों की उक्त खसरा नंबरों की इकजाई जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खसरा नंबरों की सम्वत् 2017 की जमाबन्दी किस-किस के नाम दर्ज है ? जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग-1 व 2 के उत्तर के अनुसार उक्त खसरा नंबरों की जमाबन्दी सम्वत् 2017 में भिन्न-भिन्न नाम से दर्ज है ? यदि हां, तो क्यों और उसका क्या औचित्य है ?

(4) क्या खसरा नंबर 356 व 357 का नामान्तकरण मिसल नं. 102 के मार्फत दिनांक 16.4.1964 को तहसीलदार द्वारा खोला गया ? यदि हां, तो मिसल पर पारित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या दिनांक 16.4.1964 को दर्ज नामान्तरकरण बिना आपत्तियां मांगे और तहसीलदार को नामान्तरकरण का कोई अधिकार नहीं होते हुये अनियमित तरीके से दर्ज किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमित नामान्तरकरण को रद्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या खसरा नं. 356 व 357 का पटवारी द्वारा वर्ष 1990 में दर्ज नामान्तरकरण

(श्री मोतीलाल)

24.11.1960 को सरपंच द्वारा खारिज किया जाना रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है ? यदि हां, तो रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज प्रविष्टि की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या प्रश्न के भाग-4 के उत्तर से संबंधित प्रविष्टियों में भूमि की कीमत 425/- रु. है ?

(8) क्या प्रश्न के भाग 4 के उत्तर से संबंधित मामले में नियमानुसार रजिस्ट्री होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या रजिस्ट्री करवाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि खसरा नं. 357 की सम्वत् 2012 की जमाबन्दी नहीं बनाई गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि बनाई गयी तो जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023 के अनुसार ग्राम मांचड़ा के ख. नं. 356, 357 एवं 384 रावजी ठिकाना नींदड़ की खुदकाश्त में दर्ज है । ख. नं. 381 से 383 तक खातेदारी ठिकाना नींदड़ के नाम से तथा कृषक के स्थान पर डॉ. गुरु बख्श सिंह कौम सिक्ख साकिन जयपुर का नाम दर्ज है। इसी प्रकार ख. नं. 384/2,385, 386, 387 की खातेदारी ठिकाना नींदड़ के नाम है। परन्तु नाम कृषक के स्थान पर अम्बालाल पुत्र करणीदान व पांचूराम पुत्र नारायण कौम मीणा ब. हि. बराबर सा. देह का नाम दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सम्वत् 2017 में ख. नं. 356 मि. 357 की खातेदारी रावत सुरेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी नींदड़ के नाम दर्ज है। इसी खाते में ख. नं. 384/1 के सामने उप कृषक के रूप में अम्बालाल पुत्र करणीदान का नाम अंकित है। 384/2, 385, 386 की खातेदारी अम्बालाल पुत्र करणीदान, पांचूराम पुत्र नारायण जाति मीणा ग्राम निहि. बराबर खातेदार के नाम दर्ज है। 381, 382, 383 को खातेदारी नाथू, श्यामा, नारायण, धन्ना पांचू पुत्रान सुखदेव जाति माली नि. चनदी हि. बराबर खातेदार के नाम है। जमाबन्दी की प्रति-परिशिष्ट "ख" सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी हां, यह सही है। ख. नं. 381, 382, 383 के खातेदार डॉ. गुरुबख्श सिंह कौम सिक्ख साकिन जयपुर ने अपनी भूमि का बेचान नाथू, श्यामा, नारायण, धन्ना, पांचू पुत्रान सुखदेव जाति माली को कर दिया। इस कारण जमाबन्दी सम्वत् 2017 में ख. नं. 381, 382, 383 की खातेदारी डॉ. गुरुबख्श सिंह के स्थान पर उपरोक्त अंकित व्यक्तियों के नाम है। सम्वत् 2017 की जमाबन्दी में ख. नं. 356 में तथा ख. नं. 357 में रावत सुरेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी नींदड़ के नाम किस प्रकार से दर्ज हुए एवं ख. नं. 384/1 के सामने उप कृषक के रूप में श्री अम्बालाल पुत्र करणीदान का नाम किस प्रकार दर्ज हुआ इसकी जांच कराई जा रही है।

(4) मिसल संख्या 102 दिनांक 16.4.64 द्वारा ख. नं. 356 व 357 का जो नामान्तरकरण तहसीलदार, आमेर द्वारा 9.11.64 को खोला गया है के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) निर्णय दिनांक 16.4.64 को छायाप्रति से यह स्पष्ट होता है कि पोखर पुत्र बालू माली का ख. नं. 356 रकबा 13 बीघा व ख. नं. 357 रकबा 17 बीघा पर कब्जा मानते हुए तथा

(राजस्व मंत्री)

पोखर के नाम पर पट्टा बेचान का होने का हवाला देते हुए नामान्तरकरण निर्णित किया गया है। का उक्त नामान्तरकरण संख्या 88 के विरुद्ध दामोदर लाल, हरि शंकर, ताराशंकर, जगदीश, नारायण, मदनलाल पुत्रान मोहनलाल कुमावत द्वारा पोखर पुत्र बालू माली को प्रतिवादी बनाकर एक वाद राजस्व मंडल अजमेर में किया गया था जिसके निर्णय दि. 7.2.95 के अनुसार धारा 9 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते हुए प्रा पत्र खारिज किया गया एवं नामान्तरकरण को बहाल रखा गया।

(6) जी हां, केवल ख. नं. 357 मि. रकबा 17 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 7 पटवारी हल्का रावजी ठिकाना नींदड़ ने विक्रय पत्र के आधार पर पोखर पुत्र बालू कौम माली के नाम 1960 में दर्ज किया गया था। जिसे दिनांक 24.11.60 को सरपंच ग्राम पंचायत नीदड़ ने खारिज किया। नामान्तरकरण को फोटोप्रति सदन के पटल पर रखी दी गई है।

(7) उक्त प्रकरण वर्ष 1964 का है। अतः प्रश्न के भाग संख्या 4 के उत्तर में दर्ज 30 बीघा भूमि की कीमत 425/- रुपये या अधिक हो सकती है, परन्तु वर्तमान में यह दर नहीं है।

(8) जी हां, रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक वर्ष 1964 में 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक की सम्पत्ति क्रय करने पर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। उपलब्ध रेकार्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त विक्रय पट्टा रजिस्टर्ड हुआ या नहीं।

(9) तहसील क्षेत्र आमेर में सम्वत् 2010 लगायत 23 में भू-प्रबन्ध की कार्यवाही जारी थी। भू-प्रबन्ध विभाग से मिसल बन्दोबस्त प्राप्त होने पर ग्राम मांचड़ा की प्रथम चौसाला जमाबन्दी संख्या 2017 में तहरीर होना रेकार्ड से स्पष्ट है। जिसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर भाग संख्या 2 के उत्तर के साथ रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा शेखावतान तहसील आमेर में राजस्व शिविर

835. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है की दिनांक 30 मई, 1989 को ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा शेखावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर में एक राजस्व शिविर का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस शिविर में नामान्तरकरण सं. 26 तस्दीक/खोला गया था ? यदि हां, तो नामांतरकरण से संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह नामान्तरकरण भाई बटवारे की परिभाषा में आता है ? यदि नहीं, तो क्या तहसीलदार को अधिकार है कि भाई बटवारे के नाम से किसी का हिस्सा बिना पंजीयन के ही खत्म कर उसका हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जावे ? क्या इससे राजस्व की हानि नहीं होगी ?

(3) क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब इस नामान्तरकरण को रद्द कर पूर्व की स्थिति बहाल करने का विचार रखती है ?

48

उत्तर

(1) जी हां। शिविर में ग्राम पुनाना का नामान्तरकरण संख्या 26 तकासमें के आधार पर दर्ज किया गया था। नामान्तरकरण की छाया प्रति संलग्न है। नामान्तरकरण भू-प्रबन्ध विभाग के अमीन द्वारा दर्ज किया गया है।

(2) जी नहीं। तहसीलदार को इस प्रकार के अधिकार नहीं है कि भाई बंटवारे के नाम से किसी का हिस्सा बिना पंजीयन कराये किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जावे। इसके लिये पंजीयन होना आवश्यक है । इस प्रकरण में राजस्व को हानि हुई है।

(3) जी हां। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के निर्देश दिये जा रहे हैं।

(4) उक्त नामान्तरकरण का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रैफरेन्स कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम नहासरा (सीकर) के रास्ते में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

836. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम खोटिया अतिरिक्त तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला-सीकर से ग्राम नहासरा को जाने वाले ग्राम के अन्दर के रास्ते पर हनुमान जी के मंदिर तक की समस्त सरकारी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने पुख्ता कब्जा कर रखा है ?

(2) राजस्व विभाग ने इनके खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्यवाही की, नहीं तो क्यों ? उक्त सरकारी भूमि की खसरा गिरदावरी नक्शा, ट्रेश की छाया प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों ने मंदिर श्री हनुमान जी के पास दुकान बनाकर शराब का अवैध धंधा भी राज्य कर्मचारी/अधिकारियों की मिली-भगत से चला कर गांव में आतंक का वातावरण बना रखा है? यदि हां, तो उक्त शराब की दुकान को हटाने/तुड़वाने के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों

(4) हनुमान जी के मंदिर से ग्राम नहासरा को जाने वाले उक्त आम रास्ते से अतिक्रमण हटाकर इसे कब तक पूर्व की (पहले की) स्थिति में चौड़ा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) प्रश्न क्रम सं. 1 से 3 की सरकारी भूमि व आम रास्ते पर भविष्य में अतिक्रमण न हो इस हेतु क्या प्रशासन कोई पुख्ता कदम उठाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम खोटिया अतिरिक्त तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर के ग्राम नहासरा को जाने वाले ग्राम के अन्दर के रास्ते पर श्री हनुमान जी के मंदिर तक की भूमि ख. नं. 174/1/1 गै. मु. चारागाह में से गुजरता है। जिस पर कृषि वर्ष सं. 2051 में श्री दुर्जनसिंह पुत्र मालसिंह राजपूत सा. नहासरा ने बाडा बनाकर अतिक्रमण किया था। रास्ते के अलावा इसी सरकारी भूमि ख. नं. 174/1/1 गै. मु. चारागाह पर महावीरप्रसाद पुत्र रेवाराम बलाई, हनुमान पुत्र जगनाराम बलाई ने काश्त प्रयोजनार्थ एवं गिरधारी पुत्र मूलाराम बलाई,

(राजस्व मंत्री)

बलाई, बोयता राम पुत्र जालूराम बलाई रामेश्वर पुत्र बाडा बनाकर अतिक्रमण किया था। जिनको बेदखल किया जा चुका है।

(2) न्यायालय अतिरिक्त तह. रामगढ़ शेखावटी में बिन्दू संख्या 1 में वर्णित अतिक्रमियों के खिलाफ वर्ष 2051 में रिपोर्ट दर्ज होने पर दिनांक 21-2-95 को बेदखली का आदेश प्रसारित कर दिनांक 22-4-95 को आदेशों की क्रियान्विति पर अतिक्रमियों का कब्जा भौतिक रूप से हटा दिया गया है। विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(4) श्री हनुमान जी के मंदिर से ग्राम नारसरा को जाने वाले रास्ते से भौतिक रूप से अतिक्रमी को बेदखल करने के बाद रास्ता स्वतः ही पूर्व की स्थिति में हो गया है।

(5) जी हां। प्रशासन द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना के विचाराधीन प्रकरण

837. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना के मामले उच्च न्यायालय में चलते रहते हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1994-95 में कौन-कौन से मामले चले तथा विभाग की ओर से कौन प्रभारी अधिकारी रहे हैं ?

(2) उक्त मामलों में क्या-क्या कार्यवाही हुई और वकीलों, प्रभारी अधिकारियों आदि पर कितना व्यय किया गया।

(3) उक्त मामले किस-किस अधिकारी के विरुद्ध थे तथा उस अधिकारी की इसमें कहां-कहां तक जिम्मेदारी थी ?

(4) क्या सरकार ने इस संबंध में कभी विचार किया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारणों से घपले हुये हैं जिसके कारण सरकार के कोष से अनावश्यक व्यय किया जाता है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गये और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार का विचार है कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय ? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1994-95 में चले मामलों की सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है। अवमानना से सम्बन्धित मामलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं होते हैं।

(2) उक्त मामलों में की गई कार्यवाही का उल्लेख परिशिष्ट "क" के कालम संख्या -5 में अंकित है। अवमानना प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है, जिससे खर्च का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वकीलों पर हुये खर्चे का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के कालम संख्या -6 में अंकित है।

(3) उक्त मामले जिन-जिन अधिकारियों के विरुद्ध थे, उनका उल्लेख संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 7 में अंकित है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(4) जी नहीं। किसी अधिकारी की लापरवाही का मामला राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(5) इन मामलों में किसी अधिकारी की लापरवाही नहीं रही है, अतः किसी की जिम्मेदारी तय करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में अव्यवस्था

838. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में नर्सिंग स्टॉफ की कमी, पानी की अपर्याप्त व्यवस्था, शैयाओं, चद्दरों की कमी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की कमी एवं कर्मचारियों द्वारा मरीजों के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मरीजों की सही सार-संभाल नहीं होने की भी अनेक शिकायतें हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि पानी की कमी को दूर करने के लिये अस्पताल के परिसर में एक रिजवायर बनवाने की मांग तथा नर्सिंग स्टॉफ एवं अन्य कर्मचारियों की कमी दूर करने की मांग सरकार से एक लम्बे अरसे से की जा रही है, परन्तु सरकार द्वारा इन मांगों की उपेक्षा की जा रही है ?

(4) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इस अस्पताल में नर्सिंग स्टॉफ एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिये और वास्तव में कितनी है ?

(5) सरकार इस अस्पताल की अव्यवस्थाओं को कब तक दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में नर्सिंग स्टॉफ के पद, शैया, चद्दर एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है तथा सामान्य तौर पर सभी चिकित्सालय कर्मचारी मरीजों के साथ सद्व्यवहार करते हैं।

(2) जी नहीं, रोगी के परिजनों द्वारा किसी किश्म की असुविधा के प्रति ध्यान दिलाए जाने पर चिकित्सालय प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं, पानी की कमी को दूर करने के लिए अस्पताल परिसर में एक रिजवायर हेतु पी. डब्ल्यू. डी. से एस्टीमेट प्राप्त किया गया है, जिस पर 14.26 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

(4) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार इस चिकित्सालय में वांछित एवं वर्तमान में उपलब्ध पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम पद	स्वीकृत पद	रेशनलाईजेशन पैटर्न के हिसाब से पद होने चाहिए
1. नर्सिंग स्टॉफ		
नर्स ग्रेड-I		
नर्स ग्रेड-II	61	121

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

	नाम पद	स्वीकृत पद	रेशनसाईजेशन पैटर्न के हिसाब से पद होने चाहिए
2.	वार्ड बॉय	16	119
3.	स्वीपर्स	08	80

चिकित्सालय पूर्णतया व्यवस्थित ढंग से जन सेवा में संलग्न है।

(5) व्यवस्था की बेहतरी के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन की सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रयासरत है

जोधपुर में नये चिकित्सालय भवन हेतु भूमि का अधिग्रहण

839. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जोधपुर के महात्मा गाँधी अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज के बीच फासला बहुत अधिक होने तथा महात्मा गाँधी अस्पताल द्वारा शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण मेडिकल कॉलेज के पास ही नया अस्पताल बनाने के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो निर्णय कब हुआ एवं इसके लिए कितनी भूमि आरक्षित की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि अस्पताल के लिये शिलान्यास भी किया गया था ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल का निर्माण अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि अस्पताल के लिए आरक्षित भूमि पर कई लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमण कितने हैं और उनकी प्रकृति किस प्रकार की है ?

(5) क्या सरकार अतिक्रमणों को हटाकर आरक्षित भूमि पर अस्पताल का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस संबंध में कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । निर्णय वर्ष, 1974 से पूर्व हुआ था। इसके लिये 61 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी।

(2) जी हां। शिलान्यास दिनांक 8.1.1974 की तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी द्वारा किया गया था।

(3) जी नहीं। निर्माण कार्य हो चुका है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न नहीं उठता। निर्माण कार्य हो चुका है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र खटवा (लालसोट) की क्रमोन्नति

840. श्री परसादी लाल (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार दौसा जिले की लालसोट तहसील के उप स्वास्थ्य केन्द्र खटवा को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, इस वित्तीय वर्ष में उप केन्द्रों के उच्चीकरण करने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

जिला धौलपुर के खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिए गए सैम्पल

841. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितने खाद्य निरीक्षक हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक खाद्य निरीक्षक के सेम्पल लेने के न्यूनतम क्या लक्ष्य निर्धारित हैं ? क्या उन लक्ष्यों की पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो सरकार ऐसे निरीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) धौलपुर जिले में खाद्य निरीक्षकों ने वर्ष 1994-95 में किस-किस के सैम्पल लिए और उनकी रिपोर्ट क्या है व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 27 पूर्णकालीन तथा 222 अंशकालीन खाद्य निरीक्षक हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी हां। पूर्णकालीन खाद्य निरीक्षक के 100 तथा अंशकालीन के 40 नमूनों का लक्ष्य प्रति वर्ष निर्धारित है।

जी नहीं, जो खाद्य निरीक्षक निर्धारित लक्ष्यों की पालना नहीं करते हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) धौलपुर जिले के खाद्य निरीक्षकों ने वर्ष 94-95 में जिन-जिन खाद्य पदार्थों के नमूने लिये उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम खाद्य वस्तु	नूमनों की संख्या	पास स्टेन्ड	मिलावट
आयोडाईज नमक	2	2	निल
हल्दी (मसाला)	1	1	निल
दूध	17	5	12
देशी घी	2	2	निल
खोआ	1	1	निल
खाने के तेल	14	12	2
दालें	2	निल	2
बेसन आटा	6	6	निल
प्रोटीन पाउडर	2	2	निल
योग	47	31	16

6 मिलावटी केसों के मामले न्यायालय में पेश हो चुके हैं, शेष 10 केस विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

मेडीकल कॉलेज, जयपुर में केट स्केन

842. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के मेडीकल कॉलेज के आम मरीजों को "केटस्केन" करवाने के लिये कितने दिन बाद की तारीख दी जाती है ? उक्त कॉलेज में जब से यह सुविधा शुरू हुई है, वर्षवार कितने मरीजों के "केटस्केन" किये गये तथा प्रतिदिन का औसत क्या रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एक केटस्केन करने के लिए सरकार की कितनी राशि खर्च होती है ? क्या इस खर्च में डॉक्टर तकनीकी स्टॉफ का खर्च भी शामिल है ? यदि हाँ, तो कुल कितना खर्च इन पर किया जाता है ?

उत्तर

(1) भर्ती मरीजों को केट स्केन करवाने के लिये 7 दिवस व आउटडोर के मरीजों को चार माह की तारीख दी जाती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

यह सुविधा दिनांक 21.7.89 से आरम्भ हुई। वर्षवार किये गये केटस्केन का विवरण निम्न प्रकार से है

जुलाई, 89 से दिसम्बर, 89 तक 1297 रोगी
जनवरी, 90 से दिसम्बर, 90 तक 6075 रोगी
जनवरी, 91 से दिसम्बर, 91 तक 4417 रोगी
जनवरी, 92 से दिसम्बर, 92 तक 3284 रोगी
जनवरी, 93 से दिसम्बर, 93 तक 7877 रोगी
जनवरी, 94 से दिसम्बर, 94 तक 8922 रोगी

प्रतिदिन का औसत लगभग 16 रहा।

(2) एक केटस्केन पर प्रति फिल्म निम्नानुसार खर्च आता है :—

1- सिर (हैड) बिना बढ़ाये रु. 400/-
2- सिर (हैड) बढ़ाकर रु. 600/-
3- पूर्ण शरीर (बिना सिर के) रु. 900/-

इस खर्च में डाक्टरी व तकनीकी स्टाफ का खर्चा सम्मिलित नहीं है।

तम्बाकू, अफीम, शराब से उत्पन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों का उपचार

843. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालयों में तम्बाकू, अफीम, शराब से होने वाली बिमारियों एवं बिमारी के आंकड़े पृथक् से रखे जाते हैं ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में तम्बाकू, अफीम, शराब से ग्रसित कितने रोगियों का उपचार किस-किस चिकित्सालय में किया गया उनमें से कितनों की मृत्यु किस-किस नशीले पदार्थ के कारण हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं । मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के अधीनस्थ मनोविकार केन्द्र में तम्बाकू अफीम व शराब से होने वाली बीमारियों के आंकड़े पृथक् से रखे जाते हैं। पिछले दो वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है :—

तम्बाकू	216 उपचार योग्य रोगी
अफीम	274 उपचार योग्य रोगी
शराब	520 उपचार योग्य रोगी

मृत्यु की संख्या शून्य रही।

महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में केवल शराब से होने वाली बीमारियों के आंकड़े पृथक् से रखे जाते हैं। गत दो वर्षों में 90 रोगी भर्ती हुए जिनमें से 30 की मृत्यु हुई।

एड्स एवं मलेरिया रोगों से ग्रसित रोगियों पर व्यय

844. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में एड्स व मलेरिया रोग से ग्रसित रोगियों के लिये विभिन्न मेडिकल कॉलेजों व सरकारी एजेन्सियों द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? खर्च की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दो वर्षों में राज्य में एड्स व मलेरिया से ग्रसित कितने रोगी पाये गये ? एड्स व मलेरिया पर प्रति रोगी कितनी राशि व्यय की गई ? दोनों मदों पर व्यय की गई राशि का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) राज्य में पिछले 2 वर्षों में एड्स व मलेरिया के लिये विभिन्न मेडिकल कॉलेजों व सरकारी एजेन्सियों द्वारा निम्नानुसार राशि व्यय की गई :—

(54)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

योजना	वास्तविक व्यय 1993-94			टेन्टेटिव व्यय 1994-95		
	आभि.	आयोजना	केप्र.यो.	आभि.	आ.व्यय	केप्र.यो.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	-	मेडिकल कॉलेज	12.53	-	-	मेडिकल कॉलेजज 9.81
		निदेशालय	38.58		निदेशालय	46.57
			51.11			56.38
राष्ट्रीय मलेरिया उन्सूलन कार्यक्रम						
(ग्रामीण)	1582.86	54.31	664.28	1703.36	223.01	252.60
(शहरी)	225.92	1.43	-	258.46	20.35	25.95
(जनजातिय)	132.66	4.31	101.90	138.71	22.70	37.71
	1941.44	60.05	766.18	2100.53	266.06	316.26

(2) पिछले दो वर्षों में राज्य में एड्स व मलेरिया से ग्रसित रोगियों की संख्या एवं इन योजनाओं में कुल व्यय निम्न प्रकार है :—

योजना	रोगियों की संख्या		व्यय					
	1993-94	1994-95	1993-94			1994-95		
			आ.भि.	आ.व्यय	के.प्र.यो.	आ.भि.	आ.व्यय	के.प्र.यो.
राष्ट्रीय मलेरिया उन्सूलन कार्यक्रम	107797	229772	1941.44	60.05	766.18	2100.53	266.06	316.26
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	-	2	-	-	-	51.11	-	56.38

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के चिकित्सालय भवन

845. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के किन-किन ग्रामों में स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? क्या संचालित सभी केन्द्रों को भवन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो वहां कब तक भवन व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(2) उक्त स्वास्थ्य व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, कम्पाउण्डर व नर्सों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जहां-जहां पद सृजित हैं वहां पूरा स्टाफ कार्यरत है ? यदि हां, तो नामवार सूची सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो कौन-कौनसी जगह पद खाली हैं ? इन्हें सरकार कब तक भरने का इरादा रखती है ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के जिन गांवों

(श्री हीरालाल)

में उप स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था नहीं है, वहां नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्रामों में स्थित स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। चालू वर्ष में 95-96 प्रा. स्वा. केन्द्र-उप केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव है। प्रा. स्वा. केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु अन्य स्थानों के साथ विधान सभा क्षेत्र बामनवास के स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराए जाने संभव होंगे तथा राज्य के समस्त उपकेन्द्रों के भवन निर्माण करा दिए जायेंगे। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां, केवल उच्चीकृत उपकेन्द्र फुलवाड़ा में समस्त स्टाफ के पद रिक्त हैं। प्रश्न के भाग 2 में वर्णित सूची में सूचना उपलब्ध है।

प्रक्षिशित स्टाफ के उपलब्ध होने पर पद भरना संभव हो सकेगा।

(4) जी हां, वर्ष 95-96 में राज्य में 700 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्रामों में उपकेन्द्र खोलना संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद के चिकित्साकर्मियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

846. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद के एक सौ बेडेड होने के बाद कितने चिकित्सकों, नर्सों व कम्पाउंडरों के खिलाफ शिकायतें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्यावर को लिखित अथवा मौखिक प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद एक सौ शैय्यायुक्त होने की तिथि 1.7.94 के पश्चात् चिकित्सकों, नर्सों व कम्पाउंडरों के खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर को आठ शिकायतें प्राप्त हुई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें की गई कार्यवाही का विवरण अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिविल असिसटेन्ट सर्जन की नियुक्ति प्रक्रिया

847. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सिविल असिसटेन्ट सर्जन की भर्ती के क्या नियम एवं योग्यताएं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

56

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना एवं किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सी. ए. एस. डॉक्टर से जूनियर फिजीशियन तथा जूनियर फिजीशियन से सीनियर फिजीशियन के पद पर पदोन्नति किस आधार एवं नियमों के अन्तर्गत दी जाती है ? नियमों की प्रति एवं वेतन श्रृंखला की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त पदों के वेतनमान क्या-क्या हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पदों पर सीधे ही नियुक्ति दी जाती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य में सी. ए. एस. प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर आदि के प्राइवेट प्रेक्टिस के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सिविल असिस्टेन्ट सर्जन की भर्ती हेतु योग्यता एम. बी. बी. एस. निर्धारित है तथा नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी है जिसमें क्रम सं. 11 में इसका उल्लेख है।

(2) राज्य में चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने की छूट है किन्तु कुछ पद/संस्थान ऐसे हैं जिन पर कार्यरत चिकित्सक प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं उन्हें नोन क्लिनिकल/नोन प्रेक्टिसिंग भत्ता निर्धारित दरों के अनुसार देय है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के अनुसूची-I में दिनांक 4.12.87 को किए गए संशोधन के अनुसार 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चिकित्सा अधिकारी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का प्रावधान है । जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी किसी विशिष्ठता में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा रखते हैं उन्हें उपलब्ध पदों पर वरिष्ठता के आधार पर संबंधित विशिष्ठता में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर रि-डेजिग्नेट करने का प्रावधान है । किसी विशिष्टता में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा योग्ताधारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले व किसी विशिष्ठता में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारी को संबंधित विशिष्ठता में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का प्रावधान है । कुछ विशिष्टताओं जैसे टी. बी./अनेस्थेसिया/नेत्र/गायनी/पेडियाट्रिक्स/फोरेन्सिक/मेडिसन/रेडियोलोजी/पैथोलोजी में 11 वर्ष की चिकित्सा अधिकारी के पद पर सेवा पूर्ण करने वाले व उक्त में से किसी विशिष्ठता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योग्यताधारी को संबंधित विशिष्ठता में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का प्रावधान है। कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर चार वर्ष का अनुभव रखने वाले चिकित्सक संबंधित विशिष्ठता में वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं। किन्तु उक्त संशोधन के पश्चात् अर्थात दिनांक 4.12.87 के पश्चात् कनिष्ट विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योग्यताधारी वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के पात्र नहीं होते हैं। नियमों की प्रति प्रश्न के भाग एक में सदन की मेज पर रख दी गई है। वेतन श्रृंखला की प्रति भी सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(4) दिनांक 4.12.87 के पश्चात् कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर सीधे नियुक्ति का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(5) संबंधित आदेश की प्रति संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में रजिस्ट्रार का रिक्त पद

848. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में रजिस्ट्रार का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पद पर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को अंशकालिक रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया हुआ है ? यदि हां, तो कब से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल की नियमान्तर्गत वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक हैं ? क्या नियमान्तर्गत इस कौन्सिल की बैठकें हो रही हैं ? यदि हां, तो अन्तिम बैठक किस तिथि को आयोजित हुई ?

(4) क्या सरकार राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में रिक्त रजिस्ट्रार के पद को नियमित नियुक्ति से भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। जुलाई, 93 से (आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है)

(3) कौन्सिल के नियमों के अन्तर्गत वर्ष में एक बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक है।

जी नहीं। अन्तिम बैठक फरवरी, 90 में आयोजित की गई थी।

(4) जी हां। पद भरने की प्रक्रिया जारी है।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

बालक न्यायालय का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर को देना

849. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के लिये बालक न्यायालय का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर को है ?

(2) धौलपुर जिले के बालकों तथा उनके अभिभावकों को भरतपुर जाने की परेशानी को देखते हुए क्या सरकार यह अधिकार धौलपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन बाल अपराधों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस संबंध में संबंधित समाज कल्याण विभाग से अनुशंषा प्राप्त होने पर मा. उच्च न्यायालय से सहमति प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है।

58

(विधि राज्य मंत्री)

(3) राज्य में बाल अपराधों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग के स्तर पर किशोर न्याय अधिनियम 1986 का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत किशोर न्याय अधिनियम तथा किशोर कल्याण बोर्ड पूर्व में ही गठित है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सम्प्रेषण गृह किशोर गृह तथा विशेष न्यायालय में उपेक्षित एवं अपचारी बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण, आवास, चिकित्सा आदि की सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। जहां तक निराश्रित एवं अनाथ बालकों का प्रश्न है, जो कि असामान्य परिस्थितियों में रहने पर अपराध की ओर भी प्रवृत्त हो सकते हैं, विभाग द्वारा उनके कल्याण के लिए राज्य में 15 जिलों में 26 स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से निराश्रित बालगृह की इकाइयां संचालित की जा रही हैं तथा राज्य में एक अनाथालय भी संचालित किया जा रहा है, जिनके माध्यम से अनाथ बालकों के आवास-विकास भरण-पोषण तथा शिक्षण-प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था है।

जिला उदयपुर में न्यायाधीशों के रिक्त पद

850. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गोगुन्दा तहसील मुख्यालय पर गरीब लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिये एक न्यायालय की स्थापना कर रखी है ? यदि हां, तो क्या उस न्यायालय में किसी माननीय न्यायाधीश का पदस्थापन कर रखा है ? यदि हां, तो माननीय न्यायाधीश का नाम क्या है ? यदि नहीं, तो यह पद कब से व क्यों खाली है ?

(2) क्या उदयपुर जिले में माननीय न्यायाधीशों के और भी पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कहां ?

(3) क्या सरकार उदयपुर जिले में माननीय न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । अभी स्वतंत्र रूप से कोई अधिकारी पदस्थापित नहीं है परन्तु इस कोर्ट का अतिरिक्त कार्यभार अपर मुंसिफ नं. 1 (दक्षिण) को दिया हुआ है। इस न्यायाधीश का नाम श्री रवि शर्मा है।

(2) जी हां। उदयपुर जिले में मा. न्यायाधीशों के पद निम्नलिखित न्यायालयों में रिक्त है :—

(1) मुंसिफ न्यायालय, मावली
(2) अपर मुंसिफ न्यायालय, कानोड़
(3) अपर मुंसिफ न्यायालय, सलूम्बर
(4) मुंसिफ न्यायालय, कोटड़ा
(5) अपर मुंसिफ न्यायालय, (दक्षिण नं. 2) उदयपुर।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग से आर. जे. एस. के चयनित अधिकारी उपलब्ध होते ही ये पद भर दिये जायेंगे। चयनित प्रत्याशी अतिशीघ्र उपलब्ध होने वाले हैं।

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर द्वारा एडवोकेट वैलफेयर फण्ड हेतु पारित प्रस्ताव

851. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बार कौंसिल ऑफ राजस्थान,

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

जोधपुर द्वारा रिजोल्यूशन सं. 75/94 दिनांक 14 अगस्त, 1994 व 134/94 दिनांक 24 दिसम्बर, 1994 के तहत राजस्थान एडवोकेट वैलफेयर फण्ड एक्ट, 1987 में कुछ संशोधन प्रस्ताव किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) सरकार द्वारा उक्त संशोधन प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान सत्र में सरकार प्रस्तावित संशोधन प्रस्तुत कर पारित कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बार कौंसिल राजस्थान जोधपुर द्वारा प्रस्तावित संशोधन सूची "क" में दर्शित है।

(2) उक्त संशोधित प्रस्तावों पर विधि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी उन्हें अनुमोदित किया जा चुका है। विधि विभाग द्वारा कैबिनेट मीमों तैयार किया जाकर उक्त प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु मंत्रीमंडल सचिवालय को भिजवाया जा चुका है।

(3) वर्तमान सत्र में ही राज्य सरकार प्रस्तावित संशोधनों को प्रस्तुत कर पारित कराने का विचार रखती है जिसके लिए वह पूर्ण प्रयत्नशील है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पाली जिले में अकाल सहायता के तहत अधूरे कार्य

852. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में अकाल सहायता के तहत वर्ष 1993-94 में अधूरे रहे कार्यों को पूरा कराने के लिए "सुनिश्चित रोजगार योजना" में सम्मिलित कर लिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई स्थानों पर अकाल राहत के तहत साक्षरता भवन स्वीकृत हुए थे ? क्या उनका निर्माण कार्य अधूरा रह गया ? यदि हां, तो पंचायत समिति सोजत, ग्राम खारीया, नीव, मेव खारीया सोड़ा, खोखरा, हरीयामाली, बारुणा में जो भवन अधूरे रह गये, उन्हें सरकार कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में अकाल सहायता के तहत वर्ष 93-94 के केवल उन्हीं अधूरे कार्यों को वर्ष 94-95 में पूरा करवाने के लिये सुनिश्चित-रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है जो इस योजना की मार्गदर्शिका में आते हैं।

(2) जी नहीं। पाली जिले में अकाल राहत के तहत साक्षरता भवन के नाम से कोई स्वीकृति जारी नहीं की गयी थी।

सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पंचायत समितियों में कराये गये कार्य

853. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में "सुनिश्चित रोजगार योजना" लागू है ? यदि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हाँ, तो किस-किस पंचायत समिति में ? नाम तथा योजना का विवरण नियम तथा मानदण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना में कौन-कौन सी एजेन्सी के माध्यम से कौन-कौन से कार्य सम्मिलित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना में किस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता है एवं वर्ष 1994-95 में जहाजपुर पंचायत समिति में किस-किस कार्य हेतु स्वीकृति दी गई ? कार्यों का नाम, एजेन्सी एवं स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस योजना में किन-किन व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हो सकेगा ?

(5) क्या इस योजना में कार्य स्वीकृति के कोई मानदण्ड, नियम व प्रक्रिया है ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राज्य में सुनिश्चित रोजगार योजना में सम्मिलित पंचायत समितियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। योजना का विवरण, नियम तथा मापदण्ड योजना की मार्गदर्शिका परिशिष्ट "ब" में उपलब्ध है ।

(2) इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण तथा उनका सेक्टोरल आबंटन परिशिष्ट "ब" में उपलब्ध है।

(3) इस योजना में प्राथमिकता वाले कार्यों का विवरण योजना की मार्ग-दर्शिका के अनुच्छेद 3.8 पर उपलब्ध है। योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में जहाजपुर पंचायत समिति में स्वीकृत कार्य एवं राशि का एजेन्सी वार विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(4) इस योजना में गैर कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के उन जरूरतमंद लोगों को जो रोजगार चाहते हैं, 100 दिन का रोजगार दिया जाने का प्रावधान है।

(5) जी हां, योजना की मार्गदर्शिका में कार्य स्वीकृति के मापदण्ड, नियम व प्रिक्रिया का विवरण दिया गया है जो परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्ताकलय में रखा गया।)

उदयपुर जिले में सामुदायिक जलोत्थान योजनाएं

854. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) उदयपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में कुल कितनी एवं कहाँ-कहाँ सामुदायिक जलोत्थान योजनायें स्थापित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्थापित परियोजनाओं में से कितनी परियोजनायें वर्तमान में चालू हालत में हैं एवं कितनी बन्द हैं ?

(4) कितनी परियोजना स्थापना के बाद से प्रारम्भ ही नहीं हो सकी ? प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ?

(श्री महावीर भगोरा)

(5) क्या सरकार बन्द परियोजनाओं को चालू कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक 82 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं कहां-कहां स्थापित की गई है का विवरण परिशिष्ट–1 पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक स्थापित 82 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक स्थापित 82 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं में से 70 योजनाएं चालू हालत में हैं। योजना काचलियाधरा बन्द है तथा वर्ष 94-95 की 11 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

(4) एक योजना काचलियाधरा ऐसी है जो स्थापना के बाद प्रारम्भ नहीं हो सकी है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि उसी वर्ष बरसात अधिक होने से विद्युत विभाग की लाइन नदी में बह गई थी, विद्युत विभाग द्वारा वापस कनेक्शन एक साल बाद किया गया इससे योजना के कृषक समूह में विवाद उत्पन्न हो जाने से उनके द्वारा पानी नहीं लिया गया है।

(5) जी हां। बन्द परियोजना काचलियाधरा को वापस प्रारम्भ करने हेतु लाभान्वित होने वाले कृषकों से सम्पर्क किया व उन्हें प्रोत्साहित कर विवाद समाप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। योजना कृषकों में आपस में विवाद होने के कारण बन्द है फिर भी राज्य सरकार योजना के पुनः चालू करने के प्रयास करेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

शाहबाद पंचायत समिति में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

855. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले की शाहबाद पंचायत समिति में अन्त्योदय योजना के तहत गत 5 वर्षों में अब तक कुल कितने व्यक्तियों का चयन किया जा चुका है तथा कुल कितने व्यक्तियों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995-96 में कितने व्यक्तियों का अन्त्योदय योजना के तहत चयन किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 1992-93 में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लाभान्वित कराने हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों का चयन कराया गया था। इनके अनुसार बारां जिले की शाहबाद पंचायत समिति में भी गरीब परिवारों का चयन कराया गया था। शाहबाद पं.स. में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में चयनित एवं लाभान्वित परिवारों का विवरण इस प्रकार है :—

(विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री)

वर्ष	चयनित परिवार	लाभान्वित परिवार
1990-91	-	505 (पूर्व के चयनित परिवारों में से)
1991-92	1645	560
1992-93	4546 (पाँच वर्षों के लिये)	435
1993-94	- "	419
1994-95	- "	459
	6191	2378

वर्ष 93-94 में जिला स्तर पर 604 परिवारों का चिन्हिकरण किया गया है, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जि. ग्रा. वि. अ. से उक्त अनियमित कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट चाही गई है। चूंकि जिला स्तर पर अनियमित रूप से ये परिवार चिन्हित किये गये हैं, इस कारण इन्हें आई.आर.डी.पी. योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जा सकता।

(2) वर्ष 1995-96 में चयन किया जाना प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि 92-93 का चयन पांच वर्षों के लिये है।

मकराना विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय

856. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में मकराना विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय हुई ? योजनावार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मकराना विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, जन सुविधाएं एवं रोजगार उपलब्ध कराने की कौन-कौनसी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं तथा कौन-कौनसी क्रियान्वित की जा रही हैं ?

(3) मकराना के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिये जो योजनाएं उपरोक्त वर्षों में चलायी गई हैं उनसे कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सका है ?

उत्तर

(1) मकराना विधानसभा क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर वर्ष 1993-94 में 155.38 लाख रूपये एवं वर्ष 1994-95 में 235.27 लाख रूपये व्यय हुए जिनका योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) मकराना विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जन सुविधाएं एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना, अपना गांव अपना काम योजना, मरू विकास कार्यक्रम, तीस जिला तीस काम योजना एवं निर्बन्ध राशि योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(3) मकराना विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं में लाभान्वित परिवारों/व्यक्तियों का कार्यक्रमवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

ग्राम पंचायत निमोद करेल (सवाईमाधोपुर) द्वारा करवाये गये विकास कार्य

857. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो

(श्री परसादी लाल मीणा)

क्या इसी परिप्रेक्ष्य में सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायत निमोद करेल में भी विकास कार्य करवाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वर्ष 1980 से दिसम्बर, 1994 तक कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं प्रशासक द्वारा इन कार्यों का जायजा लेकर संबंधित मामले में भुगतान की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस-किस प्रशासक एवं सरपंच द्वारा किस-किस कार्य हेतु किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि किस-किस को कब-कब भुगतान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत निमोद करेल द्वारा इनके पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक कुओं का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1980 से दिसम्बर, 1994 तक किस-किस गांव में किस-किस स्थान पर कितने-कितने कुएं कितने-कितने गहरे, कितनी-कितनी राशि व्यय कर निर्मित करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनान्तर्गत विकास कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी करवाये जाते हैं।

सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायत निमोद करेल में भी विकास कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 1980 से दिसम्बर 94 तक ग्राम पंचायत निमोद करेल में करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हाँ। प्रशासक एवं सरपंच द्वारा किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हाँ। वर्ष 1980 से दिसम्बर, 1994 तक निर्मित 12 सार्वजनिक कुओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य

858. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली लगवाने के लिये विभाग द्वारा राशि स्वीकृत करने बाबत नियम बने हुए हैं यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बस्तियों में बिजली पहुंचाने बाबत लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं ? यदि हाँ, तो 1 अप्रेल, 1990 से अब तक की अवधि में वर्षवार निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति बाबत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली लगवाने के लिये कोई राशि स्वीकृत नहीं की जाती। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली लगवाने के लिये अनुसूचित कम्पोनेन्ट प्लान के अर्न्तगत ग्रामीण विद्युतिकरण मद में राशि स्वीकृत की जाती है। जिस पर समाज कल्याण विभाग का सीधा कोई नियंत्रण नहीं है।

(2) जी हां, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अप्रेल, 1990 से वर्ष 1994-95 की अवधि में अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली लगवाने के लिये वर्षवार निर्धारित लक्ष्यों एवं उनकी पूर्ति का विवरण निम्न प्रकार है :—

(65)

वर्ष	हरिजन बस्ती	
	लक्ष्य	प्राप्ति
1990-91	1000	831
1991-92	1000	689
1992-93	750	669
1993-94	750	755
1994-95	750	142
(माह फरवरी तक)		

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना

859. श्री चुन्नी लाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग एवं बोर्ड वर्तमान में कौनसा कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना स्वयं सेवी संस्थाओं के मांध्य से चलाये जा रहे हैं ? प्रोजेक्ट/ कार्यक्रम /योजना का नाम, कार्यक्षेत्र, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक में आवेदन करने की प्रक्रिया सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना में कौन-कौन से में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता स्वयं सेवी संस्थाओं को वर्तमान में दी जा रही है ? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 1995-96 में कौन-कौन से कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना किन-किन क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने प्रस्तावित हैं तथा प्रत्येक में स्वयं सेवी संस्थाओं को आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उदयपुर एवं जयपुर शहर में कौन-कौन सी स्वयं सेवी संस्था कार्यरत है ? प्रत्येक का कार्यक्षेत्र सहित नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1994-95 में उदयपुर एवं जयपुर शहरों की स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना में आवेदन कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस संस्था ने किस- किस हेतु कब-कब आवेदन किया तथा किस-किस को कौन-कौन सा कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना स्वीकृत की तथा शेष को अभी तक भी स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण रहे ? प्रत्येक का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त लम्बित आवेदन पत्रों पर भी जल्दी ही स्वीकृति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग एवं बोर्ड कार्यालय द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाये जा रहे कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना के नाम, कार्यक्षेत्र तथा आवेदन करने की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विभाग एवं बोर्ड कार्यालय द्वारा उक्त कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना में स्वयंसेवी संस्थाओं को वर्तमान में दी जा रही आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित कार्यक्रम बिन्दु संख्या एक में दिए विवरण अनुसार है।

(4) वर्तमान में उदयपुर एवं जयपुर शहर में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था एवं कार्यक्षेत्र विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(5) वर्ष 1994-95 में उदयपुर और जयपुर शहर में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों तथा लिए गए निर्णय सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(6) राज्य सरकार लम्बित आवेदन पत्रों की जांच करवाकर गुणावगुण एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर शीघ्र निर्णय करने का विचार रखती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य

860. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण छात्रावासों के भवनों का निर्माण कार्य कहां-कहां किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रस्तावित सभी छात्रावासों के लिये जमीन का आबंटन हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रस्तावित छात्रावासों में से किसी छात्रावास भवन का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त छात्रावास भवन पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है एवं क्या-क्या कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(4) क्या यह भी सही है कि निर्माणाधीन छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 1995-96 में पूर्ण कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में निम्न चार छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं :—

1. छबड़ा, 2. पाती, 3. हरनावदा शाहजी, 4. छीपाबड़ोद

(2) जी नहीं।

(3) प्रस्तावित छात्रावासों में से अनु. जाति छात्रावास, छीपाबड़ोद के भवन का कार्य निर्माणाधीन है। जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 11.19 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। भवन में अब तक 5 कमरे निर्मित किये गये हैं। जिसमें चिप्स प्लॉस्टर इत्यादि का कार्य किया जा चुका है। परन्तु चिप्स की घिसाई तथा किवाड़ लगाना शेष है।

(4) निर्माणाधीन छात्रावास का निर्माण कार्य वर्ष 95-96 में पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जावेगा।

अपंगों को पेंशन देने की योजना

861. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की उन अपंगों को पेंशन देने की कोई योजना है जिनके पास संयुक्त परिवार की भूमि में उसकी दस बीघा या उससे कम का हिस्सा है किन्तु शामिल होने के कारण वह काश्त नहीं कर पाते हैं ?

(2) क्या उक्त परिस्थिति में ऐसे अपंग व्यक्तियों को आय का कोई अन्य स्रोत न होने से उन्हें सरकार पेंशन देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

बोर्ड या निगम के कर्मचारियों का सरकारी विभागों में स्थानान्तरण के नियम

862. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(62)

(श्री परसादी लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि किसी बोर्ड या निगम के कर्मचारी को सरकारी विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग में वर्ष 1990 से दिसम्बर, 1994 तक कई कर्मचारी समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्ति पर लिये गये ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन कर्मचारियों को बोर्ड वापिस भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ऐसे स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्तियों को नियमों के विपरीत नहीं मानती ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के निम्न कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया था।

1. श्रीमती मंजू पारीक, केयर-टेकर

2. श्री पूरणमल कुमावत, चश्रे. कर्मचारी

(3) 1. जी हां। श्री पूरणमल कुमावत का स्थानान्तरण जिला कलक्टर, जयपुर में हो चुका है।

2. श्रीमती मंजू पारीक, केयर-टेकर को उनके पैतृक विभाग में वापस भिजवा दिया गया है।

(4) जी हां। नियमों के विपरीत मानती है।

सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर द्वारा दिल्ली को प्रतिदिन प्रदाय किये जाने वाले दूध की मात्रा

863. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उत्तरी राजस्थान की सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर से प्रतिदिन कितना दूध दिल्ली को प्रदाय किया जा रहा है तथा उस पर मदर डेयरी से प्रति लीटर क्या दर मिल रही है ?

(2) बीकानेर की दुग्ध समितियों को प्रति लीटर क्या दर दी जा रही है तथा उस क्षेत्र में प्राइवेट दुग्ध व्यवसायी यथा मोदी डेयरी व मावा बनाने वाले किस दर पर दूध ले रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उरमूल को राज्य से बाहर दुग्ध व्यवसाय में 1 प्रतिशत बिक्रीकर की छूट है, जो प्राइवेट डेयरीज को नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर से वर्तमान में लगभग 80,000 लीटर दूध प्रतिदिन दिल्ली भेजा जा रहा है। इसकी दर 88/- रुपये प्रति किलो फैट एवं रुपये 58.67 प्रति किलो एस. एन. एफ. है।

(2) उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर द्वारा दिनांक 21.4.95 से दुग्ध समितियों को दुग्ध खरीद मूल्य का भुगतान रुपये 125/- प्रति किलो फैट एवं बोनस रुपये 0.80 प्रति किलो किया जा रहा है। प्राइवेट दुग्ध व्यवसायियों की दूध खरीद दर की सूचना नहीं है।

(डेयरी विकास राज्य मंत्री)

(3) राज्य सरकार के वर्ष 1995-96 के बजट अनुसार राज्य से बाहर दूध भेजने पर कोई बिक्री कर देय नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, 24 मार्च, 1995)

"अन्य पिछड़ी जातियों" हेतु राज्य सेवा में आरक्षण

9. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में "अन्य पिछड़ी जातियों" के लिए नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण है उक्त आरक्षण की घोषणा कब की गई थी ?

(2) अब तक राजस्थान में किस-किस विभाग में कितने लोगों को "अन्य पिछड़ी जाति" का होने के कारण नौकरियां प्रदान की गई हैं ? वर्षवार, विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28-9-93 से राज्य सरकार के पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21% अंश अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 28-9-93 के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को दी गई नियुक्तियाँ सम्बन्धी उपलब्ध सूचना का वर्षवार, विभागवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री नरेन्द्र बुडानिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चूरू के थाना सरदार शहर में दर्ज मुकदमा नम्बर 128/93 के मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

(2) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से जनप्रिया सीमेन्ट लिमिटेड, दलपतपुरा, नीमकाथाना के मजदूरों को न्यूनतम वेज बोर्ड के अनुसार वेतन नहीं दिए जाने से मजदूरों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संदिग्ध गतिविधियों व माउंट आबू के प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए उत्पन्न खतरे के संबंध में।

(2) श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर तहसील के मजरा मालोनीखुर्द मजरा खेड़ली के नकरा का पुरा निवासी एक महिला की नाबालिग लड़की को बरामद कर उसकी मां को सौंपे जाने के संबंध में।

(3) श्री कमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की जिला परिषद् में जिला प्रमुख व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कथित मिलीभगत से पनप रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा तहसील के ग्राम रोण में विद्युत विभाग के जेई.एन व लाइनमैन की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री रेवतराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनियुक्ति पर आये कतिपय अधिकारियों के कार्यकलापों की जांच करवाकर राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन को बचाने के संबंध में।

(6) श्री रिछपालसिंह मिर्धा, सदस्य, विधानसभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में शिक्षा की अव्यवस्था के संबंध में।

(7) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर नियुक्ति में बरती जा रही कथित अनियमितता के संबंध में।

(8) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचपदरा साल्ट में नमक उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किये गये लीज एग्रीमेन्ट्स का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में।

(9) श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांचोर तहसील में पेयजल की भयंकर समस्या के संबंध में।

(10) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बोरावड़ की सिवाय चक भूमि खसरा नं. 238 पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर जिले में भारत सरकार की सीमावर्ती योजनानुसार निर्मित औषधालयों में से ग्राम कोनी के औषधालय की दुर्दशा के सम्बन्ध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज दिनांक 28 अप्रेल, 1995 को, मांग संख्या 27 जो पेयजल से संबंधित है, भी विचार एवं मतदान हेतु नियत है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 131 व 127 के अन्तर्गत उक्त अनुदान की मांग से सम्बन्धित जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं, उनके प्रस्तावक माननीय सदस्यों को अनुदान की मांग पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव झालावाड़ महोत्सव के बारे में आपके समक्ष पेश किया था उसके बारे में आपने फरमाया था कि सरकार से जवाब मांगा जा रहा है....(व्यवधान)

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री जगदीप धनखड़ व श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की विधान सभा की शेष अवधि के लिए सदस्यता समाप्ति

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से ....

श्री अध्यक्ष : हाँ, अनुमति है, बोलिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है उसको मैं रखना चाहता हूं।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों की नियमावली के नियम 158 के अर्न्तगत विशेषाधिकार के निम्नलिखित प्रश्न की सूचना प्रेषित करता हूं ।

दिनांक 27 अप्रेल, 1995 को विधान सभा के प्रश्नकाल के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था सम्बन्धी कुछ विषयों की घोषणा की। जिसमें माननीय सदस्य श्री जुबेर खान द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को निरस्त करने की घोषणा कर दी। इस पर माननीय सदस्य श्री जगदीप धनखड़ एवं अन्य माननीय सदस्यों ने अध्यक्षीय व्यवस्था को चुनौती देते हुए बिना अनुमति के बोलने का प्रयास किया। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने उनके इस भाषण को अंकित नहीं होने का आदेश दे दिया। इसके उपरान्त भी माननीय सदस्य, श्री जगदीप धनखड़, श्री परसादीलाल मीणा, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री शांतिकुमार धारीवाल, डॉ. हरिसिंह, श्री विष्णु मोदी, श्री राजेन्द्र पारीक एवं अन्य सदस्य निरन्तर बोलते हुए सदन की कार्यवाही में बाधा डालते रहे। अध्यक्ष महोदय ने कई बार माननीय सदस्यों को समझाने की चेष्टा की परन्तु यह माननीय सदस्य सदन के वैल में आ गये और अध्यक्ष महोदय के आसन के पास पहुंच कर नारेबाजी की तथा अध्यक्षीय काम में बाधा उत्पन्न की। प्रतिपक्ष के सचेतक ने ऐसी स्थिति में अध्यक्ष से यह मांग की कि अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें लेकिन उनके स्वयं के दल के सदस्य नारेबाजी हा-हुल्लड़ करते रहे। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को सावधान किया कि जिस विषय पर स्थगन प्रस्ताव को निरस्त किया है, वह दिनांक 19 अप्रेल, 1995 को माननीय सदस्य श्री रमाकान्त जी ने उठाया था, जिस पर स्वयं श्री जगदीप धनखड़ भी बोल चुके थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है परन्तु फिर भी कुछ माननीय सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और सदन में निरन्तर नारेबाजी करते रहे। अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं बैठ रहे हैं, सदन के कार्यवाही नियमों के अनुसार कार्यवाही चलाने के लिये मैं विवश हूं, फिर भी सदस्य नहीं माने और अध्यक्ष के आसन के पास हा-हुल्लड़ करते रहे। माननीय अध्यक्ष ने कार्यवाही विवरण के अनुसार आज का एजेन्डा लिया, बोलने वालों के नाम पुकारे, कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और चर्चा समाप्त होने पर आज की कार्यवाही सदन की स्वीकृति के लिये रखी और सदन के अनुमोदन होने के पश्चात् कार्यवाही स्थगित कर दी गई परन्तु इसी बीच में कई माननीय सदस्य जो माननीय अध्यक्ष के पास खड़े थे और निरन्तर नारेबाजी कर रहे थे। माननीय श्री जगदीप धनखड़ और राजेन्द्र पारीक ने राजस्थान विधान सभा के सचिव के हाथ से कागज छीनने की कोशिश की और अध्यक्ष के ऊपर हमला करने के इरादे से झपटे लेकिन सार्जेन्ट ने रोक लिया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें । माननीय सदस्य उत्तेजित नहीं हों। बिराजें आप। इतने क्यों उत्तेजित हो रहे हैं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन दोनों माननीय सदस्यों में से श्री जगदीप धनखड़ के विरुद्ध आसन का अपमान करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के विशेषाधिकार उल्लंघन के तीन प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति के पास विचाराधीन हैं और श्री राजेन्द्र पारीक के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पर उनके द्वारा क्षमा याचना किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दिया गया प्रतिवेदन विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दोनों माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और मर्यादा भंग करने के आदी हैं, अध्यक्ष महोदय को अपमानित भी किया एवं सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। कल दिनांक 27.4.95 को इन्होंने सचिव पर हमला करने की कोशिश की और यदि सार्जेन्ट नहीं होते तो अध्यक्ष महोदय पर भी हमला कर बैठते। इन दोनों माननीय सदस्यों का आचरण लोकतंत्र में किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता।

इसलिए इन दोनों के विरुद्ध यह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं मांग करता हूं कि इस पर सदन में तत्काल निर्णय लिया जाय। हमारी मांग है कि दोनों माननीय सदस्यों की विधान सभा की शेष अवधि के लिए सदस्यता समाप्त की जाये।.(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें आप इतने उत्तेजित नहीं हों।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं..

श्री राजेन्द्र पारीक : आप लोगों की मेहरबानी से नहीं आया हूं जनता से चुना हुआ आया हूं..

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि यह सर्वोच्च सदन..

श्री राजेन्द्र पारीक : जनता ने चुनकर भेजा है..

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, माननीय सदस्य क्यों उत्तेजित हो रहे हैं.(व्यवधान) ज्यादा जोश करने की जरूरत नहीं है जोश दूसरों को भी आता है। बिराजें आप।..

एक माननीय सदस्य : इनका व्यवहार अशोभनीय है..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत रहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : इनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें। माननीय परसराम जी मदेरणा। मदेरणा साहब के विचार सुनें।.(व्यवधान)

इसको अंकित नहीं करें। माननीय मदेरणा साहब का केवल अंकित करें।

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री गुलाबसिंह : ×××

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता को सुनने दें। मैं इस संबंध में माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के विचार जानना चाहूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। (व्यवधान)

कृपया शांति बनाये रखें। माननीय, आवेश में नहीं आवें, कृपया शांति बनाये रखें। बीच में नहीं बोलें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सचेतकजी ने जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है वह मैं सुन नहीं सका, उनका आखरी वाक्य क्या था। सदस्यता समाप्त करने की बात थी या..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा की शेष अवधि के लिये सदस्यता समाप्त की जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता को सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भ्रान्ति थी कि यह शायद निष्कासन का प्रस्ताव लाये हैं लेकिन सदस्यता समाप्त करने का जो प्रश्न है, इसका मतलब यह है कि यह तो चार साल के लिए गये, सदस्यता तो यों समाप्त किसी सैशन के लिए नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, सदन में कई दफे उत्तेजना खड़ी हो जाती है, बहस भी होती है। कल एक एडजोर्नमेंट मोशन था उस पर आपने व्यवस्था दी और फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो इस सदन की परम्परा रही है, उस परम्परा के अनुसरण में उन्होंने आपसे विनम्र निवेदन किया कि जब किसी भी एडजोर्नमेंट मोशन को आप अस्वीकार करते हैं तो उन माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। मुख्य सचेतक महोदय के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत हुआ, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकरण को इस सदन में उठाया था, उन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये उठाया था, काल अटेंशन के जरिये उठाया था या स्लिप भेजी थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं लेकिन वे सब तथ्य इसके सामने नहीं आये थे और प्रतिपक्ष की ओर से दो एडजोर्नमेंट मोशन आपको प्रस्तुत किये थे। एक रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और एक किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने। उसमें एक-एक को रिजेक्ट किया, शायद दोनों को साथ किया या नहीं किया, इस पर मुख्य सचेतकजी ने कोई प्रकाश नहीं डाला लेकिन आपने एक व्यवस्था दे दी और अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद में कुछ व्यवधान हुआ और सदन की जो कार्यवाही पूरी की पूरी, जो दिनभर चलनी चाहिए थी, वह थोड़े समय में सम्पूर्ण करा दी। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष आज जो बैठा है यह उस तरफ भी बैठा है और उस तरफ सत्ता पक्ष है वह प्रतिपक्ष में भी बैठा है। इस सदन की हमेशा गरिमा और परम्परा रही है कि उत्तेजना के क्षणों में कुछ बातें यहां हो जाती हैं लेकिन अन्ततोगत्वा जाकर के इस सदन में उसका कोई न कोई हल निकाला जाता है। मैं तो कोशिश करता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि कई दफा उत्तेजना का अवसर आया है तो मैं स्वयं इस सदन का वातावरण गरमा न जाए, ठण्डा रहे उस और मैंने प्रयास किये और यह मेरा कर्तव्य भी है। यह बात जरूर है अध्यक्ष महोदय, कि सदन के वैल में अपना असन्तोष प्रकट करने के लिए प्रतिपक्ष के सदस्य कई दफे आये भी हैं और वैल में आये ही नहीं हैं वहां पर उन्होंने धरना भी दिया है और धरना कुछ घण्टों के लिये ही नहीं दिया है, विधान सभा के अन्दर कुछ दिनों के लिये भी दिया है। मेरा और प्रतिपक्ष का यह अभिमत है कि माननीय सदस्यों को, प्रतिपक्ष को तो बोलने का ही अधिकार है और बोलने का अधिकार ही अगर गेग हो जाता है तो फिर उनके पास रह ही क्या जाता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य उत्तेजना-वश आपके पोडियम के पास चले जाते हैं या सेक्रेटरी असेम्बली के पास में चले जाते हैं, अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो इस सदन की पूर्व में परम्परा रही है, अपना असन्तोष जाहिर करने की और अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष महोदय से नम्र निवेदन करने की उसका एक ही रास्ता है कि आगे आकर के हम कहते हैं कि इस संबंध में आप पुनर्विचार कीजिये। लेकिन यह किसी भी

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य का अभिप्राय नहीं हो सकता कि वह आपको अपमानित करे या आप पर कोई हमला करने का प्रयास करें। जहाँ तक मुझे जानकारी दे रहे थे, आप पर किसी ने हमला करने की कोई कोशिश नहीं की और कुछ वहां पोडियम तक जरूर गये थे लेकिन हम यह देखेंगे कि दुबारा कभी भी मौका आये और उत्तेजना का अवसर आये तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपना इजहार करें अपनी अप्रसन्नता को, लेकिन वह अध्यक्ष के पोडियम तक नहीं जायें, आसन तक नहीं जायें। मैं ऐसा मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मैं कल सदन में उपस्थित नहीं था, अगर होता तो शायद इस मामले को उस को उस एक्सेटेंट तक जाने में, मैं उस पर रोक लगाता लेकिन जो कुछ भी हुआ वह आपके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं. आपने जो निर्णय दे दिया और उस समय आपने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को शायद समझे या नहीं समझे, कुछ लोग शायद नहीं समझे होंगे। आपने कक्ष में बातचीत करने की बात कही थी, कक्ष में बातचीत होने के बाद कुछ न कुछ रास्ता निकल जाता लेकिन उत्तेजनावश कई दफे विवेक और शालीनता जो इस सदन में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रखी जानी चाहिए, उसका कई दफे ह्रास हो जाता है, तेजी में हो जाता है, उत्तेजना में हो जाता है, विवेक के समाप्त होने पर हो जाता है और लोग अपने आपको एजिटेटड जब फील करते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, बातें नहीं कुछ नारे भी लगा देते होंगे और नारे लगाते भी रहे हैं। अभी लोकसभा में भी लगे हैं और लोकसभा में लोकतंत्र के हत्यारे और दूसरे नारे अभी पिछले सेशन में भी लगे थे। तो कई दफे नारे लग जाते हैं उत्तेजनावश। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सत्ता पक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन है कि इस मामले में हमें कुछ परम्परायें इस प्रकार की स्थापित करने के सम्बन्ध में एक कन्सेन्सस अराइव एट करनी चाहिये, क्योंकि कुछ नये माननीय सदस्य भी होते हैं, कहां तक मेम्बर्स को अपने असंतोष का इजहार करने के लिए किस हद तक वैल में जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो भी कल की इस प्रकरण और घटना के बाद जो कार्यवाही करने के लिए सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव तो सदस्यता समाप्त करने का है और मैं समझता हूं कि ये (व्यवधान)-

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस सत्र की अवधि अथवा 10वीं विधान सभा की शेष अवधि ? निष्कासन है या सस्पेंशन है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : निष्कासन।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका मतलब यह हुआ कि उनको सदन से सदा के लिये निष्कासित कर दिया गया है, हां तो यूं कहिये ना स्पष्ट रूप से। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : बात निष्कासन की नहीं है, अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव जो रखा है उसमें उनकी सदस्यता इस सदन की जो अवधि शेष रही है, उस शेष अवधि के लिए सदस्यता समाप्त का यह प्रस्ताव रखा है।

श्रीमती कमला : निष्कासन हमेशा के लिये होता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सस्पैंड करने का होता है और दूसरा निष्कासित करना सदन से सदा के लिये उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना है, तो यह इनके प्रस्ताव से कुछ भी सामने स्पष्ट नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और दुबारा बोलूं क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दुबारा पढ़ो नहीं, दुबारा इसको आप करो तो स्पष्ट कीजिये कि आप चाहते क्या हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय श्री विश्नोई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके पढ़ने से मतलब यह है कि भाषा है वह स्पष्ट होनी चाहिये। आप चाहते क्या हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : भाषा बहुत स्पष्ट है और इस पर आपने जो 1983 में विचार किया था, वही भाषा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पढ़ो ना ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्यों की विधान सभा की शेष अवधि के लिये सदस्यता समाप्त की जावे ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विधान सभा की शेष अवधि है या सत्र की शेष अवधि ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा की।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विधान सभा की, इसका मतलब 10वीं विधान सभा में 4 साल तक ये नहीं रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : निकाल दो सब को।

श्री चन्दनमल बैद : सारे प्रतिपक्ष को ही निकाल दो।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शेष अवधि नहीं है, विधान सभा की शेष अवधि है। विधान सभा की शेष अवधि का मतलब है कि वह 1998 तक, अगर वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो (व्यवधान) हां तब 5 साल होंगे ना, तब तक इस सदन की सदस्यता से हटाया जा रहा है, क्योंकि सदस्यता समाप्त हो रही है। ऐसा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कारण नहीं था कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव आकर माननीय सदस्यों का अनुरोध तो दो मिनट के लिये आपसे समय मांग रहे थे और समय मांगने के लिये सिर्फ इसी बिन्दु पर उत्तेजना हो गयी और माननीय सदस्यों की शेष विधान सभा की अवधि के लिए सदस्यता समाप्त करना मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई आचरण नहीं रहा और फिर आप इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करते हैं तो पूरे के पूरे प्रतिपक्ष की कर दीजिये, फिर सब को निकाल दीजिये। (व्यवधान)

बैठ जाओ, बैठो, बैठो। आप बीच में मत आओ। मुख्य सचेतक महोदय मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा कि पूरे सदन की भी कर दो ना तो अपना अलग चुनाव दुबारा हो जाय। इसलिए मुख्य मंत्रीजी मेरा आपसे निवेदन है कि सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव काफी स्ट्रिंजेंट और काफी कठोर है। इस कठोरता को मैं महसूस नहीं करता हूं, सदस्यता को समाप्त करने के मामले में जिस तरह का प्रस्ताव लाया गया है, आप शायद स्वयं महसूस करते हों, क्योंकि आपको लम्बी अवधि तक प्रतिपक्ष में रहने का सौभाग्य मिला है और समय समय पर आपने भी अपनी अप्रसन्नता और गुस्से का इजहार इस सदन में बहुत जोर से किया है और इसलिए बैठकर के इसमें बातचीत करनी चाहिये। इस तरह का जो प्रस्ताव आप लाये हैं मैं समझता हूं कि इस सदन की जो गरिमा है और सदन की परम्पराओं को कुछ शक्ति या ताकत नहीं मिलेगी बल्कि सदन की गरिमा के साथ, गरिमा को भी धक्का लगेगा कि बहुत ट्राइफल मैटर पर कुछ माननीय सदस्य वैल में आ गये इसलिए इस प्रकार का कठोर प्रस्ताव पास करके उनकी सदस्यता विधान सभा की

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यता समाप्त कर दी जाय। यह काफी एक्सट्रीम स्टैप है। संसदीय लोकतंत्रीय परम्परा को ठेस पहुंचाने वाला आचरण है, उसको मैं एनडोर्स नहीं कर रहा हूं लेकिन यह जो कुछ भी हो रहा है, यह संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगा इसमें और कड़वापन आयेगा और प्रतिपक्ष को भी, क्योंकि एक गम्भीर मामला है, प्रस्ताव आ गया है सदन के सामने इस पर जैसा सत्ता पक्ष समझे निर्णय ले। लेकिन मेरा तो, अध्यक्ष महोदय, यही अनुरोध है कि आप भी मेरी राय से सहमत होंगे कि आपके कार्यकाल में विधान सभा के संसदीय इतिहास के अन्दर मैं समझता हूं कि यह पहला मौका होगा जिसमें सदस्यता समाप्त हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : भारत में, पूरे भारत में।

श्री परसराम मदेरणा : और आप जब आसन पर विराजमान हैं और आपके निर्विरोध अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद में यह पहला ही सत्र है और पहले सत्र में भी सिद्धश्री में ही फर्क आ जाय तो मैं समझता हूं कि वह मुख्य सचेतक महोदय भी, अध्यक्ष महोदय भी आसन की गरिमा को बनाये रखने की बात कर रहे थे उस गरिमा को काफी हद तक आप समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, रोक कौन रहा है। यह मेरा निवेदन है कि इस पर बहुत ठंडे दिमाग से विचार किया जाय और कुछ परम्पराएं पहले थीं और इस सदन में रही हैं। आगे जाकर के किस तरह से हमें इन परम्पराओं को कायम रखना है, किस प्रकार का आचरण सदन में रखना है, इन सब पर भी बैठकर विचार किया जा सकता है। जैसाकि अभी मैंने कहा था, अध्यक्ष महोदय के ऊपर हमला करने की, उनके पोडियम तक जाने की या उनके कार्य संचालन में किसी प्रकार का दखल देने की या उसमें व्यवधान डालने की, इस चीज को मैं उचित नहीं मानता, प्रतिपक्ष भी नहीं मानता। हम इस बात को देखेंगे कि अध्यक्ष महोदय के पोडियम तक आगे नहीं जायं, और उनके आसन की गरिमा इस सदन में निश्चित तौर पर इस सदन में बनी रहे और अक्षुण्ण भी रहे। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर आपका जो अभिमत या अवधारणा या जो निश्चय होगा, वह निश्चित तौर पर इस सदन के अन्दर स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करने में सहायक होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा अवसर है, जब किसी सदस्य को निष्कासित करने का प्रस्ताव यहां पर लाया गया है।

श्रीमती कमला : निष्कासित नहीं, सदस्यता को खारिज करने का।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आया था निष्कासन का और प्रकरण था, अभी वर्तमान में महोदय मंत्री हैं और एकचोले पर लिख कर लाये थे कि "मुख्य मंत्री की बेटी के साथ बलात्कार"। मेरे पास इसी समय यहां बिराजे हुए तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी और मुख्य सचेतक प्रस्ताव लेकर आये कि इनकी सदस्यता समाप्त कीजाय। काफी जोर लगाया उस बात पर, बहुत कुछ कहा, धमकियां, भी दीं लेकिन मैंने कहा नहीं,सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव मैं सदन में नहीं आने दूंगा। कई स्टेजेज हैं। यहां पर मतगणना होती है किसी प्रस्ताव पर या मांग के

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सम्बन्ध में तो नियम यह है कि पूर्ण शान्ति होनी चाहिए और शान्ति स्थापितकरने का दायित्व अध्यक्ष महोदय का होता है और उनको बहुत बड़े अधिकार हैं। सदस्यों को नाम से सम्बोधित कर सकते हैं, उनको सदन से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं, बाहर नहीं जाये तो सार्जेण्ट की मदद से उनको बाहर निकाला भी जा सकता है। उससे भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो सदन की कार्यवाही अल्पकाल के लिए, घंटे के लिए आधा घंटे के लिए स्थगित की जा सकती है और और विषम स्थिति पैदा हो जाय तो सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। दुख की बात है कि पिछली विधान सभा में, 9वीं में और 10वीं में, मेरे ख्याल में विधान सभा को अव्यवस्था की स्थिति में कभी स्थगित ही नहीं किया। उसका नतीजा यह होता है कि सदन के अन्दर गर्मागर्मी बढ़ जाती है तो हमको चाहिए कि अगर गर्मागर्मी बढ़ रही है और स्थिति सामान्य नहीं है। इस पर अभी मतदान नहीं कराया जा सकता है तो उस अवस्था में स्थगित करके बातचीत करनी चाहिए। यह बात शिकायत करनी चाहिए कि जिस दल के सदस्य अव्यवस्था फैला रहे हैं, उनके नेता को बुलायें, चैम्बर में बात करें और कहें कि यह व्यवहार उनका ठीक नहीं है लेकिन बिना चेतावनी दिये, बिना उनको निष्कासन का आदेश दिये, बिना सदन की कार्यवाही को स्थगित किये, कोई गर्मागर्मी हो गयी और इस पर सदन से उनको निष्कासित करने का प्रस्ताव ला रहे हैं। सबसे अनुभवी विधायक यहां पर बिराजमान हैं और आज वे सदन के नेता हैं। 1967 से लेकर 71 तक मैं उपाध्यक्ष था, बड़ा सक्षम विरोधी पक्ष था और आप माहिर थे बोलने में और हर तरह से माहिर थे। आपको याद होगा कि यहां इतनी गड़बड़ी फैली कि मैं स्थगित करके जाने लगा तो, मैं सदस्य का नाम भूल गया, उन्होंने यहां इस आसन पर बैठकर सदन को चलाया और शायद अविश्वास प्रस्ताव पास किया।

यह भी आपको याद होगा कि नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने उस समय ये माईक फिक्स नहीं होते थे, इनकी जगह यहां पर एक डिब्बा होता था। उसको उठाकर फैंका, एक माननीय सदस्य के लगा और उससे वे लहु-लुहान हो गये, खून आ गया, सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

कुछ वर्षों पहले जब मैं इस सभा का अध्यक्ष था तो विदेशी विधायकों का या संसद सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल यहां पर आया। उस दिन मैंने प्रार्थना की सबको और मैंने कहा कि आज विदेशी आ रहे हैं इसलिए अपने सदन को शान्ति से चलाना है लेकिन पृथ्वी वीरों से खाली नहीं हुई। 1-2-3 वीर ऐसे थे जिनसे रहा नहीं गया, मैंने समझाया भी और एकदम भड़क उठे। वे विपक्ष के लोग थे। भड़क उठे और बोलने लगे, उन्होंने तालियां बजायीं। उसके बाद में जब उनको चाय पर अन्दर बुलाया तब कहने लगे कि आपकी जो पार्लियामेंट है, वे उसको पार्लियामेंट ही बोलते हैं वहां पर, यहां पर असेम्बली और पार्लियामेंट, अलग नाम होगा और उन्होंने कहा कि लास्ट का जो हिस्सा था, हमको बड़ा पसन्द आया। ये किस तरह के नियम हैं, इनकी कापियां हमको दें। नहीं तो हमारे वहां पर क्या है, यह सब फालतू मामला है। न तो अमेरिका की कांग्रेस में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में कभी यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कोरम नहीं है। यह प्रश्न नहीं उठाया जाता क्योंकि वे कहते हैं कि सब अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई व्यापारी है, कोई खेती करने वाला है, कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला है इसलिए सदन की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कार्यवाही 5 बजे के बाद शुरू होती है और रात भर, कितनी देर तक चलाओ। जिनको रूचि है, वे आ जाओ और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि 650 तो मेम्बर और 300-350 सीट हैं। बाकी अन्दर बैठने की जगह नहीं है, माइक्रोफोन पीछे लगे हुए हैं। जहां कहीं भी, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके तो बैठने का स्थान है, दूसरों का नहीं है। गर्मा-गर्मी होना तो, ये लोग अपने पास इतने आते हैं और अपन दुखी रहते हैं। बहुत लोग आते हैं। यहां पर तरह-तरह के आन्दोलन बाहर चलते रहते हैं डिमोन्स्ट्रेशन होते हैं। कभी-कभी लाठीचार्ज भी हो जाता है तो यह तो जनता का अपने में विश्वास है कि ये कुछ न कुछ हमारे लिये करेंगे इसलिये यहां आते हैं। जिस दिन यहां आना जनता छोड़ देगी, समझ लो कि देश में जनतंत्रवाद खत्म हो जायेगा।

एक बात और एज ह्यूमन बीइंग्स, मैं आपसे मांग करूं कि कृपया इसका उत्तर दीजिये। आपने इसका उत्तर दे दिया। उत्तर वह दिया है कि जिस अफसर से मेरी शिकायत है और जिसकी शरारत है, उसके खिलाफ तो मैंने प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद 10 ऊपर वाले अफसरों के पास आया और फिर मंत्री महोदय के पास आया। अब मंत्री महोदय कह देते हैं कि जो पटवारी ने कहा है, मंत्री महोदय यहां कह देते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक बात है। "खेती पांती बीणती चौथा हरवा जात, पर हाथों न सुधरे अड़ न करीजे आप"।

अड़ करके जोर लगाकर अगर आप कोई बात कहेंगे तो मंत्री महोदय भी मानेंगे। जोर नहीं लगाया, आपने उत्तर दे दिया, नियमों के अनुसार दो और आपने प्रश्न पूछ लिये, किस्सा खत्म हुआ तो उससे कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। आप जानते हैं, सब से अधिक जानते हैं हमारे सदन के नेता कि जोर लगाकर किसी बात को कहना, उसके लिए बराबर संघर्ष करना, तीन-तीन बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करवाना, तो यह स्थगित वगैरह तो अपन सब भूल ही गये। तो यह सब प्रोसेस है। राजी करना चाहिए, जो नाराज हैं उनको राजी करने की कोशिश करो। अगर वह हद से बाहर जा रहे हैं तो नेता से कहो, सभी उस को कहेंगे, प्रताड़ित करेंगे कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कल वाली घटना थी उसको आप विशाल हृदयता से लें, इस बात को भूल जायें, अपन एक सबक लें, लेकिन हाऊस टेम्ड अफेयर, एक पालतू संस्था की तरह हो जाये, यह मैं तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। नौजवानों को हमेशा अपना पक्ष बहुत ही जोरदार ढंग से, लेकिन एक अच्छी सुसंस्कृत भाषा में कहना चाहिए। लेकिन कभी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आये तो आप कृपया एडजोर्न कर दिया करें और सब को बुलाकर राजी करो। यह नहीं कि आधे हल्ला कर रहे हैं, आधे उसको पास कर रहे हैं, यह पास समझा ही नहीं जाता है। एक ही बड़ा नियम है कि जब मतदान हो, चाहे सब विपक्ष को निकालना पड़े, लेकिन मतदान शांति से होगा, हा-हुल्लड़ के बीच में कभी मतदान नहीं होगा और इसीलिए आपको सक्षम बनाया है इतने अधिक अधिकार लेकर के, इसलिए कृपया इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिये, जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं वे विचार करेंगे, हर चीज़ से कुछ न कुछ आदमी शिक्षा लेता है। तो मेरा इतना ही निवेदन है आपसे।

श्री अध्यक्ष : श्री तिवाड़ीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : तिवाड़ीजी, शांत होने दो मामले को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, यह आज बहुत ही गम्भीर विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई, मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि मैं माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई की अध्यक्षता में पांच साल तक सदन में रहा हूं और जिस प्रकार से उनका सदन का संचालन था और मैं तो आभारी हूं उनका कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ इस सदन में बोलने का अवसर भी दिया और बहुत कुछ मुझे सिखाया भी और कई-कई बार जब बहुत अधिक गर्मी मेरे में आती थी उसे ठंडा करने का भी आपने प्रयत्न किया। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं एक उदाहरण देता था, दो-तीन माननीय सदस्य बहुत जोर से जब हल्ला करते थे तो क्या है कि सिविल लाइन में पहले आठवें, दसवें दिन एक राउण्ड होता था बंदरों की बड़ी टोली का, तो उसमें हाथ-पैर और नीचे वाले भाटे फेंकते और वह, मैंने कहा, भाई, सदन के अन्दर यह हालत हो जाती है पन्द्रहवें दिन हमारे आंगन में वहां होती है, तो उनमें से आप भी थे जो कितनी जोर से बोलते थे, हम तो माइन्ड ही नहीं करते थे। मैंने कहा, इनको कहने दो, अपने बोलो ही मत, थोड़ी देर चुप हो जाओ, आप से आप थक जायेंगे तब आर्डर प्लीज कह दो, बैठ जायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाहूंगा कि माननीय पूनमचन्दजी कई बार जान-बूझकर ही मुझसे बुलाते थे। जब उनको सरकार को ठीक करना होता था तो मुझे अवसर देकर सरकार को ठीक कराया करते थे। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन यह कर रहा था कि आज का जो प्रसंग है उसमें दो बातें अलग-अलग हैं। एक बात है कि जो स्थगन प्रस्ताव था और उसमें जो व्यवस्था हुई वह, और दूसरी बात है सदन के अन्दर जिस प्रकार का व्यवहार, हुआ वह। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्थगन प्रस्ताव की बात है, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाकर संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में माननीय खेतसिंहजी के बोलने के बाद में, कल, और माननीय पूनमचन्दजी के कहने के पश्चात् सदन की करीब-करीब आम राय यह बन गयी थी कि वैश्म में माननीय अध्यक्ष महोदय से बातचीत करके इसका कोई न कोई तरीके से रास्ता निकाल लेंगे। यहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय को जाकर कह दिया था कि किसी भी प्रसंग में अगर वह चर्चा दुबारा उठती है तो सरकार के स्पष्टीकरण के नाम पर आप इसको स्पष्ट कर दें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि यह दुर्भाग्य रहा कि माननीय खेतसिंहजी और पूनमचन्दजी की बात माननीय सदस्यों ने नहीं मानी। अगर यह बात मान लेते तो कल इस पर चर्चा भी हो जाती और आज सदन में इस विषय पर चर्चा भी नहीं होती। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, परम्पराओं की बात करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे अभी माननीय पूनमचन्दजी ने कहा कि मतदान ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए जब पूर्ण शांति हो। 1981 की मुझे घटना अच्छी तरह से ध्यान है। उस समय बजट की मुखबंद के दिन डिमाण्ड पास होनी थी, माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई आसन पर विराजमान थे, हम सारे लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े-खड़े नो-नो बोलते जा रहे थे, आवाज हो रही थी और एक-एक डिमाण्ड को माननीय पूनमचन्दजी लगातार पास कराये जा रहे थे और हा-हुल्लड़ के बीच

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं एक पाइंट करेक्ट कर दूं। मैंने दो डिमाण्ड पास करायी और उसके बाद मैंने बंद कर दी। मैंने कहा शांति नहीं है, फिर आप बर्हिगमन करके पधार गये, उसके बाद में मैंने करवायी। दो मैंने करवायी थी, मुझे याद है लेकिन उसी वक्त मुझे ध्यान आ गया, मैंने कहा शांति नहीं है, एकाध में तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा शायद बैठ जायेंगे लेकिन दूसरी करायी उसमें भी आवेश में ये विपक्ष वाले तो फिर मैं बैठ गया और आप अपनी बात कहकर बर्हिगमन करके चले गये उस बात पर और गर्मा-गर्मी इस बात पर हुई थी कि चार बजे मुखबंद का प्रयोग करना था, तो मेरे ख्याल से विपक्ष के नेता, मुझे ठीक याद नहीं है, नेता महोदय ने कहा कि कुछ समय बढ़ाया जाये तब मैंने आधा घंटे का टाइम बढ़ा दिया। उसके बाद में भी माननीय सदस्य चाहते थे कि हम बोलेंगे, मैंने कहा कि मुखबंद का प्रयोग जब अपने करने का निश्चय कर दिया, अपनी कार्यकारिणी ने, और आधा घंटा बढ़ा दिया तो उसके बाद में फिर मैंने कहा बढ़ाना, फिर तो मुखबंद हो गया, मैंने कहा फिर क्या बढ़ायेंगे, लेकिन आप कहते रहे कि हम इस पर और बहस करेंगे और मैं सदा ही बहस के पक्ष में था लेकिन क्योंकि वित्तीय मामले होते हैं वह हाइएस्ट प्रापर्टी के होते हैं इसलिए उस समय में वह काम करवाना था क्योंकि 29, 30 को या 31 को शायद छुट्टी थी, एप्रोप्रियेशन बिल पास करवाना था, उस दृष्टि से दो करायी थी, मुझे याद है और उसके बाद में आप पधार गये; जब मैंने दूसरी रखी थी तो मैं बैठ गया था। यह मैं बता दूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह बात 81 की नहीं, 82 की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं संशोधन कर लेता हूं। 81 को 82 समझ लीजिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः थोड़ा संशोधन यह करना चाहूंगा कि कल तो आपने सिर्फ दो ही डिमाण्ड पास करायी और उस दिन मुखबंद की बात थी और हमने निवेदन किया था और वैश्म में आपने स्वीकार भी कर लिया था कि मुखबंद का समय बढ़ा दूंगा और समय बढ़ाने के बाद में कार्यवाही कर लेंगे लेकिन सत्ता पक्ष ने आपकी बात नहीं मानी थी इसलिए हम खड़े रहे थे और आप डिमाण्ड पास कराते रहे थे । मुझे इतना निवेदन करना था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे स्थगन प्रस्ताव दिया, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो गयी और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं, शून्य काल में चर्चा हुई और माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई की और रामनिवासजी मिर्धा की और निरंजननाथजी आचार्य की यह रूलिंग इस सदन में दी गयी है कि जब एक विषय पर चर्चा हो जाय उसी सत्र में, तो उस पर दुबारा चर्चा नहीं करने के लिए अध्यक्ष मना कर सकता है और उसी के हिसाब से अध्यक्ष महोदय ने मना किया था और अब उन्होंने इसका रास्ता भी निकाल लिया था। एक, अध्यक्ष महोदय, चेंज हुआ है। जो कल माननीय पूनमचन्दजी ने व्यवस्था बतायी थी उसमें बहुत बड़ा चेंज यह हुआ है कि जिस समय आप अध्यक्ष पद पर विराजमान हुआ करते थे उस समय 275 का प्रावधान नहीं था। उस समय जितने माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव देते थे उन स्थगन प्रस्तावों को निरस्त करने के बाद में दो मिनट बोलने का समय पूनमचन्दजी विश्नोई फरमाया करते थे और उसी के हिसाब से सदन चल रहा था। लेकिन जब वह स्थगन प्रस्ताव बहुत ज्यादा आने लगे और इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया तो उसका दूसरा बाया मीडिया निकाला गया कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख, जो लोक सभा में और इनमें था, उसके अन्तर्गत माननीय सदस्यों को सुविधा दी जाय और उसके पश्चात् हर रिजेक्टेड स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने की व्यवस्था आसन के द्वारा समाप्त कर दी गयी थी इसलिए रिजेक्शन के बाद में दो मिनट बोलने का माननीय सदस्यों का अधिकार समाप्त हो गया था, वह अध्यक्षजी की इच्छा पर निर्भर था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक बात और याद दिला दूं, नेता महोदय को याद है कि विपक्ष वाले हमला करने ठेठ मेरे यहां तक पहुंच गये थे, किताबें यहां फेंक दी थी, उस वक्त राम सिंहजी, शीशरामजी, सुनदरलालजी और एक और थे, अपने दीपचन्दजी, इन चारों ने आकर, यहां पर काफी धक्का-मुक्की हुई आपस में। सार्जेंट-एट-आर्म्स को बुलाया नहीं था, वहां आ गये सब, किताबें यहां से फेंक दी और मेरे तक पहुंचने लगे जब इन्होंने पहुंचकर, और फिर आपस में धक्का-मुक्की हो गयी थी

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक तो स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव की चर्चा हो गयी थी, सरकार स्थगन प्रस्ताव का जवाब लेकर वहां पर बैठी हुई थी, आपकी बातचीत हो गयी थी दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल जो घटना हुई, माननीय पूनमचन्द जी उठकर चले गये थे बाहर, मुझे पता है और खेतसिंहजी, रामनारायण जी, गुलाबसिंहजी और सब लोग बिराज रहे थे। अधिकांश माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे हुए थे, मैं यह नहीं कहना चाहता। कुछ माननीय सदस्य आये। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्पराएं, मैं समझता हूं कि राजस्थान की परम्पराएं, अन्य विधान सभाओं और लोक सभा की परम्पराओं से बहुत बढ़िया हैं और इसके लिए माननीय सदन के नेता व प्रतिपक्ष के नेता भी और हमारे जो वरिष्ठ नेता सदन में बिराज रहे हैं, जो 5-5, 6-6 बार चुनकर आ रहे हैं उन सब ने इन परम्पराओं को कायम किया है और नई पीढ़ी इसके लिए आभारी हैं कि उन्होंने हमको बहुत अच्छी परम्पराएं दीं। अब उन परम्पराओं का पालन हम ठीक ढंग से कर सकें और आपके जो उत्तराधिकारी हैं वह आपकी कायम की हुई परम्पराओं को खराब नहीं करें, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की हैं। हमारे में से जो गलती होती है, जहां मर्यादा तोड़कर हम आगे बढ़ते हैं उन मर्यादाओं में हमको नियन्त्रित करने का आपका अधिकार भी है और उसको मानने का हमारा कर्तव्य भी है और अध्यक्ष महोदय, कल जो बात हुई, मैं बिना लाग-लपेट के कहना चाहूंगा, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सेक्रेटरी साहब को बिलकुल कुर्सी छोड़कर उठना पड़ा उनका चश्मा भी गिरा और निश्चित रूप से उन पर हुआ है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक दो प्रहरियों की भी मारपीट हुई और धक्का-मुक्की भी हुई। यह प्रहरी और सदन के बीच में जो बैठने वाले लोग हैं वे हमारी सहायता के लिए हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता या बातचीत है तो वह हमारे बीच में है। इन पर कोई भी किसी भी प्रकार का हमला होना या चोट आना वह हमारे लिए, सब के लिए शर्म की बात है। जो आज हमारी सहायता करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं उनसे हमारी किसी भी प्रकार की दुश्मनी होना या उन पर किसी भी प्रकार का हमला करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मैं एक बात तो यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हो सकती है, दो बार हो सकती है, तीन बार हो सकती है, चार बार हो सकती है। रोज-रोज अगर एक ही बात की जाय और एक ही बात उन्हीं माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार दोहरायी जाये तो संसदीय परम्परा के नाम पर और उदारता के नाम पर अगर इसका फायदा लेना चाहें तो वह उचित किसी प्रकार से नहीं होगी, इस पर माननीय विपक्ष के नेता भी सहमत हैं। हम भी कई बार गर्म होते हैं और जब माननीय नेता जी हाथ से इशारा करते हैं उस समय हम चुप बैठ जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जो आगे बैठने वाले लोग हैं उनकी बात पर हमारे समकक्ष जो हमारे माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे हैं इस वह भी इस प्रकार का ध्यान रखें। दूसरी बात, मैं माननीय नेता महोदय जो आपने कही है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रहरी तो ऐसा है कि इस सदन में कोई भी ओवर्ट एक्शन नहीं हो या माननीय सदस्य अपने आपको सुरक्षित समझें, वह बीच में आ जाये लेकिन उत्तर प्रदेश में तो प्रहरी भी तो कई दफा पक्षपाती हो जाते हैं। यह आये ही नहीं सदन के अन्दर तो वहां पर खुली मारपीट हुई और प्रहरी खड़े-खड़े देखते रहे, यहां पर नहीं पहुंचे। अब प्रहरी के, आप सारजेन्ट-एट-आर्म्स बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, मैं आगे बढ़ा तब मेरा हाथ जरूर पकड़ा था उसको फिर छोड़ दिया। तो कई दफा उत्तेजना में ऐसी बात हो जाती है, प्रहरी तो आपके बीच में आ गये और वह आगे आ रहे हैं और वह तोड़कर इस तरह से आ गये होंगे तो किसी में थोड़ा बहुत आपस में कहा-सुनी हो गयी होगी बाकी कोई प्रहरियों से मारपीट की हो, ऐसी कोई बातें नहीं हुई आपस में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं, यह बात आगे नहीं बढ़े और उत्तर प्रदेश का इतिहास अपने यहां दोहरायें तो उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है। हम राजस्थान की जो परम्पराएं आप लोगों ने कायम की हैं उन परम्पराओं का निर्वहन करना चाहते हैं तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता की इस बात से सहमत हूं कि हमको एक लक्ष्मण रेखा और मर्यादा तो निश्चित रूप से खींचनी चाहिए कि हम कहां तक एजिटेट करते चले जायें और मैं समझता हूं कि सेक्रेटरी साहब जहां पर बैठे हैं, पोडियम कह लीजिये, आसन वह लीजिये और अध्यक्ष महोदय का जो आसन है, उनके हाथ से कागज खींचने की जो बात है, जो किताबें गिराने की बात है उसको तो निश्चित रूप से सारे सदन को कन्डेम करना चाहिए कि इस प्रकार की कार्यवाही सदन में आगे कभी नहीं हो। मैं अपोजीशन के इस अधिकार को कभी मना नहीं करता। यह तो मैं एक साल से ही हूं, 10 साल तो मैंने वहीं रहकर एजिटेट किया है इसलिए मैं जानता हूं कि अपोजीशन अपनी बात पूरे ढंग से कहे लेकिन अपोजीशन बात कहते-कहते सारी मर्यादाओं को ताक में रख दे और एक दो माननीय सदस्यों के कारण सारे विपक्ष की या सदन की पूरी प्रतिष्ठा गिरे, इस बात को भी हमको देखना चाहिए। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार भी यह घटना हुई, इस बार भी तीन बार हो गयी और वही माननीय सदस्य बार-बार करते हैं और वही माननीय जो बड़े नेता प्रतिपक्ष के हैं उनको समझा बुझाकर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और एजिटेशन जैसे जयपुर के पानी वाली बात हो रही थी उस दिन वहां पर बैठे-बैठे चेयर से भी बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ और माननीय सचेतक जी ने जो बात कही वह सत्ता पक्ष ने सहर्ष स्वीकार कर ली और कल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जितनी बड़ी चर्चा सिंचाई पर और कृषि पर होने वाली थी उससे सारा सदन वंचित हुआ और सारे प्रदेश की जनता वंचित हुई इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सचेतक जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व, मैं सदन के नेता महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में इस प्रकार की कई बार घटनाएं हो जाती हैं और बड़े हृदय के कारण उदारतापूर्वक इसको देखा जाना चाहिए। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि विपक्ष के नेता ने जो अपील की है उस पर वह विचार करें और एक बार इस पर विचार करने से पूर्व सदन के बाहर हम बैठें और बैठकर एक नियम तय करें कि इस सदन में हम कहां तक एक्सीड कर सकते हैं, अपोजीशन कहां तक जा सकता है, एजिटेशन करने का अधिकार कहां तक प्राप्त हो सकता है, यह हम करें और कल की घटना से कुछ मान्यताएं तय करें और कल की बात पर चर्चा और इस प्रस्ताव पर चर्चा हम उसके बाद करें तो मैं समझता हूं हमारे लिए, सदन के लिए और सब के लिए ठीक रहेगा। और आज की जो कार्य सूची है, आज का जो कार्यक्रम है, आज पेयजल पर चर्चा है, मुखबन्द फिर होने वाला है तो पेयजल पर सारे राजस्थान की समस्या पर हम गम्भीरता से विचार करें और आज की कार्यसूची समाप्त होने के पश्चात् इस विषय पर विचार किया जाय और जब तक विपक्ष के नेता, सदन के नेता और अन्य माननीय नेतागण विचार करके कल की घटना पर विचार करें और कल की घटना के बारे में जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है, वे स्वंय इस बात के पक्ष में नहीं हैं, माननीय सदस्य वहां तक जायं।

उन्होंने इस बात की निन्दा की है कि जो माननीय सदस्य जिस प्रकार का काम करते हैं उसके वे पक्ष में नहीं हैं। एक तरह से उसकी निन्दा भी हुई है और एक तरफ सदन की मर्यादा कायम रखने की बातचीत हुई है इसलिए मैं सदन के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वह संचालित हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज को जो कार्यक्रम है वह संचालित हो पूरा और वह कार्यक्रम पूरा संचालित हो। पेयजल पर बहस हो, तब तक हम आपके वेश्म में बैठकर नेतागण इस सदन के, चर्चा करें और चर्चा के बाद इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाय। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, देवीसिंह जी भाटी के समय पर जो बात हुई थी, वह देवीसिंह जी ने सिर्फ इतना किया था कि तख्ती लगाकर आये थे और वह भी एक साधारण लड़की के साथ बलात्कार हो गया था। हरिजन अनुसूचित जाति की लड़की थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनकी तख्ती में यह लिखा हुआ था कि मुख्य मंत्री की पुत्री के साथ बलात्कार।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुख्य मंत्री जी की लड़की मंजू के साथ, उसमें उस लड़की का नाम था। वह अनुसूचित जाति की थी, उसके साथ बलात्कार। यह था वह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उस समय जो मुख्य मंत्री थे उनका नाम भी था उस पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, उस लड़की का नाम था।

श्री हरिसिंह : नहीं, लड़की का नाम कहां से सही है, मुख्य मंत्री थे उनका भी नाम था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, उनका भी नाम था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या बात कर रहे हो ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां वह किस्सा और कहां यह कल का मामला, इसका कोई मुकाबला नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस किस्से में, एक हरिजन महिला, एक हरिजन की बच्ची को मुख्य मंत्री की पुत्री मानकर और इस सदन में मैं पूनमचन्द जी विश्नोई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस प्रस्ताव को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव तो सदन में उस आठवीं विधान सभा के पूरे निलम्बन के लिए किया था उसके बाद में देवीसिंह जी भाटी ने क्षमायाचना भी की थी, प्रतिपक्ष के नेता ने भी क्षमायाचना की थी और उसके बाद भी उनको...

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रतिपक्ष के नेता ने कोई क्षमायाचना नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : वह आवश्यकता नहीं थी। सत्ता पक्ष ने उस समय क्षमायाचना की कि हमने ऐसा प्रस्ताव रख दिया, वापस लेते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कहीं ऐसा अब तो न करना पड़े।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह प्रस्ताव इनको भी समझा जाओ, आपसे भी माफी मंगवा दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय फिर भी उनको शेष अवधि के लिए निष्कासित आपने किया था तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे प्रसंगों पर आप कुछ चन्द नेताओं को बुलायें उसके बाद उस पर चर्चा करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, एक मिनट, कल सदन में एक प्रकार की स्थिति आयी। मैं इसका मूक दर्शक हूं और भी माननीय सदस्य थे, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता मौजूद नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से सब किस्सा देखा था। माननीय अध्यक्षजी, इस सदन में इस दसवीं विधान सभा के समय में जो कुछ घटनाएं घट चुकीं हैं उनके मुकाबले में कल की बात कहीं 5 प्रतिशत भी नहीं थी। माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते थे और आपने उनको इजाजत नहीं दी। नियमों के अनुसार आपने इजाजत नहीं दी। ठीक है, वह बात चली गयी। इधर से एक व्यवस्था चाही गयी कि किसी प्रकार से इस मामले में सदन में चर्चा हो जाय। आपने अपने चेम्बर में इन्वाइट करने की चेष्टा की। यह सब कुछ हुआ लेकिन माननीय अध्यक्षजी, यह सदन बहुत ऊंचा है और आपका आसन तो उससे भी ऊंचा है। इस प्रकार के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में यह बात होती रहती है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस सदन में माननीय सदन के नेता महोदय से भी मैं चाहूंगा और इनको याद दिलाना चाहूंगा कि नोहर से आने वाले माननीय सदस्य यहां बैठते थे और इस सदन में उन्होंने स्पीकर को जूता दिखलाया था। उस घटना का मुकाबला हम कल से देखें तो बहुत कम है। घटना तो कल हुई ही नहीं। किसी भी माननीय सदस्य का इरादा न तो स्पीकर को हर्ट करने का था, न सेक्रेटरी को हर्ट करने का था। यहां बराबर इस बात के लिये (व्यवधान) में देख रहा हूं। मैंने बीच में चाहा भी था कि इस मामले का रास्ता निकाल दिया जाय लेकिन वह नहीं निकल पाया (व्यवधान) मेरी बात तो सुनो आप, मेरी बात तो मैं मान लूं वही बहुत है। तो माननीय अध्यक्ष जी, न तो किसी का इरादा आसन को नुकसान पहुंचाने का था न सैक्रेटरी को नुकसान पहुँचाने का इरादा था और इस

(श्री शिवनाथ सिंह)

इस बात का सबूत यह है कि आखिरी क्षण तक आसन ने इस बात को आवश्यक नहीं समझा कि सार्जेण्ट को बुलाया जाय। स्थिति बिलकुल नियंत्रण में थी। इससे अधिक तो, माननीय तिवारीजी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप आसन पर विराजमान थे और आपने अपनी अंगुली दिखलायी थी कि मेरी अंगुली तोड़ दी गयी। उससे गंभीर बात तो थी ही नहीं, न किसी ने किताब छुई, न किसी ने किसी को धक्का दिया, न स्पीकर की टेबल से किसी ने कुछ कागज उठाया। पिछली बार इससे भी अधिक दबाव, आप आसन पर बिराजमान थे, उस वक्त आपके साथ हुआ लेकिन क्योंकि अध्यक्षजी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए तो अब बैठना छोड़ दिया।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, कल जो अध्यक्षजी थे आपसे अधिक शालीन थे। इन्होंने बहुत शान्त दिमाग से, शान्त हृदय से अपनी बात माननीय सदस्यों को कहने का मौका दिया (व्यवधान) बीच में कुछ बोले नहीं, हंसते रहे। अब जो प्रस्ताव आया है माननीय मुख्य सचेतक महोदय से...

श्री टीकमचन्द कान्त : आज तो सब वकालत करा लेंगे आप से...(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : बोलने दें आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : आज तो वकालत करा लेंगे सब।

श्री शिवनाथ सिंह : मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं कंट्रोवर्सी में तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन अध्यक्षजी, मैंने अपनी आंख से देखा है, आपने अपनी आंख से देखा है, सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने आंख से देखा है, जो प्रस्ताव में इन्होंने फैक्ट्स दिये हैं वे सत्यता से काफी दूर हैं। उस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहूंगा लेकिन सत्यता से काफी दूर हैं और ऐसा मुझे लगता है कि सदन की कार्यवाही कल हो चुकी है। आपने हाऊस में मांग पास कराकर के जो बिजनिस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें, बोलने दें। (व्यवधान) बोलने दें।

श्री शिवनाथ सिंह : जो बिजनिस आपको कण्डक्ट करवाना था, आपने करवा दिया और राजी खुशी सदन की कार्यवाही स्थगित हो गयी। उसके बाद में कोई विचार मन में आया है कि किन्हीं माननीय सदस्यों को अपमानित किया जाय, दण्डित किया जाय, निकाला जाय। इस प्रकार आफ्टर थॉट के अन्दर माननीय अध्यक्षजी, आप भागीदार मत बनिये। आपने जिस प्रकार का आचरण आसन पर बैठे हुए कलपूरी कार्यवाही में किया, आप तो उसी शालीनता से इस मामले को देखिये। पक्ष एक बात कहता है और प्रतिपक्ष एक बात कहता है लेकिन आपके कल के व्यवहार की मैं बहुत बड़ी सराहना करता हूं। आपने इजाजत नहीं दी वह दूसरी बात है लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हो रहा था उसमें आप बिलकुल शान्त बिराजमान थे। यदि कहीं आपको ऐसा आभास होता कि मेरे पर हमला किया जाता है तो सार्जेण्ट को आप बुलाते। सेक्रेटरी साहब को यदि ऐसा आभास होता तो सार्जेण्ट को बुला सकते थे। तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं थी। सब बात साधारण तौर से हो गयी और होने के बाद में आफ्टर थॉट ऐसा किया गया है। माननीय अध्यक्षजी, यह सदन बहुत बड़ा, शक्ति सम्पन्न है और आसन उससे भी अधिक शक्ति सम्पन्न है और किन्हीं माननीय सदस्यों के लिए प्रतिशोध की भावना से इस प्रकार की

(श्री शिवनाथ सिंह)

कार्यवाही की जाय, वह कार्यवाही क्या, जैसा माननीय पूनमचन्दजी ने कहा (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, वे बीच-बीच में कैसे बोलते हैं ? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आपके पास अनेक रास्ते थे, यदि गम्भीर स्थिति होती, आप उस स्थिति का अंदाजा लगाते, उन रास्तों को आप अपनाते लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी, इसीलिये उन रास्तों को आपने नहीं अपनाया, न माननीय सदस्यों का आपने नाम लिया, न ही इनको बाहर निकालने की चेष्टा की। कुछ भी नहीं हुआ इसलिये कल की कार्यवाही सब शान्तिपूर्ण वातावरण में आराम से हुई। उसके बाद में इस प्रकार की सजा (व्यवधान) इस प्रकार की सजा, माननीय सदस्य चुनकर आये हैं। जनता का विश्वास उनमें है यदि आप इस प्रकार की कार्यवाही करके और सदन की शेष अवधि के लिये, जो पौने चार साल का समय अब है, उसके लिये इन माननीय सदस्यों को बाहर निकलवा दें, इनकी सदस्यता खत्म करने की बात आप कहें तो मेरे ख्याल से राजस्थान विधान सभा के इतिहास में सबसे काला कलंक होगा यह। आज तक हमने ऐसा कभी किया नहीं है और न हमको करना चाहिये (व्यवधान) यह सदन बहुत बड़ा है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप उलझा रहे हो मामले को वास्तव में।

श्री शिवनाथ सिंह : सदन बहुत बड़ा है, इसकी गरिमाएं बड़ी हैं।

एक माननीय सदस्य : आप मामले को उलझा क्यों रहे हो ? मामले को उलझा रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शान्ति बनाये रखें। (व्यवधान) शान्ति बनायें, माननीय, शान्ति बनाये रखें।

श्री शिवनाथ सिंह : हमको इतना टची नहीं होना चाहिए कि हम एक छोटी सी बात के लिये सदन का अपमान, और सदन का अपमान कभी होता ही नहीं है।

माननीय सदस्य खुद बैठे हैं, काहे का अपमान होगा। हम आपस में चर्चा करते हैं, वातावरण गरम होता है, फिर ठण्डा हो जाता है। इसलिये इस मामले में, मैं सदन के माननीय नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। यह जो इतना सख्त प्रस्ताव आपने पेश करवाया है, यह बहुत ही कठोर है और किसी के बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसलिये इस मामले में आप, जैसाकि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, इसको बैठकर शान्त मन से देखिये और शान्त मन से आप देखेंगे तो आपका हृदय भी इस बात का गवाह बनेगा कि हम बहुत कठोर प्रस्ताव लाये हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में आप बहुत उदार हैं। आपकी उदारता नहीं, पर सदन बहुत बड़ा उदार है और इसलिये सदन को इस मामले को इसी रूप में देखकर, इस प्रस्ताव को आप पेश न करें, न जोर लगायें। यह सदन इस प्रस्ताव को पास नहीं करे तो ही अच्छा होगा। यही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदन के नेता से प्रार्थना है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय श्री जगदीप धनखड़ और दूसरे राजेन्द्रजी अपनी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : ऐसा मत करवाओ साहब, इसको शान्तिपूर्वक निपटाओ। आपसे बुलवाओ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जगदीपजी धनखड़ ने अपनी बात कहने के लिये मुझे चिट दी है। इसलिये मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी बात कहें।

श्री शीशराम ओला : मैं सदन के माननीय नेताजी से निवेदन करूंगा कि इनको आप न बुलवायें। आप दोनों बात करके सलटायें। आप दोनों ही सलटा दें। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : जो प्रपोजल आये हैं (व्यवधान) कहने को बहुत कुछ है।

एक माननीय सदस्य : ऐसा मत करो आप।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) यह सदन के नेता उसको वापस गरमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, । मैं उनको ऐसा नहीं मानता_

श्री चन्दनमल बैद : तो फिर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि वे दोनों बोलेंगे तो वातावरण (व्यवधान)......

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मानने नहीं मानने का सवाल नहीं है, जो फैक्ट्स मुख्य सचेतकजी ने पेश किये हैं और झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पर कुछ प्रतिक्रिया प्रकट की है और उसमें कोई क्रिया-प्रतिक्रिया फिर कही जायेगी कि यह बात सही नहीं थी, यह बात सही है तो सदन का वातावरण गरम होने के फिर चांसेज हो जायेंगे। तो क्यों गरम करने की कोशिश कर रहे हैं।

राजस्थान विधान सभा के इतिहास में आप नौ बार यहां बैठे हैं, सात बार मैं भी बैठा हूं। आज तक कई बार बड़ी गरमागर्मियां हुई हैं। यहां तक कि महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथ से भी कागज छीने गये हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है इधर से भी हुआ है उधर से भी हुआ है और भी बहुत सी बातें हुई हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के मुकाबले में विधान सभा के सचिव की पोस्ट बहुत बड़ी हो, ऐसा मेरा मानना नहीं है। फिर कल मैं हाजिर नहीं था, इस वास्ते मैं उन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन घटनाओं के बारे में दो तरह की प्रतिक्रियायें तो आ चुकी हैं। एक मुख्य सचेतक महोदय की, एक झुंझुनूं जिले से आने वाले माननीय सदस्य की। इस वास्ते मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को इतना तूल नहीं दें और कम से कम राजस्थान विधान सभा में जो चालीस साल का, तियालीस साल का इतिहास है, उस इतिहास में आज तक ऐसी बात नहीं हुई है, बहुत से किस्से हुए हैं, आपने भी देखे और मैंने भी देखे। आपने मुझ से ज्यादा देखे हैं और आप प्रतिपक्ष में ज्यादा बैठे हैं, मैं प्रतिपक्ष में कम बैठा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान गया आपको। मैं मान गया। मैं आग्रह नहीं करता, बोलना चाहें तो बोल लें, आग्रह नहीं है_

श्री चन्दनमल बैद : बोलना चाहें का सवाल नहीं है, आप_

श्री शीशराम ओला : उनसे नहीं बुलायें, आप दोनों ही फैसला कर लें।

श्री चन्दनमल बैद : मेरा आपसे निवेदन है कि सारी चीज को शांति से सुलझाने की कोशिश करें और राजस्थान विधान सभा के इतिहास में कोई काला धब्बा लगाने की कोशिश नहीं करें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ : रोजाना बोलते हैं, आज उनको तकलीफ क्या हो रही है, इनको बोलना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है। मैं समझता हूं कि ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करें तो ज्यादा उचित रहेगा, एक बात। माननीय सदस्य, यह हाउस सुप्रीम है, इंडीविजुअल ....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक सैकण्ड, इतना तो है कि...

श्री परसराम मदेरणा : इंडीविजुअल माइंड का मेक-अप किसी का कुछ हो सकता है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह नहीं कह रहा हूं, इतना तो...

श्री परसराम मदेरणा : यहां उसका प्रदर्शन नहीं करना है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं...

श्री परसराम मदेरणा : यह कलेक्टिव, जो इस हाउस का विजडम, बड़प्पन है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वही होगा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : जो इस तरह का बड़ा दिल है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इतना ही मैं निवेदन करूंगा...

श्री परसराम मदेरणा : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं समझता हूं कि उसको ज्यादा चर्चा में नहीं डालना चाहिये और बातचीत से कुछ, जैसा कि आपने सुझाव दिया, अपने को इस सदन के अन्दर अच्छी परम्परायें स्थापित करने के लिये, अच्छी मर्यादायें जो पहले उत्तराधिकार में आपने ली हैं, हम उनको किसी तरह से बिलिटिल नहीं करना चाहते, उन मर्यादाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं इसलिये इससे ज्यादा चर्चा का कोई विषय ही नहीं है, जो बात कही है, मैं समझता हूं कि सदन के नेता महोदय, इस सम्बन्ध में जो आपको हमने सुझाव दिये हैं और जो हमने प्रतिक्रियायें व्यक्त की हैं, आप इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि इस विषय पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय,...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, भाभड़ा साहब, एक मिनट, इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि माननीय सदस्य टोकने के बाद भी बोलते थे और आज कहने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं, इतना तो असर हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज जो प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है, इस प्रकार का प्रस्ताव आना, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज का प्रस्ताव प्रतिशोध की भावना से कतई नहीं लाया गया...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय, सुनें आप सबको तसल्ली से सुनने की क्षमता भी रखें, यह आपसे प्रार्थना है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं जिस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह इन सब घटनाओं से परे है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सदन का अपमान हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम आपस में बात करते हैं। मेरी सोच सदन में तथ्यों को लेकर नहीं है। मेरा सोच यह है कि इस सदन का अपमान नहीं होता लेकिन सदन जिसको अध्यक्ष बनाकर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बैठाता है और इस आशा से बैठाता है कि अध्यक्ष सदन का संचालन नियमों और परम्पराओं के अनुकूल करेगा इस विश्वास के साथ, और इसलिये सदन की परम्परा हमेशा यह रही है कि अध्यक्ष की व्यवस्था को कभी चुनौती नहीं दी जानी चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनौती देने वाला भी कहता है, मैं आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहा हूं मगर..(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : पुनर्विचार के लिये कहते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मगर करके चुनौती देता है। वैसे चुनौती नहीं देते लेकिन मगर करके फिर उसको अपरोक्ष रूप से चुनौती देते हैं, सीधे-सीधे नहीं देते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जिस समय कल माननीय सदस्यों ने उठ कर अपनी बात कहने की कोशिश की और माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दे दी, स्पष्टीकरण भी दे दिया कि चूंकि इस सदन में चर्चा हो चुकी है इसलिये मैं इस पर दो मिनट बोलने की स्वीकृति नहीं देता। मैंने स्वयं, ऑन रेकार्ड है यह बात, माननीय लक्ष्मणसिंहजी को कहा था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिये अन्य तरीके हैं और उसमें कॉल-अटेंशन मेरे पास था, मैं कहना चाह रहा था लेकिन उन्होंने सुना नहीं कि आज आप काल अटेंशन दीजिये, कल उस पर स्टेटमेंट आ जायेगा, चर्चा हो जायेगी क्योंकि माननीय सदस्य ने यह कहा था कि प्रश्न लगाने का समय नहीं है, दस दिन का हाउस नहीं है, ठीक बात थी। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आयेगा नहीं लेकिन कॉल-अटेंशन था और जहां तक मुझे पता है। आपके प्रतिपक्ष के सचेतक को इस बात का पता था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिये अपनी स्वीकृति उनको दे चुके थे इसलिये चर्चा नहीं कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। सवाल यह था कि जब माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद सदस्यों का व्यवहार क्या रहा ? सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार तो यह रहा कि तीन-चार सदस्यों ने खड़े होकर यह कहा कि हम सदन को चलने नहीं देंगे। यह जो भाषा आप बोलते रहिये, माननीय अध्यक्ष आपको मना करते रहे, आप बोलते रहे, अंकित होगा, नहीं होगा, यह चलता रहता है लेकिन बार बार..

श्री चन्दनमल बैद : यह बात इस सदन में एक बार नहीं हुई, हजार बार हुई है। इस तरफ से, उस तरफ से कही जाती रही है और आप अपने सदन के नेता हैं, उन्होंने कही है, यह रेकार्ड पर होगी बात, नयी बात क्या हुई ? क्या फरमा रहे हैं आप। नहीं आप फरमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? यह बात बहुत हो चुकी है..(व्यवधान)..

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुनना नहीं चाहते ? देखिये, यदि आप सुनना ही नहीं चाहते..

श्री अध्यक्ष : माननीय पूरी बात सुनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो फिर प्रस्ताव की जो व्यवस्था है, उसको चलने दीजिये। अब मैं किसी बात को कह रहा हूं, आप उसको सुनने को भी तैयार नहीं हैं, यानि मैं सदन का ध्यान उस गम्भीर, समस्या की ओर आकर्षित कर रहा हूं, मैं चूंकि अध्यक्ष रहा हूं और माननीय विश्नोईजी भी अध्यक्ष रहे हैं। समस्या अध्यक्ष के सामने आती है। जब कोई एक माननीय सदस्य पूरे सदन की कार्यवाही को रोककर चुनौती के स्वर में बोलता है कि मैं सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा तब माननीय अध्यक्ष क्या करें ? उस समय अध्यक्ष क्या करे ? यानि उनको चलने दो..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उनको चलने दे कि वे सदन की कार्यवाही नहीं करें, सदन की कार्यवाही आगे बिलकुल नहीं करे? (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जबकि अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह न केवल...(व्यवधान)...

श्री चन्दनमल बैद : आपके नेता से पूछिये कि उन्होंने कितनी बार ये शब्द यूज किये हैं। उनसे पूछिये ना आप। अपने नेता से पूछिये कि कितनी बार उन्होंने ये शब्द यूज किये हैं?

श्री शीशराम ओला : आप भी यहां बैठते थे, आपने भी किये हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बात सिद्धान्त की कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय बाद में कोई बात पूछना चाहे तो पूछिये। पहले कोई भी माननीय सदस्य बोलें तो उन्हें बोलने दीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, यदि इस सिद्धान्त को आप स्वीकार नहीं करते और यह चाहते हैं तो चलाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके परिणाम जो निकलते हैं उसके लिये चिन्ता क्यों करते हैं आप ? एक ओर तो आप यह कहते हैं कि अगर चलना चाहिये, चलेगा तो फिर उसके परिणाम भी निकल सकते हैं और निकलते-निकलते वे किस स्तर तक जा सकते हैं, वह प्रस्ताव आज आपके सामने है... (व्यवधान)... यह उसका परिणाम है।

सदन में जब कुछ सदस्य हेविच्युअल, आदतन बार-बार खड़े होकर या आदतन (व्यवधान).......

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये। माननीय सदस्य, बहुत दिनों से आये हैं, बिराजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष की डेस्क पर आकर, मैं आदतन की बात कर रहा हूं, कभी-कभी होता है, समझ में आता है लेकिन वे जब यह समझते हैं कि विधान सभा का मतलब ही यही है कि जो बात मैं कहूंगा वह सदन को सुननी ही पड़ेगी, अध्यक्ष को मेरी बात के लिये अनुमति देनी ही पड़ेगी, मैं समझता हूं कि इस सोच को मानकर अध्यक्ष उनको बनाया नहीं गया। अध्यक्ष का चुनाव इस सोच के साथ हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष अपने विवेक के जो आदेश या व्यवस्था दे, उस व्यवस्था को पूरा सदन सुने और उसको माने।

यदि यह व्यवस्था नहीं रही तो फिर आपका प्रजातंत्र कैसे रहेगा? यह भी मेरी समझ में नहीं आयी। फ्रीडम ऑफ दी स्वीच कांस्टीट्यूशन में आपको दी है लेकिन क्या वह ऐसी फ्रीडम है कि जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं बाहर भी और सदन में भी ? सदन में यह व्यवस्था की गयी है कि अपनी मर्यादा और अपने सदस्यों के आचरण पर सदन स्वयं अंकुश रखेगा। आपको यहां बोलने का प्रिविलेज है, आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं बाहर वाले पर, आप पर मुकद्मा नहीं चलेगा, उसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जायेगा। यह छूट आपको दी है मगर इस छूट के साथ में यह अंकुश लगाया है कि कोई भी माननीय सदस्य यदि ऐसा आचरण करेगा कि जो मर्यादित नहीं है तो यह सदन ही उसको दंडित कर सकता है और कोई कोर्ट दंडित नहीं करेगा, सदन करेगा। यह व्यवस्था इसलिए की है कि आप एक मर्यादा में रह कर के अपनी बात कहें। आप यदि डिबेट करते हैं, कोई आपत्ति

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

नहीं है मगर आप डिबेट तो करें नहीं और किसी को बोलने दें नहीं, मैं समझता हूं इन बातों पर गम्भीरता से विचार करिये और जब तक आप इन पर गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तब तक यह इस तरह के हंगामे होंगे और इस तरह के प्रस्ताव आते रहेंगे और फिर आप बीच में बैठकर समझौता करते रहिये ।.. (व्यवधान).. यही परम्परा है कि अब इस तरह के प्रस्ताव आते रहें और फिर हम समझौता करें और फिर दुबारा आये, तो मैं समझता हूं यह हमेशा के लिये ठीक भी नहीं है। यदि आप तय ही करना चाहते हैं, यदि प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता मिलकर तो हमेशा के लिये तय करिये कि कहीं न कहीं तो हम अपनी मर्यादा बनायें।

कल का दृश्य एक सबसे बड़ा अजीब यह था कि जो नेता आपके प्रतिपक्ष के थे उनकी बात नहीं मान रहे थे। वह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप पोडियम पर मत जाइये। अभी शिवनाथ सिंहजी ने कहा कि अध्यक्ष को सार्जेण्ट बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कितना गलत बयान किया है। पूरी कोर्डन लगा कर के यहां पर सुरक्षा प्रहरी खड़े थे। अध्यक्ष के आदेश के बिना कोई अन्दर आ ही नहीं सकता। अध्यक्ष ने आदेश देकर के सार्जेण्ट को बुलाया, सार्जेण्ट ही नहीं बल्कि अपने पूरे पोडियम के सामने सुरक्षा प्रहरियों की लाइन खड़ी कर दी जिसको तोड़ कर के और आगे आने की भी कोशिश, कशमकश होती रही। तो इसलिए यह कहना गलत है। और फिर अध्यक्ष की रक्षा कौन करेगा? यदि आप, अध्यक्ष इस तरह से छूट कर देंगे कि कोई भी चार-पांच आदमी मिलकर.. (व्यवधान)..तो मैं समझता हूं..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बेकार की बात कर रहे हैं सारी।

श्री अध्यक्ष : यह बात सही कह रहे हैं, आप तसल्ली से सुनें, माननीय। (व्यवधान).. सबसे ज्यादा गंदा व्यवहार आपने किया, परसादी लालजी। (व्यवधान).. आप बोलने से रोक नहीं सकते।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसको ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर गलत बोलेंगे तो रोकेंगे।.. (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आप नहीं रोक सकते। मैं अनुमति दूंगा तब रूकेंगे आप। आप बैठ जायें।.. (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, कल भी इन्होंने यह कहा.. (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : यह + + + नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।.. (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : + + +क्या है इसके अन्दर?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति दूंगा आपको।.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी + + +में आप हो गये क्या? (व्यवधान).. जैसा कि आपका नाम है, उसका थोड़ा परिचय तो दीजिये।.. (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आप किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते।.. (व्यवधान)..

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री देवीसिंह भाटी : आपके कोई काबू में है क्या ? अभी बातें ठोक रहे थे ऊंची-ऊंची, काबू में आपके एक भी नहीं है।...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : निकाला जाए, धनखड़जी को बाहर। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप बोलें जब हम तो सुनें और हमारी ओर से कोई बोलता है तो आपके काबू में एक नहीं है। (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल : आपके नेता महोदय बोल रहे थे, हम शांति से सुन रहे थे, कोई व्यवधान हमने पैदा किया नहीं। (व्यवधान)... हम शांति से सुन रहे हैं तो आप भी शांति से पहले सुनिये।...(व्यवधान)...

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : आप व्यवधान डालेंगे तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे। ...(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और यह परिस्थिति आज नहीं है, हर अध्यक्ष के सामने यह परिस्थिति आती रही है और उन्होंने अपने विवेक से उसको सुलझाया है। यही तो परम्परा रही है कि यह परिस्थिति बार बार पैदा हुई है और अध्यक्ष ने हमेशा अपने विवेक से उसको सुलझाने की कोशिश की है। और इसलिए बावजूद उसके कि कई अध्यक्षों को निष्कासन करना पड़ा है, माननीय विश्नोईजी को भी उस दिन 6 आदमियों का निष्कासन करना पड़ा था। तो अध्यक्ष तो हमेशा चाहता है कि मिनिमम अपने अधिकारों का प्रयोग करे और हम अपने व्यवहार से यदि अध्यक्ष को बाध्य करते हैं कि वो कड़े से कड़ा कदम उठाये तो मैं समझता हूँ यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अध्यक्ष की रक्षा के लिए किसी हद तक जाय, यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। जब-जब सत्ता पक्ष को यह लगता है कि अध्यक्ष का आसन सुरक्षित नहीं है, कोई दो-चार माननीय सदस्य खड़े होकर जब चाहें तब पोडियम पर आ जायें, जब चाहें तब छीनाझपटी करने की स्थिति पैदा कर दें या आक्रामक रवैया ही बतायें, वो मारते हैं कि नहीं मारते, यह तो उनकी मन की बात है लेकिन इस प्रकार का आक्रामक रवैया बताना, मैं समझता हूं कि उससे हमारा सशंकित होना स्वाभाविक है। यह मैं भुगत चुका हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा किया है और उस समय फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो अध्यक्ष तो हमेशा अपने विवेक से काम लेगा परन्तु... (व्यवधान)... पक्ष और प्रतिपक्ष, इन दोनों को भी इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। क्योंकि सत्ता पक्ष की, जैसा मैंने आपको निवेदन किया आखिर अध्यक्ष अकेले हैं, अध्यक्ष के लिए कोई न कोई तो उनकी मदद पर आयेगा और सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी है इसलिए इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने की जरुरत पड़ती है। यद्यपि यह अच्छी बात नहीं है, हम उसको कोई बड़ी प्रसन्नता से ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस विधान सभा में इस तरह की घटनाएँ हों, यह कोई नहीं चाहता लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ माननीय सदस्य जो यह मानकर बैठे हैं कि यह सदन मेरे ही अधिकार में रहेगा, मैं जब चाहूँ तब बोलूंगा, अध्यक्ष व्यवस्था दे देंगे उसके बावजूद भी बोलता रहूँगा और सदन को बार-बार यह कहे कि मैं सदन की कार्यवाही चलने नहीं दूँगा, ऐसे जब हेबिचुअल सदस्य पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से कड़े से कड़ा कदम उठाये बिना उसका इलाज होता नहीं है। ...(व्यवधान)...इसलिए जब भी आप सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बैठ कर के विचार करें तो इन समस्याओं पर विचार करें। आप सदस्यों के आचरण का मर्यादित करने के लिए विचार करें, उनको अमर्यादित करने की छूट नहीं दें परम्पराओं के नाम पर।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, यदि यही हालत हुई तो आप स्वयं, जो पुराने माननीय सदस्य हैं जानते हैं कि आज हमारा स्तर कहां से कहां पहुँच गया। यह आज सारे देश की चर्चा का विषय है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेम्बली हो। अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश की विधान सभा की बात कर रहे थे, क्या आप उसको अच्छा समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि चलना चाहिये? क्या आप प्रजातंत्र के नाम पर इसकी छूट देंगे?

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह समझता हूं कि वह बहुत गलत भी नहीं है, वह भर्त्सना करने लायक भी नहीं हैं बिल्कुल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत शर्म की बात है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो मैं कहता हूँ कि जो बात शर्म की बनने जा रही है उसको कहीं न कहीं तो आप स्टॉप लगायेंगे, कहीं न कहीं तो रोकने के लिए आप सोचेंगे। और चाहे विधान सभा सोचे या न सोचे, पार्लियामेंट के माननीय सदस्य सोचें या न सोचें, मगर राजस्थान विधान सभी की जो उज्जवल परम्परायें रही हैं, इस पर हमारे पर यह दायित्व है कि हम इस बात पर गम्भीरता से सोचें कि किन्हीं माननीय सदस्यों को यह छूट नहीं हो कि वह अमर्यादित आचरण करते ही रहें और यदि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की तो प्रजातंत्र की दुहाई देकर या उसका नाम देकर या परम्परा की दुहाई देकर हम उनका प्रोटेक्शन करने की कोशिश करें, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

आप यह कह सकते हैं कि सदन को सत्तापक्ष को भी और माननीय नेता को भी कि इसमें हम को उदारता रखनी चाहिये, हम उसमें बहुत ज़्यादा कठोर न हों, यह बात सही है। लेकिन इसके नाम पर आप यह कहें कि जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। और प्रजातंत्र के अनुकूल हो रहा है, मैं समझता हूँ इस पर गम्भीरता से विचार करिये। और जिस समय भी हमारे सदन के नेता से आपके प्रतिपक्ष के नेता बातचीत करें इस पर गम्भीरता से विचार करें और हम भी इनट्रोस्पेक्शन करें।

अब यहां जब हम सब माननीय सदस्य बनना चाहते हैं और इस सदन को कहते हैं कि सर्वोच्च सदन है, इसकी बड़ी गरिमा है और जब दुनिया के अन्दर वी बिकम ए लार्फिंग स्टॉक, कि जब एक सामान्य पंचायत में हमारी मजाक उड़ती है, लोग यहां तक कहने लगे पंचायत में कि यह विधान सभा नहीं है, पंचायतों की मीटिंग में यह चर्चा होने लगी है कि इसको विधान सभा मत बनाइये। इस तरह से उदाहरण दिये जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये।

आप इसको देखिये मैं किसी बात को न तो किसी प्रतिशोध की भावना से बता रहा हूँ मैं केवल सैद्धांतिक बात कि जिस पर आपको आत्म चिंतन प्रत्येक माननीय सदस्य को करने की आवश्यकता है। यदि हम इस सदन को सर्वोच्च मानते हैं, यदि हम इसकी गरिमा को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, इसकी गरिमा बनाये रखना चाहते हैं तो हमें अपने आचरण पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। सदन के नियम, सदन की परम्पराओं को समझना पड़ेगा और अध्यक्ष का आसन जो हमने स्वयं सर्वोच्च माना है उस आसन का अपमान यहां वैल में आकर या कहीं से भी, किसी भी प्रकार से यदि हमारे आचरण से होता है, शब्दों से होता है, हम शालीनता से नहीं बोले, जो चाहें सो बोले, अब इस तरह की यदि स्थिति बनी तो इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। और मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का प्रस्ताव लाना सत्ता पक्ष की मजबूरी थी। यह मजबूरी है हमारी कि हम इस बात को लाकर आपके सामने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रखें कि आप इस बात पर गम्भीरता से विचार करिये कि किस हद तक हम जा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन तो यही है कि माननीय सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता अध्यक्ष महोदय के पास बैठ कर के बातचीत करें और इसमें से कोई हल निकलता हो, रास्ता निकलता हो तो अवश्य निकालें मगर यह मर्यादा इस सदन की बनी रहनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर प्रति पक्ष के नेता ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मैं केवल उसी प्रसंग तक अपने आपको सीमित रखूंगा। यह बात सही है कि साधा घटनाक्रम मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा और इसलिये उस घटनाक्रम के विषय में कोई चर्चा करना नहीं चाहता। यह बात भी सही है कि इस प्रकार का प्रस्ताव विधान सभा में शायद दूसरी बार आया है। पहली बार इसी भाषा में प्रस्ताव आया था। अगर सदन की अनुमति हो तो वह पाँच लाइनें पढ़कर सुना दूं ताकि थोड़ी जानकारी भी हो जाये और हम आगे निर्णय लें उसमें हमें थोड़ी मदद भी मिल जाये।

"श्री खेत सिंह राठौड़ : 10 मार्च, 1983, अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 10-3-83 को सदन में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी अपने गले में एक तख्ती लटकाकर आये थे जिसमें सदन के नेता परिवार के विषय में निम्नलिखित अंकित किया गया था। राजस्थान के मुख्य मंत्री माथुर की बेटी मंजू के साथ सामूहिक बलात्कार सेना के जवानों द्वारा। यह बात अत्यधिक अशोभनीय एवं सदन की गरिमा को गिराने वाली है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी को सप्तम विधान सभा की सदस्यता से शेष अवधि के लिए निष्कासित किया जाये।"

श्री राधेश्याम : उस वक्त भाटीजी से आपको प्यार नहीं था। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जिस समय इस विषय पर चर्चा इस सदन में हुई। चर्चा में दोनों पक्ष आये, क्या तख्ती लगाना अपराध है? तख्ती लगाना अपराध नहीं है तो तख्ती पर किस प्रकार की भाषा की प्रयोग किया जा सकता है और क्या वह भाषा आपत्तिजनक है और आपत्तिजनक भाषा के साथ तख्ती लटकाकर कोई सदस्य इस सदन में आये तो किस प्रकार का अपराध है? पूरी डिटेल्स में इसके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद निर्णय यह हुआ कि माननीय सदस्य को स्थायी रूप से सदन की कार्यवाही से निलम्बित नहीं किया जाये या शेष अवधि के लिये सदन से निष्कासित नहीं किया जाये।

अब ऐसी स्थिति में यह दूसरा प्रस्ताव है। अब आप यह कह सकते हैं कि जिस समय श्री देवीसिंह भाटी के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था, उस समय सदन की मर्यादा का प्रश्न सबसे ज्यादा प्रमुख था। किस सदस्य ने तख्ती लटकायी? क्यों तख्ती लटकायी? तख्ती के ऊपर क्या लिखा हुआ था? यह प्रश्न नहीं था, क्वेश्चन था की सदन की मर्यादा का, कि तख्ती लटकाने से सदन की मर्यादा का हनन हुआ है। तख्ती पर अमुक प्रकार के वाक्य लिखने से सदन की मर्यादा का हनन हुआ है और मर्यादा का इतना हनन हुआ है कि उसकी क्षति-पूर्ति नहीं हो सकती, जब तक माननीय सदस्य की शेष अवधि के लिये सदस्यता निरस्त नहीं की जाये। दोनों चीजें साथ थीं। अब एक तरफ आरोप की ग्रेविटी थी और उस आरोप की ग्रेविटी से सदन की मर्यादा को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किस प्रकार से सुरक्षित किया जाय उसके लिए पनिशमेंट देकर हम उस मर्यादा को सुरक्षित कर सकते हैं। अब उसमें कोई यह कहे कि व्यक्तिगत द्वेष था, मैं समझता हूँ, नहीं था। चाहे सत्ता पक्षा की तरफ से कोई प्रस्ताव आया हो, उसमें व्यक्तिगत द्वेष नहीं था और व्यक्तिगत द्वेष होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रस्तावक खेतसिंह जी और जिनके विरुद्ध, देवीसिंह जी के विरुद्ध प्रस्ताव लिखा गया, दोनों रिश्तेदार हैं। इसलिये यह तो कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया..(व्यवधान)

डा. हरिसिंह (फुलेरा)..भाई– भाई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसे रिश्तेदार हो जायें तो दुश्मन ही दुश्मन होंगे, बात ही क्या है ?

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : आप अपने पर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं, वह नहीं कही है मैंने तो यूं कही है कि खेतसिंहजी और उसमें, दोनों में लड़ाई भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्तेदारी भी हो सकती है। मैं ऐसी बात कह रहा था।

श्री चन्दनमल बैद : सारी बात आप पढ़कर सुना रहे थे, उस समय आप प्रतिपक्ष के नेता थे। अपना भाषण भी पढ़कर सुना दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं आपको। मैं सारा बता रहा हूँ। मेरा भाषण अगर आप पढ़कर सुनाने की अनुमति दें तो शायद बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इसलिये कह रहा हूँ कि आज जो यह कहा गया है कि व्यक्तिगत वैमनस्यता से कोई प्रस्ताव रखा जाता है, आखिर सदन की गरिमा का प्रश्न जब कभी भी सदन में आयेगा तो व्यक्तिगत वैमनस्यता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता..(व्यवधान) आप सुन लीजिये। व्यक्तिगत नहीं होती। आज धनखड़ साहब ने कोई मुझे गाली नहीं निकाली। स्पीकर साहब को गाली नहीं निकाली। आज किसी और सदस्य को गाली नहीं निकाली। आज यह दोनों सदस्य, राजेन्द्र हैं, वह सीकर वाले, अब वह तो बिल्कुल छोटे भाई की तरह से हैं, वह मुझे गाली निकाल नहीं सकते। मेरा अपमान कर नहीं सकते। धनखड़ जी मुझे गाली नहीं निकाल सकते। मेरा अपमान कर नहीं सकते। इसलिये व्यक्तिगत कोई अपमान और व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न नहीं है। हम सामूहिक रूप से जो कुछ अपना व्यवहार है, उस व्यवहार से इस सदन के प्रति उसका सम्मान करते हैं या उसका अपमान करते हैं, यह प्रश्न आता है और यदि यह प्रश्न आता है कि किसी भी मेम्बर के एक्शन से, किसी भी मेम्बर के आचरण से सदन का अपमान हुआ है या नहीं हुआ। सदन का अपमान हुआ है तो किस सीमा तक हुआ है, उस अपमान से सदन को बचाने के लिये किस प्रकार की सजा प्रस्ताव करानी चाहिये ताकि माननीय सदस्य भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि सदन का अपमान, जिसका भी अपने आप में कोई मूल्य है और सदन की जितनी गरिमा हम रखना चाहते हैं, उस प्रकार की गरिमा रखना हमारे लिये आवश्यक है।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आज जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के संबंध में विपक्षी नेता ने, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हमारा मुख्य प्रश्न किसी मेम्बर की सदस्यता समाप्त करना न होकर इस हाउस की गरिमा भविष्य में किस प्रकार से बचे, उसका आधार यह होना चाहिये। अब इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि आज दो मेम्बर्स को यदि हमने निष्कासित कर भी दिया तो क्या इस बात की कोई गारंटी हो सकती है कि सदन की गरिमा के विरुद्ध कभी भी कोई सदस्य

९५

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आचरण नहीं करेगा। यह कोई गारन्टी नहीं हो सकती। सजा एक सीमा तक काम करती है लेकिन आदमी के मन के भाव सीमा के बाहर काम करते हैं और ऐसी स्थिति में मैं ज्यादा न कहकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ जो कुछ प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के संबंध में अध्यक्ष महोदय, अभी आप अपने निर्णय के लिये उसको सुरक्षित रख लें और मैं विपक्ष को, प्रतिपक्ष को और बाकी सारे सदस्यों को आमन्त्रित करना चाहूंगा कि हम आपस में मिलकर किस प्रकार से सदन की गरिमा सुरक्षित रहे, उस के संबंध में व्यवस्था के रूप में कुछ इस प्रकार के निर्णय लेलें, ताकि भविष्य में हममें कटुता भी पैदा नहीं हो, समय भी व्यर्थ में जाये नहीं। हम सबसे चाहते हैं कि जो भी राजस्थान के सामने ज्वलन्त समस्यायें हैं, उन ज्वलन्त समस्याओं के ऊपर हम चर्चा करें।

आप मानेंगे नहीं, मैंने इस विधान सभा में सबसे ज्यादा मेहनत परसों रात को की। मैंने इस विधान सभा में सबसे ज्यादा मेहनत परसों रात को की। मैंने कहा, जितने भी अन्तरराष्ट्रीय, अन्तर्राज्यीय समझौते हैं, उन समझौतों के ऊपर एक बार हाऊस में डिबेट की जाये। यमुना के पानी के ऊपर डिबेट की जाये, राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, भांखड़ा, इनका पानी किस प्रकार से मिल रहा है, इस पर चर्चा की जाए। नर्मदा के मामले में किस प्रकार से चर्चा की जाए, सब चर्चा करने के लिये हम आये हैं। मुझे खेद है कि हम चर्चा नहीं कर पाये।

मैं इसलिये कहता हूं कि सदन में चर्चा होगी। मैं उन व्यक्तियों में हूँ जो ज्यादा से ज्यादा बैठता हूं। माननीय सदस्यों के प्रश्नों को सुनता हूं, देखता हूं, उनको नोट करता हूँ और सरकारी कार्यालय में जाकर उसको किस प्रकार से दुरुस्त किया जाये, उसकी कोशिश करता हूँ।

मैं माननीय सदस्यों को भी कहता रहता हूँ जो इस सदन में ज्यादा से ज्यादा बैठेगा, वह ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। यहां व्यक्तिगत कोई अध्यापक नहीं है। यह सदन सारे विधायकों का अध्यापक है। यहाँ जो बैठेगा, वह ज्यादा सीखेगा। यहाँ बैठकर जो कुछ सीखा है, उस सीखने वाली बात की पुष्टि के लिये अध्ययन करेगा। वह सबसे ज्यादा अच्छा विधायक है। इस विधान सभा में या कहीं भी होगा, वह साबित होगा। और इसलिये मैं प्रतिपक्ष के नेता की बात को इस सीमा तक स्वीकार करता हूं कि सदन की गरिमा बनाये रखने के लिये हमें आपस में बैठकर इस प्रकार की चर्चा कर लेनी चाहिये कि भविष्य में सदन की गरिमा सुरक्षित रहे और इस आधार पर जो प्रस्ताव चीफ व्हिप ने रखा है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने ही कक्ष में बुलाकर हम सब लोगों के साथ बैठकर इस पर चर्चा कर लें और इस विषय को इस समय स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : आगे की कार्यवाही ले लें। चैम्बर में मिलकर के बात कर लें। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे को मेरी बात कहने दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने शून्यकाल में आपसे स्वीकृति मांगी थी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 295, बिराजें आप। श्री राजेन्द्र जी गहलोत।...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे बोलने का क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए पुकारा गया है फिर बन्द क्यों कर दिया?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अकेले की स्लिप थी, बहुत देर तक इन्तजार कर लिया बिराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बोल रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल भी इसी विषय पर बोलने खड़ी हुई थी। आपने शून्यकाल में बोलने के लिए मुझे मना किया। जो हमारे माननीय सदस्य धनश्याम जी तिवाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष वालों को बोलने नहीं देंगे। मैं आज फिर पूछना चाहती हूँ कि आज की जो दैनिक नवज्योति है उसमें फिर आया है कि नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि उस हड़ताल का क्या हुआ? क्योंकि पीलिया फैल रहा है बहुत ज्यादा, जयपुर शहर में मलेरिया फैल रहा है इसलिए उस बारे में क्या हुआ? हड़ताल है कि नहीं है, हड़ताल है तो कब बन्द हो रही है? क्या है उसकी स्थिति? यह मैं जानना चाहती हूं। और यह बहुत ही अविलम्ब महत्त्व का विषय है। इसलिए इसके बारे में भी अभी जानकारी चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष : 295, श्री राजेन्द्रजी गहलोत।

श्री रामनारायण : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको शून्यकाल में बोलने के लिए स्लिप दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं आपको आज। यह आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। माननीय आप बोलें 295 में। (व्यवधान) कोई रिसेंट आकरेंस नहीं है।

आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन हो गये लगातार शून्यकाल खत्म करते हुए।

श्री रामनारायण (नैनवां) : शून्यकाल खतम करने की आपकी व्यवस्था के खिलाफ मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं। (व्यवधान)

(श्री रामनारायण, सदस्य, द्वारा सदन से बहिर्गमन।)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन लगातार शून्य काल खतम कर दिया हमारा आपने फिर हम किसके तहत

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये मुझे आज बहुत बिजनस लेना है। आगे देख लेंगे। 295

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय, माउन्ट आबू की संदिग्ध गतिविधियाँ

श्री राजेन्द्र गहलोत : (सरदारपुरा) : महोदय, माउन्ट आबू प्राचीनकाल से ही आध्यात्मिक एवं भौगोलिक महत्त्व के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। यहां का पर्यावरण और विभिनन पहाड़ियों-पर्वत श्रृंखलाओं का नैसर्गिक स्वरूप अरसे से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की छवि पेश करता आया है, मगर यहां पिछले कुछे अर्से से प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की संदिग्ध गतिविधियों के कारण क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आना शुरू हो गया है। यह बदलाव माऊन्ट आबू की आन-शान के लिए एक गम्भीर खतरा प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं विशेष उल्लेख के जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि—

(1) माऊन्ट आबू में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय काफी लम्बे समय से अपनी गतिविधियां चला रहा है। एक तरह से

96

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

इन लोगों ने माऊन्ट आबू को ही अपना केन्द्र बिन्दु बना रखा है, लेकिन जो गतिविधियां परोक्ष रूप से इन लोगों द्वारा संचालित की जा रही हैं वे संदिग्ध प्रतीत होती हैं।

(2) इन लोगों ने अनाधिकृत रूप से बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की जमीन खरीदने का काम किया है। गैर कानूनी रूप से पेड़ों की कटाई और लाखों लीटर पानी व्यर्थ करने का काम भी इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। और तो और इनकी गतिविधियां इतनी फैल गयी हैं कि वेटिकन सिटी पोप के साम्राज्य की तरह माऊन्ट आबू में भी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व-विद्यालय का साम्राज्य बनता जा रहा है। लगता है कि धीरे-धीरे यह क्षेत्र राजस्थान की संस्कृति और पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र होने की बजाय ब्रह्मकुमार और ब्रह्मकुमारियों की नवीन संस्कृति का केन्द्र बनकर ही रह जाएगा।

(3) इन लोगों पर भारतीय संस्कृति को अपभ्रंश करने के लिये अपनी गतिविधियां चलाने का सन्देह किया जा रहा है। ऐसे संकेत भी मिले हैं कि संस्थान के अनुयाइयों के रूप में कुछ विदेशी नागरिक भी गतिविधियों में लिप्त हैं और इन लोगों के रूप में पाकिस्तानी खुफिया एंजेसी आई.एस.आई. के लोग भी घुसपैठ कर चुके हैं।

ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी है कि माऊन्ट आबू के प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों की सूक्ष्म जाँच करवायी जाय। यह पता किया जाना चाहिए कि संस्थान के उद्देश्य क्या हैं? उसका पंजीकरण राज्य सरकार से हुआ है या केन्द्र सरकार से? इसके अनुयायी ब्रह्मकुमार और ब्रह्मकुमारियों देश के किस प्रदेश और जिले से सम्बन्धित हैं। इनकी गतिविधियों से धार्मिक एवं शैक्षणिक उद्देश्यों की कितनी पूर्ति हुई है? इन लोगों के पास धन कहां से आता है? संस्थान का अंकेक्षण किस विभाग द्वारा करवाया जा रहा है? यदि आडिट नहीं हुआ है तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

महोदय, इन लोगों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण माऊन्ट आबू अपना मौलक स्वरूप खोता चला जा रहा है। इनकी गतिविधियां देश की संस्कृति व सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि इन लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाय और इनकी एक-एक गतिविधि की बारीकी से जांच की जाए। साथ ही सरकार यह जांच करवाये कि सन् 1970 से 31 मार्च 1995 तक इन लोगों ने अनुसूचित जाति-जनजाति के किन-किन लोगों की जमीनें खरीदीं और इन्हें भूमि का स्वामित्व किस आधार पर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए उपयुक्त मुद्दों पर तत्परता से ध्यान देगी ताकि समय रहते संभावित खतरे से बचा जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी।

नाबालिग लड़की बरामद करने बाबत

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रामकटोरी बेवा गयाजीत, निवासी नकरा का पुरा, मजरा खेडली, हाल आबाद झारपुरा, मजरा मालोनी खुर्द, तहसील धौलपुर थाना कौलारी, जिला धौलपुर को पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान तथा दामोदर निवासी, हैदलपुर एवं साहबसिंह जाट, पुरैनी ऋण से भैंस दिवलाने के बहाने से सांसद झालावाड़ के पास धौलपुर के महलों में ले गये एवं भैंस के ऋण के बहाने से खाली

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

कागजों पर अंगूठा लगवाया। उसके बाद उक्त प्रधान ने सांसद झालावाड़ के प्रभाव को काम में लेकर धौलपुर पुलिस अधिकारियों पर दबाव डलवा कर नाबालिग लड़की जिसका मेडिकल होने पर मेडिकल जांच में भी नाबालिग ही माना गया है उस लड़की जनकदेवी को उसके फूफा पंचत सिंह के यहां से जिन्होंने जनकदेवी को गोद ले रखा था, से लाकर बजाय उसकी माँ रामकटोरी को सुपुर्द करके अन्य व्यक्तियों दामोदर व बंगाली निवासी हैदलपुर, थाना कौलारी को पुलिस द्वारा मिली भगत से संभला दिया और पुलिस ने कागजों में लड़की को मां को सुपुर्द करना दर्शाया गया है। इसके अलावा इस दौरान श्रीमती रामकटोरी को 25 दिन तक उक्त व्यक्तियों ने अपने घर में जबर्दस्ती बिठाये रखा तथा श्रीमती रामकटोरी व उसके लड़के जगन्नाथ के साथ मारपीट भी की।

पुलिस को कई बार निवेदन करने के बावजूद भी अभी तक लड़की उसकी मां रामकटोरी को नहीं सौंपी गयी है। यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं नाबालिग लड़की से सम्बन्धित है। अतः उक्त लड़की जनकदेवी को ग्राम हैदलपुर से बरामद कर लड़की की सुरक्षा एवं सुरक्षित भविष्य के लिए उसकी मां रामकटोरी को संभलाया जावे। रामकटोरी के खाली कागज पर घर करवाये गये अंगूठे के निशान के आधार पर सांसद झालावाड़ के नाम की दरख्वास्त लिखाकर उसी आधार पर दर्ज करवाये गये गलत मुमदमें को सही जांच करवा कर न्याय दिलावें एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही कराये जाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री कमल जी।

जिला परिषद सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार

श्री कमल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैं, विधान सभा की कार्य संचालन प्रकिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान जिला सवाई माधोपुर में जिला परिषद् में पनप रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर में स्थानीय जिला परिषद् में जिला प्रमुख व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गया है। ये दोनों मिल कर 1989 के विज्ञापन के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करने की फिराक में हैं तथा एक व्यक्ति से 30 से 40 हजार रुपये तक की मांग जिला प्रमुख द्वारा की जा रही है तथा स्थानान्तरण चाहने वाले व्यक्तियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र के भी पैसे वसूले जा रहे हैं। जिसकी वहज से जिले के बेरोजगार शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। फलस्वरुप सैंकड़ों शिक्षित बेरोजगार पिछले कई दिनों से जिला कार्यालय सवाई माधोपुर के सामने क्रमिक अनशन जारी रखे हुए हैं तथा अपने साथ हो रहे अन्याय के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरन्त हस्तक्षेप कर मामले की जांच करायें तथा शीघ्र चयन सूची जारी कराकर अनशन को समाप्त करायें जिससे 29-4-95 से प्रस्तावित आमरण अनशन को रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा (अनुपस्थित) श्री रेवतराम जी।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री रेवतराम पंवार (नोखा): अध्यक्ष महोदय,

(श्री रेवतराम पंवार)

भ्रष्टाचार में लिप्त राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, नव ज्योति (दिल्ली ब्यूरो) समाचार पत्र में दिनांक 5-4-95 को एक लेख छपा है "राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडेरेशन संकट में" इसको पढ़ने से ही स्पष्ट होता है कि इसे छपवाने वाले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सज्जन ही हैं क्योंकि सब कुछ 1992 तक ही छपवाया है। पिछले तीन साल (1992-95) अर्थात् जब से राजस्थान डेयरी का शासन यह लोग चला रहे हैं, के बारे में कोई चर्चा नहीं है जिसमें करोड़ों का घाटा है। इसमें लिखा है कि आर.सी.डी.एफ. के जीर्ण शीर्ण ढांचे के लिये प्रबन्ध निदेशक भरसक कोशिश कर रहे हैं परन्तु लिखना तो यह चाहिये था कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आर.सी.डी.एफ. के ढांचे को जीर्ण शीर्ण करने की भरसक कोशिश कर रहा है। परन्तु कलई खुल जाने के डर से सरकार को गुमराह के उसका संरक्षण लिये हुए हैं। सरकार को समाचार पत्रों में छपी इन खबरों को विश्लेषण करना चाहिये। भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और अधिकारियों एवं राजनीतिक नेताओं के बीच अनुचित सांठगांठ जैसे छपी खबरों की सत्यता की जांच करानी चाहिये।

यह लेख आम जनता और सरकार को गुमराह करने के लिए छपवाया गया है। इसमें राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के प्रबन्ध के दौरान हुए घोटाले प्रकरणों का जिक्र क्यों नहीं है? कुछ मुख्य घोटाले जैसे–मोलासिस खरीद, मोनोकार्टन खरीद, ट्रांसपोर्टस एवं डिस्ट्रीब्यूटरों से मिली भगत, घी घोटाला आदि कई प्रकरण हैं जिसकी चर्चा सभी जानते हैं और इनकी जांच भी चल रही है। बिना किसी टेण्डर के एक निजी फर्म को 261 मैं. टन घी 66 रुपये प्रति किलो दिया गया जिसकी कुल लागत एक करोड़ बहत्तर लाख छब्बीस हजार थी। पार्टी को तीन महीने तक माल उठाने की नाजायज छूट दी गयी। इस वज़ह से फैडरेशन ने तीन महीने तक अपने घी की कीमत भी नहीं बढ़ायी जबकि उस समय घी के बाजार भाव 75 से 80 रुपये प्रति किलो थे। दिनांक 3-6-93 से 5-2-94 तक परिवहन ठेकेदार का जान बूझकर बिलों का समायोजन न करके पन्द्रह लाख सड़सठ हजार दो सौ अठावन रुपये नवासी पैसे का अग्रिम देना क्या कम घोटाला प्रकरण है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबन्ध संचालक डॉ. मित्तल के समय हुए शायद ऐसे लेख छपवा कर बोर्ड अपनी अनियमितता में घोटालों, घाटे एवं कमजोरियां आर. सी. डी. एफ. के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर डालना चाहता है। जितना घाटा इन्होंने अपने एक वर्ष के समय में फैडरेशन को पहुंचाया है, आम जनता को कौन बताये कि उतना पहले कभी नहीं हुआ।

सरकार एन.डी.डी.बी. के कार्यकलापों की जांच करावे। जनता की भावनाओं का आदर करते हुए राज्य सरकार इनको राजस्थान से निकाल बाहर कर आर.सी.डी.एफ. को बचावे। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रिछपाल सिंह।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के गाँवों में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में शिक्षा की अव्यवस्था के बारे में विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना जिला नागौर के गांवों और कस्बों में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति

(श्री रिछपाल सिंह)

नहीं के बराबर है तथा अनेक पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर अभी तक राज्य सरकार की नीति के मुताबिक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं बनाये गये हैं और वहां पर अभी तक प्राथमिक विद्यालय ही कार्यरत हैं। इसमें प्रमुखतया चोलियास, चोसली, बरणा, जालसूखुर्द, सूदवाड़, निम्बोलाविश्वा, पुनास आदि प्रमुख हैं । इन पंचायत मुख्यालयों पर अभी तक प्राथमिक पाठशालायें ही कार्यरत हैं तथा इन शालाओं में छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक होते हुए भी अध्यापकों की कमी है तथा पद रिक्त पड़े हैं। पंचायत समिति डेगाना की शालों में कुल 357 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में केवल 299 अध्यापक ही कार्यरत हैं तथा 58 पद आज भी रिक्त पड़े हैं। जबकि वर्तमान शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को अनेक बार लिखा जा चुका है परन्तु रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी।

राज्य सरकार की नीति के मुताबिक ऐसे गांव अथवा ढ़ाणियां अथवा ढ़ाणियों का समूह जिनकी आबादी 150 अथवा इससे अधिक है। वहां पर आवश्यक रूप से प्राथमिक पाठशालायें खोली जायेंगी। परन्तु इस विधान सभा क्षेत्र में आज भी अनेक ढाणिया तथा ग्राम ऐसे हैं जहां पर स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है जिनकी आबादी 150 अथवा इससे अधिक है। इसमें प्रमुखतया गुजरों की ढाणी (चुई) जाखड़ों की ढाणी, चोसली, डूडियों की ढाणी, (मोगास), झालरा बेरा की ढाणी (हब्बर), पालियास की ढाणी (पालियास), जिसमें भवन बना हुआ है जाल्सू, रेल्वे स्टेशन, कागटों की ढाणी (जाखेड़ा) जिसमें भवन बना हुआ है। बाज्यां की ढाणी (पुनास), जूनीबच्छवारों (भवन बना हुआ है) आदि।

इसके अतिरिक्त पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में कन्या पाठशालाओं की भारी कमी बनी हुई है जबकि सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर पुरजोर शब्दों में माँग करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करने हेतु जिन गाँवों के बच्चे अभी तक स्कूलों को तरस रहे हैं वहां पर नयी प्राथमिक शालायें खोलकर उनको लाभान्वित करें तथा रिक्त अध्यापकों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र करावें तथा नयी कन्या पाठशालायें खोलकर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देवें तथा शिक्षा का स्तर सुधार कर वर्तमान वर्ष जो कि नागौर जिले को सम्पूर्ण साक्षर बनाने हेतु समर्पित है, उल्लेखनीय प्रगति कराकर क्षेत्र की ग्रामीण जनता को सम्पूर्ण साक्षर बनाने में मदद करावें। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : किशन मोटवानी।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती में अनियमितता

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियन्ता के पदों के लिये हो रही भर्ती की अनियमितताओं के बारे में विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं निम्नलिखित आवश्यक बातों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि—

1. राजस्थान अभियन्ता अधीनस्थ सेवा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक नियम, 1967 में

(श्री किशन मोटवानी)

कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिये, ये प्रावधान इन नियमों की अनुसूची में हैं।

2. इन्हीं नियमों के नियम 9 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक साल की एक अप्रेल को नियुक्ति अधिकारी अपने विभाग की रिक्तियों के बारे में तय करेगा और इन पदों की भर्ती के लिये प्रक्रिया भाग-4 में दी हुई है, जिनके अनुसार आवेदन पत्र मांगे जायेंगे। इस बारे में राजस्थान राज पत्र में भी सूचना छपेगी। फार्म प्राप्त करने के बाद नियुक्ति अधिकारी या आयोग यानि राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती के बारे में कार्यवाही करेगा व नियम 19 के तहत कार्यवाही कर नियुक्तियों के बारे में कार्यवाही की जावेगी।

ये नियम वैधानिक हैं जिनकी पालना सरकार नहीं कर रही है। कई वर्षों से तदर्थ रूप में ही भर्ती की जा रही है और नियमानुसार भर्ती नहीं की जा रही है जबकि तदर्थ रूप से भर्ती करने के लिए राज्य सरकार मना भी करती है और यह सिद्धान्त : इस बात पर सहमत भी है।

पूर्व में भी इन तदर्थ नियुक्तियों के लिए जन शक्ति आयोजन विभाग से नाम मांगें जाते थे। जबकि जन शक्ति विभाग के दिनांक 12-1-83 के आदेशानुसार केवल अस्थाई नियुक्तियों के लिए ही वहां से नाम मांगें जा सकते हैं अन्यथा उक्त वर्णित नियमों के अनुसार ही पदों पर भर्ती करनी होती है। जन शक्ति विभाग का सिद्धान्त भी गलत है। हर साल सीनियरटी बदल दी जाती है जिसका कोई तर्क संगत कारण नहीं है। क्योंकि हर बार अलग-अलग तरह से प्रश्न पत्र आते हैं और अलग-अलग विश्वविद्यालयों के परीक्षार्थियों को नम्बर दिये जाते हैं। अतः उनके आधार पर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा मान लेना और दूसरे व्यक्ति को मौका नहीं देना न्यायोचित नहीं है।

अभी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 1994 सितम्बर, अक्टूबर माह में भी इसी प्रकार की अनियमित नियुक्तियां की गयी हैं और उसके बाद मार्च, 1995 में ऐसी नियुक्तियों के आदेश किये गये हैं। जबकि नियमित नियुक्तियों के लिए कोई आदेश नहीं किये गये जिससे उन व्यक्तियों के हकों पर भारी आघात पहुंचा है जो यद्यपि सीनियर हैं लेकिन इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई में किसी कारण से कम नम्बर लेने के कारण उस लिस्ट में नहीं आते यह कोई युक्तियुक्त कारण नहीं होता। राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोग सेवा आयोग में तृतीय या द्वितीय श्रेणी के नम्बर प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी चयनित हो सकता है और प्रथम श्रेणी के नम्बर प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी असफल हो सकता है। इसका कारण यह तो नहीं की लोक सेवा आयोग ने गलत चयन किया। इसके अलावा पुरानी रिक्तियों पर जन शक्ति की लिस्ट के अनुसार व्यक्ति भी जो उस समय की रिक्तियों के समय में योग्यता ही नहीं रखते थे फिर भी पद प्राप्त कर लेते हैं इसलिए निम्न कुछ प्रश्न सरकार से किये जा सकते हैं—

(1) इस विभाग में कुल कितने सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के पद हैं ?

(2) सहायक अभियंता के पदों में कितने रिक्त हैं और कितने भरे हुए हैं ?

(3) जो भरे हुए हैं वे सीधी भर्ती से कितने हैं व पदोन्नति से कितने हैं ?

(4) कितने पद खाली हैं और वे क्यों खाली हैं ?

(श्री किशन मोटवानी)

(5) कनिष्ठ अभियन्ता के पदों की नियमित भर्ती अंतिम बार कब की है और नियमित भर्ती करने के लिए अभी तक नियम, के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

(6) रोजगार कार्यालय के नियमों में भी सीनियरटी को प्राथमिकता दी जाती है तो इस मामले में सीनियरटी को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती।

किसी पद के लिए वांछित योग्यता द्वितीय श्रेणी है तो सीनियर अभ्यार्थी उपलब्ध हों तो बाद वालों को क्यों कन्सीडर किया जाता है ?

(7) क्या सरकार की मंशा उक्त नियमों के तहत नियमित भर्ती की है या नहीं ? कृपया बतायें।

अतः उपरोक्त संदर्भित पदों की भर्ती के सम्बन्ध में हो रही अनियमितताओं की ओर नियम 295 के जरिये सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर कृपया शीघ्र ध्यान देवें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अमरारामजी चौधरी।

पचपदरा स्थित नमक उत्पादकों द्वारा अनुबन्ध

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा प्रकिया के नियम 295 के तहत पचपदरा साल्ट में स्थित नमक की खानों के अनुबन्ध करने से सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, निवेदन है कि पचपदरा साल्ट में स्थित नमक की खानों के अनुबन्ध खारवालों (नमक उत्पादकों) द्वारा पचपदरा, स्थित नमक निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये हैं मगर वे अनुबन्ध अभी तक तस्दीक नहीं किये गये हैं व न इस सम्बन्ध में सहायक प्रबन्धक लवण उद्योग, पचपदरा को कोई अधिकार दिये गये हैं।

नमक की खानों के पूर्व में अनुबन्ध माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंह जी शेखावत जब पचपदरा दौरे पर पधारे थे उस समय उनको दिये गये थे व सरकार द्वारा नमक उत्पादकों को स्वयं बाजार में बेचने के अधिकार दिये थे। वर्तमान में खानों से नमक उत्पादन अनुबन्ध तस्दीक नहीं होने से बन्द पड़ा है व इससे खारवालों (नमक उत्पादकों) को भारी नुकसान हो रहा है व सरकार की भी राजस्व का हानि हो रही है।

पचपदरा स्थित कार्यालय में अनुबन्ध प्रस्तुत किये काफी समय व्यतीत हो चुका है मगर अधिकारियों द्वारा पुष्टि नहीं होने से नमक उत्पादकों को भारी परेशानियां हो रही है। अगले दो माह में बरसात शुरू हो जायेगी और जो नमक पड़ा है वह बरसात से नष्ट हो जायेगा। जिससे उन नमक उत्पादकों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जो अनुबन्ध पचपदरा साल्ट कार्यालय में नमक उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किये हुए हैं उनको शीघ्र ही तस्दीक कर लीज एग्रीमेंट देने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल विश्नोई।

सांचौर क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार साल पूर्व स्वीकृत पारावासे चितलवाना पाइप लाइन अभी तक पूरी नहीं हुई है। मेरे पूरे क्षेत्र में 40 से 50 जी.एल.आर. बने हुए हैं जो कि अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़े गये हैं। मंत्री महोदयजी से अनुराध है कि जो सात-आठ साल से सांचौर तहसील में विभिन्न योजना के तहत जी.एल.आर.बने हैं उनकों पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया हैं तथा कुछ विभाग ने खुद कुएं खोदे हैं जिन पर भी आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। जिससे वहाँ की जनता को भारी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सांचौर तहसील एक दलदल ऐरिया में आयी हुई हैं। जो बोर्डर का इलाका है। 15-20 किलो मीटर तक भूमिगत पानी इस क्षेत्र में नहीं है। लोग खड्डा खोद कर खारा पानी पीते हैं जिससे कुबड़पन व अन्य प्रकार की बीमारियां होती है। इस संकट में पानी की व्यवस्था की जाये। यहां स्थानीय अधिकारी भी, जो कि पिछले चार साल से लगे हुए हैं उनकी लापरवाही की वजह से लोगों में उनकी प्रति बड़ा असंतोष है तथा पिछले चार साल से एक इंच पाइप लाइन भी नहीं बिछायी तथा एक गांव या ढाणी को भी लाइन से नहीं जोड़ा गया। अत : श्रीमान् जी मेरे क्षेत्र में उत्पन्न भंयकर जल संकट को देखते हुए इसी गर्मी में जनता को राहत पहुंचाने के आदेश निर्देश अपने अधिकारियों को दिलवाएं एवं विशेष बजट का प्रावधान करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

बोरावड़ ग्राम की सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा नाजायज कब्जा

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम बोरावड़, तहसील परबतसर में खसरा नम्बर 238 रकबा 96.15 बीघा गैर मुमकिन जोड़ सिवाय चक भूमि स्थित हैं। इस सरकारी भूमि पर पूर्व में गरीब तबके के अनुसूचित जाति के 14 व्यक्तियों का लम्बे समय तक कब्जा रहा है। उक्त गरीब लोगों से क्षेत्र के अमीर लोगों एवं बड़े ओहदेदारों ने कोड़ियों में उक्त सिवाय चक भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया हैं तथा इन धनाढ्य व्यक्तियों ने वर्ष 1990 के बाद से आज दिन तक उक्त सरकारी भूमि, जो करोड़ों की कीमत की है, पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर उसमें चारदीवारियां बनाकर एवं स्वयं की फैक्ट्रियों का मारबल का मलबा डालकर उक्त सरकारी काबिल काश्त भूमि का रूप ही बिगाड़ दिया है। उक्त सरकारी भूमि पर राजस्थान परिवहन निगम का बस स्टैण्ड, आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अन्य सरकारी भवन बनाने के प्रस्ताव रहे हैं, जो सभी प्रस्ताव प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा करोड़ों की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेने के कारण ठंडे बस्तों में पड़े बन्द हैं। क्या माननीय राजस्व मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बोरावड़ की सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 96 बीघा 15 बिस्वा पर से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किये गये नाजायज कब्जों को हटाने के समबन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है। अगर नहीं तो क्यों तथा कब तक अतिक्रमियों का कब्जा हटाने का कार्यक्रम है? क्या सरकार उक्त सरकारी भूमि पर राज्य सरकार के कोई कार्यालय, बस स्टेण्ड अथवा चिकित्सालय बनाने की योजना का विचार रखती है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही एवं उक्त सिवाय चक भूमि पर जिन प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा है उसका नाम, पता एंव वर्तमान पद सहित सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

(14.10)

(श्री समर्थ लाल मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री हीरालाल इन्दौरा।

कोनी ग्राम (श्रीगंगानगर) के औषधालय में चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, विशेष उल्लेख के माध्यम से विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत में ग्राम कोनी (श्री गंगानगर) के औषधालय में स्टाफ के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। महोदय, श्री गंगानगर जिले में भारत सरकार की सीमावर्ती योजनानुसार 1986 में चार औषधालय भवन पांच-पांच लाख की लागत से मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोनी, ग्राम मिर्जवाला, ग्राम धनून एवं एक औषधालय भवन विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के ग्राम पकीरवाली में बनाये गये थे। ग्राम धनूर, ग्राम मिर्जवाला के औषधालय भवनों में तो राज्य सरकार द्वारा डाक्टर, स्टाफ नर्सें आदि लगा दी गयी। लेकिन ग्राम कोनी, जो कि 95 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों का है, वे औषधालय भवन में कोई डाक्टर, स्टाफ, नर्सें इत्यादि आज तक नहीं लगायी गई है। जिससे औषधालय भवन की दुर्दशा हो रही है। अतः ग्राम कोनी में बनाये गये औषधालय भवन में डाक्टर, कम्पाउण्डर, स्टाफ इत्यादि की व्यवस्था शीघ्र कराये जाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री परसादी लाल मीणा (अनुपस्थित) श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

ऊर्जा विभाग

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं ऊर्जा विभाग की निम्न अधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 22 (20) ऊर्जा/94 दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 जिसके द्वारा अधिसूचित अधिसूचना क्रमांक प. 6 (163) ई. एण्ड एम-51, दिनांक 11 मई, 1956 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या प. 22 (20) ऊर्जा/94 दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 जिसके द्वारा कतिपय विद्युत निरीक्षणालय के अधिकारियों के निरीक्षण के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, एवं

(3) अधिसूचना क्रमांक प. 22 (20) ऊर्जा/94 दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 जिसके द्वारा राज्य में विद्युत संस्थापनों और अन्य सेवाओं के परीक्षण और निरीक्षण के लिए दिनांक 1 जनवरी, 1995 से फीस उद्गृहित की गयी है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1993-94 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री सभापति : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1993-94 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1993-94 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री सभापति : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, यह बिल 1992 में भी लाया गया था। आपको स्मरण होगा, तब भी मैंने कहा था कि जो भी विधेयक लाए जाए, उसको सारे प्ररिप्रेक्ष्य देखकर लाया जाय। हर बार सत्र में अगर ये बिल आते हैं और टुकड़ों में संशोधन लाये जाते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं लगती। लेकिन तब कहा गया कि ऐसा कोई अवसर नहीं है और हम जो बिल लायें हैं इसको पास कर दिया जाये और यह अपने आप में पूर्ण हैं। मंत्री महोदय, अब फिर संशोधन लाये हैं। यह मैं मान सकती हूं कि इसकी आवश्यकता है इसलिए लाये हैं। अब फिर भी कोई कमी रह गयी होगी तो अगले बजट सत्र में फिर ऐसा संशोधन लाया जायेगा। यह बात कोई जंचती नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पहले जो भूमि है उसके फ्रेगमेंटेशन के ऐसे नियम नहीं थे लेकिन अब नियम बन गये उनके माध्यम से काफी कुछ भूमियां नियमित भी कर दी गयीं लेकिन मंत्री महोदय शायद इस संशोधन को इसलिए लाये हैं कि कुछ भूमियां अभी रह गयी है जिन पर यह कानून अभी लागू नहीं हुआ। शायद वाणिज्यिक आवासीय या कृषि के सम्बन्ध में ऐसी भूमियां हो सकती हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है और कोरम के अभाव में यहां पर कोई विवाद हो तो वह न्यायसंगत नहीं है...(कोरम की घण्टी)...देख लो...(व्यवधान)... हाउस का दस प्रतिशत होना आवश्यक है, कोरम की कमी...(व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपत्ति नहीं करता, कोरम होना ही चाहिए...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह : यह सरकार का कर्तव्य है कि कोरम बनाकर के रखे और कोरम की कमी...(व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा : आप गिनें तो सही कोरम है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अब हो रहे हैं... (व्यवधान) ...... जिस वक्त प्रकिया चल रही थी, तब कोरम नहीं था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गणित में आपको नम्बर...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : पूरी सरकार ही खाली पड़ी है, हम तो इतने बैठे हैं यहां पर वहां तो सरकार ही खाली पड़ी है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, लक्ष्मणसिंह को गणित में नम्बर, ऐसा लगता है, अच्छे मिलते रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप गिन लो, है कि नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूँगी ...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह : हम चाहते हैं कि, मैडम, आपकी बात से सब लाभान्वित हों।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मैडम कहाँ से आ गयी ? मैं मैडम नहीं हूं, मैं आयातित नहीं हूं, मैं यहीं की हूं और यहीं पैदा हुई हूं। आप बहन जी कह सकते हो, दीदी कह सकते हो, उजला कह सकते हो, उज्ज्वला कह सकते तो। कुछ भी कह सकते हो। लेकिन मेरे को मेडम नहीं कह सकते...(व्यधान)...अपने शब्द वापस लीजिए...(व्यवधान)...

श्री सभापति : कृपया संशोधन विधेयक पर बोलें।

श्री रामस्वरूप : बहनजी बुआजी सब मान रहे हैं हम तो आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, इनसे कहिये कि ये अपने शब्द वापस ले लें, मैं मैडम कभी नहीं हूं और हो नहीं सकती हूं। यहीं पैदा हुई हूं यहीं मरूंगी।

श्री रामस्वरूप : बुआजी शब्द कोई बुरा है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : मैंने आपको मदर कहकर सम्बोधित किया था और विष्णु मोदी ने ग्रेण्ड मदर कहकर सम्बोधित किया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं भारतीय हूं...(व्यवधान)...

श्री सभापति : कृपया आप संशोधन विधेयक पर बोलें...(व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : बेटी कह लो तब भी चलेगा, इसमें फर्क नहीं है, दीदी कहलो तो भी चलेगा...(व्यवधान)... दीदी कहो न, बहनजी कहो, बुआ कहो...

श्री रामस्वरूप : बुआ जी मान लिया आपको, अब इससे बड़ी कोई बात है क्या। बुआजी हो आप हमारी।

श्रीमती बीना काक : दीदी भी अंग्रेजी होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दीदी अंग्रेजी में नहीं है आप गलत बोल रही हो, दीदी अंग्रेजी में कभी नहीं है, वहाँ तो मैं शब्द बोलती नहीं हूँ, सिस्टर है।

श्री रामस्वरूप : बुआजी कोई बुरा शब्द नहीं है बुआजी कह दिया आपको...(व्यवधान)...

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूरी कर लूं।

श्री सभापति : बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है, मैं तो मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि उनका उद्देश्य इस संशोधन के पीछे क्या रहा, वह स्पष्ट करें तब बाद में विचार किया जा सकता है। क्या वाणिज्यिक भूमियों के लिए लाये हैं या आवासीय भूमियों के लिए लायें हैं या कृषि भूमि के लिए आप लाये हैं, कृपया यह स्पष्ट करें।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी (अनुपस्थित)

श्री भीमसेन चौधरी (अनुपस्थित)

श्री जुबेर खां (अनुपस्थित)

मंत्री महोदय।

श्री राम नारायण चौधरी : यह संशोधन आपकी पार्टी का ही है। स्वीकार कर लो इसको तो।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन को तो स्वीकार नहीं करता लेकिन

(श्री गंगाराम चौधरी)

मेरा निवेदन यह है कि 1964 में सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन के बेचान पर रोक लगायी गयी थी उसके बाद में कुछ मामलों में इसकी छूट दी गई थी आवासीय वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1978 में। 27-6-78 को वह लागू हुआ था कि इन प्रयोजनों के लिए किसी खेत का छोटा टुकड़ा है उसका बेचान किया जा सकता है। उसके बाद में 1976 में एक और संशोधन आया और उसमें कृषि प्रयोजनार्थ जो छोटे टुकड़ों का बेचान पहले हो गया था उनके नियमन के लिए एक प्रावधान रखा गया था कि लगान का दस गुना देकर अगर छोटे टुकड़ों के बेचान का नियमन कराना चाहें तो करवा सकते हैं। उसके बाद में पिछली बार राज्य सरकार 1992 में यह संशोधन लायी थी, और छोटे टुकड़ों के बेचान पर पूरी तरह से रोक हटा दी थी। मतलब फ्रेगमेंटेशन के हस्तान्तरण पर जो पहले रोक थी वह पूरी की पूरी हटा दी थी। अब उस वक्त में थोड़ी सी समस्या रह गयी थी कि कृषि प्रयोजनार्थ हो, या आवासीय प्रयोजनार्थ हो, कुछ लोगों ने बिना स्वीकृति के छोटे टुकड़े कर दिये, अगर नियमों के विपरीत उन्होंने बेचान कर दिया, उनके नियमन के लिए कुछ समय और चाहिए था। 1979 में जो संशोधन आया था, वह संशोधन गजट में बहुत लेट आया हुआ था 1992 में एक साल की उसमें अवधि दी थी और 1993 में वह अवधि समाप्त हुई और उसके पहले दूसरा संशोधन भी आ गया तो लोग उसका लाभ नहीं ले सके थे। कृषि प्रयोजनार्थ जो छोटे टुकड़ों का बेचान हुआ उससे लाभ जो मिलने वाला था उससे भी कुछ लोग वंचित रह गये और वह अनियमित है क्योंकि 11-11-92 को रोक हटी है, पहले का उनका बेचान अनियमित है। उसको रेगुलेराइज करने के लिए हम यह संशोधन लाये हैं। उसमें नियमों के जरिये कुछ समय देंगे कि फलां तारीख तक इतनी पैनल्टी का पैसा जमा कराकर और इतनी फीस देकर आप अपना बेचान, जो पहले आपने कर दिया था और जो कि अनियमित था उसको रेगुलेराइज किया जा सकता है, नियमन किया जा सकता है। इसलिए इस प्रयोजनार्थ में यह बिल लाया हूं। मैं समझता हूँ कि यह जनता के लिए बहुत लाभदायक चीज है। माननीय सदस्या से मैं निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव विथड्रा कर लें।

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा : मैं अपना प्रस्ताव इस तर्क के साथ वापिस लेती हूं क्योंकि कृषि भूमियों को हमने देखा कि 1142 हमारी योजनाएं यहां जयपुर की कुल थी और उसमें से केवल 135 योजनाओं को ही स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन बाकी में जो काम त्वरित गति से करना चाहिए था और एक वर्ष बीत जाने पर भी नहीं हो रहा है और इस बात के लिए हमने पहले भी कहा था कि अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो वह संशोधन से पूरी कर ली जाये और उस संशोधन में कमी रह गयी है, जैसा आपने बताया भी कि इसी कारण यह बिल लाये हैं। अच्छा है आप इसको ले आये हैं लेकिन फिर भी जो लोग टुकड़ों में बेचकर, सोसायटी बनाकर बेचकर चले गये हैं फिर भी आप उन्हीं को कहना चाह रहे हैं कि वह पेनल्टी जमा करा दें उनको आप स्वीकृत कर देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि व्यक्तिगत रूप से भी जिन्होंने लिया है उनकी भूमियों का नियमन करने के लिए चाहे वह वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हो, चाहे कृषि के प्रयोजनार्थ हो और चाहे आवासीय प्रयोजनार्थ हो इन सभी के सम्बन्ध में आप एक सम्पूर्णता से सोच कर मौका दो लोगों को जिससे उनका नियमन हो सके और सरकार की आय भी बढ़ेगी और उस आय का उपयोग वहां के विकास के लिए हो सके। इसमें किसको

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आपत्ति हो सकती है ? मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूँ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्रीमती उजला अरोड़ा को जो जनमत जानने हेतु उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय मैं, मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापिस लेती हूँ।

श्री भगराज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा...

श्री गंगाराम चौधरी : फाइनल आये तब बोल लेना। (व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको अवसर मिलेगा तृतीय वाचन पर। अभी नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार - श्री हरिसिंह (कुम्हेर) अपना संशोधन पेश करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति जी, सेक्शन 42 (बी) जो इन्ट्रोड्यूस किया गया है इसमें मैंने 3 संशोधन रखे हैं और वह इसलिए रखे हैं कि वह संशोधन किया जाना निहायत ही जरूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारे राजस्व मंत्री जी बहुत ही तजुर्बेकार हैं, राजस्व में कानून के विद्वान हैं क्योंकि एक ऐसा संशोधन रख दिया गया है हाउस में इसलिए उस पर अड़े रहें ऐसी बात नहीं होगी और मेरी बात की गहराई में और उसके औचित्य में जाने का प्रयास करेंगे तो उनका मैं आभारी होऊंगा। सेक्शन 42 जैसा कि जानते हैं इस प्रकार से हैं सभापति महोदय, कि सेक्शन 42, 1864 से पहले किसी भी काश्तकार को इस बात की इजाजत देता था कि वह अपनी होल्डिंग को फ्रेगमेंटेशन में बेचे या सम्पूर्ण बेच दे। 1961-64 में इस बात की पाबन्दी लगायी कि कोई भी काश्तकार अपनी जोत सीमा को अगर बेचेगा तो पूरा बेचेगा, फ्रेगमेंटेशन के रुप में नहीं बेचेगा क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होने लग गये थे। इसलिए दो-तीन पाबन्दियाँ लगायी गई थी उसमें। अगर फ्रेगमेंन्टेशन में बेचेगा और पूरी होल्डिंग को नहीं बेचेगा तो पूरे खसरा नम्बर को बेचेगा। अगर पूरे खसरा नम्बर को भी नहीं बेचेगा उसके पार्ट को बेचेगा तो ऐसे लगे हुए खसरा नम्बर वाले को बेचेगा जो कि उस खसरा नम्बर में हो जाये। इस प्रकार की दो-तीन पाबन्दियां उसमें आपने लगायी और यह स्थिति सन् 1964 से लेकर 1778 तक चलती रही। सरकार के ऊपर प्रेशर इस बात का पड़ता रहा कि आवश्यकता इस बात की होती है कि काश्तकार अपने फ्रेगमेंटेशन में भी बेच सके तो सरकार ने 1978 में एक परन्तुक जोड़ करके यह अधिकार दिया कि राज्य सरकार किसी भी जनरल या स्पेशल आर्डर से बेचने वाले को इस बात की छूट दे सकती है कि वह अपने छोटे टुकड़े को भी बेच सकता है और अपने खसरा नम्बर से कम भी बेच सकता है। 1978 में आपने यह अधिकार दिया। 1978 के बाद में वह बेच सकता था कमर्शियल परपज हो, इन्डस्ट्रियल परपज हो या कोई भी परपज हो। यह स्थिति

(108)

(श्री हरिसिंह)

आपकी चलती रही फिर 1981 में आपने एक नया सैक्शन 42(ए) में इन्ट्रोडयूस किया और इसलिए इन्ट्रोडयूस करना पड़ा कि 1978 के बाद में तो आपने इजाजत दे दी। सरकार एग्ज़म्पशन दे सकती है। 1964 से लेकर 1978 तक जिन लोगों ने बेच दी फ्रेगमेंटेशन के रूप में उनको वैसे रेगुलेराइज किया जाये तो, उनको रेगुलेराइज करने के लिए आपने सैक्शन 42 (ए) इस कानून में इन्ट्रोडयूस किया है और उस इन्ट्रोडक्शन के समय आपने यह प्रावधान रखा जिसके ऊपर मैं आपका विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं-'Goverment in this behalf on an application made to it or him in the prescribed manner and on the payment of the prescribed fee within 5 Years of the commencement of the Rajasthan Tenancy Act,..."

रेगुलराइज करने के लिए कोई आदमी पांच साल के अन्दर एप्लाई कर सकता था ओन पेमेंट आफ किसी प्रेसक्राइव्ड फी पर वह रेगुलराइस हो सकता है। इसलिए शब्द fee को पढ़ा है आपने तो मैंने जो एमेंडमेंट दिया है वह इससे ताल्लुक रखता है। अब इन्होंने जो रखा है उसमें fee and penalty दोनों शब्दों का प्रयोग किया है और उसमें मैंने अपना जो संशोधन रखा है fee or panalty or both.

अब वह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि 1981 में आपने सैक्शन 42 (ए) इन्ट्रोडयूस कर दिया फिर भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ता रहा कि हमको तो इसमें बिलकुल ही छूट देनी है। फिर आपने आगे चलकर एक्ट नं 22 1992 से ए 42 (स्माल ए), जिसमें यह पाबन्दियां लगी हुई थी कि हम फ्रेगमेंट को नहीं बेच सकते हैं, वह और 42 ए (कैपिटल ए) जो आपने नया सैक्शन इन्ट्रोडयूस किया था, जिसमें रेगुलराइज करने का प्रावधान था, दोनों को आपने डिलिट कर दिया। जब वह डिलिशन हो गया तो कोई भी आदमी बेच तो सकता था लेकिन 1992 से पहले जो सेल हो चुकी थी उनको नियमित कैसे किया जाये, इसका कोई प्रावधान नहीं था। कौन करे, कितनी फीस पर करे, कितनी पैनल्टी पर करे, किस रूप में करे, किसकी दरख्वास्त पर करे, यह सब प्रावधान नहीं थे इसलिए नया सैक्शन 42 बी आपको लाना पड़ा और आप यह एमेंडमेंट लाये। अब इस सैक्शन 42 बी में आपने क्या किया है, उसमें आपने लिख दिया है कि किसी भी आदमी को, आप यह मुलाहिज़ा करें—

Declaration as valid of sale; gift and bequest:- Where any sale, gift or bequest made by a Khatedar tenant of his interst in the holding or part of his holding before the commencement of the Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Act was void on account of contravention of any of the provisions of clause (a) of section 42, as it stood before the said amendment Act of 1992, such sale, gift or bequest may be declared to be valid by the Collector or any officer or authority empowered by the State Government in the behalf on an application made to him or it within such time and in such manner and on payment of such fee and penalty as may be prescribed. पहले जो सैक्शन 42 ए था उसमें केवल फीस

(श्री हरिसिंह)

के पेमेंट करने पर रैगुलराइज किया जा सकता था जो कि इल्लीगल है या वर्ड चेन्ज हो गया। अब आप यहाँ पर यह कह रहे हैं कि on payment of such fee and penalty.

देखिये हमारे कानून के अन्तर्गत एण्ड तथा और शब्द में बड़ा फर्क हुआ करता है। अब इसमें fee and panlty का मतलब यह हुआ कि आपने कलक्टर को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि उसको फीस भी लेनी पड़ेगी और पैनल्टी भी लेनी पड़ेगी। ऐसा कानून के अन्दर बहुत कम हुआ करता है। मैं समझता हूं कि अगर आप इंण्डियन पीनल कोड को भी देखेंगे और उसमें 511 के करीब सैक्शन्स हैं और उस पीनल कोड में बहुत से आफेंस हैं जिन में सजा होती है लेकिन जहां केवल सजाए मौत हो या कोई ऐसे जुर्म है जो सरकार के विरुद्ध षडयन्त्रकारी जुर्म है, हिन्दुस्तान सरकार के खिलाफ वार वेज करने के आफेन्सेस हैं उसमें यह होता है imprisonment and fine दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें जो दण्ड देने वाली आथौरिटी है उसको इस बात की छूट नहीं दी जाती कि आप केवल जेल सजा दें या उससे फाइन वसूल करें, दोनों ही आपको वसूल करने पड़ेंगे। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहां आप कर रहे हैं fee and penalty both. आप उस अथोरिटी को मजबूर कर रहे हैं, कानून के हिसाब से कि उनको फीस भी देनी पड़ेगी और पैनल्टी भी देनी पड़ेगी। यह ठीक है, पैनल्टी भी किसी मामले में उस पर लगाई जाय उसमें, जैसा मैंने संशोधन दिया है उसमें यह करना है fee or penalty or both. अब इस प्रकार का कुछ चेन्ज हुआ है कि नहीं पेनल्टी भी हम लेंगे तो आप ले लीजिये उससे पेनल्टी। आप अगर समझते हैं कि फीस से काम चल जायगा तो फीस ले लिजिए आप समझते हैं कि दोनों ही लेने पड़ेंगे तो आप दोनों लीजिए। इस प्रकार कानून के अन्दर प्रोविजन्स हुआ करते हैं। इसमें आप दूसरी बात और कर रहे हैं। जो भी सेल आपकी 1992 तक हो गयी उसमें केवल फ़ीस से काम चल जायेगा कोई कलक्टर चाहे उससे पैनल्टी नहीं ले पायेगा लेकिन 1992 के बाद में जो रैगुलराइज होंगे उसमें सैक्शन 42 बी केमुताबिक fee and panalty both लेनी पड़ेगी। यह कानून मतभेद का है। एक समय के अन्दर सेल पर दूसरा प्रोविजन लागू हो रहा है। दूसरी समय की सेल पर दूसरा प्रोवीजन लागू हो रहा है। इस प्रकार का कानून नहीं बनाना चाहिए यह गलत कानून आप बनाने जा रहे हैं। तो मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस पर पुर्नविचार करें। आप समझते हैं कि हम पैनल्टी लेना चाहते हैं, ले लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है लेकिन आप उस रैगुलराइज करने वाली अथारिटी के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं? यानि आपको पैनल्टी भी देनी पड़ेगी, आपको फीस भी देनी पड़ेगी, दोनों चीजें देनी पड़ेगी आपके लिये। लेकिन जो पहला एक्ट है उसमें यह बात नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि जो ड्राफ्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने पुराने एक्ट से कुछ शब्द इसमें ले लिए हैं 42 ए से जो डिलिट हुआ है और कुछ नये लिए हैं अगर आपकी मन्शा वाकई यह होती कि हम पैनल्टी भी लेना चाहेंगे तो इसका श्रीमान, आप देखें 42 बी क्लाज की प्रोविजो का सब क्लाज 'सी' कहता है, provided that; such sale, gift or bequest was otherwise lagally valid.

यानि यह तीन उन्होंने इस बात के लिये दिये हैं कि यह शर्त पूरी करनी पड़ेगी (b) the parties to the sale, gift or bequest comply with all the terms and conditions as may be prescribed by the rules or by any special or general order.

(श्री हरिसिंह)

(c) the payment is made of such premium or penalty as may be prescribed.

रैगुलराइज करने के बाद में क्या काम करना पड़ेगा, जिससे रेगुलाइज हो 'सी' में यह है the payment is made of such premium or penalty as may be prescribed.

यानि यहां शब्द होने चाहिए payment of fee or penalty. जब आपने वहां पर fee and penalty शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ भी आपके लिए शब्द "प्रीमियम" के स्थान पर "फीस आर पैनल्टी का प्रयोग" करना चाहिये था कि जो लगायी गयी है वह आप जब तक नहीं देंगे तब तक रैगुलराइज नहीं होगा। यह प्रीमियम कहाँ से आ गया यहां पर? इस प्रीमियम को कौन डिटरमिन करेगा? यह प्रीमियम किस बात का होगा? इस सैक्शन को जो फ्रेम वर्क है उसमें प्रीमियम शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं है। यह टर्म जो आप इम्पोज कर रहे हैं किसी आदमी पर रैगुलराइज करने से पहले, यह किस बात के लिए कर रहे हैं? मैंने इसमें दूसरा अमेंडमन्ट यह मूव किया है कि यह शब्द "प्रीमियम" के स्थान पर आप "फीस" रखें। क्योंकि आप तो फीस के पेमेंट और पैनल्टी के पेमेंट के बाद रैगुलराइज करने जा रहे हैं। नहीं, अगर यह बात होती तो आप यहां भी 42 बी में लिखते। अगर प्रीमियम आप लेना ही पसन्द कर रहे थे और आप रुल्ज प्रेसक्राइब करेंगे तो 42 बी में आप लिख देते and on payment of such fee and penalty as may be prescribed.

दूसरा मेरा अमेंडमेन्ट यह है, सभापति महोदय, सभापति महोदय, मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं एक तो आप fee or penalty or both शब्द का इसमें आप प्रयोग करें। दूसरा यह है कि "प्रीमियम" के स्थान पर आप "फीस" करें।

तीसरा अमेंडमेंट जो मैंने इसमें मूव किया है वह यह मूव किया है कि जो कानून बनना चाहिए, और खासकर काश्तकारों का जो कानून बनना चाहिए वह बहुत ही सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें किसी बात की एम्बूग्युटी नहीं होनी चाहिए। अब आपने यह सैक्शन 42 बी बनाया है वह आपने बनाया है कि दरख्वास्त पर कलक्टर या कोई अथोरिटी इसको रैगुलराइज करेगी। अब दरख्वास्त किसकी होगी? मैं कोई शैतानी करना चाहूं और दरख्वास्त दे दूं कि इनकी जो सेल हुई है, जो गिफ्ट हुई है उसको आप रैगुलराइज कर दिजिये या एवीडेंस दे दूं दरख्वास्त खारिज हो जायेगी। आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आप किसकी दरख्वास्त पर रैगुलराइज करेंगे। बेचने वाले की दरख्वास्त पर रैगुलराइज करेंगे या खरीददारी करने वाले की दरख्वास्त पर रैगुलराइज करेंगे या किसकी दरख्वास्त पर रैगुलराइज करेंगे? इसलेए मैंने एड किया है तीसरे एमेंडमेंट में within such time the expression by any of the parties to sale, gift or bequest.

यानि बिकी हो, या दान हो या वसीयत हो इसमें से किसी के भी पार्टी की दरख्वास्त पर आप रैगुलराइज करें जब तक आप यह बात स्पेसिफिक नहीं करेंगे इस कानून में तब तक कोई मतलब हल नहीं होगा। आप एम्बीग्युटी क्यो रखते हैं, काम तो साफ होना चाहिए। मैंने तीन बातों के लिये तीन एमेंडमेंट के लिये कहा है, मैं समझता हूं इस कानून की मंशा पूरी करने के लिए मैंने जो एमेंडमेंटस् रखें हैं, मंत्री महोदय इनको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, यह 42 बी जो मेन हमारे क्लाज हैं उसके अन्दर मैंने साफ तौर पर जो शब्द लिखें हैं उसका मतलब यह है कि चाहे खातेदार खुद एप्लीकेशन दे चाहे ट्रान्सफरी एप्लीकेशन दे, कोई भी आदमी एप्लीकेशन दे सकता है। इसलिए आपका जो पहला संशोधन है उसकी आवश्यकता–

"by any of the parties to sale, gift or bequest"

यह शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसमें बंदिश लगायी ही नहीं है, केवल आप शब्द ठीक तरह से देखें—

"...may be declared to be valid by the Collector or any officer or authority empowered by the State Government in the behalf on an application made to him.."

हमने नहीं लिखा कि "on an application made to him by Khatedar." यह शब्द हमने इसमें नहीं लिखे। मेरी बात सुननें के बाद आप कह लीजिये। और रूल्स के अन्दर पहले भी ऐसा हुआ है। सभापति महोदय, 1989 में और उससे पहले जब 1978 में यह प्रावधान जोड़े गये थे तब भी उसमें इस तरह की भाषा थी और खरीददार, खातेदार, ट्रांसफरी या जिसके हक में बिक्वेस्ट किया गया वह भी एप्लीकेशन देकर रेगुलराइज करवा सकता है, यह बंदिश नहीं है इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

आगे मैं निवेदन करुं, सभापति महोदय, कि आपने दो संशोधन पैनल्टी और फीस आइदर और फी और पैनल्टी और बोथ यह जोड़ने की बात आपने कही।इस सम्बन्ध में जो नियम बने हैं, जो संशोधन हुआ है और उसके तहत गर्वनमेंट ने जो रूल्स बनाये हैं उन सब को आप देख लेते तो आपको बात समझ में आ जाती। मेरा निवेदन यह है इसमें कि फीस तो एप्लीकेशन की फीस होती है, यह एक रुपया भी हो सकती है और कामर्शियल के लिये पहले 10 रुपये फीस रखी गई थी, तो 10 रुपये भी फीस हो सकती है। उसके बाद अनियमित सेल होने की वजह से हम कुछ पैनल्टियां लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर परपज के लिये पिछली बार जो थोड़ा समय दिया था रेगुलराइजेशन का, उसमें जो पैनल्टी लगायी थी वह लगान का 10 गुना पैनल्टी लगायी थी। तो इस प्रकार हम नियमों में प्रावधान करेंगे। हो सकता है लगान का 10 गुना ही होगी पैनल्टी और फीस एग्रीकल्चर परपज के लिये एक रुपया हो सकती है, कामर्शियल के लिए 10 रुपये हो सकती है। तो फीस अलग चीज है, एप्लीकेशन की फीस होती है और पैनल्टी अलग चीज है। ये दोनों अलग-अलग बात हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हमने जो पहले शब्द काम में लिये हैं उन शब्दों का तात्पर्य यह है। आगे आपने प्रीमियम के बारे में भी कहा है। सभापति महोदय, यह प्रीमियम वर्ड जो आपने यूज किया है, आप अगर लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 90 (ए) के तहत 1981 के रूल्स देखें या उससे पहले जो आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के रूल्स देखें तो उसमें हमने प्रीमियम और असेसमेंट वर्ड यूज किये हैं। अरबन/असेसमेंट और प्रीमियम वह उन लोगों के लिए लगते हैं जो इसकी किस्म बदल देते हैं, रूपान्तरण कर देते हैं, उन पर हम अगर अरबन एरिया में हैं तो अरबन असेसमेंट लेते हैं और

(श्री गंगाराम चौधरी)

अदरवाइज उनसे हम प्रीमियम भी लेते हैं। एग्रीकल्चर परपज के लिए तो प्रीमियम वाली बात विशेष नहीं है, पैनल्टी की है। अदर परपज के लिये प्रीमियम भी हो सकता है, अरबन असेसमेंट भी हो सकता है। तो तीनों हमने जो सब-सैक्शन इसमें जोड़े हैं उन सब- सैक्शन में तो तीनों इस वजह से ये शब्द हैं और इससे पूरा परपज हल होता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस लेंगे। मैं एक्सेप्ट करने में असमर्थ हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि आपने 42 (ए) में भी रैगुलराइज करने वाल बात कही है और इसी प्रकार के सेल, गिफ्ट और बिक्वेस्ट को रैगुलराइज करने की बात कही है, उसमें शब्द फी के साथ में पैनल्टी क्यों नहीं लिखा? अब जो इसमें फी के साथ पैनल्टी शब्द जोड़ा है, उसकी क्या मंशा है? पहले भी आप रैगुलराइज कर रहे थे। अब कृपया यह स्पष्ट कर दें कि फीस और पैनल्टी वहां पैनल्टी शब्द उस समय क्यों नहीं लगाया, अब पैनल्टी क्यों जोड़ा है?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : पैनल्टी अब क्यों जोड़ा है, पहले नहीं था।

श्री गंगाराम चौधरी : कौन से सैक्शन में पहले नहीं जोड़ा था?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 42 (ए) में।

श्री गंगाराम चौधरी : 89 वाले अमेंडमेंट में?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 81 में। 81 का 42 (ए) ..(व्यवधान)..

श्री गंगाराम चौधरी : देखिये, तीन चीजें अलग हैं। मैं आपको बताता हूं, एक में पैनल्टी वर्ड है, एक में अरबन असेसमेंट है और एक में प्रीमियम।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 42 (ए) निकाल लें पहले।

श्री गंगाराम चौधरी : तीनों के परपज अलग-अलग हैं जो हम नियम में देंगे। एग्रीकल्चर परपज होगा उसमें पैनल्टी लगेगी और रूरल एरिया में अदर परपजेज हैं उसमें प्रीमियम लगेगा और शहरी क्षेत्र में अरबन असेसमेंट लगेगा। तीनों के लिए हमने अलग-अलग ए, बी, सी अमेंडमेंट दिये हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 42(ए) का बिल्कुल कापी है 42(बी) 42 (ए) को ही बिल्कुल रिपीट किया है 42 (बी) में। 42 (ए) में केवल शब्द फी है पैनल्टी नहीं। अब आपने पैनल्टी नया जोड़ा है। यह आप मुलाहिजा कर लीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, आपने इसमें अमेंडमेंट के जो कारण बताये हैं उसमें इसलिए 42 (बी) जोड़ा है कि यह पहले की तारीख से आपको लागू करना है। बात तो इतनी ही है। तो इसमें कापी अगर सेम-टू-सेम करनी है तो जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, आपने यह और कंडीशन क्यों लगायी? आपने कारण यही नहीं बताया कि हम पहले से लागू करना चाहते हैं। कारण जो बताये उसमें तो यही है।

श्री गंगाराम चौधरी : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू तो नहीं हो सकता, हम केवल यह कहना चाहते हैं कि जो केसेज पहले रह गये हैं, रैगुलराइज नहीं हो सकें उनको रैगुलराइज करने का एक अवसर देना है। यह जनहित की बात है। और वे लोग चाहते हैं कि आपने आगे तो छूट दे दी और हमको आप दे नहीं रहे हो,

(श्री गंगाराम चौधरी)

बिल्कुल आसान सी बात है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, वह कंडीशन तो वह ही होनी चाहिये जो ए में है वह ही बी में होनी चाहिए। बी में अलग क्यों है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह पैनल्टी शब्द क्यों जोड़ रहे हो आप? आपका मकसद अच्छा है और यह अमेंडमेंट अच्छा है लेकिन यह पैनल्टी और फीस वाला_

श्री गंगाराम चौधरी : पैनल्टी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 1989 का अमेंडमेंट आप अगर देख लें तो आपको समझ में आ जायेगी। 1989 में एक साल का समय दिया था कृषि प्रयोजनार्थ जो बेचान अनियमित हो गये हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए उसमें भी फीस और पैनल्टी शब्द काम में लिया है तो फीस और पैनल्टी हमने इसलिये काम में लिया है कि लगान का 10 गुना यानि कुछ गुनाह हो गया। पहले कोई गलती हो गई इसलिये लगान का 10 गुना लेकर के हम उसको रेगुलराइज कर रहे हैं इसलिए पैनल्टी वर्ड यूज किया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मंत्री महोदय, 92 में तो आपने डिलिट किया है 42 (ए) आपका। 81 में 42 (ए) इंट्रोडयूस किया जिससे कि रेगुलराइज कर रहे थे।

श्री सभापति : संशोधन वापस ले रहे हो ?

श्री गंगाराम चौधरी : एक संशोधन 89 में और आया था रेगुलराइजेशन का। कृषि प्रयोजनार्थ फ्रेगमेंट कर जो अनियमित बेचान हो गये। उनको रेगुलराइज करने के लिये एक समय दिया था और वह समय एक साल का था वह गुजर गया। उसके बाद में हम अमेंडमेंट दूसरा लाये और हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जो कुछ लोग रह गये उसमें रेगुलराइज करने के लिए, उनके लिए यह सहूलियत है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर): 92 वाला है बाद में फोर्स में आया है। 89 वाला 92 में फोर्स में आया है उसमें आपने डिलीट किया। 42 (ए) को डिलीट किया है।

श्री गंगाराम चौधरी : किसको डिलीट करने की बात कह रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं यह कह रहा हूँ कि आपने 42 (ए) को तो डिलीट किया है। उसमें 42 (ए) में सिर्फ यह कि आन पेमेंट आफ प्रेस्क्राइब्ड फी आप रेगुलराइज कर रहे थे। काश्तकार वाली उदारीकरण की नीति आ रही है उस समय पहले तो अपने 64 से लेकर 80 तक के तो केवल 20 वर्ष के रेगुलराइज करेंगे और अब आप पैनल्टी लोगे उससे। इसकी तुक मुझे नहीं जंच रही इसलिए मैंने आपको कहा है और रख दो आप। आप कलक्टर को पावर दे दो, फीस ले लें, पैनल्टी ले लें या दोनों ले लें। अब कह तो रहे हैं पैनल्टी लेगा ही लेगा वह। यह तो नहीं कि नहीं लेगा वह।

श्री सभापति : संशोधन वापस ले रहे हो ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं लूंगा मैं तो।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, देखिये 42 (ए) जो पहले वाला था उसमें तो कन्वर्शन की बात थी जिसमें और फीस लगती थी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कन्वर्शन नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : प्रीमियम लगते थे,

(श्री गंगाराम चौधरी)

90 (ए) के तहत लगते थे इसलिए 20 साल में नहीं लिया। पैनल्टी काम में नहीं ली है वह जिन लोगों ने लिया है। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है हरिसिंह जी साहब, आप क्यों इसमें कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप रुल्स देख लें। इसके तहत जो 42...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रूल्स तो अब बनेंगे 42 (बी) के...

श्री गंगाराम चौधरी : गर्वनमेंट के रूल्स देखें उसमें पैनल्टी 10 गुना लगाना लिखा हुआ है, अब का नहीं लिखा गया, पहले की गर्वनमेंट ने लिखा है वैसी ही चीजें कायम रखना चाहते हैं कोई नई बात नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बात कैसे नहीं है पैनल्टी लगा रहे हो उसके साथ-साथ......

श्री गंगाराम चौधरी : लगान का 10 गुना पहले आपने लगाया है, सरकार का इरादा भी उतना ही है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–दो में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह हो कैसे गया, कहां हो गया ? ऐसा हुआ ही नहीं है. I press for division.This is never done.

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने मूव ही नहीं किया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड दो स्वीकार जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड -1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गंगाराम चौधरी : प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जावे।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मेरे को इसमें बोलना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बोलेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी तो सरकार है बहनजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारी है तो आपको क्या बेचैनी है ? है तो है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा यह निवेदन था कि आपने जो इसमें विक्रय दान और वसीयत के विधिमान्य होने की घोषणा अब विक्रय दान जो काश्तकार लिखता है उसमें आपने यह शर्त लगा रखी है कि वह रजिस्टर्ड होंगे।

मान्यवर, आप देखेंगे कि जो भी रजिस्ट्री किसी सम्पत्ति की हो वह सम्पत्ति का मालिक

(श्री हरजीराम बुरड़क)

होता है। जिस अचल सम्पति की रजिस्ट्री कहीं भी हो वह उसका मालिक होता है। काश्तकार उस जमीन का मालिक नहीं है, मालिक की जगह आपने नाम लिख रखा है राज्य सरकार, वह केवल खातेदार है तो केवल खातेदार अधिकार बेचने के लिए या दान के लिए आपको यह रजिस्ट्री की शर्त हटानी चाहिये। यह अगर नहीं हटाई तो वह उस चीज का मालिक ही नहीं और जिसका वह विक्रय कर रहा है उस पर रजिस्ट्री की शर्त लगा दी है। आज हालत यह है कि रजिस्ट्री की फीस आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसी है कि जमीन की कीमत से ज्यादा रजिस्ट्री की फीस हो जाती है। वह कितने में बिकती है इसका कोई लेना-देना नहीं है वह आपने एक फीस कर दी कि फलां गाँव में यह रेट है, फलां गांव में यह रेट है, सड़क के नजदीक होगी तो यह होगा, गांव से इतनी दूर होगी तो यह होगा। इस हिसाब से कई जगह उस जमीन की कीमत से ज्यादा में रजिस्ट्री की है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे मेरे क्षेत्र में एक गाँव है जसवन्तगढ़ अगर 5 हजार में जमीन खरीदें तो रजिस्ट्री का खर्चा 15 हजार आता है। इसलिए आज कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता नहीं है। आप जो यह सुविधा दे रहे हैं वह सुविधा वे ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं कि वह रजिस्ट्री तो करवा नहीं सकते, जमीन से तीन गुणा कीमत रजिस्ट्री की है तो आपको यह सुविधा मिलेगी नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें यह कोई शब्द नहीं जोड़ें कि यह विक्रय और दान-पत्र जो भी होंगे उनके अन्दर रजिस्ट्री की जरूरत होगी। ऐसी आप व्यवस्था करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने—

श्री सभापति : चौधरी साहब बोल रहे हैं।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, हरेक काश्तकार जो खातेदारी काश्तकार है वह अपने जीवन काल में अपने लड़कों के नाम से परिवार का बंटवारा करना चाहता है तो इस तरह की सुविधा काश्तकार को होनी चाहिए इस अधिनियम के द्वारा, मैं इसमें यह संशोधन करवाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके बारे में काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए वह व्यवस्था करने का प्रयास करेगी, इसमें राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं है, काश्तकार को ही फायदा है। यह मैं इसमें व्यवस्था करवाना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने काफी स्पष्ट किया है तो भी मन में कुछ शंकाएं हैं, वह यह है कि एक बार 1982 में संशोधन लाया गया तब लोगों से शुल्क जमा करवा लिया गया, उसके बाद में 1987 में और उसके बाद अब हम 1992 में लाये हैं और इन तीनों को संशोधित करते हुये जो पहले पैसा लिया जा चुका है, तो मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या फिर उनसे पैनल्टी फीस, शुल्क लिये जायेंगे? या वो दे चुके हैं उनका ब्याज कर-करवा कर कुछ देंगे? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि भूमि रुपान्तरण की जो प्रक्रिया अब आप बनाने जायेंगे, केवल फ्रेगमेंटेशन की प्रकिया थी उनके सम्बन्ध में जो नियमित नहीं हो सके थे कहीं रह गये होंगे, इस सारे मामले में खातेदार को ही लेकर आप विचार कर रहे हैं या गैर खातेदार को भी लेकर विचार कर रहे हैं। मेरी समझ में स्पष्टतया नहीं आया। इसलिए आप यह बतायें कि उनके सम्बन्ध में क्या भूमिका रहेगी, या फिर कोई नयी उधेड़बुन तो शुरु नहीं हो जायेगी? आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बतायें कि को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से एक बार एक सोसाइटी बनाने का निश्चिय हो गया वह कृषि भूमि पर ही आवासीय प्रयोजनार्थ सोसाइटी बनी वह भी सरकार का ही एक नियम था अब आपने बनाने के बाद 1973 में कह दिया कि 1973 के बाद किसी सोसाइटी को रजिस्टर्ड नहीं किया जायेगा, रेगुलराइज नहीं किया जायेगा। अब 1973 के बाद कई जगह लोगों ने उस सोसाइटी के नाम से जो रजिस्टर्ड सोसाइटी थी उसके नाम से ही लोगों ने पहले जो सोसाइटी उन्होंने बनायी थी, भूमि दर्शायी थी, बजाय चौड़े रास्ते के, सांगानेर में जमीन दी गयी सोसायटी के नाम से क्रय कर ली गयी और उसको विभाजित करके बांट दी गयी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ली और कहीं बेची, जल महल सोसाइटी, जल कहीं और सोसाइटी झोटवाड़ा में बैठी है और वह सारे शहर में पट्टे काट रही है तो उस पुराने नाम से जिन लोगों ने पट्टे काट दिये उनके लिए आप ऐसे बेचान को भी अधिनियमित करेंगे और करेंगे तो क्या उनसे भी पैनल्टी लेंगे? जो नियमन का पैसा जमा करवा चुके, मैं आवासीय प्रयोजनार्थ के बारे में कहना चाहती हूं, जो पैराफेरी शुल्क भी दे चुके हैं और आपको अन्य शुल्क भी दे चुके हैं उन पर भी क्या आप कोई फीस लेंगे या पैनल्टी लेंगे?

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, प्रश्न रजिस्ट्री के सम्बन्ध में सदन के सामने आया है वैसे तो रजिस्ट्री करने का या रजिस्ट्री की फीस लेने का या स्टाम्प ड्यूटी लेने का, यह विषय वित्त विभाग से सम्बन्ध रखता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपकी बात मानते नहीं हैं बिना रजिस्ट्री के।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जो आप कह रहे हैं हस्तांतरण का जो इक्यूवेएबल प्रापर्टी का होता है पूरी मिल्कियत वाला हस्तान्तरण कर सकता है यह तो हमारा टिनेंसी राइट है। इसको हस्तांतरण की छूट तो होती है लेकिन इस पर रजिस्ट्री फीस या स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगनी चाहिये, ऐसा आपने फरमाया है, यह हमारा प्रोपराइटर राइट है इस सम्बन्ध में भी आपका कहना है शायद। मेरा निवेदन, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में यह है कि यह खातेदारी राइट्स के तो अदालतों ने अलग-अलग फैसलों में प्रोपराइटर राइट भी माना है और कई और नहीं माना भी है। यह बात भी सही है यह प्रश्न हमारे सामने कई बार आया है कि खातेदारी अधिकार बेचने के लिए रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं होना चाहिये, स्टाम्प ड्यूटी जरूरी नहीं होनी चाहिये लेकिन अलग अलग सरकारों ने हमेशा यह तय किया है कि यह हैरेडिटरी राइट है, और ट्रांसफरेबल राइट है इसलिए इसको प्रोपराइटर राइट की परिभाषा में लिया जा सकता है। और इसके बेचान पर रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री जरुरी भी नहीं हो और स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना जरूरी हो, ऐसा जरूरी है। मैं इस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से इतना ही कह पाऊंगा कि वैसे यह फाइनेंस डिपार्टमेंट का मामला है। मेरे सामने दूसरा प्रश्न यह है कि बंटवारे के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, धारा 53 राजस्थान टिनेंसी एक्ट में जो परिभाषा दे रखी है उसको को-टेनेंट शब्द काम में लिया गया है। यह को-टेनेंट बंटवारे के लिए दरख्वास्त दे सकता है। मैं इसमें मेरी व्यक्तिगत राय बताता हूँ। हमारा वित्त विभाग इससे सहमत नहीं है मेरे कहने का मतलब यह है कि एक को-टेनेंट में तो वह आदमी सम्मलित है जो उस खातेदार का लड़का है और उसमें हक मांगता हो, लड़की हो

(श्री गंगाराम चौधरी)

वह हक मांगती हो या उसकी मां जो उसमें हक मांगती हो वह भी को-टेनेंट है जो मतलब हमारी अदालतों ने लिया है या रेवेन्यू बोर्ड में लिया है वह जोइंट टीनेंट की बात है।

सभापति महोदय, जोइंट टीनेंट भी उस परिभाषा में आता है जिसका खातेदार के खाते में नाम सम्मिलित है तो, को-टीनेंट उसमें सम्मिलित नहीं है लेकिन इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की राय लेकर और एडवोकेट जनरल से भी अगर आवश्यकता पड़ी तो राय लेकर फिर हम इन्स्ट्रेक्शंस, हिदायतें अदालतों या हमारे अफसरों को देंगे अगर राय यह आयी कि वास्तव में को-टेनेंट में लड़का-लड़की भी सम्मिलित है और एक बाप अपनी जिन्दगी में बेटों में बंटवारा कर सकता है। यह हमारे मौजूदा प्रावधानों के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है तो हम यह करना चाहते हैं उनको हिदायतें देकर अगर हमारे वित्त विभाग और फिर से एडवोकेट जनरल की राय यह नहीं आयी, तो हम संशोधन भी करेंगे और आपने जो समस्या बतायी है उसको किसी तरह से हल करने का राज्य सरकार का इरादा है, हम हल करेंगे...

श्री हरजीराम बुरड़क : रजिस्ट्री वाली शर्त हटाने में तो पुनः विचार तो करिये। आप खुद कह रहे हैं कि अदालतों का भी दो मत है और कई बार आपके सामाने भी मामला आया है जिसमें विचार भी किया है तो आप इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें। आपके अधिकारी यह शर्त नहीं लगायें कि बेचान या गिफ्ट है वह रजिस्टर्ड ही हो, यह शर्त नहीं लगायें।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अन्दर होता है। हम राज्य सरकार इसमें निर्णय अदरवाइज नहीं ले सकती और लेगा तो वह फाइनेंस डिपार्टमेंट लेगा। रजिस्ट्री हमने नहीं जरूरी की है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आवश्यक नहीं की है। रजिस्ट्री का जरूरी होना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और हमारे ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है, उसके अन्तर्गत और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो भारत सरकार का है, उसके तहत यह प्रावधान है। इसमें मेरे हाथ की बात नहीं रहेगी।

सभापति महोदय, माननीय उजला जी ने जो कुछ...

श्री भीमसेन चौधरी : सूचना के प्रश्न में मैं निवेदन कर रहा था कि विल, वसीयत है, इस वसीयत को आपके अन-रजिस्टर्ड मान लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि वसीयत तो कभी किसी टाइम करा सकता है आदमी।

श्री गंगाराम चौधरी : वसीयत रजिस्ट्री होना जरूरी नहीं है,। यह पहले से ही प्रावधान है (व्यवधान) वसीयत रजिस्ट्री होना जरूरी नहीं है, आपको गलत ख्याल है। सभापति महोदय,—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान) ......

श्री गंगाराम चौधरी : मैं समझता हूं, मैं उजलाजी के प्रश्न का जवाब दे दूं, उसके बाद आप बोलें।

सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने कहा कि रूपान्तरण का पैसा और कुछ पैसा जो पहले सोसायटी ने या प्लाट होल्डर्स ने जमा करा दिया, उससे क्या दुबारा लेंगे ? मेरे बिल का मकसद यह है कि जो फ्रेगमेंट के बेचान, ट्रांसफर अनियमित हो गये हैं, उनको रेगुलराइज करने की बात है। जिनके पहले से रेगुलर ट्रांसफर हैं और जिन्होंने रूपान्तरण फीस जमा करा दी है, उनकी तो रूपान्तरण फीस 1992

(118)

(श्री गंगाराम चौधरी)

का रूल जो हमने लागू किया, वह तो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत है, हम दुबारा नहीं लेंगे। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है, उस हिसाब से हम रेगुलराइज करेंगे, उनका रूपान्तरण भी होगा। वह नियम बिल्कुल अलग है, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और इससे रूकावट भी नहीं आती।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, मंत्रीजी ने सदन में जो राजस्थान टीनेंसी (संशोधन) विधेयक, 1995 पेश किया है, मैं समझता हूं बहुत सूझबूझ के साथ कदम उठाया है। यह बात सही है कि राजस्थान टीनेंसी एक्ट शुरू-शुरू में 1995 में फोर्स में आया था। उसके पश्चात् सन् 1964 तक धारा 42 के तहत में काश्तकार द्वारा और खातेदार द्वारा जो ट्रांसफर की जाती थी, उसमें कितनी भी छोटी पट्टी में रूप में अगर ट्रांसफर की जाती थी तब कोई पाबन्दी नहीं थी यानी फ्रेगमेंट्स वाली बात उसमें शामिल नहीं की गयी थी। मगर धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों बेचान होते गये और खातेदारी होल्डिंग्स का फ्रेगमेन्टेशन होने लगा तो उस दृष्टिकोण से जोतें अनइकोनोमिकल नहीं हों, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1964 में यह कानून बनाया गया था कि कोई भी ट्रांसफर काश्तकार, खातेदार करना चाहेगा तो उस सीमा तक ही करेगा, जब तक वह फ्रेगमेंट की तारीफ में नहीं आता हो अगर छोटा टुकड़ा या पूरा होल नम्बर अगर फ्रेगमेट से कम है तब तो वह बेच सकता है मगर फ्रेगमेंट से बढ़ा रकबा होने पर उस रकबे का उतना हिस्सा नहीं बेचेगा जो फ्रेगमेंट की तारीफ में आता है तो इस प्रकार का संशोधन 1964 में करने के बाद काफी दिक्कतें आयीं और विशेषकर जब हम एक तरफ तो औद्योगीकरण के लिए, व्यापारिक संस्थाओं को और दूसरे प्रकार के प्रावधानों को बढ़ावा देने के लिहाज से जब भूमि प्राप्त करने की सोचते हैं तो ऐसी भूमि जो बड़े रकबे की होने के साथ साथ फ्रेगमेंट वाले टुकड़े को खरीदना चाहते थे तो उस समय दिक्कतें आनी लगीं। इसलिए एक बात को ध्यान में रखते हुए काफी दिक्कतें आयीं। उस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए 1978 में, 1981 में, 1989 में उस प्रावधान को हटा लिया। मगर हटाने के बाद में भी बहुत से क्योंकि जो ट्रांसफर्स पहले हो गये थे और वे ट्रांसफर्स कानून के अनुसार वेलिड नहीं थे इसलिए उस प्रकार के ट्रांसफर्स को वेलिड करने के लिए 1992 के अन्दर एक्ट नम्बर 22 के जरिये संशोधित करके सारे ट्रांसफर्स को वेलिड कर दिया गया मगर साथ में उसके कुछ शर्तें रखी थीं कि वेलिड ट्रांसफर्स को घोषित करने वाले व्यक्ति को, काश्तकार को या ट्रांसफरी को एक समय सीमा के अन्दर दरख्वास्त पेश करनी पड़ेगी, साथ में कुछ फीस जमा करानी पड़ेगी और मैं समझता हूँ, कुछ समय सीमा भी कम मुकर्रर की थी इसलिए उस प्रकार का प्रावधान अच्छा होने के बावजूद भी बहुत से ट्रांसफरी और ट्रांसफर्स वेलिड हो नहीं सकी इसलिए उस कमी को मिटाने के दृष्टिकोण से यह जो बिल लाया गया है, इसके पीछे बहुत अच्छी भावना है और मैं समझता हूं इस प्रकार का बिल लाने के पश्चात् जो भी छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, ट्रांसफरी और ट्रांसफरर्स जो भी भुगत रहे हैं, उनके निराकरण में सहायता मिलेगी मगर एक बात जरूर है कि इस प्रकार का संशोधन कानून में करने के साथ-साथ में भावना तो अच्छी है मगर जिस प्रकार के आप प्रीमियम वसूल करने की बात सोच रहे हैं, कुछ पैनल्टी वसूल करने की बात सोचते हैं, मैं

(श्री भगराज चौधरी)

समझता हूँ विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकार हैं, उनको काफी परेशानी आयेगी। अच्छा तो यह होता कि आप इस प्रकार की पाबन्दी नहीं लगायें और सारी ट्रांसफर्स जो इनवेलिड थी सेक्शन 42 के तहत, उन सारी ट्रांसफर्स को सम्पूर्ण तौर से वेलिड करार दिया जाने के लिए रिटोस्पेक्टिव इनफैक्ट से, कि आज से पहले जो भी ट्रांसफर्स हुई हैं वह वेलिड मानी जायेगी और वेलिड की हुई समझी जायेगी। इस प्रकार का प्रावधान लाते तो मेरे ख्याल से काश्तकार को फिर समय-सीमा में नहीं बंधना पड़ता वरना फिर आप समय सीमा बांधेंगे, बहुत से काश्तकार दरख्वास्त नहीं दे पायेंगे, साथ में बहुत से प्रीमीयम जमा नहीं करा पायेंगे और इस पकार फिर वह दिक्कत आने वाली है जो कि पूर्व में 1992 में आपने संशोधन किया था और संशोधन करने के बाद में आप वह स्वयं महसूस करते हैं कि सारे काश्तकार उसका फायदा नहीं उठा पाये। यह स्थिति फिर बनने वाली है इसलिए इसमें पूरा विचार करिये और विचार करके और हो सके तो आप सेक्शन 42 (ए) के तहत, आपने पाबन्दी तो हटा दी है, मगर पाबन्दी हटाने के बाद में भी आप इस बात को समय सीमा में क्यों बांधना चाहते हैं। अच्छा तो यह होता कि आप यह प्रावधान करिये कि "All transfers made in violation of section 42 of Rajasthan Tenancy Act are declared valid or are declared to have been valid retrospectively.

तो इस प्रकार का प्रावधान अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से उनका समुचित रूप से ट्रांसफर्स और ट्रांसफरी दोनों को पूरा फायदा मिलता और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती नहीं। (व्यवधान)......

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण चौधरी : आप संशोधन लाये हैं, यह मंत्री महोदय जवाब दें कि (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर समयबद्धता के रूप में लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंत्री महोदय बतायें कि वे समयबद्ध कार्यक्रम लेना पसन्द करेंगे क्या?

श्री सभापति : बिराजें। रामनारायण जी।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय जो कानून लाये हैं, वह बड़ा फायदे का है लेकिन इसको एक तो आप टाइम बाउण्ड मत करिये। उसको आप हमेशा के लिए कंटीन्यूस रख दीजिये। नियमों में कुछ ऐसा प्रावधान कर दीजिये, पहले आप पांच साल का देंगे तो जब कभी फ्रेगमेंटेशन हो तब उसका फायदा उठा ले, नम्बर एक। नम्बर दो, आजकल सेल और पर्चेज बहुत बड़ी तादाद में नोटेरी पब्लिक से होने लग गयी। इस नोटरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को भी आपको कहीं न कहीं मान्यता देनी चाहिए आर इस आधार पर भी रेगुलराइजेशन होना चाहिए चाहे वह अरबन प्रोपर्टी के लिए हो चाहे काश्तकार के लिए हो, कहीं का भी हो, नोटेरी पब्लिक के पर्चेज और सेल को मान्यता देनी चाहिए। अब आप कहेंगे, इसमें हमारी रजिस्ट्रेशन फीस चली गयी तो रजिस्ट्रेशन फीस जितनी होती है, जिस दिन वह रेगुलराइज कराना चाहता है। उस दिन उस नोटरी पब्लिक के आधार पर, फीस देकर उसका रजिस्ट्रेशन मान लेना चाहिए। यह मैं आपसे चाहता हूं, इसको आप नियमों में भी करिए ऐसा कि इसमें पाबन्दी नहीं रहे, यह चालू रहना चाहिए। आप अभी 5 साल के लिए कर

(श्री रामनारायण चौधरी)

दीजिये, 5 साल के भीतर-भीतर करवा सकते हैं। ऐसी आप लिमिट मत करिये। इसको आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिये। जब कभी फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसके हिसाब से फायदा उठा लें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, मंत्रीजी कानून ला रहे हैं किसानों के लिए बड़ा उपयोगी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सपोज एक बड़ा लड़का है और एक आठ माह का मान लीजिए बाद में बाप के मरने पर उसने रजिस्ट्री करा दी बड़े लड़के के नाम। हमेशा क्या होता है कि जमीन जो इनहैरिटेबल और एक ट्रांसफर करके जो जमीन उसने पर्चेज की है और बड़े लड़के के नाम से रजिस्ट्री करा दी फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद में जो उसने जमीन बड़े लड़के के नाम की है, बाकी जो अपने खातेदारी राइट्स पट्टे के द्वारा मिले हैं, बाप के नाम से जमीन है वह तो म्यूटेशन हो जाता है लेकिन दूसरी जमीन एक बेटे के नाम है, जो कि जोइंट हिन्दू फेमिली है, उनकी कोई फेमिली अलग नहीं है और फिर क्या है कि एक बेटा तो फादर का भी बंट ले लेगा और जोइंट हिन्दू फेमिली के अन्दर जो पर्चेज की है उसको वह भी मिलेगी। मेरा निवेदन है कि बड़े लड़के के नाम जोइंट हिन्दू फेमिली कोई जमीन पर्चेज कर ली है, उसका भी बंटवारा होना चाहिए, आप ऐसा कोई प्रावधान ला रहे हैं ?

श्री रामनारायण डूडी : यह बहुत बड़ी समस्या है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : भाइयों में आपस में बहुत विवाद होते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, पिछले जो भी अनियमित बेचान फ्रेगमेंट के हो गये हैं सभी को एक साथ रेजलुराइज करने का आर्डर कर दिया। मैं इसमें निवेदन यों करना चाहता हूं, थोड़ा अन्तर इसमें ला ब्रेकर और ला अवाइडर के बीच में होना चाहिए। हमने 1964 के अन्दर जो कानून बनाया उसके अन्दर कुछ पाबंदी डाली तो कुछ आदमियों ने तो कानून की पालना की और पालना की उसको तो कष्ट ही हुआ, तकलीफ हुई और जिसने कानून को भंग किया उसके ऊपर किसी तरह की कोई डिटेरेंट सजा या जुर्माना या कुछ रखना इसलिए जरूरी होता है कि यह सिद्धान्त की बात है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहले भी आपने 1889 के अन्दर जब संशोधन किया था उस वक्त भी यह बात उन्होंने रखी है, उसमें पेनेल्टी उस वक्त भी रखी है इसलिए यह प्रावधान तो रखना इस वजह से जरूरी है, दोनों को अन्तर करने के लिए, लॉ अबाइडर और लॉ ब्रेकर में। अब जो बात माननीय श्री रामनारायण जी ने कही है, मुझे इस वक्त याद भी नहीं आ रही, थोड़ा रिमाइन्डर करा दें एक मिनट।

श्री रामनारायण चौधरी : आजकल सेल और परचेज, फ्रेगमेंटेशन नोटेरी पब्लिक के मार्फत ज्यादा हो रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : बात यह है कि यह तो रजिस्ट्रेशन एक्ट और उसका मामला है, मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। नोटेरी पब्लिक को रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं है, केवल वसीयत का अधिकार है, मैं मानने की स्थिति में नहीं हूं। सदन से निवेदन करुंगा कि बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या–27 पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री भंवरलाल शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना विचार एंव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7.53,10,61,000 (सात अरब तिरेपन करोड दस लाख इकसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्तांव सदस्यों ने प्रस्तुत किये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

1. खाजूवाला, छतरगढ़, पूंगल व लूणकरणसर की बाकी बची हुई चक आबादियों में डिग्गियाँ बनाने व पूर्व में बनी डिग्गियों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के अन्तिम गाँव साबनियां, रामसरा, खिलेरियां, अजीतमाना में स्टोरेज टैंक निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. लूणकरणसर व बीकानेर पंचायत समिति की पेयजल योजनाओं के सुचारू तौर पर संचालन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त मोटर पम्पस् के प्रावधान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. बीकानेर पंचायत समिति के उदासर, बमल, पनपालसर, रानीसर, नोरंग देसर, नापासर वह सिंथल गाँवों के गिरते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र की योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु इन्दिरा गांधी नहर के खारा पम्पिंग स्टेशन से नहरी पानी के आधार पर दीर्धकालीन वैकल्पिक योजना निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

5. मंडावा विधान सभा क्षेत्र के लिए जर्मनी के सहयोग से बनी 100 गांवों की जलपेय योजना की क्रियान्विति में राज्य सरकार की ढ़िलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में चालू क्षेत्रीय जल योजनाओं का संचालन सन्तोषजनक रूप से कराये जाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

7. केशवराय पाटन क्षेत्र के रेबारपुरा पचीपला, श्रीपुरा अरनेठा, जैथल, झाली जी का बराना आदि कई गाँवों में वर्षों से पेयजल संकट विद्यमान होने पर भी उसका समाधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. केशवराय पाटन क्षेत्र के नगर कापरेन, केशवराय पाटन, लाखेरी एवं इन्द्रगढ़ में जनसंख्या एवं विस्तार को मध्य नजर रखते हुये पर्याप्त जल आपूर्ति योजना न बनाने एवं स्वीकृति ने देने से वर्षों से हो रही भारी पेशानी पर चर्चा के लिये।

9. हैंड पम्प मिस्त्रियों को सरकारी कर्मचारी के रुप में मान्यता देकर हर दो पंचायत क्षेत्रों पर 50 हैंड पम्पों की जिम्मेदारी देकर जनता को हो रही परेशानी से मुक्ति दिलाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

122

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

10. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के हर वार्ड एवं उनके विभिन्न हिस्सों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों, विद्यालयों, सहकारी, समिति कार्यालयों, बस स्टापों आदि पर हैंड पम्प प्राथमिकता से लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. पेयजल योजनायें बनाने में हो रही प्रशासकीय विलम्व से राहत दिलाने हेतु सम्भागीय स्तर पर ही स्वीकृति अधिकार दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

12. मंडावा कस्बे की पुरानी लोहे की बनी ओवर हैड टैंक को हटाकर आर.सी.सी.का ओवर हैड टैंक कस्बे के दक्षिण भाग में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

13. भरतपुर जिले को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना की क्रियान्विति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. कुम्हरे विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़े हैंड पम्पों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. ग्राम धानोता, सोगर, अवार, अजान, तालफरा, गुनसारा, टांडा, गढी, जालिमसिंह नगला, रावजी, संथरी, अजार, सुनारी, पूठ, पहुआ, नगला इन्दू, जुरहरा, नगला भाट, हेलक, संहती, रन्धीरपुरा, चकमेंना इत्यादि ग्रामों में उत्पन्न पेयजल अभाव को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. यमुना नदी के जल से कुम्हेर कस्बे को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. कुम्हेरे कस्बे को कंजोली लाइन्स भरतपुर के पास राहरा ट्यूब वैल बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्या के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

18. प्रदेश में पेयजल की विकट समस्या के निवारण हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

19. प्रदेश में भूमिगत जल के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. बीसलपुर परियोजना का पानी अजमेर शहर को उपलब्ध होने पर पुष्कर क्षेत्र के ग्राम गनाहेड़ा एवं भांवता से अजमेर शहर एवं रेल्वे विभाग को दिये जा रहे पानी की आपूर्ति रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यकारी योजना (एक्शन प्लान) बनाये जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

21. पुष्कर क्षेत्र में हैंड पम्पों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. बीसलपुर परियोजना से पुष्कर क्षेत्र के ग्रामों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल अपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

23. राज्य के रेगिस्तानी जिलों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु हैण्ड पम्प खोदे जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

24. राज्य में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में नवीनीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेश में पीने के पानी से संकटग्रस्त

(श्री खेतसिंह राठौड़)

गांवों के लिए योजना बना कर समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) :

26. श्री गंगानगर शहर की कच्ची बस्तियों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बस्ती में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. श्री गंगानगर शहर में पेयजल के लिए डाली गई पानी की पाईप लाईन बहुत पुरानी तथा लिकेज होने के बावजूद उसे नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. श्री गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पम्पों का पानी खारा होने के कारण पेयजल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. श्री गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैण्ड पम्प खराब हो जाने और उनका रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं करने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

30. श्री गंगानगर शहर में सीवरेज लाईन की सफाई व संधारण नहीं किये जाने से उसकी हो रही दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर) :

31. खानपुर विधान सभा क्षेत्र के गोलाना ग्राम में ओवर हैड टैंक के निर्माणाधीन कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के कस्बा खानपुर में नई टैंक के निर्माण के बाद भी समस्याग्रस्त बस्तियों में पानी की व्यवस्था नहीं होने से जनता में उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

33. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक नहीं करने के ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

34. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव मस्का महुंडी च कसारवाडी को अनाज नदी से योजना बनाकर पेयजल उलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

36. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हैण्ड पम्प खुदवा कर जनता को पेयजल सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. कुशलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में नागरिकों को नल योजना द्वारा पानी उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

38. पेयजल विभाग से व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) :

39. रेलमगरा (राजसमन्द) की पेयजल योजना के पुराने पाईप न बदलने से पर्याप्त पानी सुलभ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं) :

40. बेगूँ विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों पर हैण्ड पम्प खोदकर पेयजल

(१२४)

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

सविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. खेरपुरा, रायता, बोराप, ठुकराई, चेची में पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. बेगूँ विधान सभा क्षेत्र में स्थाई तौर पर खराब हुए हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

43. पंचायत समिति जैतारण के ग्राम टुकडा, निम्बेडा खुर्द, कठमोर, दलालपुरा, सेवरीया, चैनपुरा में पेयजल की स्कीम स्वीकृत होने के बावजूद ठेकेदारों की लापरवाही से कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

44. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सम्बन्धित जोधपुर जलोत्थान योजना के माधम से जोधपुर शहर को पानी उपलब्ध कराने तथा तीन नये फिल्टर प्लान्ट नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में सीवरेज लाईन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

46. पंचायत मुख्यालय पर हैण्ड पम्प स्कीम को जलदाय योजना में परिवर्तन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. अजमेर जिले के फ्लोराईड युक्त पानी वाले गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रत्येक 2000 की आबादी वाले गांव में पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :

49. गंधेली साहबा जल प्रदाय योजना से लाभान्वित गांवों में प्रशासनिक अयोग्यता और लापरवाही के कारण समुचित मात्रा में जल सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. गँधेली साहबा जल प्रदाय योजनाऐं लाभान्वित गाँवों में दूषित जल सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

51. वर्ष 94-95 में स्वीकृत हैण्ड पम्प टोड़ा-ठेकला-बैरवर ढ़ाणी एवं अनूपपुरा में रैगर ढ़ाणी में नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी में पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. वर्ष 94-95 में स्वीकृत हैण्ड पम्प नगरपालिका क्षेत्र में अब तक भी नहीं लगाए जाने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

54. नगरपालिका लालसोट क्षेत्र में विभाग द्वारा वार्ड नंम्बर 6 में एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए निजी खातेदारी भूमि में हैण्ड पम्प लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. पंचायत समिति लालसोट के गांवों में खराब हैण्ड पम्पों के स्थान पर नवीन हैण्ड पम्प नहीं लगाने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

56. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में पेयजल संकट को हल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. तहसील लक्ष्मणगढ (अलवर) को पेयजल योजना दोंगड़ी-सलालपुर को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

58. जिला अलवर के कस्बे गोविन्दगढ़ को सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. तहसील रामगढ़ (अलवर) के ग्राम बांधोलो, खोजाका, आदनीका को पेयजल उप्लब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

60. ग्राम पंचायत सिरोही पंचायत समिति नीम का थाना की ढाणियों में व्याप्त भीषण पेयजल संकट के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

61. बून्दी में टंकियों के अभाव एवं गांवों में टंकियों व हैण्ड पम्प के अभाव से जनता को हो रही परेशानी के कारण पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

62. जिला सवाई माधोपुर में टंकियों के खाली पड़े रहने, हैण्ड पम्पों के खराब होने व योजनाओं के स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

63. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भोमादा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. जवाजा पंचायत समिति के बराखन, आसान, बामन हैडा, बड़ा खेड़ा, बंजारी पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कोटा का नाका बांध बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

65. हैण्ड पम्प दुरूस्ती अभियान को गति प्रदान करने एवं पुराने सड़े गले सामान की जगह नया सामान तत्काल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. रावतभाटा पेयजल व्यवस्था को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चार्ज में लेकर संधारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

67. नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुरानाबास की ढाणियों में खारा पानी होने के कारण ट्यूब वैल लगाकर पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुवार (ग्राम पंचायत गनेश्वर) को पेयजल समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गांवोली (एस.सी.) पेयजल के गम्भीर संकट को जी.एल.आर. बनाकर हल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. पंचायत समिति नीम का थाना के ग्राम पंचायत रामपुरा बेगा नांगल के रामपुरा गांव में पेयजल की कमी के कारण वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) :

71. रामगंज मण्डी क्षेत्र में पेयजल के अभाव को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. कोटा शहर व आस-पास के ग्रामीण इलाकों में पेयजल के अभाव एवं हैण्ड पम्पों के खराब रहने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

73. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम श्यामपुरा-मेनाणा, मोई सद्दा, शहदपुर (शाहपुर) एवं ग्राम नावता (ग्राम पंचायत पेचरी छोटी) में पानी की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम ढाणा-तन सिंधाना जिसमें अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति की है, में पेयजल की अत्यन्त कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र) सूरजगढ़ के ग्राम कुहाड़वास एवं भवथरी में पानी की अत्यन्त कमी से उत्पन्न गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) :

76. तहसील कोटपूतली के ग्रामों में नये हैण्ड पम्प न लगाने तथा खराब हैण्ड पम्पों को ठीक न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

77. जयपुर जिले के कोटपूतली तहसील में ग्राम टोरड़ा, गुजरान, सुंदरपुरा, ठाठा, कारोली, चिमनपुरा इत्यादि में पानी की टंकी न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. बनार ग्राम तहसील कोटपूतली में उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) :

79. मेहन्दीपुर बालाजी में पेयजल योजना स्वीकृत होते हुए भी अभी तक कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. सिकराय विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के मोहल्लों में पर्याप्त हैण्ड पम्प न लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. सिकराय क्षेत्र के ग्राम नांदरी, करोड़ी ठिकरिया, उदयपुरा पाचोली, कालवान में नल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

82. जमवारामगढ़ क्षेत्र को डार्क जोन से निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. राज्य के पांच बड़े नगरों में दुकानों व मकानों पर मात्र बोर्ड लगाने पर ही वाणिज्यक शुल्क लिये जाने से उत्पन्न जन असन्तोष तथा उक्त अव्यवहारिक शुल्क को तत्काल हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. गांवों में सूखे खराब बेकार पड़े हैण्ड पम्पस हटवाकर, उनके स्थान पर अनिवार्य रुप से नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. राज्य में जल संग्रहण क्षेत्रों की मरम्मत न कराये जाने से सारा वर्षा का जल बहकर चले जाने से भूतल जल में आ रही कमी से भविष्य में हैण्ड पम्पों की असफलता की आशंका से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. जयपुर में बनास योजना को क्रियान्वित किये जाने में विभाग की ओर से की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जा रही देरी से गहरा रहे जल संकट समाधान में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

87. हैण्ड पम्प योजनान्तगत सभी ग्रामों में उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

88. फ्लोराइड युक्त पानी से समस्याग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :

89. अलवर में गिरते जल स्तर को देखते हुए गांव की जलप्रदायी योजना जल्दी चालू कर अलवर को जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. अलवर में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को तत्काल अभियान चलाकर नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. राज्य में सूखे व बेकार हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. अलवर शहर की बढ़ती जनसंख्या व पुरानी पाइप लाईन को देखते हुए नई पाईप लाईन ड़ालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह (दीगोद) :

93. पेयजल की कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई समस्या को स्थाई रुप से हल करने की दृष्टि से योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

94. निर्वाचन क्षेत्र खण्डार में नये हैण्ड पम्प लगाये जायें तथा खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

95. पानी के लगातार गिरते स्तर को देखते हुए नये हैण्ड पम्प लगाते समय 400 फुट तक खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

96. धौलपुर जिले की करी मपुरेनी एवं सरानी खेडा क्षेत्रीय योजनाओं से पूरे क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं कराये जाने से जनता में उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

97. जिला धौलपुर में मरौली-साहनपुर पेयजल योजना निर्माण कार्य बन्द है सिर्फ सी. डब्ल्यू. आर. बना है जी. एल. आर. और पाईप लाईन के कार्य बन्द हैं वह पाईप लाईन अधूरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के वसई नीम ग्राम में खारा पानी से उत्पन्न भयंकर पानी की समस्या का निवारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सेपऊ एवं ग्राम तसोमा में जलप्रदाय योजना के बावजूद भी पीने का पानी पूरा नहीं मिलने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

100. धौलपुर नगर में बढ़ती आवादी व बस्तियों के विस्तार से पेयजल समस्या, पुरानी पाईप बदलवाने एवं धौलपुर नगर को पुनर्गठित योजना बनाने एवं हुड़को द्वारा स्वीकृत कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू लाल वर्मा (डग) :

101. डग क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

102. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम सेलड़ी में नई बसी हुई अनुसूचित जाति एवं जनजाति में पेयजल की भंयकर समस्या के निवारण हेतु नया जी.एल.आर. बनाने एवं पाइप लाइन बिछाकर जल आपूर्ति चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम रोडला, तरवाडा, एवं रूण्डमाल की ढ़ाणी में पेयजल की भंयकर समस्या के निवारण हेतु नया ट्यूबवैल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम सराणा,, बावड़ी, सांडण, छोगाड़ी एवं कोटडा में जल आपूर्ति की भंयकर समस्या के समाधन हेतु वेडीया ग्राम की सरहद में बनाये गये नए ट्यूबवैल से शीघ्र जल आपूर्ति चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम धाणा एवं बरवा में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु रामा ट्यूबवैल से 22000 आर.डी.नहर तक डाली कई नई पाइप लाइन को कमीशन कर जल आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम नया रामा, बिजली एवं गोपाल नाडी में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नया रामा गांव के लिये अलग पाइप लाइन डालकर जल आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दातांरामगढ़) :

107. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के मौहल्लों में पानी नहीं दिये जाने के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

108. ग्राम वंणिया का बास पंचायत समिति दांतारामगढ़ सीकर में पानी की भयंकर समस्या पर चर्चा के लिये।

109. पूर्ण रूप से खराब हैण्ड पम्प के स्थान पर नये हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. हैण्ड पम्प सुधार व्यवस्था पंचायत समितियों के स्थान पर पंचायतों को दिये जाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. जीण माता, रलावता, नीमेडा में व्याप्त पेयजल संकट का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :

112. ग्राम डाबक्यारी व डाबपनोरा में यथाशीघ्र पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. सीकर शहर की पेयजल पाइपों का गन्दे नाले में से होकर जाने से पेयजल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. स्वीकृति हैण्ड पम्पों को यथाशीघ्र लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) :

115. निवाई कस्बे को पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

116. सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र के मण्डोर नयापुरा, मगरापुजला, पहाड़िया वेरा, भकरवाला व बासनी तम्बौलीया क्षेत्र में पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार करने हेतु मण्डोर पहाड़ी पर उच्च जलाशय का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. जोधपुर लिफ्ट के पम्पिग स्टेशन से आठ की निर्मित दो सौ पच्चास मीटर आर.सी.सी. की नहर को गुणवता के अनुसार मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. जोधपुर शहर के दो प्राचीन जलाशय तालाब व फतेहसागर के आस-पास आबादी बस्तियां बस जाने से मगराजी का टांका, हनुमान जी कालोनी कागा, जनता कालोनी, कागा हरिजन बस्ती, राम मोहल्ला, छीपा कॉलोनी, कागा कागड़ी कलाल कालोनी, बागर बेलदारों की बस्ती, निमच चौक और बस्तियों के सिवरेज का गन्दा पानी इन तालाबों में आने के कारण यह तालाब गन्दगी व कचरे के पात्र बन गये हैं जिसके कारण मच्छरों के कारण व भूमिगत पानी भी दूषित हो रहा है इसलिये सिवरेज पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में सिवरेज लाइन डलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. जोधपुर लिफ्ट नहर से लक्ष्य के अनुसार ज़ोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र में हुड़को पाइप लाइन योजना के अन्तर्गत एक उच्च जलाशय का निर्माण कराया जाकर मदेरणा कालोनी, कीर्ति नगर, रामसागर, भदवासिया, तिलक नगर, शक्ति नगर, बी.जे.एस. कालोनी, लक्ष्मी नगर इत्यादि क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

121. बांदीकुई क्षेत्र में पेयजल की समस्या निवारण हेतु कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

122. गंगापुर सिटी हेतु पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के खराब पड़े हुये हैण्ड पम्पों की मरम्मत एवं जो हैण्ड पम्प बेकार हो चुके है उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र की समस्त पेयजल की प्रस्तावित योजनाऐं जो विभाग में विचाराधीन हैं उन्हें शीघ्र स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

125. डूंगरपुर जिले के गांवों में जो हैण्ड पम्प रख रखाव के अभाव में खराब हो गये हैं उन्हें ठीक कराकर ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)

126. बीसलपुर परियोजना में अवांछनीय विलम्ब के कारण अजमेर की जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा)

127. पनगट योजनाओं की क्रियान्विति हैण्ड पम्प संधारण व छोटी सादड़ी पेयजल योजना तुरन्त पूरी कराने की आवयकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

128. सोजत शहर व तहसील में पेयजल की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

129. जोधपुर शहर में जीर्ण-शीर्ण सिवरेज लाइन को बदलकर नई सिवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. जोधपुर शहर में ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी की सप्लाई नहीं होने के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

131. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 100 हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव करावडा, थाणा एवं बन्जाखाडा में नल योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. खैरवाड़ा तहसील के गांव बडला में पेयजल समस्या के समाधान के लिये नल योजना लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

134. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में अधूरी पानी की टकियों का कार्य शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्पों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

136. सिरोही एवं शिवगंज नगर की पुरानी एवं कम क्षमता वाली पाइप लाइनें बदल कर पूरे शहर को समान पेयजल वितरण संबंधी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. शिवगंज तहसील के गांव बादला, गोडाना, रोवाडा गोलिया, आल्पा को गांव गोला, मोचाल, वाडका, अन्दोर, सगालिया, आदि में शुद्ध पेयजल व्यवस्था एवं पाइप लाइन वाले गांवों की अधूरी गलियों में पाइप लाइनें डलवाने, हैण्ड पम्प मरम्मत करवाने नये हैण्ड पम्प खुदवाने, आवश्यकतानुसार टंकी आदि का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. सिरोही जिले के अन्य जिलों की तरह पशुओं की भी गणनानुसार विभाग द्वारा पेयजल की मात्रा-निर्धारण किये जाने की आवयकता पर चर्चा के लिये।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर)

139. मडौली योजना से भरतपुर शहर में पेयजल व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. पंचायत समिति सेवर में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

141. त्वरित जल योजना कन्टिनजैन्सी योजनाओं के लिये अक्टूबर से दिसम्बर तक योजनाएं बनाकर जनवरी में राशि आबंटन करा मार्च तक पेयजल सुलभ कराने की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

142. बनास नदी के पेटे में स्थायी रूप से भरे रहने वाले पानी से स्थायी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं निर्माण कराकर समस्या का स्थाई समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की कोटडी तहसील की स्वीकृत लम्बित योजना पर पूरी राशि का प्रावधान कराने तथा मंशा एवं हाजीवारा आदि ग्रामों की पेयजल समस्या के लिये बनी जलप्रदाय योजनाएं शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. ग्रामों में 1991 की जनसंख्या के अनुपात से मानदण्ड के अनुसार नये हैण्ड पम्प बनाने तथा नये मजरे ढाणी में हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. जहाजपुर तहसील के ग्रामों की लम्बित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति नहीं करने से उदासीनता के कारण जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

146. तहसील कोटडा मुख्यालय पर स्थानीय लोगों के आजादी के 48 वर्षों बाद भी शुद्ध पेयजल की स्थाई व्यवस्था नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पेयजल के संसाधनों की कमी के कारण जनजाति के परिवारों को नदी, नालों व फ्लोराइड युक्त पानी पीने से बीमारियों से पीड़ित होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. जनजाति उपयोजना क्षेत्र की तहसीलों में जनता को शुद्ध पेयजल योजना की कमी से जनता जल योजना बनाने एवं नवीन हैण्ड पम्पों व पी एण्ड टी योजनाओं के विस्तार पर चर्चा के लिये।

149. माडा क्षेत्र की पंचायत समिति में भी जनता जल योजना, लागू करने व वर्तमान पेयजल योजनाओं में सुधारीकरण व विस्तार करने पर चर्चा के लिये।

150. पेयजल के पुराने स्रोतों को गहरा करने एवं मवेशियों के लिये पीने के पानी हेतु नये ओपन वैल खुदवाने व इन कुओं से भी पेयजल सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा)

151. ग्राम मोहनपुरा कुएं के पास व ग्राम मालियों की ढाणी में हौज बनाने तथा मोहनपुरा सिंधियों की ढाणी में बने हुये हौज को पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. आराबा उड़ो की वास में कुएं से आराबा उड़ो की वास में बने जी. एल. आर. को पाइप लाइन से जोड़ने की आवयकता पर चर्चा के लिये।

153. मण्डली ग्राम में तालाब की तरफ सड़क के उत्तर में मीठे पानी के हैण्ड पम्प की जगह एक ओपन वेल शीघ्र खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. देरिया से मूल की ढाणी की स्वीकृत योजना शीघ्र ही कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. साहेबो की ढाणी डोली खुर्द को पेयजल से लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

156. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की सुविधाएं सुचारु रूप से प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा अंधाधुंध जल स्त्रोतों का उपयोग करने पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल)

158. विधान सभा क्षेत्र माण्डल की कई ढाणियों, मंजरों आदि में हैण्ड पम्प लगाने व खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. माण्डल क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत की गई जलप्रदाय योजना, सांगवा, तिलोली एकलिंगपुरा, 2टुका भोजपुरा, बावड़ी थाबोला, हीसनिया, आलपास, चान्दरास, जोरावरपुरा, उमरी, कीड़ीमाल, पीथास आदि के द्वितीय चरण को स्वीकृत करा योजनाओं को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. माण्डल तहसील जिला भीलवाड़ा के ग्राम दही यथा गोरख्या, भभाणा, गोरधनपुरा, मालास कबराड़िया, कालूखेड़ा, गुन्दली कोचरीया, सेंतुरीया, काराई, दुडिया, जोरावरपुरा, बांकली, बड्डू सहनून्दा, रामपुरिया, चावंडीया, मोमी, चांखेड़, लेसवा, नोगांवा आदि में पेयजल सुविधा नहीं होने व गांवों में पानी खारा होने से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

161. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र की पीने के पानी की विकट समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

162. चन्देरिया इण्डस्ट्रीज एरिया में तथा क्षेत्र की दो हजार की आबादी वाले समस्त ग्रामों में पेयजल योजना चालू करने एवं जिला चित्तौडगढ़ द्वारा स्वीकृत ट्यूब वैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)

163. आसीन्द तहसील में रामपुरा, सपोला, अखेगढ़ गांव में फ्लोराइड युक्त जल पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. आसीन्द तहसील में आसीन्द शहर में हुडकों की स्कीम जल्दी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

165. तहसील झाडोल तथा कोटड़ा के ग्रामीण इलाकों में समुचित हैण्ड पम्प नहीं लगाने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

166. कोटड़ा में बनी पुरानी नल योजना का पुनर्गठन किया जाकर समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. झाड़ोल तहसील के गांवों में नल योजना स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

168. प्रदेश में पेयजल योजनाओं के गलत संधारण से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

169. ग्राम दयालपुरा एवं बाड बाबूपुरा में लगे हैण्ड पम्प लगभग एक वर्ष से खराब पड़े

(श्री दयाराम परमार)

है। उन्हें दुरूस्त नहीं कराये जाने के फलस्वरूप गर्मी के मौसम में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

170. राज्य की प्रत्येक हरिजन बस्ती एवं ढाणियों में पीने का पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. पुरानी जल प्रदाय योजनाओं को बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये उनकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. जहां-जहां भी हैण्ड पम्प लगे हुए हैं वहां जलप्रदाय योजनाओं का पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. बड़े-बड़े गांवों में ओवर हैड टैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

174. सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या पर चर्चा के लिये।

175. झुंझुनूं जिले में राज्य सरकार द्वारा पीने के पानी हेतु पूर्व में स्वीकृत टंकियों/टैंक आदि का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं)

176. झुंन्झुनूं जिले में पानी का स्तर गिरने व कई ग्रामों में पानी पीने के लिये उपलब्ध ही नहीं होने एवं ग्राम ठोसी तहसील खेतड़ी (झुंझुनूं) में हरियाणा से ग्रामवासी पानी लाने, इसी प्रकार से कई अन्य ग्राम-शिमला, ककराय, बबाई आदि में पानी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

177. झुंझुनूं जिले में पीने के पानी की गम्भीर समस्या एवं जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

178. राज्य सरकार द्वारा 1989-90 में स्वीकृत उच्च जलाशयों के माध्यम से अभी तक सम्बन्धित ग्रामवासियों को पानी सप्लाई न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

179. नैनवा शहर तथा समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र के हितार्थ सूरसागर उर्फ सूर्या तालाब बड़ी पड़ाप के कार्य को जलदाय विभाग के माध्यम से पूर्ण करवाने के लिये सरकार द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करवाने से व्याप्त जन असन्तोष पर पर चर्चा के लिये।

180. नैनवां तहसील के ग्राम आंतरदा तथा रेठोदा में पेयजल उपलब्धता के लिए ट्यूब् वैल खोदे जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

181. ग्राम बन का खेड़ा (बून्दी) को क्षेत्रीय जल योजना रायथल में सम्मिलित नहीं करने से ग्रामवासियों को मिल रहे खारे एवं अशुद्ध पेयजल के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिये।

182. बालाजी का स्थान ग्राम बीचड़ी तथा वन चौकी खटकड़ (बून्दी) के समीप व्याप्त पेयजल समस्या के निराकरण हेतु हैण्ड पम्प स्थापित करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

183. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना रायथल (बून्दी) से ग्रामीणों को जल आपूर्ति आरम्भ नहीं करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां (सादुलपुर)

184. जिला चूरू के तहसील राजगढ़ के ग्रामों में जी. एल. आर. की छतें टूटी हुई होने के कारण ग्रामीणों को दूषित पेयजल उपलब्ध होने तथा ग्राम सुलखानिया छोटा के कुंए पिछले 3-4 साल से खराब पड़े रहने से ग्रामीणों को हो रही कठिनाई के सबंध में चर्चा के लिए।

185. जिला चूरू के तहसील राजगढ़ में खारे पानी को मीठा पानी में बदलने के प्लांट पिछले 4-5 वर्षों से बन्द पड़े हुये होने के कारण जनता को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

186. गन्धेली साहवा पेयजल योजना की धीमी गति से हो रहे कार्य पर चर्चा के लिये।

187. चूरू जिले की तहसील राजगढ़ एवं तारानगर के ग्रामों में पीने के पानी के घोर संकट एवं आगामी गर्मी के मौसम में और अधिक संकट होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. गन्धली-साहवा पेयजल योजना के क्लोजर की नहर में मिट्टी निकालने में किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छाबडा)

189. छीपाबडौद तहसील के ग्राम राजपुरा जागीर पंचायत गोरधनपुरा में पेयजल की व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. छीपाबडौद तहसील के ग्राम मोखमपुरा, देवरीमून्ड में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

191. छबड़ा तहसील की बटावदा ऊंचा व चौकी मोतीपुरा के पेयजल योजना निर्माण कार्य एक वर्ष पूर्व पूरा हो जाने के उपरान्त भी गांव वालों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांति लाल खोईवाल (राजसमन्द)

192. कॉकरोली की पेयजल योजना विस्तार की स्वीकृति के 4 वर्ष बाद भी कार्य पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

193. रेलमगरा कस्बे में सड़ी-गली पाइप लाइन को नहीं बदलने से पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

194. नवोदय विद्यालय राजसमंद के पास गाडरियावास में पेयजल पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध न कराने से उत्पन्न समस्या के बारे में चर्चा के लिये।

195. कैलवा में विभागीय कुएं के ध्वस्त होने के दो वर्ष बाद भी मरम्मत नहीं होने से पेयजल समस्या उत्पन्न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा)

196. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति तिजारा एवं पंचायत समिति कोट कासिम के अन्तर्गत नलकूपों पर टंकी (उच्च) का निर्माण कर पाइप लाइनों के जरिये पानी की सप्लाई करने एवं कस्बा तिजारा एवं टपूकड़ा में अतिरिक्त नलकूप निर्माण एवं सप्लाई हेतु चर्चा के लिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली)

197. हिन्डौली क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु चर्चा के लिये।

198. कोटा शहर में पेयजल पूर्ति हेतु पुरानी पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

199. बारां नगर में पेयजल समस्या का निराकरण करने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)

200. सांगानेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा एवं आकोडिया के विभिन्न गांवों में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ग्यारह प्रतिशत तक पंहुच चुकी है जिससे स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। अतः पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. चाकसू पंचायत समिति क्षेत्र के गांव आकोड़िया, शील की डूंगरी आदि गांवों के अनुसूचित जाति के परिवारों के लिये पीने के पानी की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

202. सांगानेर पंचायत समिति क्षेत्र के गांव लखेसरा, रूपवास, पावलिया आदि अनुसूचित जाति क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुवा)

203. विधान सभा क्षेत्र महुवा में स्वीकृत नलकूप एवं हैण्ड पम्पस् को ड्रिलिंग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र महुवा में स्वीकृत क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं की क्रियान्विति में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा)

205. टौंक तहसील में स्थित ग्रामों में फ्लोराइड युक्त पानी के कारण विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त ग्रामवासियों को स्वच्छ जल नहीं मिलने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

206. पेयजल हेतु बनास नदी पर ईसरदा बांध का निर्माण न होने से व्यर्थ में बह रहे पानी से चिंतित लोगों की असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

207. टौंक तहसील के ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई विभिन्न जल योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

208. टौंक शहर की वर्तमान 1995 तक की पेयजल योजना पूर्ण हो जाने के पश्चात् आगामी पेयजल योजना की स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

209. टौंक जिले में भूमिगत जल के नीचे गिरते स्तर को रोकने हेतु सतही जल को रोक कर उसका उपयोग नहीं करने के कारण पेयजल हेतु हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

210. जयपुर की रामनगर (शास्त्री नगर) आवासीय कॉलोनी में पाइप लाइन के लीकेज ठीक करने, अवैध बूस्टरों की प्रभावी रोकथाम करने एवं उचित दबाव से पेयजल वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)

211. जिन गांवों में जीएलआर (टंकियां) बनी हुई हैं उन गांवों में पाइप लाइन डालकर मौहल्लेवाइज प्वांइट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

212. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मलार मस्जिद की ढाणी, ग्राम पिपाड़ रोड़ के

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मालियों की ढाणी, नाथू खां की ढाणी, खोखरिफां, रामड़ावास कलां, रामड़ावास खुर्द, कोसाजा में मालियों की ढाणी, जाखडों की ढाणी, रणसीग्राप में फड़ाकों की ढाणी, बड़ियारों की ढाणी, ग्वालों की ढाणी, मुरकासडी में जटियों की ढाणी में पेयजल की समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

213. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय स्त्रोत ग्राम मलार ब्राह्मणों की ढ़ाणी का कुआं, पीपाड रोड़ में नाथू खां की ढाणी का कुआं, रावजियाजा में रोमराड़ों की ढाणी का कुआं, पिचियाका में रायकों की ढाणी का कुआं को पेयजल के लिये शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

214. पिपाड़ शहर बीड सांखलों का बेरा, सोलंकिया बेरा, बिलाड़ा शहर एवं जटियों के मौहल्ले में व्याप्त पानी की समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

215. नये राजस्व ग्राम सिन्धिपुरा (बिलाड) पिपाड़ शहर के पास पीने के पानी के लिये नये नलकूप खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)

216. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के ग्राम उदयपुर गिलाहरिया, श्रीराम गोविन्दपुरा, टोडी रमजानपुरा एवं खातीपुरा में पानी का स्तर बहुत नीचे चले जाने एवं सरकार द्वारा पीने का पानी हैण्ड पम्प अथवा अन्य साधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

217. भांगेसर, खेतावास, सापां एवं सोविणिया गांवों में पीने का मीठा पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. नया गांव पंचायत सापां, पाली, जाड़न राष्ट्रीय मार्ग पर मठ के पास में पीने का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. पंचायत झींतड़ा इन्द्रों की ढाणी में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुये मौजूदा पाइप लाइन को बड़ी पाइप लाइन में बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र पाली के जैतपुर, मान्डावास, गैलावास, पांचपदरिया आदि गाँवों के तालाब को जवाई नहर के पानी से भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. पाली शहर में मास्टर कॉलोनी, हैदर कॉलोनी, राइको की ढाणी, अम्बेडकर नगर, शिव कॉलोनी, भाटों का बास (भटवाड़ा-जोधपुर रोड़) केशव नगर बस डिपो के पास सुमेरपुर रोड़ पर पीने का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)

222. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पीएचईडी की 50% स्कीम अधूरी पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

223. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अधिकारी (ग्रामीण वृत्त) का कार्यालय नसीराबाद नगर में होने की आवश्यकता के बावजूद न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. बीसलपुर योजना की पाइप लाइन के दोनों ओर 5-10 किलोमीटर की परिधि में आने

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

वाले गांवों को इस योजना से पेयजल उपलब्ध न कराने से इन गांवों में व्याप्त आक्रोश व उससे इस पाइप लाइन की तोड़-फोड़ की सम्भावना पर चर्चा के लिये।

225. नसीराबाद शहर को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

226. नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में हैण्ड पम्पों का संधारण, रख रखाव व छोटी व बड़ी मरम्मत की माकूल व्यवस्था न होने से पेयजल की भीषण समस्या के निराकरण में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

227. नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के गांव गादेरी, रामपुरा (लोहारवड़ा), अर्जुनपुरा जागीर, गोला गांव के मजरे, खेडा पृथ्वीराज, अमृतपुरा, गीगलपुरा, तिरतडी, गांव कानपुरा में पोटेबल जल, श्रीनगर, पंचायत के मजरे बाडा, बावड़ी, जेठान व ग्राम नारेली में जल योजना की विफलता, पंचायत पालरां के गांव कल्याणीपुरा को अजमेर जलदाय योजना से पेयजल उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)

228. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अब तक खराब पड़े हैण्ड पम्प ठीक करने व बनकर तैयार पड़ी टंकियों की व्यवस्था को चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

229. टी.एस.एस. लूनियावास तहसील सांगानेर में बनी टंकी तक व भावगढ़ बन्दया तक पाइप लाइन डालकर लाखों रूपये व्यय करने के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

230. बस्सी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा जनता जल योजना के तहत दी गई दरख्वास्तों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. लक्ष्मीपुरा, बापूपुरा, नांगल बोहरा, हंसमहल, हरड़ी कून्थाड़ा, गरूडवासी की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विभिन्न गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी व अन्य पेयजल समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल स्कीमों की स्वीकृत में आ रही बाधा के निराकरण पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर)

233. सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में विभाग की लापरवाही के कारण पीने के पानी की भयंकर कमी होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

234. सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर कस्बे में पीने के पानी का वितरण सिस्टम सही नहीं होने के कारण उत्पन्न भयंकर परेशानी पर चर्चा के लिये।

235. सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मेहरासर चाचेरा में पीने के पानी की टंकी की जर्जर स्थिति के कारण उसके ढह जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

236. सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के गांव राजास, बलाल, खेजड़ा में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण जनता को हो रही भयंकर परेशानी बाबत चर्चा के लिये।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री सभापति : श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदय, आज हम एक ऐसी मांग पर चर्चा कर रहे हैं जिसका बहुत बड़ा मानवीय पहलू है। यह राजस्थान के लिए एक समस्या रही है पर इस समस्या की देन किसी की नहीं है। यह कोई राजनीतिक देन नहीं है,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

न यह कांग्रेस की दी हुई समस्या है, न यह भारतीय जनता पार्टी की दी हुई समस्या है, यह किसी की दी हुई समस्या नहीं है। यह प्रकृति की दी हुई समस्या है। इसी पेयजल की समस्या पर जब पिछली बार हम चर्चा करते हैं और किसी भी सरकार को जब कटघरे में डालने की हम कोशिश करते हैं तो इस पेयजल समस्या के ऊपर एक समग्र रूप से चिंतन आपके दिमाग में रहे और उसे बाद में अगर हम यहां पर चर्चा करके उस समस्या के समाधान की बात करेंगे तो राजस्थान की जनता जिस कारण से हमको यहां भेजती है उस चीज की हम पूर्ति करने में सक्षम होंगे। माननीय सभापति महोदय, हम सब को पता है कि राजस्थान का थ्री-फिफ्थ इलाका या तो एरिड जोन से बिलांग करता है या सेमी ऐरिड। अरावली के पश्चिम के इलाके में, उत्तर पश्चिम का पूरा का पूरा इलाका या तो शुष्क है या अर्द्ध शुष्क। हिन्दुस्तानी की जिस प्रदेश के अन्दर दस प्रतिशत जमीन आती हो, जिसका एरिया दस प्रतिशत हो, जिसमें हिन्दुस्तान की और देश की पांच प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हो और उसके पास में वाटर रिसोर्सेज के नाम पर केवल एक प्रतिशत हो, तो निश्चित रूप से समस्या पैदा होगी। पांच प्रतिशत देश की जनसंख्या को एक प्रतिशत देश के जल संसाधन से पानी पिलाना इतना आसान काम नहीं है और उसमें भी खास तौर से एक ऐसा प्रदेश जिसका बहुत बड़ा भू-भाग शुष्क हो, मरूस्थलीय हो। एक ऐसा प्रदेश जिसके अन्दर रेन फाल का पैटर्न अनइवन हो, एक ऐसा प्रदेश जिसके अन्दर रेनफाल का पैटर्न न केवल अनइवन हो बल्कि उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं हो। कभी मानसून आयेगा, कभी तेज आयी और साइक्लोनिक बरसात एक साल में एक बार आती है बरसात के महीने में बरसात आती है, दो-तीन महीने बरसात आती है, आती है तब जोर से आती है और जब जोर से बरसात आती है सभापति महोदय, तो ज्यादातर यह सरफेस क्वाटर, यह फ्लो वाटर बह कर चला जाता है। यह टेप नहीं हो पाता। हमारे पठारी इलाके के अन्दर जरूर बरसात होती है। अब पठारी इलाके में बरसात होती है लेकिन उस बरसात के अन्दर वहां भी कमी आ रही है। बरसात में वहां कमी आ रही है। डिफोरेस्टेशन के कारण। लगातार वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वनों की कटाई होने से बरसात के अन्दर जो रिद्म होती थी वह रिद्म टूट रही है, रेन फाल कम आ रही है और उस पठारी प्रदेश के अन्दर भी यह समस्या पैदा हो रही है। जल संसाधन हमारे पास में बहुत कम हैं और इसके अलावा राजस्थान के इतने बड़े तबके को, चार करोड़ के ऊपर की जनसंख्या को पानी पिलाना है, इसमें समस्या निश्चित रूप से आयेगी। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को, जिसने मोटे तौर के ऊपर 95 प्रतिशत से भी ज्यादा गांवों में किसी न किसी रूप में पेयजल की व्यवस्था की है। अब सवाल आता है कि पेयजल की व्यवस्था को संगठित कैसे किया जाय, उसके अन्दर सुधार किया जाय, उसको ज्यादा सुविधासम्मत कैसे बनाया जाये। सरकार इस बात की लड़ाई लड़ रही है, इस बात की चिंता चल रही है। सभापति महोदय, मैं इस बात पर आने से पहले इतना ही आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर 222 नगर हैं 37 हजार से ऊपर गांव और 45 हजार से ज्यादा ढाणियां हैं, 73 प्रतिशत जनसंख्या यहां पर गांवों में निवास करती है।

यहां पर हमारी जो पानी की समस्या है, न केवल यह समस्या है कि हमारे यहां पानी के रिर्सोर्सेज एक प्रतिशत हैं, दूसरी समस्या हमारी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

यह भी है कि राजस्थान के अन्दर पानी जहां पर है उस इलाके में, बहुत बड़े इलाके में, तकरीबन 23 से 24 प्रतिशत इलाके के अन्दर, 23 से 24 प्रतिशत गांवों के अन्दर, ढाणियों के अन्दर हमारे पास पानी है लेकिन सेवाइन पानी है, लवणीय पानी। पानी है लेकिन वह पानी फ्लोराइड का पानी है, पानी लेकिन वह नाइट्रेट का पानी है, अब उस पानी को हम जनता को पिला नहीं सकते। जल संसाधन हमारे पास कम हैं तो इस समस्या का तीखापन गर्मियों में महसूस होगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 45 हजार ढाणियों में से 9 हजार के करीबन ढ़ाणियां और गांव लवणीय हैं, 16 हजार के करीबन उसमें फ्लोराइड है। अब उस स्थिति के अन्दर एक तकलीफ और बढ़ जाती है। यह मानवीय समस्या है और मानव ने इस समस्या को और एग्रीवेट करने में अपना योगदान किया है। आज हमारे पास पानी है उसमें पोल्यूशन हो रहा है, इण्डिस्ट्रियल पोल्यूशन होरहा है। पाली में हुआ, बालोतरा में हुआ, छपाई के कारण पानी के अन्दर पोल्यूशन हुआ और पानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा। न केवल पानी ड्रिंकिग वाटर नहीं रहा, अन्डरग्राउन्ड वाटर के टेबल को उसने पोल्यूट कर दिया और वह पानी भी अब पीने की स्थिति में नहीं है। इसलिये हमने इस समस्या को बड़ी तकलीफ की स्थिति में पहुंचाया है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर इर्रिगेशन का सिस्टम, एग्रीकल्चर का सिस्टम बहुत पुराना चल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने थ्रस्ट दिया है लेकिन हमारे इर्रिगेशन का तरीका और हमारे खेती करने का तरीका आज भी वही ट्रेडिशनल है, जिसके अन्दर पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा है। जिस पानी का उपयोग हम खेती के अन्दर बहुत कम रूप में कर सकते हैं, या अनुकूलतम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह सब कारण हैं सभापति महोदय, जिन कारणों से पानी की कमी इसका तीखापन, जनता को ज्यादा महसूस होता है, हमको इस समस्या को ज्यादा महसूस करना पड़ता है। हमारे यहां रिचार्जिंग का सिस्टम भी उतना एफिसियेंट नहीं है जितना रिचार्जिग का सिस्टम हमारे यहां पर होना चाहिए। हालत यह है कि आज हमारे पास 237 पंचायत समितियों में से 70 पंचायत समितियां डार्क जोन में आ चुकी हैं और 26 पंचायत समितियां ग्रे जोन के अन्दर हैं। यह रिचार्जिंग का सिस्टम भी हमारे यहां पर नहीं है। हमारे यहां रिचार्जिंग नहीं हुई हैं। पानी लगातार गिर रहा है, वाटर टेबल लगातार गिर रहा है, कोई-कोई इलाके में छह-छह मीटर तक वाटर टेबल नीचे चला गया है। अब राजस्थान की जितनी भी पेयजल योजनायें हैं उनमें से 80 प्रतिशत योजनायें तो केवल भूगर्भीय जल पर आधारित हैं। भूगर्भ के पानी का लगातार हम दोहन कर रहे हैं, अब उस भूगर्भ के पानी का लगातार दोहन करने से और उसकी रिचार्जिंग नहीं होने से अब डार्क जोन बढ़ेंगे और डार्क जोन बढ़ने से जयपुर की, राजस्थान की जनता की प्यास को हम बुझा पायेंगे और लम्बे समय तक बुझा पायें, इसकी संभावनायें क्षीण हो जाती हैं। इसलिए सभापति महोदय, इस पोल्यूशन के कारण, पानी की कमी के कारण और हमारी 80 प्रतिशत योजनाओं का भूगर्भ जल के ऊपर ठहरने के कारण इस समस्या को न केवल तकलीफदेह बना रहे हैं बल्कि भावी रूप से इस बात को इंगित कर रहे हैं कि पूरे के पूरजस्थान के अन्दर आने वाले बीस-तीस वर्षो के अन्दर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। इसका समाधान क्या हो? इसका समाधान एक है केवल कि जिस पानी का उपयोग अभी हम अनुकूलतम ढंग से नहीं कर रहे हैं जो सरफेस उस सरफेस वाटर का हम आप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं आज भी सरफेस वाटर का केवल 52 प्रतिशत पानी हम उपयोग कर रहे हैं, 48 प्रतिशत पानी व्यर्थ चला जाता है। जब तक उस 48 प्रतिशत पानी ब यूज करने की कैपेसिटी जनरेट नहीं करेंगे तब तक राजस्थान

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की जनता को एक सस्टेनेबल रूप से पेयजल की समस्या का निराकरण करा सकें हम, इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं। अब इसकी योजनाएं बन रही है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से सर्वे चल रहा है और हम इस तरह की योजनाएं बनायेंगे और इस तरह की योजना जब तक नहीं बनेगी तब तक राजस्थान समग्र रूप से पानी की समस्या का समाधान लम्बे समय तक कर पाये, इसकी संभावनाएं कम हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी कुछ बात कह रहा था भूगर्भ जल और पेयजल योजना के सम्बन्ध में। अब जितना राजस्थान में भूगर्भ जल है उस भूगर्भ जल का 1/3 हिस्सा हम पी चुके, हम खर्च कर चुके। जब 1/3 हिस्सा हम खर्च कर चुके तो भूगर्भ जलके अन्दर एक बहुत बड़ी समस्या कल पैदा होने वाली है। उस समस्या का निराकरण केवल सतही जल से कर पाते हैं और सतही जल हमारा स्वयं का अब इस वक्त 1990 करोड़ क्यूबिक मीटर है और बाहरी स्रोतों से हमारा जो सतही जल है वह 1680 करोड़ क्यूबिक मीटर है। माननीय सभापति महोदय, हमारे पास ग्राउण्ड वाटर केवल 1830 करोड़ क्यूबिक मीटर बच गया है। जब सतही पानी का उपयोग नहीं करेंगे और उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, माननीय सभापति महोदय, कि सतही पानी 1990 करोड़ क्यूबिक मीटर तो हमारा खुद का है और 1680 करोड़ क्यूबिक मीटर बाहरी स्रोतों को हैं। अब सवाल आता है बार-बार, मैं भी दो दिन पहले बोल रहा था, कई बार हम उत्तेजना में जब चर्चा करते हैं तो हम विवेक सम्मत नहीं रह पाते हैं, आज परसरामजी मदेरणा भी फरमा रहे थे, और यहां पर जनता हमसे उम्मीद करती है, विवेक का साथ हमारे से छूटे नहीं तभी हम समस्याओं का निराकरण कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब बनीपार्क से पानी राजपालसिंह रामगढ़ से पानी जाने ही नहीं देना चाहता, रामगढ़ के कैचमेंट के इलाके के लोग रामगढ़ से पानी आने नहीं देंगे, बीसलपुर के लोग टौंक से पानी जयपुर नहीं आने देंगे, चम्बल के पानी को हम कुछ यूटिलाइज करके टौंक की प्यास को बुझाना चाहें तो वे लोग चम्बल को पानी लेने नहीं देंगे, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो राजस्थान की पेयजल की समस्या का निराकरण नहीं होगा।

मैं कहना चाहूंगा, मैं इस सदन में बोला और सदन में बोलने के बाद जब मैं ठण्डे दिमाग से सोचता हूं तो मुझे लगा कि विद्युत और पानी पर किसी का एकाधिकार नहीं है पानी के लिए और विद्युत के लिये हमने एक व्यक्तिगत रूप से लड़ाई छेड़ी परन्तु लड़ाई का कोई अन्त नहीं होता। राष्ट्रीय हित और राज्य के हित से किसी भी संस्थान का या किसी का हित ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पूरी समस्या पर समग्र रूप से चिन्तन करते रहें और समग्र रूप से इस समस्या का निराकरण करने के लिये हमें देखना पड़ेगा कि सतही पानी का उपयोग हो सतही पानी के उपयोग के साथ-साथ राजस्थान का हक जिस सतही पानी के लिए बाहर बनता है। और जिसके कारण से कई समझौते हमारे हितों के विपरीत हुए हैं उस ओर भी देखना होगा। और यमुना का पानी हमें मिला, सौभाग्य के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज का दिन राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जायेगा। जब यमुना के पानी को राजस्थान ने चूमा है। आज यमुना का पानी भरतपुर की प्यास को बुझायेगा, आज यमुना का पानी अलवर की प्यास को बुझायेगा, आज यमुना का पानी सीकर की प्यास को बुझायेगा। माननीय सभापति महोदय, जब तक हम पूरे राजस्थान की समस्या को समग्र रूप से देखेंगे नहीं तब

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

तक हमारे पास टोटल वाटर रिसोर्सेज जितना है, उस टोटल वाटर रिसोर्सेज की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उनका एलोकेशन नहीं करेंगे तब तक हम उनका रि-आर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे, उनका रि-कोआर्डिनेशन नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान सही रूप से केवल चर्चाओं से हो पायें, यह तकलीफ दूर अपनी तकलीफ से परेशान होकर सदन के अन्दर गरमा-गरम राय रखने से हो पाये, इसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने और माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब के आने के बाद इस पेयजल की समस्या से निपटने के लिए एक मुहिम चलायी और इस मुहिम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस मुहिम को चलाने के लिए पैसे की कोई तकलीफ नहीं थी। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितना पैसा कांग्रेस के राज के अन्दर सातवीं पंचवर्षीय योजना में खर्च हुआ, राजस्थान में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए उससे ज्यादा पैसा खर्च भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय भैरोसिंह जी शेखावत साहब ने इस 1995-96 के अन्दर पैदा करके दिखा दिया। माननीय सभापति, महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि......

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : गांवों में जाकर पूछो। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मैं गांव का ही रहने वाला हूं, माननीय सांगानेर से आने वाली विधायिका, मैं कोई इंग्लैण्ड का रहने वाला नहीं हूं। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। सीकर डिस्ट्रिक्ट है उस के गांव का, जहां पेयजल की तृष्णा हमने भुगती। मैं उस गांव के लोगों को पहचानता हूं, उसी की पैदाइश हूं। उसी का खून हूं, उसी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। इसलिए गांव की समस्या क्या है और गांव की समस्या के निदान के लिये सरकार ने...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

......किया क्या है और सरकार के करने को जनता ने किस रूप में स्वीकारा है, इसका मजा आप चख चुके हैं। पंचायत के चुनाव में, आपने चखा है, नगर निगम के चुनाव में आपने चखा है।

मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करके अपने आपको सीमित करना चाहूंगा, केवल पेयजल की समस्या तक और मैं इतना ही अर्ज करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुल रूप से हमने खर्च किया था 186 करोड़ रुपये। प्लान के अन्दर और 186 करोड़ रुपये से हमने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की। जब कल हम चर्चा कर रहे थे, वह कह रहे थे कि पहले राजस्थान की, बाद में जयपुर की चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 86 करोड़ रुपये का प्लान सातवीं पंचवर्षीय योजना में था और इस बार भारतीय जनता पार्टी के शासन के अन्दर राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने 243 करोड़ रुपया 1995-96 के लिए रखा गया है। 243 करोड़ रुपया हमने इस बात के लिये खर्च किये। 213 करोड़ रुपये प्लान में हमने गयी बार खर्च किये। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार का भी इसमें योगदान थोड़ा बहुत रहा है, योजना में नहीं रहा लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि उनका योगदान रहा है। पर आजकल मुझे समझ में नहीं आता दिल्ली में किसका समर्थन किया जाय और किसका समर्थन नहीं किया जाय।

श्री किशन मोटवानी : अभी कहोगे, मेरे यहां यह नहीं आया, मेरे यहां यह नहीं आया। अभी कहोगे फिर।

श्री रामनारायण चौधरी : इतना करने के बाद भी आज पानी की क्या स्थिति है, जयपुर की क्या स्थिति है? जयपुर में आप क्या महसूस करते हो? गांवों को तो जाने दो। जयपुर में भी सभापति महोदय, आज पानी क्या की स्थिति है? आप कह रहे हो माननीय शेखावत साहब ने यह किया, वह किया। जो विकट स्थिति आज जयपुर के अन्दर है, ऐसी विकट स्थिति पहले कभी नहीं हुई।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि..

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मेरे पिताजी मुझे, जब मैं जयपुर पढ़ता था तब 20 रुपये घी के लिये दिया करते थे, उसमें दो किलो घी आता था। मैं अब मेरे बेटे को सौ रुपये दे रहा हूं और उसमें पूरा एक किलो घी भी नहीं आ रहा है। यह कौन सी बात हुई? आप ही प्रशंसा कर रहे हैं कि इतना बढ़ गया है। उसके आउट पुट क्या हैं? उपलब्धियां क्या हैं? पैसे का कितनी डिवोल्यूशन हो गया है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आपने आउटपुट की चर्चा की है और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, यह बात सही है कि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आउटपुट चर्चा नहीं की है, पहले आपने राजस्थान सरकार की बड़ाई की है फिर केन्द्र सरकार की की, पहले तो राजस्थान सरकार की बड़ाई से चिढ़ते थे, आजकल केन्द्र सरकार की बड़ाई से चिढ़ते हैं ये। सवाल यह है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पैसा तो सारा केन्द्र सरकार का ही है। वह तो जर्मनी का समझौता है, आपकी देन है क्या? भार तो जर्मनी का है, जो समझौता हुआ था पानी का वह तो कांग्रेस सरकार के जमाने का है उसका पैसा अब आना शुरू हुआ है। इसमें आपकी क्या उपलब्धि है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, आपका ही है।

श्री रामप्रताप कासनियां : श्रेय तो हमें मिल रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत इस मामले में बहुत काबिल हैं कि हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमेन के भी वे दोस्त, हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी वे दोस्त और इस मामले में वह अपना काम जमा लेते हैं। बाकी आपका लेना देना कुछ नहीं है माननीय शेखावत साहब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : एक राजनेता और राजनीतिज्ञ में यही अन्तर होता है कि राजनेता...

श्री सभापति : कृपया अब कन्टीन्यू रखें।

श्री राजपालसिंह शेखावत : एक राजनेता और राजनीतिज्ञ में यही अन्तर होता है। राजनेता राष्ट्र के रूप के लिये सोचते हुए किसी भी व्यक्ति को...

श्री सभापति : आप भी अपनी बात करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हैं, अभी टार्गेट्स की बात हुई। ये टार्गेट्स जितने भी आये हैं। राजस्थान सरकार के 1994-95 के सारे टार्गेटस सेन्टर गवर्नमेंट से कन्फर्म टार्गेट्स हैं और उन कन्फर्म टार्गेट्स को भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय भंवरलालजी शर्मा के नेतृत्व के अन्दर पी. एच. ई. डी. ने पूरा किया और न केवल पूरा किया बल्कि 27 प्रतिशत टार्गेट से ऊपर गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : साथ में जसवन्तसिंह जी का भी नाम लीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मुझे आपका भी नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है। आपका भी राजस्थान के विकास में काफी योगदान रहा है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पहले राजस्थान के बाद में जयपुर की बात करने वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो टार्गेट सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कन्फर्म थे, हमारी सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, उस टार्गेट्स को न केवल पूरा किया बल्कि 27 प्रतिशत उस टार्गेट से ऊपर गये। अब उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को यह पानी पिलाया नहीं गया है? आप क्या कहना चाहते हैं जहां फ्लोराइड का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, वहां कहीं और से पानी लेकर नहीं पिलाया जाय? जहां नाइट्रेट का पानी है, माननीय इन्दिरा मायारामजी—

श्री सभापति : आप आगे बोलिये, वह तो कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : नहीं, आप कहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि गये 5 साल में हमारी सरकार ने 1990 से लेकर 1995 तक, पानी की समस्या से निपटने के लिए 617 करोड़ रुपये प्लान में खर्च किये हैं और यह 617 करोड़ रुपये जब हमने प्लान में खर्च किये हैं, आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना के ढाई सौ प्रतिशत भी ज्यादा हैं।

आज मैं पूछता चाहता हूं कि राजस्थान की प्यास बुझाने में योगदान किसका है? राजस्थान की प्यास की आपको चिन्ता होती तो पी.एच.ई.डी. 1965 में नहीं बनता। राजस्थान की यह प्राकृतिक समस्या 1947 में भी थी।

1947 से लेकर 1965 तक तो आपने राज किया लेकिन आपको तकलीफ इतनी भी नहीं लगी कि इसका एक अलग से विभाग भी होना चाहिये। 1965 तक लगातार यह विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक सैल के रूप में काम करता रहा। 1965 तक यह काम करता रहा। 1965 तक आप इस समस्या से जूझने के लिये तैयार नहीं थे, आपका जनता से सम्बन्ध नहीं था। कमाई की गांधी जी ने, खाते रहे आप। मैं चर्चा इस बारे में नहीं करना चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह इस योजना का ही प्रभाव है, इस योजना का ही कारण है कि आज की तारीख में यमुना से जर्मन योजना के द्वारा चुरू डिस्ट्रीक्ट के अन्दर सब इलाकों में पानी मिलेगा। 250 करोड़ रुपये की योजना जर्मनी के अनुदान से लगायी गयी। यहां 75 प्रतिशत पैसा जर्मनी अनुदान पर देगा।

श्री शीशराम ओला : यह कब लाये शेखावत साहब, यह कब की मंजूरी है?

आप कहें तो मैं बोलूंगा, खेतसिंह जी टाइम देंगे तो मैं बोलूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अपन बाद में बात कर लेंगे, यहीं पर आप बाद में मिल लेना मेरे से।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : सभापति महोदय, आपको पता होगा इस विधान सभा के माननीय सदस्यों को 10 लाख रुपये—

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, एक यह 40 वर्ष वाली बात की आपने 40 वर्ष में क्या किया, हमने यह कर दिया, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं कि आप बराबर यह 40 वर्ष की ऐसी बात करते हो। कि जैसे रामनारायण जी साढ़े छह फुट लम्बे आदमी और इतने अनुभवी आदमी खड़े हैं उनके ऊपर 6 वर्ष का उनका पोता खड़ा हो जाय और कहे कि बाबा-मैं कितनो बड़ो? तो बाबा कहेगा कि नीचे देख, देखा तू कितनो बड़ो, बड़ो कियां बनो तू तो पता लगेगा कि नीचे बाबा खड़ा है

(१४४)

(श्रीमती कमला)

तब तू छह वर्ष का इतना लम्बा दिख रहा है। इसलिये जो पीछे के 40 वर्ष का हमने आधार बनाया है उसके ऊपर आप छह वर्ष के बोल रहे हो। यह भी ध्यान रखकर बोला करो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, बाबा जो था (व्यवधान)

श्री रमाकान्त : पोता जब सनाढ्यजी के ऊपर खड़ा होगा वह कितना लम्बा दिखायी देगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : काके की भतीजा तारीफ कर रहे हो, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बाबा जो था वह 52 अंगुल का था। यह समस्या हो गयी हमारे (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सही है कि बाबा के ऊपर हम खड़े हैं लेकिन बाबा को पहली बार इस ऊंट को सामना करना पड़ा है पहाड़ से, तो मालूम पड़ा कि उसकी लम्बाई क्या है। अब मालूम पड़ा उस ऊंट को, क्योंकि अभी बौना है। जिस प्रकार से विकास किस रूप में किया जा सकता है, जनता की समस्या को किस रूप में पहचाना जा सकता है, किस रूप में जांचा जा सकता है और फिर जनता की समस्या का किस रूप में निराकरण किया जा सकता है। इसकी जानकारी तो अब आपको मिलने लगी है और आपको धोखा भी होने लगा होगा। मैं आपकी नीयत पर संदेह नहीं करता। मैं तो केवल आपसे इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यही प्रमाण है कि बीसलपुर की योजना का पानी आज अजमेर को मिलने लगा है। आपको ध्यान होगा कि गयी बार इसी सदन के अन्दर

श्री किशन मोटवानी : यह मैं आपको बताऊंगा। मेरे लिये छोड़ दो (व्यवधान) आप अपनी बताओ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आप सब बतायेंगे, अच्छी बात है।

श्री किशन मोटवानी : आपकी पोल खोल दूंगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरकार का ही (व्यवधान) कि इस बार बीसलपुर के पानी ने अजमेर की प्यास बुझाई है। इस बीसलपुर के पानी ने ब्यावर की प्यास बुझाई है। आपको ध्यान होगा माननीय सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर ब्यावर के अन्दर

श्री किशन मोटवानी : अभी तो अखबारों में जो छपवाया है कि इस 30 तारीख को श्रेय लेंगे

श्री राजपाल सिंह शेखावत : यही तो मैं कह रहा हूं आपसे।

श्री किशन मोटवानी : अभी तो आयेगा। कैसा श्रेय लेते हो, हम बतायेंगे आपको।

श्री सभापति : कृपया बोलने दें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो प्यास थी ब्यावर की और जिस ब्यावर की चर्चा सदन में गई बार हुई। इस बार यह तकलीफ नहीं हुई है। आप बड़ी बात कर रहे हैं पेयजल समस्या के निराकरण की बात आप भी कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी चर्चा कर रहे हैं योगदान की पेयजल समस्या के निराकरण में माननीय सभापति महोदय आपको मालूम होगा कि सरकार की ओर से विकास के कामों के लिये 10 लाख रुपये विधायक को भी दिये जाते हैं। अगर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपको पेयजल की समस्या की इतनी जानकारी है। इतना दर्द है आपकी जनता का तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपमें से कितने लोगों ने उस राशि का उपयोग केवल पेयजल योजना में किया। मैं कहता हूं कुछ लोगों ने किया होगा...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : सारा रुपया पेयजल में दे दिया है और अभी तक उसकी क्रियान्विति भी नहीं हुई (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पेयजल में दे दिया...

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मैं भीमसेन जी चौधरी...

एक माननीय सदस्य : आपने ऐसे अधिकारी लगा रखे हैं उनसे ...(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : गत साल से जो पैसे दिये थे उनके हैण्ड पम्प आज दिन तक नहीं लगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, 10 लाख में से 4 लाख दे दिये। आज तक मशीन भी नहीं पहुँची (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : पूरा पैसा ही इस पेयजल में लगवाया है ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि इस पेयजल समस्या का राजस्थान में निराकरण करना है और यदि बहुत सही रूप में इस सुविधा को जनता तक पहुंचाना है तो हमें सभी फ्रंट्स पर लड़ना पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य इतना था कि चाहे डी.आर.डी.ए. का पैसा हो, चाहे जे.आर.वाई. का पैसा हो, चाहे 30 जिले 30 काम का पैसा हो, चाहे अपना काम अपना गांव का पैसा हो और चाहे 10 लाख रुपये अनटाइड फण्ड में, किसी भी हैड में अपने को पैसा मिलता है उस सबका उपयोग अगर पेयजल के लिये कर रहे हैं तो हम समस्या के साथ में, जनता की समस्या से रुबरु हैं। उसकी जानकारी रखते हैं और इस पेयजल की समस्या से लड़ने के लिये, इस प्रकृति की समस्या से लड़ने के लिये, हम सभी लोग सभी फ्रण्ट्स पर तैयार हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना सा था। मैं तो केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि इस बार बड़ी अच्छी बात है कि डी.आर.डी.ए. ने इस काम को पहली प्रायोरिटी में लिया है।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डी.आर.डी.ए. पेयजल की योजना को अपने इलाके के अन्दर पूरा करने में प्राथमिकता देगी। साथ में यह भी खुशी की बात है कि इस बार सरकार ने न केवल आदमियों के पेयजल की समस्या के निराकरण की बात की है बल्कि पशुओं की जो पानी की समस्या थी उसके लिये भी टांके बनेंगे। टांके बनेंगे तो तालाब बनेंगे। टांके बनेंगें तो उसमें रिचार्जिंग की जो समस्या है, हमारी उस समस्या का भी निवारण हो गया। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि यह बहुत बड़ा हर्क्युलियन टास्क है और इस टास्क को पूरा करमे के लिये सदन को पूरा एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आप सबको पता है राजस्थान के अन्दर आम तौर पर जिस तरह की हमारी ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी के अन्दर किसी भी इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने में बड़ी तकलीफ होती है। राजस्थान के अन्दर एक आदमी को पानी पहुंचाने की कीमत 570 रुपया है। परकेपिटा वाटर स्कीम की जो कोस्ट आती है वह 570 रुपया है। यू.पी. के अन्दर 173 रुपया है। मध्य प्रदेश में केवल 70 रुपये है। अब वह खर्चा उनका कम है हमारा खर्चा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ज्यादा है। हमारे पास में एक आदमी की प्यास को बुझाने के लिये कई-कई किलोमीटर हमें जाना पड़ता है और कई किलोमीटर ले जाकर उसकी प्यास को बुझाना पड़ता है। इन सब संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्राकृतिक समस्या को देखते हुए जितने काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब के नेतृत्व में यह काम किया है वह अपने आप में कीर्तिमान है और राजस्थान की जनता इस बात को स्वीकार करती है और इस बात के लिये भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद भी देती है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम को स्ट्रेन्थ करने के लिये भी...

श्री परसादीलाल मीणा : आज उल्टा गियर घूम गया...

श्री राजपाल सिंह शेखावत : हैं ?

श्री परसादीलाल मीणा : आज तो गियर उलटी लगा दी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आज मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं...।

श्री परसादीलाल मीणा : डांट पड़ गयी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरी जिन्दगी में 2 आदमी मुझे लगातार डांटते रहे हैं। एक तो मेरे पिता और एक माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब। इनकी डांट का ही परिणाम है कि गलत रास्ते पर राजपाल सिंह कभी नहीं चला। अगर आपको भी कोई डांटने वाला मिल जाता तो राजस्थान की बर्बादी का दिन आज नहीं आया होता। आपको भी डांटने वाला हो, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे डांटनेवाले लोग मिले हैं मुझे कभी भी न तो भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने...

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आपने भाषण की शुरूआत की, वह बड़ी अच्छी लगी हमको। आपने जो शुरुआत की है वह तो बड़ी अच्छी लगी...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आपको बड़ा विरोध है इस बात का कि पानी को (व्यवधान) मैंने राष्ट्रीय सम्पति कैसे बता दिया। आप इसका विरोध करना चाहते हैं कि पानी राष्ट्रीय सम्पति नहीं हैं। आप इस बात का विरोध करना चाहते हैं कि विद्युत राष्ट्रीय सम्पति नहीं हैं। आप किस बात का विरोध करना चाहते हैं। अगर मैंने कोई (व्यवधान) नहीं, मैं शुरूआत ही नहीं पूरी बात ही अच्छी करता हूं। बस समझने का फेर हो सकता है। आप उस रूप में बात करें जैसे मैं करता हूँ, वैसे आप सारे ही करें तो राजस्थान के अच्छे दिन आने में कोई देर नहीं। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ इस मौके पर कि यह जो सिस्टम हमने डवलप किया, इस सेलिनिटी से लड़कर हमने जो सिस्टम डवलप किया है, फ्लोराइड से लड़कर जो सिस्टम डवलप किया है, जो नाइट्रेट से लड़कर सिस्टम डवलप किया है, जो इतना बड़ा खर्चा आदमी को पानी पहुंचाने के लिए लगता है उस खर्च से लड़कर हमने जो सिस्टम डवलप किया है, इस सिस्टम को स्ट्रेन्थन करने की जरूरत है, इस सिस्टम को ऑगमेंट करने की जरूरत है, इस सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। अब यह दूसरा फेज है और राजस्थान की आम जनता को लगभग पानी पहुंचाने के बाद दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को ले जाने वाली है, जहां राजस्थान के पास दिये हुए पानी की सुविधा को स्ट्रेन्थन कैसे किया जाय, उसको सुविधा सम्पन्न और कैसे किया जाय इस बात की इसमें लड़ाई शुरू होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहता हूं कि

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जितनी पुरानी स्कीम चल रही हैं जो जर्जर हालत में हो गयी है उनके आगुमेंटेशन प्लान हाथ में लिये जाय। रिचार्जिंग किस रूप में की जा सकती है इस रिचार्जिंग के लिये सरकार देखे कि रिचार्जिंग की व्यवस्था किस रूप में की जा सकती है। पूरे के पूरे राजस्थान के लिये ड्रिंकिंग वाटर का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाय और पेयजल की समस्या का निराकरण किस रूप में किया जाय यह भी देखा जाय।

साथ ही पेयजल की समस्या से निबटते समय 3-4 चीजें और देखनी पड़ेगी कि हमारा एफोरेस्टेशन कैसा हो रहा है और डीफोरेस्टेशन की रफ्तार क्या है। हम कितनी तेजी से वन बढ़ा रहे हैं और वन कटाव कितना कम कर पा रहे हैं। एक तो इस चीज पर निर्भर करता है दूसरा इस बात पर भी पेयजल की समस्या निर्भर करती है कि हमारे यहां विद्युत की अवेलेबिलिटी कितनी है। हमारा एनर्जी सिस्टम कितना एफिसिएंट है। हमारा एनर्जी सिस्टम जितना एफिसिएंट होगा उतना ही जलदाय विभाग वालों को अपना काम करने में परेशानी कम आयेगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाभड़ा कमेटी की रिपोर्ट, जिस भाभड़ा कमेटी की रिपोर्ट को फेजेज के रूप में राजस्थान की सरकार मानने के लिये तैयार हुई है जिसमें माननीय परसरामजी मदेरणा साहब भी थे, गुलाबसिंह जी शक्तावत साहब भी थे। हमारी पार्टी के काफी लोग थे। भाभड़ा साहब उसके चैयरमैन थे, उस कमेटी की रिपोर्ट को, मैं सोचता हूँ, भंवरसिंह जी चौधरी साहब भी थे और उस कमेटी की रिपोर्ट का फेज-वाइज इम्पलीमेंटेशन करने की मंशा राजस्थान सरकार की है और जो इस बजट की मांग के द्वारा और इस बजट के द्वारा आने वाले 2-3 साल के अन्दर फेज-वाइज डवलपमेंट करने के बाद हम राजस्थान की समस्या का निराकरण भी कर लेंगे। जिसको हमने यह सुविधा दी है, उस सुविधा को हम स्ट्रेन्थन भी कर लेंगे और उस प्रकृति की जकड़ से जो राजस्थान फैला हुआ था उस प्रकृति की जकड़ से कांग्रेस तो कभी इसको छुड़ा नहीं पायी। भारतीय जनता पार्टी, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब और भंवरलालजी शर्मा छुडायेंगे। इसी के साथ, आपने बोलने की परमीशन दी इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, सरकार के प्रवक्ता के रूप में बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी अच्छी दलील पेश की तथा समस्या के समाधान के कोई सुझाव दिये। यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर पेयजल की भारी समस्या हो रही है और इस पेयजल की समस्या के समाधान के लिये राजस्थान में इन्दिरा गांधी कैनाल का निर्माण किया गया। एक बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना बयान दे रही है कि हमने बहुत बड़े काम किये हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जिन योजनाओं को स्वीकार किया गया है और सबसे बड़ी पेयजल योजना जोधपुर के लिये, जो जोधपुर लिफ्ट के नाम से है उसके अन्दर बहुत देरी हो रही है।

सभापति महोदय, देरी के कारण उसकी लागत बढ़ती है और जो पैसा बहुत कम साधनों में स्वीकृत किया गया है उसको भी पूरा खर्च नहीं किया गया। आप देख लीजिए कि 1994.95 में 37 करोड़ रुपया इस काम के लिये दिया गया और उसमें खर्च 11 करोड़ ही हुआ...(व्यवधान)...

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अब यह 40 लाख गैलन की योजना की बात की गयी है और वह पानी बड़ी मुश्किल से राज्यपाल शासन के दौरान जोधपुर में पहुंचा, वहां पर चालीस लाख गैलन की एक और योजना बनायी है, कुल 80 लाख गैलन है, उसका कोई अता-पता नहीं हैं और हम बहुत परेशान हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो जोधपुर से जीत कर आते हैं, अब उनकी परेशानी यह है कि सरकार कुछ करे नहीं और वह जो पाइप आये उनमें टीके लगाकर के ही अपना काम चलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं पाइपों की। पानी उन पाइपों से आया नहीं है, यह परेशानी है तो वह भी दुःखी हैं और वे आपनी तरह से आपनी बात करेंगे, पर बहुत भारी दिक्कत है जोधपुर में।

दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना मैं आपको बताना चाहूंगा, आपातकाल की योजना जोधपुर में, जो मेरा क्षेत्र है—रणसीग्राम बिलाड़ा में, वहां जोधपुर से पाइप लाइन की योजना लायी गयी। आपातकाल में उस समय उस योजना को बनाया गया और उसमें अधिकारी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत ही त्वरित गति से काम किया और जोधपुर को पानी दिया। ड्रेन से जोधपुर को पानी आया ऐसी स्थिति के अन्दर हमारे शीशरामजी ओला जिस समय मंत्री थे, उस समय ही, पर आज उस योजना की ऐसी दुर्गति हो रही है कि जगह-जगह वह फूट रही है। भंवरलालजी शर्मा साहब, आपका विभाग उन फूटे हुए पाइपों को ठीक करने को तैयार नहीं है। योजना तो आप क्यो लायेंगे। आप पूरी योजना देखिये कि कितना पानी वहां आ रहा है, कितना पानी रास्ते में गिरता है। मैं महीने में 15 दिन मेरे क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे रास्ते में सब जगह वह पानी गिरा हुआ नजर आता है। अभी राजपालजी कह रहे थे कि पानी का 48 प्रतिशत उपयोग नहीं हो रहा है, 52 प्रतिशत ही हो रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी योजना, पेयजल योजना है, जो पाइप लाइन फूटी हुई हैं उनको तो हम ठीक करवायें और आज इतनी बड़ी योजनाओं की जब ऐसी दुर्गति हो रही है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे?

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 11 जिले जो मरु जिले हैं, जिनकी भारत सरकार से योजना प्राप्त हुई है और उसके अन्दर पैसा मिला है राजस्थान सरकार को 40 लीटर प्रति व्यक्ति है, उसको 70 लीटर प्रति व्यक्ति में कन्वर्ट किया जाय, और उन योजनाओं के ऊपर अभी मेरा प्रश्न था विधान सभा के अन्दर, मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया, गलती को स्वीकार किया कि विभाग ने गलती की है। आज सभापति महोदय, जो पैसा मिल गया उन योजनाओं के ऊपर काम नहीं हुआ, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के, उदाहरण के रूप में बचपुडिया बास जो स्कीम थी, पेयजल योजना 70 लीटर की बनायी हुई है, पड़ी है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है। पैसा मिल गया और काम नहीं हुआ है और यह राज्य मंत्रीजी, जलदाय विभाग के बैठे हुए हैं विश्नोईजी, उनका पूरा क्षेत्र है वह खारे पानी से भरा हुआ है। उनके यहां मीटा पानी ही नहीं है और खारे पानी की जो योजना बना रहे हैं, उसके अन्दर भारत सरकार ने तीन जिलों का चयन किया है तो मैं चाहूंगा कि जोधपुर जिले के अन्दर खारे पानी का पूरा बैल्ट है, लूणी-बेसिन है, और उसके अन्दर खारे पाने की भयंकर स्थिति है, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में सोचे कि जोधपुर जिले को नारु उन्मूलन के अन्दर तो आपने शामिल किया पर उसके लिये जो पैसा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मिला है, उसके ऊपर आपने काम शुरू नहीं किया है। एक बहुत बड़ी बात, यहां पर ग्रीष्मकालीन योजना की बात की जा रही है। कंटिजेंसी की बात है कि गर्मी आ गयी है, पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछली बार कंटिजेंसी के अन्दर जो पैसा भेजा गया है कलक्टर्स को, पी.एन. भण्डारी सेक्रेटरी थे और उन्होंने कह दिया कि हमने उनको पैसा भेज दिया। सभापति महोदय, दूसरी गर्मी आ गयी है, वह जो पिछली बार ट्यूबवैल सैंक्शन किये गये थे, जो हैंडपम्प सैंक्शन किय गये थे, इस गर्मी तक वे काफी तो खुदे ही नहीं हैं। आप उस बात के आंकड़े उठा लीजिये जो आपने मंजूर किये हैं, वे खोद दिये हैं क्या? और जहां गलती से हम लोगों ने पीछे पड़कर, एक-एक अधिकारी से हर स्तर पर मॉनिटरिंग करके हमने प्रयास करके मान लीजिये वहां खुदवाने की कोशिश की तो वहां सभापति महोदय, उनको जोड़ा नहीं गया और आंकडों के अन्दर बता भी दिया, इस प्रकार प्रगति रिपोर्ट के अन्दर हमने नलकूप खोद दिये ग्रामीण आपातकालीन योजना के अन्दर। आप मुझे बतायें, मेरे क्षेत्र में मैं बताऊंगा कि खूड के अन्दर ट्यूबवैल खोदा गया, भरणा के अन्दर ट्यूबवैल खोदा गया, आपके बीलवाड़ा में ट्यूबवैल खोदा गया, उसको कहीं जोड़ा ही नहीं गया और हमने यहां आंकड़े दे दिये। अब आप बताइये कि एक साल पूरा हो गया, आपको कुछ समझ में आ रही है धनश्यामजी? इस तरह से पानी विकास हो रहा है। और यहां तो कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। अपन को उपयोग की बात करनी चाहिये। हम अधिकारियों की किस बात की तारीफ करें। आप मुझे बताइये कि सरकार ने जब पैसा दे दिया, पैसा लग गया और उसके अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और हैण्डपम्प जिनके खोद दिये गये हैं, उन हैण्डपम्पों पर कोई पम्प नहीं लगाये गये हैं और हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि इतने नलकूप हमने खोद दिये हैं। सारी फिगर्स तो राजपालजी ने सरकार के अधिकारियों से लेकर दे दी है। इनकी मजबूरी थी, इनको देना था परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह आंकड़े सही हैं क्या? जो आपातकाल योजना के अन्दर जो आपने ट्यूबवैल खोदे, जो हैण्डपम्प खोदे उनको चालू किया क्या? उनको चालू नहीं किया।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या बहुत बड़ी है और वह यह है कि एक मारवाड़ी में कहावत है कि—"खावे हूर कुटीजे पाड़ा" और वह कहावत यह है कि बिजली विभाग, जो, कौशल साहब बिराज नहीं रहे हैं। यहां पर, उनके झटके पड़ते हैं, भंवरलाल जी को और वह झटके यह हैं कि पानी की जो योजनायें हैं और जो योजना पी.एच.ई.डी. विभाग के इन्जीनियरों ने, 20 घण्टे, 24 घण्टे की हिसाब से बनायी है, आज उनको चार-पांच घंटे बिजली मिलती है। आप बतायें कि वह योजनायें कैसे सफल हो सकती हैं? कैसे पानी पहुंच सकता है?

नम्बर दो, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि विभाग के अन्दर आपस में कितना टकराव है। भंवरलालजी शर्मा साहब, एक बात मेरी सुन लीजिये। आपके विभाग की लड़ाई और बिजली महकमे की लड़ाई है। एक योजना का नाम मैं बताना चाहूंगा, जिसका नाम है, रतपुडिया बासनी योजना, इसके अन्दर पी.एच.ई.डी. डिमार्टमेंट के मंत्रीजी, भंवरलाल जी ने मुझे जवाब दिया कि यह हमारा डाइरेक्ट फीडर है बिजली का और बिजली मंत्रीजी से मैंने पूछा तो उन्होंने कह दिया बिलकुल गलत बात है।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

यह कोई डाइरेक्ट फीडर नहीं है। इसका हम कैसे फैसला करें? जब दोनों विभाग ही इस बात पर एक मत नहीं हैं और मैंने दोनों अधिकारियों को जोधपुर में कहा, सबको, चीफ इन्जीनियर पी.एच.ई.डी. को कहा, चीफ इन्जीनियर आर.एस.ई.बी.को कहा, मैंने कहा कि आपस की लड़ाई तो आप बताओ गवर्नमेंट ने मुझे जवाब दिया है, असेम्बली में मुझे जवाब दिया, इस बात का फैसला तो करिये, हालात इस तरह के हैं। लड़ रहे हैं पर यह बात इनके दिमाग में नहीं आ रही है कि हम कैसे पानी उनको दें। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा की यह जियोलोजिस्ट जो हैं, जियोलोजिस्ट ही एक ऐसा बड़ा राइडर इन विभाग के अधिकारियों के ऊपर लगा दिया है, मैं सभापति महोदय, आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह जो + + + हैं इन + + + की स्थिति यह है कि जंचती है, जहां तो आपके पाइंट दे देते हैं और घनश्यामजी, वहां पानी नहीं मिल रहा है, तो इन + + + को पानी डालना चाहिये उनके अन्दर। इन नलकूपों के अन्दर पानी नहीं है तो उन्होंने बताया कैसे? और यहां गांव वाले बताते हैं कि यहां पानी मिलेगा, यहां पर पानी है, वहां पर वे खोदते नहीं हैं और जो प्राइवेट खोद लेता है, उसको पानी मिल जाता है, फिर हम इन + + + का क्या करें। ये थे ज्यादा जाणो। आज स्थिति ऐसी है कि आप इस बात को समझें, यह हालत है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा पीपाड़ के पास में एक नया राजस्व ग्राम मंत्रीजी घोषित हुआ, सीन्धीपुरा नाम से और सिन्धिपुरा गांव जो है, मैंने वहां खेतो लाई नाड़ी पर ट्यूबवैल खोदने के लिये अनुरोध किया, आपको भी लिखा और सचिव, पी.एच.ई.डी. के हैं भण्डारीजी, उनको भी चिट्ठी लिखी थी और अब जो सचिव हैं उनको भी लिखी है। वहां चिट्ठी चली भी गयी औप आप मानेंगे नहीं इन + + + की स्थिति यह है कि पहले तो हैण्डपम्प ड्रिलिंग का कोई भोपा चला गया, उसके बाद में दूसरे को भेज दिया, फिर तीसरे पी.डब्ल्यू.डी. वाले को भेज दिया और नतीजा यह है वे कह रहे हैं पानी नहीं है वहां पर। आप मेरे साथ चलिये। मैं इस सदन को...

श्री सभापति : कृपया, एक मिनट। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह + + + को नहीं समझ रहे हैं, आप सरकारी अधिकारी बोलिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप तो समझ गये? मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को समझाना चाहता हूं। मंत्रीजी नहीं समझते तो मैं कह दूंगा। वे जो जियोलोजिस्ट हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रीजी, वर्तमान में वहां पर जो ट्यबवैल चल रहे हैं, वहां फसलें ली जा रही हैं और अधिकारी वहां पर जाकर आंखों से देख कर आये हैं पर वे यह कहते हैं कि हमारी मजबूरी है साहब, जब तक कोई जियोलोजिस्ट लिखकर नहीं देंगे, हम यहां पर ट्यूबवैल नहीं खोद सकते। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे जो ट्यूबवैल हैं, वै कैसे चल रहे हैं? वहां फसलें कैसे ली जा रही हैं और आपका पानी, आपने कहा है कि आप सहयोग करें, अब हम सहयोग करना चाहते हैं और वे सहयोग लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री भंवरलाल शर्मा : वहां पानी मिल जायेगा?

श्री राजेन्द्र चौधरी : क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा: वहां पानी मिल जाएगा?

श्री राजेन्द्र चौधरी : + + + ट्यूबवैल चल रहे हैं, वहां पर फसल हो रही है...

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : + + + नहीं-नहीं, आपका कहना मान लें, वहां पानी मिल जायेगा ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मिलेगा क्यों नहीं, पानी चल रहा है, लोग भर-भर कर ले जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : + + + आप बता देना, जहां पानी मिलेगा, वहां खुदवा देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : बता दिया मैंने, वे मान ही नहीं रहे हैं। इन + + + की मजबूरी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम समझा देंगे इनको।

श्री राजेन्द्र चौधरी : बस अब ठीक है। दूसरी बात अब मैं...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण डूडी : + + + मानते ही नहीं हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह परम्परा गलत है, माननीय सदसय एक दूसरे को सम्बोधित करें या मंत्रीजी को माननीय सदस्य सम्बोधित करें या मंत्री कहें तो यह + + + शब्द जो आ रहा है, यह + + + शब्द बहुत अपमानजनक, अवमाननाजनक है। + + + शब्द तो बहुत छोटा है। + + + माननीय सदस्य के मुकाबले के अन्दर, एक दूसरे के प्रति + + + शब्द को इसमें से हटवाइये, कार्यवाही से हटवाइये। अपनी व्यवस्था दीजिये। फिर भी आपको अच्छा लगता है तो रहने दीजिये और आपको अच्छा नहीं लगता है तो इसको हटवा दीजिये आइन्दा इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये।

श्री सभापति : कृपया + + + शब्द को कार्यवाही से हटा दिया जाए।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं मंत्रीजी को।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह कहां, यह किसी को सम्बोधन थोड़ी है, + + + का मतलब दुख होता है।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : + + + क्या होता है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : + + + दुख होता है इसका मतलब, दुख होता है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, एक सुझाव मैं मंत्री महोदय को और देना चाहूंगा कि पी.एच.ई.डी. की कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनका आज की तारीख में कोई उपयोग नहीं है और वह लाइनें डेड पड़ी हैं। इसके बारे में मुझे जानकारी थी, हो सकता है मेरे क्षेत्र में तो यह समस्या है पर कुछ इलाकों में और यह बात है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जरूर चाहूंगा कि यह वह इस बात के डाइरेक्शन अपने विभाग को दें कि जो अनुपयोगी पाइप लाइनें पड़ी हुई हैं उसको निकाल कर दूसरी जगह उपयोग किया जाय।

इसके लिए मैंने मेरे क्षेत्र के अधिकारियों को जब कहा कि यह आपकी डेड लाइन पड़ी हुई हैं, यह मादलिया मालावास की लाइन पड़ी हुई है बिलाड़ा क्षेत्र के न्दर आप इनको सोलंकिया बेरा के अन्दर लगा दें, पीपाड़ में पानी की भारी समस्या है वहां इसका समाधान हो जायेगा, वह सारे पाइप पड़े हैं वहां उनको लगा दीजिये। उन्होंने कहा कि नहीं, यह तो हमको तकनीकी तरीके से करना पड़ेगा। इतने सालों से डेड पड़ी हुई हैं, कौनसा तकनीकी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

तरीका है? इसी तरह से मैंने पीपाड़ रोड के लिये कहा, मैंने कहा 3 इन्च के यह सारी पाइप लाइन जो सारा कनेक्शन आप नाथूआं की ढाणी को दे रहे हो, जाटों की ढाणी को भी दे रहो हो। सबको दे रहे हो और यह डेड पाइप लाइन आगे पड़ी हुई है रामड़ावास पर, इसको निकाल कर इधर लगा दो। उसको लगाने को तैयार नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जो योजनाएं हमारी बनी हुई हैं, सब से बड़ी बात उस दिन मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है पर, मंत्रीजी, आपके उस दिन कहने के बाद भी आज की तारीख तक अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगी। मेरे ख्याल से आपने शायद कहा ही नहीं होगा और कहा होगा तो उनके असर ही नहीं हुआ होगा, दोनों में से कोई एक बात तो है ही। मैंने उन से बात की, मैंने कहा कि उन्होंने कहा है इस तरह की बात है आप कार्यवाही कीजिये पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कनेक्शन हुए नहीं। इसलिये पानी की समस्या का समाधान मंत्रीजी, कैसे निकालेंगे आप? कोई बंधों से निकालोगे या आंखों से पानी निकालोगे? यही सहयोग कर सकते हो आप, आंखों से पानी निकालना पड़ेगा आपको यह तो आपके काबू में आयेंगे नहीं। यह स्थिति है इनकी। आपको इनकी मॉनीटरिंग करनी पड़ेगी।

डिवीजन पर आपने प्रभारी बना दिये। बहुत अच्छा किया। भाभड़ाजी ने मीटिंग ले ली हमारे जोधपुर डिवीजन की और भी ली होगी सब लोगों ने, हमने समस्या उनको लिखकर दे दी और वही ढाक के तीन पात। कोई असर नहीं, कोई आदेश के ऊपर कार्यवाही नहीं, तो मैं यह कहना चाहता हूं आज जब हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। खारे पानी से हमारा पूरा इलाका पीड़ित है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। कि मेरे क्षेत्र में डिफेंस लेब की तरफ से खारे पानी को मीठा पानी बनाने की मीरासिया में एक मशीन लगायी गयी थी और दूसरा ट्यूबवैल खोदा उसके बाद वह मशीन चली गयी वहां से। तो मैं उदाहरण के लिये कंहूगा कि इसको टेक अप के लिए भूनाला पी.एच.डी.ओपन वैल चला रही है। खारा पानी है, उसके ऊपर मशीन लगाई है, मलार गांव के अन्दर खारा पानी है, उसके ऊपर मशीन लगाकर देखिये। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप सरगिया के अन्दर कुआ चल रहा है, उसके अन्दर खारा पानी, वहां मशीन लगा कर देखिये। तो आज हालात तो यह हैं कि खारा पानी हमारे इलाके में ज्यादा है तो उसके अन्दर आप मीठा पानी लाओगे कहां से? तो मीठे पानी के लिए मैं चाहूंगा कि आप वहां मशीन लगाएं, इस बात को देखिये। यह राज्य मंत्री महोदय का पूरा क्षेत्र ही खारे पानी से है, मेरे ख्याल से यह पास बैठे हुए हैं तो यह भी कुछ कार्यवाही करेंगे तो उससे कोई एक बात की समस्या का समाधान निकलेगा, हमारे इलाके की यह बात है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं, सभापति महोदय, समाप्त तो करूंगा।

श्री सभापति : जोधपुर का ही नम्बर आ रहा है दूसरा भी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : बिल्कुल ठीक है, वह दूसरा नम्बर दूसरी जगह से बोलेंगे जोधपुर से नहीं बोलेंगे।

मेरा आपसे इसलिए अनुरोध है कि वर्तमान में, पहली बात तो, मंत्री महोदय, यह करें कि जो

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आपके ट्यूबवैल आंकड़ों में खोदे हुए हैं, पहले तो उनको जुड़वाने की व्यवस्था कीजिये। नम्बवर दो, मैं यह चाहूंगा कि जो हैण्डपम्प आपके खोद दिये गये हैं उनको आप चालू करवाएं। तीसरी बात, आपका दूसरा डिपार्टमेंट है भू-जल विभाग जिसको भी आप पैसा देते हैं खोदने के लिए, उन पर कोई कण्ट्रोल आपके पी.एचईडी. के अधिकारियों का नहीं हैं। वह अपने आप को अलग चीफ इंजीनियर मानते हैं, वह परवाह ही नहीं करते इस बात की। तो हालात यह है कि उनको पैसा जमा किया हुआ है, सभापति महोदय, उन्होंने कंटिन्जेंसी का पिछला पैसा जमा करा हुआ है। हरियाडाणा का मेरे गांव का उदाहरण दूंगा, जहां पर पैसा जमा किया हुआ है पर उन्होंने अभी तक खोदा ही नहीं है उसको। अब दूसरा कंटिन्जेंसी का प्लान और बना रहे हैं। अब आप बताएं पिछले आंकड़े ही यह पूरे नहीं कर सके और दूसरे आंकड़ों की और यह फाइलें बना रहे हैं, तो हालात इस तरह के हैं। बहुत शर्म की बात है और इतना कहने के बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अधिकारी आपके पास सब हैं, पूरे एईएन., जेईएन. लगे हुये हैं, पूरे एक्स. ई. एन. लगे हुए हैं, चीफ इंजीनियर है, सारा स्टॉफ है आपके पास और उसके रिजल्ट आने चाहिये और रिजल्ट आने के बाद जरूरी है कि जो हमारी डेड योजनाएं हैं उनको आप चालू करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मुख बंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मुख बंद का समय जो 4.30 बजे है वह बढ़ा कर 6.00 बजे तक किया जाए।

श्री सभापति : बढ़ाया गया।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति, आज सदन राजस्थान में जो पेयजल की समस्या है उसके बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहा है।

माननीय सभापति, राजस्थान का एक बड़ा भाग रेगिस्तानी क्षेत्र है और रेगिस्तान के पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लगातार मरू क्षेत्र की समस्या का समाधान हो इसके लिए बहुत लम्बे समय से एक मांग थी। गुजरात की नर्मदा नदी का पानी बाड़मेर और जालौर जिले के लिए लाने का प्रयास किया जाय। यह जानकर हम सब को खुशी होगी कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार सरदार सरोवर का पानी राजस्थान में आये, इसके लिए प्रयास कर के 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किये और इसका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

श्री शीशराम ओला : कब जमा करायी गयी और कब हुए, जानकारी से बोलिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कार्य प्रारम्भ हो गया, मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं।

श्री शीशराम ओला : नहीं, हमने जमा कराये। हमने जमा कराये अपने हिस्से की प्रथम किस्त, उसके बाद यह मंजूरी हुई है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय ओलाजी, उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, आप क्यों रोड़े अटका रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मरू क्षेत्र के लिए दो जीवनदायी योजनाएं हैं। एक इंदिरा गांधी नहर द्वारा यह क्षेत्र सिंचित हो रहा है, इससे सम्बन्धित दूसरा सीमान्त क्षेत्र है बाड़मेर और जालौर, इसके साथ साथ पिछले 5 वर्षों में हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, माननीय भंवर लाल जी शर्मा ने अपने अथक प्रयासों से समय पर सारी योजनाएं पूरी हों और उस याजना को पूरी कर के समस्या का समाधान हो इसके लिए कार्य किया।

मेरे से पूर्व बिलाड़ा से आने वाले विधायक यह कह रहे थे कि इंदिरा गांधी केनाल से जोधपुर को जो पानी मिल रहा है, और मिलने की जो योजना है, इस पर 37 करोड़ रुपये में से मात्र 11 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह जो उन्होंने कहा है कि यह सर्वथा गलत है। इसमें से 36 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं और 11 दिसम्बर तक 11 करोड़ खर्च हुए थे। अब 36 करोड़ रुपये उसमें से खर्च हुये हैं। और योजना का कार्य प्रगति पर चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो योजना जोधपुर में पानी लाने के लिए आवश्यक है उसके लिए पिछले 5 वर्षों में 1990 से लेकर 1995 तक 170 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं और योजना को पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया है। इससे पूर्व जब योजना प्रारम्भ की गयी थी, 1983-84 से 1990 तक उस पर मात्र 23 करोड़ रुपयेखर्च किये गये थे और 6 वर्ष में जिस योजना के लिए पिछली सरकार ने 23 करोड़ रुपये खर्च किये हों, सभापति महोदय, आप भी विचार करे, सदन के माननीय सदस्य भी विचार करें कि उस योजना को पूरा करने के लिये पिछली सरकार कितनी जिम्मेवार हैं ? उस योजना में उन्होंने बार-बार यह कोशिश की कि किसी न किसी तरह से यह योजना पूरी न हों...(व्यवधान) राजनेताओं के कारण यह योजना पूरी नहीं हो पायी। जोधपुर की समस्याओं के समाधान के लिये जोधपुर को इस बार 28 करोड़ रुपये पुनर्गठित योजना को दिये गये हैं और दो वर्ष में यह योजना पूरी होने के लिये जोधपुर शहर को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है।

माननीय सभापति जी, जोधपुर के फिल्टर हाउस की क्षमता अभी 120 लाख गैलन की है। 120 लाख गैलन की जहां फिल्टर क्षमता हो और पूरे शहर में पानी दिया जाये, जहां शहर की डिमाण्ड और मांग 400 लाख गैलन की हो उसके आधार पर जोधपुर में नियमित पानी मिलना चाहिये। मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया और मंत्रीजी ने 28 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की और फिल्टरहाउस बनाने का निर्णय लिया गया। उसका कार्य अभी प्रगति पर चल रहा है।

इस 28 करोड़ के अन्दर जोधपुर शहर के अन्दर 15 उच्च जलाशय बनेंगे जिससे सिस्टम के साथ अच्छे दबाव के साथ पानी मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि दो वर्षों में यह काम पूरा हो जायेगा। इसके साथ-साथ जोधपुर शहर में पूरी योजना के साथ पुरानी बस्ती, कच्ची बस्ती, पुरानी पाइप लाइन को बदलने के

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

लिये 16 करोड़ रुपये की हुड़को की योजना स्वीकृत की गयी है। जोधपुर शहर में ऐसी बस्तियां हैं, कुछ स्थान हैं जहां पुरानी लाईनें डली हुई हैं। सड़ी-गली लाइनें हैं जिनके कारण उनमें पानी पूरा रिसता है और गंदा पानी भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। उसको पूरा ठीक करने के लिये तीन इंच की लाइन जोधपुर की कोई भी ऐसी बस्ती नहीं होगी, कालोनी नहीं होगी, जहां कम से कम तीन इंच की लाइन होगी, इसके लिये जो प्रयास माननीय मंत्रीजी ने किया है, उसके लिये मैं जोधपुर की जनता की ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हम उम्मीद करते हैं अभी भाई राजेन्द्र जी चौधरी यह कह रहे थे कि आज जोधपुर, केवल जोधपुर शहर राजस्थान में ऐसा है जहां 200 किलोमीटर से जवाई बांध से जोधपुर को पानी आ रहा है, इधर इंदिरा कैनाल का जो पानी आ रहा है वह भी 205 किलोमीटर से आ रहा है। आज राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। कितनी दूरी से, ऐसा कोई शहर नहीं जहां खुद का पानी का स्रोत नहीं हो, वहां पानी लेने का और पानी की व्यवस्था करने के लिये किस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। उस व्यवस्था के लिये सरकार ने पाँच वर्षों में जो प्रयास किये हैं,वह अत्यन्त सराहनीय हैं।मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आज हम चारों तरफ से भूमिगत पानी ले रहे हैं उसके बाद आज हमें सोचना पड़ेगा कि धीरे-धीरे भूमि का जो पानी है वह सतह से नीचे जा रहा है—

श्री परसराम मदेरणा : कब आ रहा है पानी ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : हां, बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : पूरा इस पाइप से आ रहा है या नहीं। कैनाल से होकर पाइप में पूरा पानी 300 मिलियन गैलन पर डे आ जायेगा, वह तारीख कौनसी है? पाँच साल-पांच साल, आप तीसरी दफे बोल रहे हो इस सदन में कि जोधपुर वाली कैनाल के लिये—(व्यवधान)

16.04

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

आप इनको धन्यवाद दे रहे हैं और अभी ये पानी-वानी ला नहीं रहे हैं। धन्यवाद तो इनको खूब दिया आपने और आपको इसकी पीड़ा है कि पानी आ नहीं रहा है। अब वह शिडयूल्ड डेट कौनसी है, सलेक्टेड डेट, उसदिन पानी आ जायेगा। यह मन्त्रीजी ने बताया कि नहीं बताया आपको ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, विपक्ष के माननीय नेता ने जो अभी अपना कथन रखा है, विचार रखा है, उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि आपने 1983 के अन्दर जोधपुर की लिफ्ट कैनाल जोधपुर में लाई जाये, इसका प्रयास आपने किया। उसमें 1983 से 1990 तक उसके प्रयास मेंकिसी को आपको सफलतानहीं मिली। आपका अच्छा प्रयास था। माननीय भाटी साहब ने उस पर भाटा डाल दिया। योजना खटाई में पड़ गयी। उस योजना के कारण दस साल यह विलम्ब हुआ। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा—

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था। घनश्याम जी ने मुझे प्रोवोक किया। लेकिन तब भी मैंने कहा कि राजपाल जी अच्छा बोल रहे थे। उनकी गलती तो यह ही कि वह मुख्य मन्त्रीजी की तरफ जब इशारा करने लगे न तो वह उलझ गये हम लोगों से।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

अब आप बार-बार इसको कण्ट्रोवर्शियल बनाना चाहते हो या तो इस पर करवा लो एक दिन डिबेट और सिर्फ अपन पांच या छह जने ही उसमें बोलें और यह पूरा सदन सुन ले और उसमें आपको यह अच्छी तरह पता लग जायेगा गहलोत साहब। आपके जो देवीसिंह जी हैं न मन्त्री महोदय, उनको कहो आपको बैठाकर और वह जो मन्त्री परिषद का निर्णय था, उसका पूरा अध्ययन करो। इससे आपको लगेगा और आपको मैं जाऊंगा सन् 1977 तक, जब आपके मुख्य मन्त्रीजी पहली बार मुख्यमन्त्री बने थे। उस समय पश्चिमी राजस्थान का जो तेज कुमार कमेटी का प्लान बना था, वह मुख्य मन्त्रीजी के टाईम तो बना और इम्प्लीमेंट इन्होंने कभी किया नहीं और सबसे ज्यादा अगर जोधपुर लिफ्ट की भले मैंने जो योजना बनायी या अशोक जी गहलोत ने बनायी या माननीय मदेरणा साहब ने बनायी। सबसे ज्यादा पेयजल की योजना की खिलाफत आपके मुख्यमन्त्रीजी ने की। इसलिये डिब्बेट कराओ बार-बार गुमराह क्यों करते हो ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं, गुमराह मैं हो रहा हूँ या आप हो रहे हो ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो नहीं हो रहा हूँ। मैं तो तब ही बोलता हूँ आपने मेरा नाम लिया इसलिये, आपने फरमाया कि भाटा फेंक दिया।

श्री राजेन्द्र गहलोत : वह तथ्य भी आपके समक्ष रख दूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने सिर्फ एक गलती की कि जोधपुर पेयजल योजना के लिये में ला रहा था साढे 300 क्यूसेक्स पानी और अब जो योजना आ रही है वह करीब मुश्किल से 80 क्यूसेक्स की है। यह मेरी गलती हुई। मैं मूण भरा पानी लेकर आना चाह रहा था और आप लोग लाये हो मिट्टी भरा। वहाँ पहुँचा नहीं एक छोटी सी लोटी.....(व्यवधान)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी) .

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, चूंकि यह आपसे निवेदन करना चाहूँगा..... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस इंदिरा गांधी कैनाल का अगर सैकिण्ड स्टेप का भट्टा बैठाने का काम किसी ने किया तो नरेन्द्रसिंहजी भाटी ने किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भाटी ने किया। (व्यवधान) नरेन्द्रसिंह जी भाटी इस पर डिबेट कराना चाहते हैं। इस हाउस में इस पर कई बार डिबेट हो चुकी है और आपको मन्त्रि-मण्डल से निकाला ही इसलिये गया कि आपने उसका भट्टा बिठाया था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने तो ऐसा है धनश्याम जी, मैं तो मंत्रिमण्डल से निकाला भी गया और दो बार मैंने इस्तीफा भी दिया। आपको तो मौका ही नहीं मिला अभी तक समझे न और जिनके आप फोलोवर बने हुए थे न उन्होंने ही आपको यह सबक दिया। एक और कह दूँ कि आप उन नौ एम.एल.ऐज. में से हो, उसमें मैं भी हूँ, जिनके टेलीफोन भी यह श्रीमान् टेप करवाते हैं। अब आप बोलो। उन नौ एम.एल.ऐज. में आप भी हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टेलीफोन तो बड़े आदमियों के टेप हुआ करते हैं। इसलिये उसकी तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इतना आपको विश्वास दिला दूं कि मन्त्रिमण्डल में आपकी तरह जाऊंगा-आऊंगा नहीं, जाऊंगा तो परमानेण्ट जाऊंगा नहीं तो बाहर ही रहूँगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, माननीय भाटी साहब ने अपने विचार बताये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने तो सिर्फ टिप्पणी की है। मुझे तो विचार बताने का मौका देओ आप। एक डिबेट करवाओ इस पर।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आप अपने विचार रख लेना। अभी भाटी साहब ने जो टिप्पणी की है।

श्री परसराम मदेरणा : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य से मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि भाटीजी की जो मोडिफाइड स्कीम थी, वह नैट 350 क्यूसेक्स की थी या नहीं। एक ही बात कही गयी है भट्टा बिठा दो, बाद में बैठ जायेगा। यह बात सही है कि नहीं, यह असेसमेंट कर रहे हैं, ये फेक्ट है कि नहीं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहर 350 क्यूसेक्स की थी कि नहीं, वह जो चेंज स्कीम थी, चेंज स्कीम, आपने ही तुरन्त चेंज कर दी थी और आप ही बता दीजिये, वह थी कि नहीं। वह चेंज तो आपने की थी।

श्री परसराम मदेरणा : चेंज क्या कर दी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सैकण्ड स्टेप का आपने जबरदस्त विरोध किया था और आपके विरोध के कारण से ही तो इनको हटना पड़ा था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इन्होंने नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : जब डिबेट हो चुकी है और कई दफे डिबेट हो चुकी है। आपको इतनी जानकारी नहीं है कि कैपेसिटी क्या थी उस टाइम ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं तो 350 क्यूसेक्स का नहीं था।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सभापति जी, अभी जो टिप्पणी आई है___

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माधवसिंह जी दीवान को भी कई बार घोषणा करनी पड़ी और अशोक जी गहलोत को भी कई बार घोषणा करनी पड़ी और माननीय पूनमचन्द जी ने कहा था घोषणा मत करो, घोषणा मत करो। फिर भी करते रहे,हटते रहे। आपको पता है। सबको पता है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, जोधपुर लिफ्ट कैनाल___

श्री परसराम मदेरणा : घोषणा इस बात की थी पानी कौनसी तारीख तक आ जायेगा। इसलिये मैंने सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछा क्या आपने प्रभारी मंत्रीजी से यह पूछ लिया है कि पानी कब आ रहा है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको हमें परमानेण्ट मंत्री रखना है।

श्री परसराम मदेरणा : हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : परमानेन्ट मंत्री रखना है इनको।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। अनुभव हो गया है इनको और बहुत कड़वा अनुभव है कि अपने तारीख कोई मत रखो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमको मंत्री रखना है इसलिये तारीख नहीं, पूरा पानी लेकर आयेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : सीकर का भी ध्यान रखना।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, जोधपुर लिफ्ट कैनाल, जिसके बारे में अभी माननीय विपक्ष के नेता ने और माननीय भाटी जी ने जो टिप्पणी की है,मैं उसके लिये यह निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मदेरणा साहब ने जो योजना उस समय बनायी थी, घूम-फिरकर उस योजना पर ही वापस आना पड़ा और भाटी साहब ने चाहे सिरोही के अन्दर दूसरी बार शिलान्यास करवाया होगा,वह शिलान्यास,वह योजना एक काल्पनिक योजना थी। भाटी साहब इस बात को जानते हैं कि जोधपुर लिफ्ट के लिये जितना पानी आप लाना चाहते थे, जिस आकार की योजना आप लाना चाहते थे, उसके लिये, लिफ्ट करने के लिये उतनी बिजली हमें वहाँ उपलब्ध नहीं थी और योजना के नाम पर मिट्टी पड़ी हुई थी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप फिर उलझ रहे हो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं उलझ नहीं रहा हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आपको एक बात और अर्ज कर दूँ कि अगर बिजली उपलब्ध नहीं होती तो बिजली का डिपार्टमेंट मुझे ओ.के. क्यों करता ? मैंने हरेक डिपार्टमेंट से पूछा कि आप मुझे इतनी सप्लाई देंगे कि नहीं देंगे। बिजली बोर्ड और बिजली डिपार्टमेंट के मन्त्री का उस केबिनेट नोट के साथ उनकी परमिशन भी है और उनकी स्वीकृति भी है।

श्री सभापति : आप संक्षिप्त करें, संवाद नहीं करें आपस में।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, जैसी इनकी योजना थी वैसी स्वीकृति भी होगी। वह योजना प्रेक्टिकल नहीं थी और इसके कारण 1983 से 1990.......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिए प्लानिंग कमीशन ने उसको एग्रीमेंट किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। बोलने दीजिए। आप भी बोल लीजिए आपकी बारी आये तब। बार-बार इन्टरप्ट करना शोभा नहीं देता। बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय सभापति महोदया, मैं तो बोलूं नहीं, मदेरणा साहब और मेरा नाम लेकर पुकारेंगे तो मैं भी बोलूंगा और मदेरणा साहब भी बोलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे से उलझो मत।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आपसे कोई नहीं उलझ सकता।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, यह योजना जिस ढंग से, जिन हालातों में बनी है उसके लिए मेरा इतना ही निवेदन है कि इस योजना की मैं चर्चा नहीं करने वाला था, बिलाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो चर्चा की उसके लिए मुझे इस बात के लिए कहना पड़ा कि सदन को गलत तथ्य दिये कि 37 करोड़ में से 11 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि 36 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं मार्च तक। उसके बारे में मुझे इस बात की पृष्ठभूमि रखनी पड़ी और लिफ्ट कैनाल का नाम लेना पडा। उसका विचार रखना पड़ा तो उसकी पृष्ठभूमि बतानी पड़ी। माननीय विपक्ष के नेता उस समय यहां विराजमान नहीं थे इसलिए उन्होंने सोचा लिफ्ट कैनाल का वापस भूत कैसे शुरू हो गया इसलिए उन्होंने इस बात को पूछा।

श्री सभापति : आप संक्षिप्त करिये, आज मुख बन्द है सभी अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, जोधपुर के लिए जो कार्य किया गया और इस

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

कैनाल का काम अब सम्पन्न होने जा रहा है। मैं माननीय विपक्ष के नेता से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबके प्रयास से अति शीघ्र जोधपुर, यह साढ़े चार लाख गैलन पानी है यह जोधपुर को मिलेगा। हमने तो इसका समय बचाने के लिए कि कैनाल मेन्टीनेंस में आ जाय, यह योजना मेरी थी। मैंने यह निवेदन किया था मन्त्री जी को, मुख्य मन्त्री जी को कि इमरजेंसी स्कीम के माध्यम से, क्योंकि कैनाल बन गयी है और कैनाल बन जाने के कारण से अब कैनाल के अन्दर मिट्टी आ जायेगी और उसका पानी हम जोधपुर ला सकते हैं। जितना पानी मिले वह पानी हमें ले लेना चाहिए और उस पानी के लिए हमने चालीस लाख गैलन पानी लेने का प्रयास किया। उसके बाद हमने कहा कि कैनाल के अन्दर क्षमता से पानी हमें मिल सकता है इसलिए हमने अस्सी लाख गैलन की एक योजना सामने रखी वह पानी जोधपुर को मिल जाय। जितना भी पानी मिल रहा है जोधपुर की समस्या का समाधान हो रहा है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पश्चिमी राजस्थान में भूमिगत पानी लेने से वाटर लेबल उसका नीचे जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वैदिक काल के अन्दर सरस्वती नदी, जो लुप्त हो चुकी है, वह हिमालय से राजस्थान होते हुए कच्छ में जा रही थी और इस कारण जो हमारी वैदिक सरस्वती नदी है उसका शोध और अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

श्री परसराम मदेरणा : वैदिक काल कौन से युग में था ? वह द्वापर युग था या त्रेता युग था, युग कौनसा था ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : सतयुग था। सरस्वती नदी जो लुप्त हुई है वह नदी हिमाचल और पंजाब से होती हुई गंगानगर होती हुई फलौदी होते हुए अपने कच्छ की ओर जा रही थी ऐसे हमारे पुराण और पुरातन के जो विद्वान् हैं वह कहते हैं। इसलिए इसके ऊपर शोध करने की आवश्यकता है। यदि अनुसंधान किया जाय और जो अनुसंधान आज तक हुआ है उससे यह जानकारी मिली है कि उस क्षेत्र के अन्दर बहुत पानी का स्रोत है। उस पानी का उपयोग किया जा सकता है।

सभापति जी, आज पानी की आवश्यकता है। बूँद-बूँद पानी के लिए हमें आज जूझना पड़ता है, उस समय की लुप्त नदी, सरस्वती नदी को खोजा जाय तो राजस्थान में इसका उपयोग हो सकता है। साथ ही, सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि पानी के बारे में जो लोगों की धारणा है, जो मानस है उसको बदलना पड़ेगा। उसका उपयोग किस तरह से करें। कम पानी का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें वह मानसिकता हमारी नहीं है। पानी एक प्राकृतिक धरोहर है उस धरोहर को बचाने के लिए हमारी मानसिकता बनानी पड़ेगी। जनता को जागरूक करना पड़ेगा और पानी-चेतना हमको फैलानी होगी इसके लिए भी कार्य करना पड़ेगा।

सभापति जी, जोधपुर और जोधपुर संभाग के लिए माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से योजना को पूरा करने में इतना सहयोग दिया कि उसके लिए भी मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ। यह हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री किशन जी मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदया, आज पेयजल समस्या विश्व-व्यापी समस्या है और इसके दोहन की, उसके

(श्री किशन मोटवानी)

खर्च की, मैनेजमेंट की अति आवश्यकता है। जैसे राजेन्द्र जी गहलोत ने कहा कि जनचेतना कीआवश्यकता है, यह अत्यन्त आवश्यक है। आज में उदाहरण स्वरूप कह सकता हूँ कि जब हम बीसलपुर की बात कर रहे थे, अजमेर वालों को हम कह रहे थे कि हम आपको पानी देंगे 24 घंटे जब आप टेप खोलेंगे पानी मिलेगा। यह आदत अब अपने को नहीं डालनी है। बिल्कुल व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना होगा। जितनी आवश्यकता है जो मेक्सिसम हम बनाते हैं, मिनिमम आवश्यकता से अनुरूप हमको सप्लाई करना होगा। वह आदतें हमको डालनी होंगी। हमारा जल स्रोत कम हो रहा है उस स्रोत को भी मेन्टेन करने के लिए अपने सरफेस सोर्सेज को भी डवलप करना होगा। इसका एक विकल्प बीसलपुर योजना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में मरूस्थलीय क्षेत्र की जल समस्या के बारे में हम कई बार वहाँ चर्चा करते हैं और वाकई में है। किन्तु मैं यह बात प्रतिपादित करना चाहता हूँ कि उससे भी ज्यादा तकलीफ देह स्थिति हमने अजमेर में देखी है और अजमेर को उस पेयजल समस्या के कारण बहुत कुछ खोना पड़ा है। अजमेर ने पेयजल समस्या के कारण अपनी राजधानी खोली। अजमेर ने इस पेयजल समस्या के कारण अपने विकास को अवरुद्ध किया। विकास नहीं हुआ उसका। अजमेर के लोगों को पांच-पांच, सात-सात दिनों में पेयजल मिलता था उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए अजमेर की गम्भीर पेयजल समस्या है वह कोई मरूस्थलीय क्षेत्र से कम नहीं है।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अजमेर के लोगों को, उसमें में अपने आपको भी जोड़ देता हूँ, मेरी पार्टी को भी जोड़ देता हूँ कि हम अजमेर के लोगों को बीसलपुर के नाम पर बड़े दिनों तक झांसा देते रहे, कहते रहे, किन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ, यह आपके लिए है माननीय प्रभारी मन्त्री जी कि यह जानकारी कैसे हुई। जब 1985 में मैं जीतकर आया तो हमने इस बात को वापस उठाया, 1972 में कई बार उठाया तो हमको कहा जाता था कि बीसलपुर एनीकट बनेगा, राजमहल की स्कीम आयेगी इसलिए इससे अजमेर का समाधान होगा किन्तु वह 1972 से 1977 और 77 से 80 और 80से 85 और फिर 1985 में हमने बात उठायी तब राजीव जी ने विशेष इन्ट्रेस्ट लिया। मैं कहना चाहता हूँ, इट इज आन दी रिकार्ड, उन्होंने सी.डब्ल्यू.पी.सी. के मैम्बर को अजमेर भेजा।

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय पी.एच.ई.डी. के मन्त्री ने यह सिंचाई विभाग को 1982 में बीसलपुर योजना आपने भेजी थी यह मुझे मालूम है।

श्री किशन मोटवानी : आप सुनिये तो सही। आपने तो पत्थर भी रखा है, मुझे पता है, किन्तु जब सी. डब्ल्यू.पी.सी. का मैम्बर 1985 में आया तब उसने क्या कहा__

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह उखड़ भी गया था।

श्री किशन मोटवानी : मैं उसके उखड़ने की बात नहीं कहूँगा, वह भी हमारे लिए शिरोधार्य पत्थर है।

श्री परसराम मदेरणा : वह पत्थर शीशे के गारे में रखा गया था। जो पत्थर शीशे के गारे में रखा गया था वह कैसे उखड़ सकता है? मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लें। जैन साहब, मैं आपका आभार व्यक्त करने वाला हूँ। 85

(श्री परसराम मदेरणा)

में जब सी.डब्ल्यू.पी.सी. का मैम्बर आया उसने पोल खोली। उसने यह पोल खोली कि आपकी बीसलपुर इर्रिगेशन योजना है यह, जब तक राजस्थान में ऑन गोइंग इर्रिगिशन स्कीम्स हैं तब तक कोई इसको स्वीकृति नहीं दे सकता। इसलिये आप इस झांसे में मत रहो। इसका आप नाम चेन्ज कर दो। इसका नाम चेन्ज करके बीसलपुर पेयजल इर्रिगेशन स्कीम बना दो तो हम आपको स्वीकृति देंगे। मैं उस मैम्बर का आभारी हूँ, उन्होंने तुरत फुरत पी.एच.ई.डी. के अफसरों को दिल्ली बुलाया और उसका नामेनक्लेचर चेन्ज करा करके, उसकी आवश्यकता को समझकर सी. डब्ल्यू. पी. सी. ने इसको स्वीकृति दी और उसके बाद इसका उदभव हुआ है। मैं कहना चाहता हूं तीन पीरियड्स का आपको आंकलन करना होगा। 86 टू 90, 90 टू 92 Then in between governor's rule then thereafter 1993 till this date. इसमें आपको विभाजित करके, इस बीसलपुर की परियोजना के साथ क्या-क्या व्यवहार और क्या-क्या दुर्व्यवहार हुआ है, इसका हमको आंकलन करना होगा और उसके अनुसार श्रेय लेने वाली बात है, श्रेय ले लीजिएगा। मैं यह निश्चित कहना चाहता हूं कि 90 तक इसका एक स्वरूप बना था। इसका 86 से 90 तक जो एक वैकल्पिक स्वरूप बनना चाहिये था, खर्चा होना चाहिये, वह खर्चा होकर के बना और खेद के साथ कहना चाहता हूँ, मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी एक पत्र लिखा था 6 महीने के बाद, आपकी सत्ता में आने के बाद। आपने मुझे इसका यह उत्तर दिया कि मैंने भंवरलाल जी को आपका पत्र भेज दिया है, वह कार्यवाही करेंगे। मैंने उसमें अपनी सेवायें समर्पित भावनां के साथ समर्पित करने की भी उसमें पेशकश की थी। किन्तु कई कारण हो सकते हैं। 90 से 92 तक यह निश्चित है कि इस योजना के साथ अगर गलत शब्द कहूँ तो उसमें मैं माफी चाहूंगा। इलिजिटिमेट चाइल्ड की ट्रीटमेंट दी है। उसके साथ उसका जो स्वरूप बना था, उसके अनुकूल उसका जो पालन पोषण होना चाहिये वह नहीं हुआ। देन कम्स दी गवर्नर रूल्स पीरियड़। उन्होंने एक पहली बार मीटिंग, मैं कहूं 90 के बाद यह पहली मीटिंग हुई जिसमें इस योजना पर चर्चा करने के लिए जन प्रतिनिधि, अन्य प्रतिनिधि, गवर्नर साहब, अधिकारी बैठे और फिर इसको द्रुत गति देने की कुछ योजना बनी। इसके तुरन्त बाद फिर आपकी दुबारा सरकार बनी और फिर ग्रीष्मकाल आया। ग्रीष्मकाल में आप स्वयं जानते हैं, ब्यावर से आने वाले माननीय मित्र बैठे हैं उनको एजीटेशन करना पड़ा, अजमेर वालों को एजीटेशन करना पड़ा, यहां जागृति आयी। जागृति आयी तो राज्य सरकार ने माननीय भाभड़ा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी और उसके बाद उसकी कान्सटेंट मानीटरिंग उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भंवरलाल जी को, मुख्यमन्त्री जी को, बैन साहब को, भाभड़ा जी को कि उन्होंने उसके बाद इसकी कान्सटेंट देखरेख करने का संकल्प लिया और उसको एक हद तक, दो साल के पीरियड़ में जो उसकी शेप बन सकती है, उसको बनाया। किन्तु आज मैं कहना यह चाहता हूं कि श्रेय की जब बात आती है श्रेय किस तरह से दें। अखबार ने आज से दस-पन्द्रह रोज पहले लिखा कि बीसलपुर परियोजना का श्रेय राज्य सरकार इस माह के अन्त में लेगी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आज भी हम तैयार हैं क्या इस माह के अन्त तक? वैसे एक तौर से टैस्ट पीरियड़ का जो

(श्री परसराम मदेरणा)

पानी आना चाहिये, आ रहा है। इसमें दो राय नहीं है। वह कैसा पानी आया, इसकी मैंने कभी शिकायत नहीं की, अखबारों ने बहुत लिखा कि गन्दा पानी आ रहा है, परन्तु मैं जानता हूं मैं थोड़ा कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच रखता हूं इसलिए मैंने स्वयं ने भंवरलाल जी को भी कहा कि इसमें भंवर लाल जी आपका कोई दोष नहीं है। यह जो पाइप लाइन ढ़ाई तीन साल से पड़ी हुई थी इसमें मिट्टी जमी है, मिट्टी के कारण पानी आया, इसको बर्दाश्त करना हमारा धर्म है क्योंकि अल्टीमेटली इसी योजना से हम अजमेर वालों को फायदा होना है।

16.25

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

और इसीलिए थोड़े दिन बर्दाश्त कर लें तो ठीक है। इसलिए मैंने सदन में कभी भी इस बात को नहीं उठाया और मैंने कन्स्ट्रक्टिवली आपसे बात करी और आपसे चाहा कि इसमें और मानीटरिंग अभी आवश्यक है क्योंकि अब हम शहर में तैयार नहीं हैं कि जो इतना सारा पानी आयेगा, उस पानी का किस तरह से उपयोग हो? हमने शुरूआत करी, हर रोज भी देने लग गये फिर चार-चार दिन में होने लग गया। तो मैं यह कहना चाहता हूँ अब जो शहर में लाइनें डालने का कार्य है, उसमें द्रुत गति आये, मेरा सुझाव है। इसकी मानीटरिंग अति आवश्यक है और हाई लेबल मानीटरिंग कराइये। इसके टेण्डर होते हैं, अब टेण्डर को फिर रोक दिया है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बाई दी वे, हाई रेट टेण्डर हैं। हम पहले भी भुगतभोगी हैं इस बात के। जैन साहब बैठें__

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको पहले उम्मीद ही नहीं थी कि जिस समय यह भाभड़ा कमेटी आयी___

श्री किशन मोटवानी : It was expected to come in June, 1992. मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो आप? जून, 1992 तक वह स्कीम खत्म होनी थी, 1990 से 1992 तक आपने कोई तवज्जोह नहीं दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो 1991 में ही हो जानी चाहिए थी योजना के अनुसार। लेकिन नहीं हुई।

श्री किशन मोटवानी : पैसे पानी में डाल दें?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसके बाद स्थिति को देखते हुए आपको यह उम्मीद नहीं थी, एक साल में उसको जिस प्रकार पूरा किया है इसलिये धन्यवाद देना चाहिए आपको।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय चीफ व्हिप महोदय, वह योजना तो बन गयी। इसी बीसलपुर से दूसरी जयपुर शहर की योजना है सात सौ और कुछ करोड़ की।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 612 करोड़।

श्री परसराम मदेरणा : 612 होगी, आपने मुझे करैक्ट कर दिया, बहुत धन्यवाद। आप वणिक पुत्र हैं इसलिये आपको फिगर्स अच्छी तरह याद रहते हैं। जयपुर में पानी आयेगा और अजमेर चला जायेगा। आपका जो सी.सी. एरिया है, उधर आसपास इस पानी के ड्रावल के बाद कभी बीसलपुर में पानी नहीं आया तो आपको ट्यूबबैल खोदने पड़ेंगे आसपास, क्योंकि पानी का लेबल बंधे की वजह से होगा। मैं यह पूछ रहा हूँ कि आप टौंक वाले फिर क्या करोगे? तूंगी पकड़ना तूंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जयपुर के लिये ईसरदा का बांध अलग से बनवा रहे हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय। वहां पर पानी की आवक इतनी है कि जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पानी नहीं आयेगा,ऐसी स्थिति तो कभी आयेगी नहीं। क्योंकि जो एवरेज रेनफाल है उसके हिसाब से वहां पर पानी नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति तो आयेगी नहीं और ऐसा हमको सोचना भी नहीं चाहिए। जो सरप्लस पानी है वह ईसरदा में रोककर जयपुर को पिलाया जायेगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : इसका मतलब यह हुआ कि आपकी स्कीम बीसलपुर से जयपुर को देने की नहीं है। आपकी ईसरदा से ही देने की है। यही है न स्कीम आपकी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय मोटवानी जी को कम्प्लीट करने दें। अभी बहुत माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप जयपुर वालों को क्यों झांसा दे रहे हो? ईसरदा की स्कीम बनाओ और वहां से पानी लाओ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपके जो बरदी प्रेडीसेसर थे उनकी चेयरमैनशिप में एक पानी की कमेटी बनी थी जिसका मैं भी सदस्य था। उस कमेटी को यह बताया गया कि गवर्नमेन्ट ने एक एक्सपर्ट इंजीनियर्स की कमेटी बैठायी है कि इस बनास नदी के क्षेत्र में ऊपर एनिकट्स बनने चाहिए कि नहीं। एक्सपर्ट कमेटी ने यह राय दी कि एनिकट्स बनने चाहिए। उसमें आप देखना, मेरा नोट आफ डीसेण्ट है, कि अगर एनिकट्स ऊपर बन गये तो बीसलपुर की वही स्थिति होने वाली है जो आज रामगढ़ की हुई है। आप गवर्नमैण्ट के चीप व्हिप हैं, वहां इण्टर-सेप्शन हो रहा है पानी का। कभी उस बारे में हिम्मत बटोर कर आपने यह बात गवर्नमैण्ट को कही क्या कि आप इण्टरसेप्शन क्यों करवा रहे हैं?

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जैन साहब ने कुरेदा है इसलिये मैं जनता की ओर से आपकी 1990 से 1992 तक जो अन्ड्यू, डेलीबरेट और मैलाफाइड डिले हैं उसके लिए उनकी तरफ से कण्डैम करता हूँ और प्रताडित करता हूँ। अब सुना आपने मेरे को? मैं कहना नहीं चाह रहा था। 1990 से 1992 की जो आपकी डिले हैं उसको। पर आप मुझे कुरेदना चाहते थे कि श्रेय दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। बीसलपुर की योजना के सन्दर्भ में प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने एक बात कही जब आपने जयपुर को देने की बात कही तब अजमेर की जनता से कोई बोला नहीं, ब्यावर की जनता ने भी नहीं बोला और अजमेर की बात हुई तो हम भी नहीं बोले। हम तो आज भी उसमें विश्वास रखते हैं जो पानी उपलब्ध है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिये। परन्तु आपने क्या किया? आपने अण्डर प्रेसर, अण्डर ड्यूरेंस, अण्डर इन्फ्लुएंस अपर लेवल है जहां से पानी आना है वहां एनीकट् बनाने की स्वीकृति दे दी है। That is why I again condemn you and request you- कि इस फैसले को आप निरस्त कीजिये अन्यथा आप न तो अजमेर को पानी दे पायेंगे, न ब्यावर को दे पायेंगे और न जो सोच आपने जयपुर को देने के लिए बनाया है वह दे नहीं पायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : पानी नहीं होगा तो कहाँ से देंगे।

श्री किशन मोटवानी : हां, कहां से देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय, कम्प्लीट करें।

श्री किशन मोटवानी : हां सर दो मिनट में।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सदस्य, आप इनका इंगेजमेंट कीजिये।

श्री किशन मोटवानी : वह तो जनता करेगी, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : परक ने जिस तरह से वारेन हेस्टिंग्स का हाउस आफ कामन्स में इंपीचमेंट किया था, आज वह सब फैक्टस तैयार करके इंपीचमेंट गवर्नमेंट चीफ व्हिप का कीजिये।

श्री किशन मोटवानी : आई सपोर्ट यू। मैं ताईद करते हुए बात करता हूँ और जनता से अपील करूंगा कि इनको इंपीच ही करें कि योअर एक्शन्स आर सच कि आप जिस तरह से इस पेयजल की समस्या की बात करते हैं माननीय सदस्य उसको मानवीय बताते हैं और हम भी बताते हैं किन्तु आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। जब खिलवाड़ करते हैं तब कण्डेन करने की स्थिति पैदा होती है अन्यथा आपने जब 1994 में कमेटी बनाकर जो प्रयास किये हैं उसकी हम सराहना करते हैं। हम उसको साधुवाद करते हैं। किन्तु आगे के लिए यही निवेदन करते हैं कि इसकी देखरेख, रख-रखाव का भी एक चिन्तनीय विषय है। यह जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी आगे की देखरेख, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बराबर रहे, सप्लाई सिस्टम बराबर रहे, उसकी निगरानी बराबर रहे उसकी भी योजना बनायें। उसकी योजना नहीं बनायेंगे तो हैपहैजर्ड हो जायेगी स्कीम__

श्री परसराम मदेरणा : बच्चा मर जायेगा।

श्री किशन मोटवानी : वह तो मर जायेगा, साहब, अभी तक जो स्थिति है वह मरने की है किन्तु मुझे होप है कि माननीय भंवरलालजी इसमें अभी थोड़ा तवज्जोह देंगे व इसकी एक योजना है उसको बनायेंगे। मैं इसके साथ-साथ एक और बात जो एनोमेली है उसका निवेदन करूंगा कि अब कनेक्शन्स की भरमार हो रही है अजमेर में और वहां एल फार्म वाली दिक्कत है उसको वापस ले लें। एल फार्म वाला सिस्टम, सिस्टम आफ करप्शन है। इसको कृपा करके तुरन्त प्रभाव से वापस लीजिये और लोगों को राहत दीजिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रतापजी कासनियां।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : व्यवस्था यह हुई थी कि दो माननीय सदस्य इधर और उधर के बोल लें उसके बाद हमारा नम्बर आयेगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है, आपकी स्लिप पड़ी हुई है। बिराजें आप।

श्री अमराराम चौधरी : हमेशा बाद में टाइम मिलता है और आप दूसरे को फिर लम्बा समय दे देते हो तो हम फिर महरूम रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : लम्बा क्या, मुखबन्द छह बजे करना है। बिराजिये आप। माननीय सदस्य, थोड़ा जल्दी-जल्दी अपनी-अपनी समस्या कह दें।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी में ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पी.एच.ई.डी. में 30 पर्सेण्ट सुधार किया है, 70 पर्सेण्ट अभी तक__

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : 30 पर्सेन्ट तो पहले ही था।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपके जमाने में तो हालत 100 पर्सेण्ट बिगड़ी हुई थी उसमें से 70 पर्सेण्ट अभी तक बिगड़ी हुई है, 30 पर्सेण्ट सुधार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री रामप्रताप कासनियां : जो भी वर्षों से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

स्कीम अधूरी पड़ी थी उनका पुनः निर्माण करके उन स्कीम्स को चालू किया गया है। इसके अलावा भी बड़ी-बड़ी स्कीम्स को मन्जूरी दी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम लोगों ने शिकायत की तो तुरन्त उस पर सुनवाई हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर गांवों में हेल्पर होते हैं जिनको लाइन मैन बोलते हैं। पानी का सारा का सारा सिस्टम न तो चीफ इंजीनियर के हाथ में है, न एसई. के हाथ में है, न एक्स-ईएन. के हाथ में है, हैड आफ दी डिपार्टमेण्ट लाइन मैन ही है अपने आप में। वह चाहें तो गांव वालों को पानी पिलायें, वह न चाहें तो पानी नहीं पिलाये। मैंने देखा है कि गाँव के अन्दर कोई शादी हो और उनको निमंत्रण नहीं दिया जाय तो अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि शादी में पानी की सप्लाई नहीं करते और लोगों को टंकियां भर-भर कर पानी की लानी पड़ती हैं।—

श्री अध्यक्ष : आप न्योता दिया करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : हां, न्योता देने की बात है। दूसरी विडम्बना यह है कि 10-10, 15-15 वर्षों से—

एक माननीय सदस्य : एक्सईएन. को निमंत्रण भेजा करो।

श्री रामप्रताप कासनियां : एक्सईएन. कहां, मैं तो लाइन मैन की बात कर रहा हूँ। वही हैड आफ दी डिपार्टमेण्ट है। अध्यक्ष महोदय, इन कर्मचारियों की यूनियन की वजह से, अगर कोई शिकायत एक्सईएन. के पास करें, एसई. के पास करें तो एक ही जवाब देते हैं कि इनकी यूनियन है, हम कुछ नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा एई.एन. और एक्सईएन. तक पहुंच सकते हैं और वहाँ पर इस तरह की बातें सुनने को मिलें तो वे लोग निराश होते हैं। आखिर में वह लाइन मैन अपनी मनमर्जी से जिस तरह से सप्लाई करे, उसी तरह से करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जैसा वाटी और सोमसर स्कीम है, उनमें उदाहरण के रूप में जैसे सप्लाई आठ घंटे दे रखी है लेकिन जो पम्प ड्राइवर और लाइन मैन हैं वे मिलकर आठ घंटे की जगह चार घंटे सप्लाई देंगे। इसका कारण डीजल बेचने के लिए वे डीजल की बचत करते हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप बिना शादी के ही उनको इन्वाइट कर लिया करो।

श्री रामप्रताप कासनियां : क्या करवा रहे हो?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं यह कह रहा हूँ कि बिना शादी के कभी-कभी उनको इन्वाइट कर लिया करो खाने पर।

श्री रामप्रताप कासनियां : वह तो आपकी आदत डाली हुई है अब क्या करें। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जैसावाटी और सोमसर स्कीम्स के सम्बन्ध में वहाँ की हालत यह है कि वे पम्प ड्राइवर डीजल बचाने के लिए चार-चार घंटे सप्लाई कम देते हैं। इसके अलावा डेजर्ट वाले गांव हैं, बारानी गाँव हैं जहां पानी नहीं है, पी. एच. ई. डी. ही किसी न किसी तरह से उनको पानी सप्लाई करा रहा है। वहां पर ग्रीष्मकाल में, अब ग्रीष्मकाल तो आ ही गया है, वहां उन लोगों को कई वार इतनी परेशानी हो जाती है कि इंजन खराब हो गया तो तीन-तीन दिन तक पानी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के गांव हैं वहाँ टांकें बना कर और स्कीम को एक्स्ट्रा चला कर पानी का स्टॉक दो-तीन दिन के लिए हो, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा में और निवेदन करूंगा, बात तो बहुत छोटी-छोटी है पर समस्या छोटी बात से बहुत बड़ी हो जाती है। एक चाखणावाली गाँव है, वहाँ पर 10-15 वर्ष हो गये स्कीम बने और पानी डालने के लिए डिग्गियों में चैनल नहीं बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, चैनल भी तीन-तीन बार बना दी गयी लेकिन कामयाब नहीं हुई। इसके अलावा बड़ा पल गांव है जहाँ पर सीपेज है। आज से 10-15 वर्ष पहले लाखों रुपये खर्च हो गये और गांव को पानी देना रिकार्ड में दिखा दिया। वहां एक तरफ सीपेज है और दूसरी तरफ पीने के पानी नहीं है। मानकसर और बड़ोपल गांव की हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, दो-तीन किलोमीटर दूर 18 एस.पी.डी. है वहां से बड़ोपल गांव को पानी देना था। वहां विभाग ने पाइप लाइन नहीं डाली है। केवल एक किलोमीटर डाल दी और दो-तीन किलोमीटर के मुकदमें दर्ज करवा दिये कि पाइन लाइन चोरी हो गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि चोरी हुई है, आधा किलोमीटर पाइप की हुई होगी पर जिस तरह से एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है कि 3-3 किलोमीटर पाइप चोरी हो गये___

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय थोड़ा-सा, दो मिनट, कभी-कभी तो___

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है।

श्री रामप्रताप कासनियां : अच्छा कहां बोलता हूं, कोशिश कर रहा हूं बोलने की। अध्यक्ष महोदय, कुछ स्कीम ऐसी भी हैं जिन पर पूरा खर्चा हो गया और छोटी-छोटी कमियों की वजह से वह स्कीमें चालू नहीं हो पायी हैं। जैसे कहीं पर फिल्टर चालू नहीं हैं, कहीं पर चैनल नहीं बना हुआ है, कहीं पाइप लाइन की कमी है, कहीं विद्युत का कनेक्शन नहीं हुआ है, कहीं इंजन उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पी.एच.ई.डी. से आज से 7-8 वर्ष पूर्व जितना भी काम हुआ है उसमें घटिया सामग्री लगी है और घटिया सामग्री के लगने से वह स्कीम अधूरी पड़ी है(_व्यवधान_) साफ ही करने की कोशिश कर रहा हूं, आपने तो इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया कि माननीय सदस्य बजट का पूरा खर्चा भी कर दें तो आपकी बिगाड़ी हुई स्कीमों की रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती, ऐसी हालत है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप अपनी बात कहो, टाइम क्यों खराब कर रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, कुछ गांवों में खारापानी है और खारा पानी होने के बावजूद भी हैण्डपम्प लगा दिये, क्यों लगा दिये, कि ठेकेदार और इंजीनियर हैं, वे अपने फायदे के लिए यह बात नहीं देखते कि यहां पानी खारा है। एक अभियान चला था 7-8 साल पहले, उसमें हैण्डपम्प लगा दिये। अब हम उन हैण्डपम्पों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाने की बात कहते हैं तो परमीशन नहीं है। तो मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा___

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री अमरारामजी।

श्री रामप्रताप कासनियां : इस तरह की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पानी दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बहुत से ऐसे गांव हैं राजस्थान में, आप माननीय मंत्रीजी को बता देना, आप बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय नहीं दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्षजी मैं, जिस विधान सभा क्षेत्र से आया हूँ उसका नाम पंच-भदरा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए क्या है? मेरी पांच बजे मीटिंग है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री अमराराम चौधरी : भदरा मींस, नदी को कहते हैं और पंच भदरा यानी 5 नदियां, वहां पर इकट्ठी होती थीं, उस विधान सभा क्षेत्र पचपदरा से मैं निर्वाचित होकर आया हूँ। अध्यक्षजी, पानी में मीन प्यासी रहे, यानी पानी होते हुए भी हम प्यासे हैं। लूनी नदी में बिड़ूजा जहां 20 ट्यूबवैल खुदे हुए हैं और वहां से 10 किलोमीटर पचपदरा आकर, वहां तालाब भरा है, आगे पानी पहुंचता नहीं है। मैंने वहाँ एडीशनल चीफ को, वहां के अधिकारियों को कई बार निवेदन किया कि आप दो जेनरेटर लगा दीजिये, वहां बिजली नहीं आती है और खराब हो जाती है। और हमारे गांव तरली, लाकूंदडा, रूंगकी, राजामेडी, सारजाली, कालेबा, क्यार, चारनेत, दूदवा, बांकूडी, मलबा, सारे गांव बिना जल के महीनों तक रहते हैं और जब महीने में हम कहते हैं कि पानी गया। कोई सेंट्रल टीम आती है तो एक दिन मुश्किल से दो कुण्ड पानी आकर टंकी में पहुंचेगा। कहने का मतलब यह है कि अधिकारी लोग इतने विजिलेंट नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी, मैंने आपको भी कई बार लिखकर दिया और मैं सालभर से आपको यही कह रहा हूं कि दो जेनरेटर लगा दो, पानी की समस्या हल हो जायेगी। अब लूनी नदी आयी थी, हमारे यहां भीमरलाई और भोजवास के बीच में पाइप लाइन है। आपके कर्मचारियों ने कह दिया कि पाइप लाइन तो नदी में बह गयी और 4 महीने तक वे कर्मचारी अपने घरों में रहे और उनकी तनख्वाहें उठती रहीं। मैने उनको साथ ले जाकर, उनको बताया, जेइन., एइन. को कि पाइप लाइन नहीं गयी है, पाइप लाइन है, देखा तो पाइप लाइन मौके पर मौजूद थी। उसके बाद भीमरलाई तक पानी पहुंचा लेकिन भीमरलाई से आगे कितने गांव अधूरे हैं। असेम्बली में प्रश्न किया था तब दौड़कर मेकरना में पानी पहुंचा। गोलस्टेशन, छितरिया में पानी नहीं। गोलसोडा में पिछले 25 साल से पानी पहुंचाने की बात कह रहे हो; एक बार पानी नहीं पहुंचा। मैंने कहा इसको भीमरलाई से डाइरेक्ट पाइप लाइन लगानी है। इसको जोड़ दीजिये, कटोगांव को नलों वगैरह से जोड़ दीजिये। सिर्फ चार किलोमीटर पाइप लाइन लगानी है तो ऐसे छोटे-छोटे काम हैं, वे नहीं कर सकते। आज पुपलियां की लीजिये, गिड़ा अराई सर्किल में 15 पंचायत हैं—

श्री अध्यक्ष : माननीय, 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय तीन मिनट में जहां पानी की समस्या है, वह थोड़ा निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वैसे आप पानी की समस्या पर बोलें तो दो मिनट में खत्म कर सकते हैं, पर यूं नहीं हुआ, यूं नहीं हुआ तो बात कैसे खत्म होगी ?

श्री अमराराम चौधरी : मैं वह नहीं कह रहा हूं। मेरा निवेदन है कि यह पुपलिया में सेंट्रल टीम गयी, कुछ दिन आधा फिट पानी होदी में गया है। अब आप पुपलिया के खारा पानी के कुएं पर मीठा पानी बनाने की मशीन लगा दीजिये। जिससे खारा पानी मीठा हो जाय या आप वहां वैसे ही मोटर लगा दीजिये तो पशुओं को पानी तो मिले। प्रयू में पाइप लाइन लगी हुई है, 25-30 सालों से आप हमेशा विधान सभा क्षेत्र में आते हैं और आज 10-15 साल से यही बात कह रहे हैं लेकिन ना तो ये नई स्कीम बनाकर पानी भेजते हैं। हीरा की ढाणी में एक लाख रुपये लास्ट इयर कंटीन्जेंसी में स्वीकृत किये थे। मंत्रीजी क्या वह एक लाख रुपये लगे? मैंने कहा यह पानी ढुल रहा है, तालाब बन रहा है, इसको आप जोहड़ बनावें तो पानी कम से कम ढुले नहीं, उसको आगे के गांवों में दे दें। हम तो 8-8 कोस से आज भी घड़ा ऊंच कर आ रहे हैं, हमारी महिलाओं के बाल तो घड़ा ऊंच-ऊंच कर उतर गये हैं, वहां कोई शादी नहीं करता, ऐसी हालत वहां के लोगों की है। मैंने जो सोर्स बतायें हैं, आप समदड़ी के अन्दर कल्याणपुरा जो सेंटर है, आप भी नाकोड़ा जाते हो, बाड़मेर जाते हो, सेंटर आता है कल्याणपुर। कल्याणपुर के लिए हमने नयी समदड़ी में एक कुआ कराया, पाइप लाइन लगायी। आज 10 साल से पाइप लाइन में एक बार भी पानी नहीं आया।, उस कुएं को चालू नहीं कर रहे हो। गोदावास, गोदावास कलां में डोली में पाइप लाइन लगे हुए 10 साल हो गये, वह वहां है........

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री अमराराम चौधरी : वहां कुआ है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे पानी के जो सोर्सेज हैं ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कई माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है और सारी जगह में समस्याएं हैं।

श्री अमराराम चौधरी : एडीशनल सोर्सेज को जब तक नहीं अपनायेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा निवेदन मैं और करूं। आप सामुदायिक टांके जो व्यक्तिगत पशुजल योजना के लिए टांके बने हैं या बनाते हैं, वे जलदाय विभाग को दे दीजिये। ताकि जिन गांवों में बिजली के कारण पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां लोगों को लाभ मिले। हैण्डपम्प के बारे में कह रहा था, कि कंटीन्जेंसी में आपने 5-6 हैण्डपम्प स्वीकृत किये, क्या वे हैण्डपम्प काम कर रहे हैं? तीन बार ठेकेदार आये, खोद करके। उसके ऊपर लोहे की प्लेट लगी है, एक भी चालू नहीं है। इसलिए 5-10 हैण्डपम्प हमारे यहां हो सकते हैं जहां बिजली नहीं आवे। तो भी हमारा काम चल सकता है। रोडवा में, पलोद में, वहां पर हैण्डपम्प लग जावे वहां पानी मीठा है। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री भगराज जी चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्षजी, आज पेयजल जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो रही है। राजस्थान जैसे सूखे प्रान्त के लिए यह वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पुराने समय में कहा जाता रहा है कि राजस्थान शूरवीरों की भूमि है। यहां खून सस्ता है; पर पानी महंगा है। यह स्थिति पश्चिम राजस्थान के लिए तो और विकट बन जाती है। आज पानी की समस्या को लेकर शहर भी चिन्तित है और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वाकई समस्या है, वे भी चिन्तित हैं

(श्री भगराज चौधरी)

ऐसा क्यों हो रहा है? शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को लेकर हमें रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। शहरों की समस्या, मैं समझता हूं आज बहुत कुछ हमारे द्वारा बनायी गयी है। शहरों में फ्लश के लिए पानी चाहिए, शहरों में बाग-बगीचों के लिए पानी चाहिए। शहरों में कूलर चलाने के लिए पानी चाहिए, शहरों में और प्रकार से पानी चाहिए तो शहरों में आप कितने पानी का वेस्टेज करने जा रहे हैं। क्या कभी हमने इस बात पर चिंता की है?

दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आज भी 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर से किसान और काश्तकार भाई पीठ पर पानी लेकर आते हैं और स्नान करने की बात तो रही, कपड़े धोने की बात दूर रही, बच्चों को नहलाने की बात दूर रही, पानी पीने के लिये, एक परिवार, जिसमें 10 मेम्बर होते हैं, खाली एक घड़ा पानी होता है और कभी-कभी वह घड़ा भी नसीब नहीं होता, पानी नसीब नहीं होता। आज शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जहां भी समस्या है, मेहरबानी करके इस समस्या को सही ढंग से चिन्तन करके माननीय मंत्रीजी सुलझाइये। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वाकई पानी की समस्या थी कांग्रेस सरकार ने उस समस्या के समाधान की ओर ध्यान दिया और ढाणी, गांव जहां समस्या थी, यह बात सही है, समस्या बड़े क्षेत्र में थी इसलिए सारे क्षेत्र के अन्दर कांग्रेस शासन के दौरान समस्या का सम्पूर्ण हल तो नहीं हो पाया मगर फिर भी जहां-जहां ज्यादा ग्रेविटी थी, उन ग्रामों के अन्दर उन लोगों को आइडेन्टीफाई करने के पश्चात् बराबर पानी पहुंचाने की कोशिश की और बहुत योजनायें बनाई। मगर कांग्रेस का शासन खत्म हो गया उसके पश्चात जो योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों में बनी पड़ी हैं, पाइपलाइन खींची हुई हैं, जी.एल.आर. बने पड़े हैं, मगर सौर्सेस या तो ड्राइ हो गये या फिर सोर्सेस से पानी नहीं निकाला जाता। बीच में लाइनें टूटी फूटी पड़ी हैं कोई ठीक करने वाला नहीं है जी. एल. आर. टूटे पड़े हैं, तो आज ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भी जो समस्या है वह समस्या इस बात की नहीं है कि हमने वहां पर पानी पहुंचाने के लिए प्रावधान नहीं किया। हमने बहुत से ग्रामों के अन्दर पानी पहुंचाने का प्रावधान कर रखा है, जैसा कि आपके फिगर्स बोल रहे हैं। नये-नये राजस्व ग्राम हम डिक्लेयर करते रहते हैं और उन सारी संख्या को मिलाते हैं तो आज करीब 39 हजार गांव के आसपास हैं। मगर करीब 36 हजार राजस्थान के अन्दर हैं। 36 हजार में से करीब 32-33 हजार गांवों के अन्दर पानी पहुंचाया हुआ है। तो 32-33 हजार गांवों के अन्दर भी आज हकीकत यह है कि कम से कम 30 प्रतिशत गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहां कि लाइनें बिछी हुई हैं, जी.एल.आर. बना हुआ है, सोर्सेस से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिफाइड हैं वह गांव, डाइरेक्ट फीडर है लेकिन फिर भी वहां पर लोग पानी की समस्या से बराबर पीड़ित हैं, चिन्तित हैं। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि आपके विभाग के नीचे के स्तर पर बराबर देखभाल नहीं है। कोई मानीटरिंग करने वाला नहीं है। अधिकारीगण मौके पर ठहरते नहीं हैं और देखभाल प्रापर नहीं होती है। इसलिए बराबर पानी की समस्या जहां पर हमने प्रावधान कर रखा है, करोड़ों रुपये खर्च करके वहां भी आज समस्या बनी हुई है। मैं संक्षेप में इस मुद्दे को खाली एक ही उदाहरण देकर के प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा कि मेरे क्षेत्र में छोटे-मोटे 140 गांव हैं। 140 गांव भी करीब-करीब खारे पानी से जुड़े

(श्री भगराज चौधरी)

हुए हैं मगर आज करीब 40 गांव ऐसे हैं कि जहां लाइन बिछी हुई होने के बावजूद भी, सोर्सेस से जुड़े हुए होने के बावजूद भी पानी नहीं पहुंचा है। पानी ठहरता नहीं है। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पानी पहुंचा ही नहीं है। कुछ ऐसे गांव है जहां आपके सोर्सेस ड्राई हो गये। तो कहने का मतलब यह है कि 30 परसेन्ट गांव जहां पर आपने इतना खर्चा कर रखा है मगर आपकी देखभाल ठीक नहीं होने के कारण से, आप के स्टाफ की लापरवाही बरतने के कारण से, और आप स्वयं की जयपुर से बाहर निकलने की आदत नहीं होने के कारण से यह सारी समस्या बनी हुई है इसलिए इस समस्या को आपको प्रभावी ढंग से हल करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा और भी निवेदन करना चाहूंगा। जैसा मैंने शहरी समस्या के बारे में और ग्रामीण समस्या के बारे में निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : जब से कांग्रेस शासन खत्म हुआ उसके पश्चात् भाजपा की सरकार का दृष्टिकोण ही बदल गया . . .

श्री अध्यक्ष : कम से कम 50 नाम और हैं उसमें 7 ही हुए हैं अभी।

श्री भगराज चौधरी : भाजपा सरकार का दृष्टिकोण इस समस्या के समाधान करने का बदल गया . . .

श्री रामनारायण : अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था की पालना आसन ही नहीं करे तो सदन से कैसे आशा की जा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया है और स्थगन प्रस्ताव बहुत इम्पारटेन्ट स्थगन प्रस्ताव है . . . (व्यवधान) . . . सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या, यह मंत्री मण्डल का सवाल नहीं है। . . . हां, पेयजल का है . . .

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। एक मिनट और क्यों जाया कर रहे हैं आप। बिराजें आप।

श्री रामनारायण : मुझे मीटिंग में काल किया गया था और मुझे पहले टाइम दिया जाना चाहिए . . .

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। माननीय चौधरी साहब को बात पूरी करने दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, हाउस में हम महिलायें अल्पसंख्यक हैं। हम पर भी ध्यान दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां, दे रहा हूं।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जब से कांगेस का शासन राजस्थान में समाप्त हुआ और भाजपा आई उसके बाद तो शहरी क्षेत्रों के अन्दर पानी की गम्भीर समस्या नहीं होने के बावजूद भी . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य 6 बजे मुखबन्द है और कई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री भगराज चौधरी : . . . शहरों में पानी की समस्या गम्भीर नहीं होने के बावजूद भी इस समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा रखा है और इसका सीधा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों को जहां वास्तव में समस्या है वहां पर समस्या का हल करने के बारे में किसी प्रकार से चिन्तन करने का सरकार ने प्रयास नहीं किया। आज हमारे राजस्थान के अन्दर 411 करोड़ की आबादी है। 411 करोड़

(श्री भगराज चौधरी)

में से 222 नगर हैं छोटे-मोटे जिनमें एक करोड़ की आबादी है। 311 करोड़ की आबादी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और पूरे हिन्दुस्तान का करीब 10 पर्सेन्ट क्षेत्रफल का भू-भाग हमारे राजस्थान का है, उसमें से ये समझिये कि करीब 80 पर्सेन्ट या यों कहिये 90 परसेंन्ट ग्रामीण क्षेत्र हैं। ऐसी स्थिति गम्भीर होने के बावजूद भी आज शहरी क्षेत्रों में काफी कुछ किया जा रहा है मगर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर न तो आप बराबर बजट का प्रावधान कर रहे हैं, न बराबर समस्या के समाधान के बारे में ध्यान दे रहे हैं। इसके कारण से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत दुखी और चिन्तित हैं . . .

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भगराज चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आंकड़े बोल रहे हैं और जो आप ने सप्लाई किये हैं . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आंकड़े पहले ही बता देते तो थोड़ा काम कम हो जाता।

श्री भगराज चौधरी : . . . इसलिए आपका चिन्तन ग्रामीण क्षेत्रों की पानी की समस्या के समाधान के लिए कतई नहीं है। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार तो शहरी लोगों की सरकार है और शहरी लोगों की ही चिन्ता करती है और ग्रामीण लोगों का अहित करती है, किसानों का अहित करती है। शिड्युल्ड कास्ट हैं, वह पता नहीं किस कारण से आपके चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। उनका भी बराबर अहित करते जा रहे हैं। क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी तो ग्रामीण क्षेत्रों में है और वह + + + बहुत दुखी हैं। वह ढाणियों में रहते हैं, मजरों में रहते हैं। आप देखिये, यह मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं 1990 और 81, जब तक कांग्रेस सरकार थी तब तक बराबर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर तो बजट पेयजल की समस्या का निवारण करने के लिए बढ़ता जा रहा था और ज्योंहि आपकी सरकार आयी उसके बाद में आपने बजट घटाना शुरू कर दिया और लगातार आपका बजट घटता जा रहा है। पिछले साल जो आबंटन था उसमें 60 पर्सेन्ट आपने शहरों में रखा और 40 परसेन्ट आपने प्लान का पैसा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रखा . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें अब आप।

श्री भगराज चौधरी : 252 करोड़ में से इस साल आपने जो आबंटन किया है उसकी हालत भी वही है कि 60 परसेन्ट आप शहरों को दे रहे हैं जहां पर आबादी केवल मात्र 20-22 पर्सेन्ट है। जहां तक क्षेत्रफल का सवाल है वह तो और भी छोटा है। तो आपका सोच बिल्कुल ही बदल गया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि आप मेहरबानी करके . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय उगमराज जी मेहता। बिराजें आप।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है . .

श्री भगराज चौधरी : I have not been given even two minutes.

श्री अध्यक्ष : मेरे पास सब टाइम नोट रहता है। आपने बोलना चालू किया, मैं कहना तो

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

नहीं चाहता मगर आपने 4.48 पर शुरू किया था। ज्यादा से ज्यादा मैं आधा घंटा और सब को बुला सकता हूं।

श्री भगराज चौधरी : I am now giving few suggestios to help you to improve the situation.

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज समस्या का समाधान करने के बारे में यह सही है कि हमें कुछ नया चिन्तन करना पड़ेगा। पानी का फिजूल खर्च भी हमको रोकना पड़ेगा। इसके साथ-साथ में जहां भी हमारे ट्रेडीशनल सोर्सेस आफ वाटर सप्लाई के थे, पहले कुएं थे, बावड़ी थीं जहां पर भी हमें पोटेबल स्वास्थ्यप्रद पानी मिल सकता है उस प्रकार के सोर्सेस को भी दुबारा हमको टेप करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर खास तौर से आपने एक नयी योजना बनाई है, जनता जल योजना। मगर इस जनता जल योजना की तरफ आपके द्वारा किसी प्रकार से आगे बढ़ने का रुझान नहीं है। मेरे क्षेत्र के अन्दर 5 गांव ऐसे थे जहां भयंकर पानी की समस्या है। एक गांव तो ऐसा है कि जहां काश्तकारों ने अपने खुद के साधनों से एक ट्यूबवैल बनाया मगर ट्यूबवैल बनाने के बाद में सालभर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हम ट्यूबवैल सरकार को देने को तैयार हैं . . .

श्री अध्यक्ष : बिराजे, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : . . . कलक्टर ने भी आदेश दिये मगर उसके बाद भी . . .

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कुछ कह तो नहीं सकता। आप बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : इसलिए आप ट्रेडीशनल सोर्सेस को दुबारा तैयार कीजिए, उनको इलेक्ट्रिफाई कीजिए और जहां-जहां भी स्वच्छ पानी मिल सकता है, जहां फ्लोराइड की मात्रा नहीं हो, उसमें नाइट्रेटस भी नहीं हो और किसी प्रकार का पानी के अन्दर दुर्गुण नहीं हो उस प्रकार का पता लगायें। कम से कम ट्रेडीशनल सोर्सेस को दुबारा टेप कीजिए ताकि कम से कम एक स्टैण्डबाई के रूप में जब भी आपकी बिजली बन्द हो जाये, जब भी आपकी सप्लाई बन्द हो जाये तब कम से कम ट्रेडीशनल सोर्सेस के जरिये भी काश्तकारों को पानी मिल सकेगा।

दूसरे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आप अपने नीचे के लेबल पर थोड़ा मानीटरिंग और सुपरवीजन के सिस्टम को सुधारिये। जैसी आप में ढिलाई है उससे भी ज्यादा ढिलाई नीचे के स्तर पर बनी हुई है। जहां तक जालौर जिले का सवाल है न तो एस.ई. वहां पर ठहरता है और न एक्सई.एन. ही ठहरता है। महीने में 20 दिन तक दोनों अधिकारियों में से कोई नहीं ठहरता है। मैंने कई बार नोट किया है मगर कहें तो किस को कहें, + + + ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए मेहरबानी करके इस तरफ ध्यान दें और गांवों के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, गांवों की समस्या हल नहीं करने के बारे में, गांव की समस्याओं की अवहेलना करने के बारे में, उस दृष्टिकोण को त्यागिये। अगर आपने नहीं त्यागा तो वह दिन दूर नहीं जब कि सारे ग्राम की जनता आपको हटा देगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, जन स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शपथ लेते ही सबसे

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उगमराज मेहता)

पहले राजस्थान में, ब्यावर में पेयजल के लिए 60 लाख रूपये उन्होंने दिये और उसके फलस्वरूप व्यवस्था हुई, ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ और ब्यावर में उस समय बराबर पानी मिला पिछली गर्मी में 72 घंटे में बराबर पानी मिल रहा था। उसके बाद में सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस हाउस में, गत विधान सभा सत्र में कह रहे थे, और उन्होंने पांच "भ" के ऊपर विचार रखे थे। भाभड़ा जी, भैरोंसिंह जी, भंवरलाल जी शर्मा, भण्डारी जी और भार्गव साहब। पांच जनों के उन्होंने विचार रखे थे।

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी।

श्री उगमराज मेहता : भारतीय जनता पार्टी। पर जिस समय उन्होंने विचार रखे कि पेयजल के ऊपर इस प्रकार की स्थिति है। उसके बाद में भगवान ने यह प्रार्थना सुनी और इतनी बारिश की कि सारे राजस्थान के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भैरोंसिंह जी की जयजय कार हो गई तो भैरोंसिंह जी का राज, भारतीय जनता पार्टी का राज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोलने लग गये, बीच में, बिराजें अभी। माननीय आपके पास कोई समस्या हो तो बतायें, नहीं तो मेरे पास समय लिमिटेड है।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, में पांच मिनट लूंगा।

माननीय भाभड़ा जी की अध्यक्षता में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो समिति बनाई और उसका मानीटरिंग हुआ, हमारे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उसकी तारीफ की और मानीटरिंग होने के बाद में हमारे मुख्य सचेतक, श्री महावीर प्रसाद जी जैन की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंनें इतनी मानीटरिंग की बार बार मीटिंग्स लेकर के, नहीं तो यह पानी हमको इस बार मिलने वाला नहीं था और इस जनवरी में हमको बराबर पानी मिला।

श्री अध्यक्ष : पानी मिल गया न ? अब तक कोई तकलीफ नहीं ? बिराजें आप।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : पानी मिल गया, उसके बाद क्या है ?

श्री उगमराज मेहता : मैं माननीय भंवरलाल जी शर्मा की तारीफ करूंगा कि उन्होंने 85 लाख रुपये ब्यावर की पाइप लाइन बदलने के लिए तय किये, 9 करोड़ रुपया बड़ी पाइप के लिए नसीराबाद से ब्यावर के लिए काम चालू होना शुरू हो गया। आने वाली गर्मी में बड़ी पाइप लाइन से पानी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद। अब आप बिराजें।

श्री उगमराज मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह चर्चा हो रही है कि आज चालीस साल से लोगों के पेट में मरोड़ें उठ रही हैं, आप देखें, काम उन्होंने भी बहुत किया है, मैं यह नहीं कहता, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का राज, भारतीय जनता पार्टी का जन्म 15 साल पहले हुआ, 15 साल का बच्चा और यह 40 साल के। अब इनकी + + + खत्म हो रही है और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा और इनकी नांव डूबने वाली है ... यही निवेदन करना चाहता हूँ।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी। माननीय सदस्य, तीन चार मिनट बाद खत्म करें।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पानी के विषय पर चर्चा चल रही है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में मैं समझता हूं काफी दफा चर्चा हुई है, लेकिन 47 साल के बाद भी राजस्थान के हजारों गांव ऐसे हैं जिनको आज भी पीने का पानी नहीं मिलता है। चाहे वह सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे हमारे भैरोंसिंह जी की तीन दफा की सरकार रही हो। गांव का एक-एक व्यक्ति, पूरा उनका ऊंट लड्डा पूरे दिन पानी लाने में लगा रहता है। एक तरफ हमारे राजस्थान के शहरों में जिसका घर है उसकी रसोई में भी टूंटी है, उसके बाथरूप में भी है और उसके बाग में भी टूंटी है। कितना भेद है? गांव में रहने वाला गरीब किसान, उसकी मां और बहिन को सर पर घड़ा रख करके दो किलोमीटर से आज भी, आजादी के 47 साल बाद भी पानी लाना पड़ता है। इससे बुरी और कोई हालत हो नहीं सकती। वह आजादी मात्र मैं समझता हूं आज भी वही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां अपने आपको गांव की बात कहने वाली कहती है। जो उदाहरण इन्होंने चार साल के बाद तय किये हैं। सबसे ज्यादा मैं समझता हूं 31 जिलों में से अकेले सीकर जिले में टी.एस.एस. से पानी मिलता है। जहां गर्मी के दिनों में जब भयंकर पानी की समस्या होती है, जब भी कुएं की मोटर जलती थी उसकी रिपेयर वाटर वर्क्स करता था लेकिन अब यह ऑडर्स निकाल दिए गए है कि अब जब भी टी.एस.एस. की बिजली की मोटर जलेगी, वाटर वर्क्स उसको नहीं बंधायेगा। तो मैं यह समझता हूं कि गांव वालों के साथ अन्याय वाली बात है। हमारे अधिकारियों के पास यह भी अधिकार नहीं हैं। पावर को सैन्ट्रलाइज कर लिया गया है। कुएं को गहरा कराना है, 20 हजार रूपये के लिए एडीशनल चीफ इन्जीनियर, जयपुर से स्वीकृति लानी पड़ेगी और मैं समझता हूं। यह स्वीकृति चलते-चलते यह गर्मी का पूरा मौसम निकल जाता है।

अगर आपके अधिकारियों के ऊपर आपका कन्ट्रोल नहीं है तो पानी नहीं मिल सकता। जितने भी पावर्स पहले थे, उससे भी नीचे तक दीजिए, गर्मियों में आपको पावर्स डीसैन्ट्लाइज करनी चाहिए जिससे तुरन्त गति से एक्शन हो सके।

दूसरा गांव वालों के साथ यह तय किया गया है। पहले 59 रुपये में कनेक्शन मिलता था, आज आपने बढ़ाकर एक आर्डर निकाला है गांव की कोई टी.एस.एस. स्कीम है 500 रूपये देगा तब उसको कनेक्शन मिलेगा।

जहां हैण्ड पम्प की बात है, कैसी विडम्बना है कि जहां कोई जनप्रतिनिधि कोई भी प्रेक्टिकल सजेशन दे, जहां 500 की आबादी है वहां टी.एस.एस. सैंक्शन न करके हैण्डपम्प स्वीकृत कर रखा है। आप हैण्डपम्प लगायेंगे। हम कह रहे हैं कि हैण्डपम्प में आप जितना पैसा लगायेंगे उससे कम पैसे में पहले कुआं बना हुआ है, हौज बना हुआ है, टी.एस.एस. चालू हो सकती है लेकिन कहते हैं कि हमारे नियम में नहीं आता है। हम पैसे खर्च करेंगे लेकिन गांव की, जानवरों, की गांव के व्यक्तियों की पूर्ण व्यवस्था उसी पैसे में हो सकती लेकिन कहते हैं कि हमारे नियम में नहीं आता है। हम पैसे खर्च करेंगे लेकिन गांव की, जानवरों की, गांव के व्यक्तियों की पूर्ण व्यवस्था उसी पैसे में हो सकती है लेकिन कानून की बन्दिश के कारण हम प्रेक्टिकल काम नहीं करना चाहते केवल कानून के अनुसार चूंकि हैण्ड पम्प स्वीकृत है इसलिए हैण्ड पम्प ही लगायेंगे। इस तरह की बाधाएं

(श्री अमराराम)

जहां प्रेक्टिकली की वहां बिल्कुल इस तरह से लगायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हो गया।

श्री अमराराम (धोद) : एक मिनट। पिछली बार हैण्ड पम्प खोदने के लिए जल निगम को दिए गए थे। सीकर जिले में जितने हैण्ड पम्प खोदने के लिए जल निगम को दिए गए मैं समझता हूं आधे भी नहीं खोदे गये और जिन को चालू किया गया था उनको पूर्ण नहीं किया गया। कलक्टर ने चिट्ठी लिख दी, वहां के तमाम अधिकारियों ने चिट्ठी लिख दी लेकिन उसके बाद भी वह पूरे नहीं हुए। जितने हैण्डपम्प हैं, कहते हैं उनके वहां पाइप नहीं गये अगर पाइप चले गये तो हैण्डपम्प खोदने वाली मशीन नहीं पहुंची।

दूसरा जनता जल योजना बिल्कुल सही थी लेकिन पहले गांव वाले आपके बिजली बोर्ड को पैसा जमा करवाएंगे और वापिस वही पैसा वाटर वर्क्स गांव वालों को पेमेण्ट करेगा। इसमें कौन सी दिक्कत आ गई। वाटर वर्क्स ही उस बिजली के बिल को सीधे क्यों नहीं जमा करा देता है? इसमें डिले करने का कोई मतलब नहीं है। पहले गांव वाला पैसे जमा करावे फिर वाटर वर्क्स उसको पुनर्भरण करे।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें एक दिक्कत है, आप अपनी राय दें यदि हम कनेक्शन देते हैं?

श्री अमराराम (धोद) : कनेक्शन लिया हुआ है जनता जल में स्वीकृत हो गया, चालू हो रहा है उसके बाद में यह है कि हर महीने पहले गांव वाली सोसाइटी चुकाएगी फिर वाटर वर्क्स जमा कराएगा। यह व्यवस्था है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह कर देंगे। वह ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपके सजेशन बहुत अच्छे हैं, मान्यवर, कुछ लिख कर भी दें। बिराजें आप। माननीय परसराम जी मोरदिया। श्री राम नारायण जी।

श्री अमराराम (धोद) : तमाम टी.एस.एस. से सिर्फ पानी पिया है। उसमें किसी में 15 हजार बकाया है किसी में 20 हजार बकाया है। वह पैसे भी अगर बिजली बोर्ड के जमा हो जाते हैं तो क्लैरीफिकेशन हो जाता है।

क्योंकि उनसे पानी पिया है किसी ने भी सिंचाई के काम में नहीं लिया है और किसी काम में नहीं लिया है, पानी पीने के काम में लिया है इसका पैसा भी वाटर वर्क्स जमा करावे।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, कमीशन की हालत यह है कि निश्चित रूप से पहले भी पैसे खर्च किये गये हैं, अभी भी पैसे खर्च किये जा रहे हैं लेकिन कमीशन के कारण हालत इतनी बुरी है वह पैसा गांव तक पहुंचता नहीं है। मैं आपको एक ही उदाहरण देकर समाप्त करता हूं कि जहां हमारे गांव में कुआ पूरा 30 हजार में खुदता है वहां वाटर वर्क्स का अगर खुदेगा तो वह एक लाख में खुदेगा। अगर उसको गहरा कराना है तो उसका बिल वाटर वर्क्स के कमीशन के थ्रू 90 हजार का उठेगा। अगर इस कमीशन को हम कम कर पायेंगे तो निश्चित रूप से वह पैसा उसको कहीं ज्यादा रूप में हम गांव और शहर के लोगों को पानी पिलाने में ले सकते हैं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। पांच मिनट में समाप्त करें। आपको कहीं मीटिंग में भी जाना होगा इसलिए पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री रामनारायण (नैनवां) : मीटिंग का तो टाइम निकलता रहेगा लेकिन आप एक मिनट तो सुन लें। माननीय अध्यक्षजी, काफी बातें हुई, बहुत उपयोगी बातें हुई, यह बात सही है बीसलपुर के मामले में भी बात आयी। अजमेर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा, बीसलपुर के केचमेंट एरिया में जो एनीकट्स बनाने की इजाजत दी गयी है, पूरे राजस्थान में एनीकट्स पर रोक और बीसलपुर में एनीकट्स की इजाजत देना, यह जानबूझकर बेईमानी पूर्वक सरकार ने शरारत की है। समय रहते सरकार इस शरारत को ठीक करे नहीं तो इससे सारी की सारी योजना नेस्तनाबूद और बरबाद हो जायेगी।

बीसलपुर में जो पाइप डाले जा रहे हैं, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वे टूट रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : बूंदी तक पहुंच गये क्या वे ? अभी आप बीसलपुर में कहां आ गये। बूंदी तक हों, तो बतायें आप।

श्री रामनारायण : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस मामले में कमेंट्स नहीं करना चाहता, मैं इस मामले को इसलिए कहना चाहता हूं कि बीसलपुर की योजना इर्रिगेशन की योजना थी जिसमें 568 गांव थे। इस सरकार ने, जो किसानों की बात करती है, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी किसानों के बारे में आप समझते हो तो आपको पता होगा, केवल 208 आपने रख दिये और रिकार्ड में, कागजों में वे सब खत्म हो रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है माननीय अध्यक्ष जी, आज जयपुर में जिस तरह के आन्दोलन हो रहे हैं, बार-बार कहते आये हैं, इस बात का सर्वे करा रहे एडिशनल चीफ इंजीनियर को ले रहे हैं, कोई बॉकडाक कम्पनी दिल्ली से आ रही है और उसका सर्वे करा रहे हो, जयपुर में चम्बल का पानी देने के लिए। क्या कारण है जबकि भारत सरकार के मिनिस्टर्स आपको कह चुके हैं, आप कुछ भी करें। जब पैसा देने के लिए तैयार है तो आप इस योजना से, जिसमें आप एनीकट बना रहे हैं, पानी इतना नहीं है उसमें। आप क्यों बरबाद हो रहे हैं ? 6 स्थानों को पहले दे रहे हो, एक हजार के करीब गांवों को आप पानी दे रहे हो। इसको आप प्रेस्टीज पाइंट क्यों बना रहे हो ? ठीक है आप रिश्तेदारी निभाइये और एनीकट की बात करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बीसलपुर योजना को बरबाद कर दीजिये जो हमने बीसलपुर योजना दी है, भारत सरकार आपको पैसा देने के लिए तैयार है, चिट्ठियां लिखी हुई हैं, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से आपके यहां चिट्ठिया पड़ी हैं, मेरे पास उसमें आपकी कापी है। आप उसको क्यों प्रेस्टीज पाइंट बना रहे हो ? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष जी, तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं, इसलिए विशिष्ठ योजना वाले कहते हैं, नैनवां में बोकरा फीडर हो या सूर तालाब हो, आप इसको बनाइये, पानी की आमद बढ़ेगी। आपका कोई तालमेल नहीं है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं समय की पाबंदी रखते हुए इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, यह डिपार्टमेंट, माननीय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी, आपकी छवि के लिए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी दाद देते हैं और इस सदन में घोषणा करते हैं। क्या हो रहा है ? कितना आपके डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है ? 1993 में आपने पाइप्स खरीदने की बात की थी, उनको आर्डर नहीं दिया गया और

(श्री रामनारायण)

जनवरी में जाकर के आपने आर्डर दिये तो किस तरह से दिये यह आपको मालूम है। अभी क्या हो रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले एम.एस. पाइप्स का, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर पधार गये हैं, इनके भी ध्यान में आनी यह बात जरूरी है। एस. एस. पाइप और जी. आई. पाइप्स के बारे में टैण्डर्स हुए थे, 10 पार्टियों ने टैण्डर दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों से लोगों ने कहा, इसमें बेइमानी और घपलत हुई है। 6 को खोल लिया गया, लोएस्ट था उसको आर्डर नहीं दिया गया और चार टैण्डर जो नहीं खोले गये थे, जो टैण्डर्स इन्होंने दिये थे, उनको दस्तख्त होने चाहिए थे, उन टैण्डर्स में रद्दोबदल की गयी। अधिकारियों की मिली भगत से उनमें चैन्ज किया गया और उसके बाद में लोएस्ट को दिया गया। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, पिछले टाइम भी इसका ज्यादा टैण्डर था, लोएस्ट टैण्डर वाले को आर्डर नहीं देकर के ज्यादा टैण्डर वाले को, जो अन्तरराष्ट्रीय कम्पनी थी, आर्डर दिया गया। यही हालत इस टाइम पर हुई है। कुछ दिनों के लिए पाइप के लिए और उनके लिए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को पता है, किस तरह से यहां बवण्डर हुआ था सदन में और इस तरह की रिपोर्ट भी, जिस तरह से 82 से 88 तक जो भ्रष्टाचार हुआ है इस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, उस भ्रष्टाचार की वापस पुनरावृत्ति हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इसमें हस्तक्षेप कीजिये, रोकिये यह करोड़ों रुपये के जो ठेके दिये जाते हैं, टेण्डर दिये जाते हैं, उसमें इतने गड़बड़ घोटाले हैं, आप इसमें हस्तक्षेप करें। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्षजी, कि यही नहीं वहां प्रमोशन के मामले में भी किसी तरह की बातें हो रही हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं क्या दिखाऊं, मुख्य मंत्रीजी के हस्ताक्षरशुदा मेरे पास एक कागज है जिसमें मुख्य मंत्रीजी के दस्तखत हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सीधा साफ आर्डर दे रखा है विभाग को, कब तो मैकेनिकल का चीफ इंजीनियर बनेगा, एडिशनल चीफ इंजीनियर बनेगा, कब सिविल का बनेगा, उन आर्डर की माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो आपके 6.12.91 के हैं, पालना नहीं हो रही है। कृपा करके आपसे निवेदन है कि इस डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारी, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, आपकी जहां फाइल पड़ी हुई है डी. ओ. पी. में, जहां भी ऐसे अधिकारी जिनकी स्वच्छ छवि है, ताकि यह पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप।

श्री रामनारायण : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, करप्शन के मामले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बहुत बदनाम रहा है, अखबारों में नहीं, सदन में नहीं, आम जनता में बदनाम हो रहा है और उस बदनामी से बचा जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री रामनारायण : बातें तो काफी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा, जिस तरह से योजनाओं को ठीक ढंग से संधारित नहीं किया जा रहा और जिस तरह से विभाग में गड़बड़ियां हो रही हैं, मेरा निवेदन है कि सारी की सारी गड़बड़ियों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ध्यान देकर और बहुत सी बातें, मैं आपको सब बता दूंगा, मुख्य मंत्रीजी सारा का सारा मेरे पास है और कृपा करके इन सारी चीजों को आप ठीक करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

1178

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

स्पष्टीकरण

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य विधानसभा द्वारा कतिपय सदस्यों के टेलीफोन टेप करने संबंधी आरोप पर गृह मंत्री द्वारा सरकार की ओर से स्पष्टीकरण

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए ओसियां से आने वाले माननीय विधायक श्री नरेन्द्रसिंह जी भाटी ने एक नितान्त असत्य कथन किया है कि इस सदन के 9 सदस्यों के टेलीफोन टेप किये जाते हैं। मैं उस समय सदन में नहीं था। मैं पूरे उत्तरदायित्व से यह कहना चाहता हूं कि चौमूं से आने वाले माननीय विधायक श्री घनश्याम जी तिवाड़ी और ओसियां से आने वाले माननीय विधायक श्री नरेन्द्रसिंह जी भाटी सहित किसी का भी कोई टेलीफोन टेप नहीं किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री किशन गोपाल जी कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पेयजल पर चर्चा हो रही है ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ भी कहा है, सोच समझकर कहा है कि जो कि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जो मेरा राइट है उस सोर्स को डिसक्लोज नहीं करने की जो माननीय मंत्रीजी फरमा रहे हैं, मैं बहुत ही नम्रता से आपसे अर्ज करता हूं, यह फैक्ट है, आप डिनाई करते रहो ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : कोई टेप नहीं होता।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल इस तरह असत्य कथन करके और इस मंच का दुरूपयोग है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताइये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई दुरुपयोग नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : उनके पास कोई सूचना है नहीं, यह बिल्कुल असत्य कथन किया गया है, कोई भी इस तरह की सूचना नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप अपने लोगों को डांटिये श्रीमान। आप अपने संयम में रहिये, अपने लोगों को डांटिये। मैंने भी देख रखा है आप कितने सत्य बोलते हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय विधायक में साहस है, वह अपने सूत्रों को यहां प्रकट करें ताकि इस तरह के + + + और असत्य वह कथन यहां नहीं किया करें यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, न तो कभी मैंने यहां असत्य बात कही है, मैंने जब मुख्यमंत्रीजी को डेढ़ साल पहले नोटिस देकर जो मसला भण्डारी साहब का कहा था उसका एक बार भी, मतलब इस सदन को गुमराह करके ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह बात की, नहीं साहब यह नहीं है। क्या बात मानूं उनकी ...(व्यवधान)

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : सबूत रखो न आप।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य अपने हितों के प्रति जागरूक होते और माननीय सदस्य अपनी स्वतंत्रता के हामी होते तो इस बात को कभी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

भी मेरे ध्यान में ला सकते थे, व्यक्तिगत ला सकते थे, मुझे टेलीफोन कर सकते थे। आज तक इन्होंने, पहली बार में असत्य कथन करके एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की जिसे मैं अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सीधा आरोप लगाकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह डांगावास : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बाध्य करिये कि जो इन्होंने आरोप लगाये हैं वह यहां सदन की टेबल पर रखें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको अर्ज कर दूं, आज आप उनको भी बाध्य करिये ...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, यहां प्रमाण प्रस्तुत कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गम्भीरता का सवाल है इस तरह के आरोप नहीं लगाये जा सकते। (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह डांगावास : यह असत्य आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस पर व्यवस्था दें आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टेलीफोन विभाग केन्द्र का है। अगर कोई ऐसी मशीन या डिवाइस तैयार हुई है तो लगभग उसका टेपिंग करने का तरीका जो है वह टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ सकता है। केन्द्र सरकार अगर चाहे तो स्वाभाविकतया यह कर सकती है, स्टेट सरकार के हाथ में न तो यह विभाग है और न कोई ऐसी मशीन है जो कोई भी सरकार किसी का टेलीफोन टेप कर सकती है। इसलिए मूल के अन्दर ही यह बात असत्य है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे टेलीफोन टेप करवा सकती है। . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मशीन टेलीफोन टेप करने की सवाईमाधोपुर भेजी थी जो राजीव गांधी के टेलीफोन टेप करने में काम में आयी थी ... (व्यवधान) और इनके भी वही टेप काम कर सकती है।

श्री कालूलाल गूजर : यह तो इनकी पार्टी का ही काम है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह जो मुख्य मंत्रीजी हैं, अध्यक्ष महोदय, जो भी +++ की टेक्टिक्स यूज करें उतनी कम है। ...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। ...बिराजें आप।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य सबूत पेश करने से कतरा क्यों रहे हैं? जब मुंह से बोला और सच बोलते हैं तो सबूत क्यों नहीं रखना चाहते हैं?

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : बिराजेंगे तो सही लेकिन ऐसा असत्य आरोप लगाकर पूरे सदन को गुमराह करके, यहां तक कि प्रेस को गुमराह करके यह अच्छा नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, भाटीजी इतनी चुनौती से कह रहे हैं कि फोन टेप होता है तो क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि फोन टेप होने की बात असत्य हुई तो ये इस्तीफा दे देंगे ? . . .(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, मैं दे दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : हां, देओ, इस्तीफा देओ पहले।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, मैं दे दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : आप चैलेंज मत करिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप करिये ना, आप पहले प्रूव तो करिये।

श्री कालीचरण सराफ : असत्य भाषण कर रहे हैं, असत्य भाषण कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो कालीचरण जी. . . . .

श्री कालीचरण सराफ : पहले लिखकर देओ, उसके बाद बात करना। पहले लिखकर दीजिये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सुनो, आप तो एक काम करो। (व्यवधान)

श्री राम प्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, सदन खाली हो जायेगा अगर इस तरह से इस्तीफे देने शुरू हो गये तो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके पास जो बैठे हैं ना उनको कह दो धर्म झेलकर, बता दें कि है या नहीं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा टेलीफोन कहीं टेप नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा टेलीफोन कोई टेप नहीं होता है, मेरा टेलीफोन कोई टेप नहीं होता है, मेरा टेलीफोन क्यों टेप होगा, क्यों होगा मेरा टेलीफोन टेप ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने ही तो कहा है कि हुआ है। वाह, वाह (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे टेलीफोन से और आपके टेलीफोन से कोई क्या कर लेगा ?

श्री महावीर भगोरा : कहीं भाटीजी खुद तो नहीं करवा रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + + थारो और म्हारो टेलीफोन को कै करेगो टेलीफोन टेप करवा के।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। . . . बिराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपणो दोन्या का टेलीफोन टेप करके कोई के करसी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोगटाजी। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख बन्द का समय 7.00 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

मुख बन्द का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : 8 बजे तक, फिर आप बढ़ायेंगे नहीं, एक बार बढ़ा दीजिये।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पेयजल पर चर्चा हो रही है और मैं भी अपने विचार उस पर रखूंगा। अजमेर जिले की महत्वपूर्ण बीसलपुर योजना जो भारतीय जनता पार्टी के राज में पूर्ण हुई और बीसलपुर का पानी अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद में आने लगा उसके लिए मैं हमारे कुशल नेतृत्व श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब, श्री भंवरलाल जी शर्मा साहब, पी.एचईडी. के अधिकारियों को अजमेर जिले की जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने लम्बे सालों से पानी की समस्या के समाधान के लिए बीसलपुर योजना कब पूरी होगी, कब पूरी होगी इस बारे में जनता रोज चर्चा करती थी और वह पूर्ण हुई और उसका पानी आने लगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था, टंकियों की व्यवस्था, पाइप लाइन की व्यवस्था का जिस प्रकार से कार्य चल रहा है उससे लगता है कि बीसलपुर का पानी जो सरकार पहुंचाना चाह रही है वह ठीक समय से और आवश्यकता के अनुसार नहीं पहुंच पायेगा। मैं चाहूंगा कि उसका ठीक मानीटरिंग हो, समय-समय पर अगर पैसे की कमी हो तो देवें और अति शीघ्र डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था, टंकियों को बनाना, पाइप लाइन नयी डालने, यह पूरे अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, किशनगढ़ में हो, यह मैं अपेक्षा करता हूं।

मेरा सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले डिविजनल लेवल पर लेबोरेटरीज पानी टेस्ट करने के लिए हुआ करती थीं, सम्भागीय स्तर पर पानी की जांच के लिए लेबोरेटरी होती थी और उसके साथ में जिला लेवल पर एक लेबोरेटरी सिवाय हनुमानगढ़ के सब जगह है लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल पानी टेस्ट करने के लिए इतने नमूने भेजने पड़ते हैं और उनके रिजल्टस 4-4, 6-6 महीनों से आते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाय कि पानी के नमूनों की टेस्ट होकर रिपोर्ट जल्दी आ जाय। इसके लिए विभाग को ध्यान देना चाहिये और माननीय मंत्री महोदय को भी इस बारे में विचार करना चाहिये और जहां-जहां आवश्यकता है, वहां एक-एक और लेबोरेटरी की व्यवस्था हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या बूस्टर की है। बूस्टरों की समस्या से टेल एण्ड के पाइंट्स पर पानी नहीं पहुंचता है। हालांकि इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं, डिपार्टमेंट कोशिश भी करता है, पी.एचईडी. के अधिकारी और जनता भी चाहती है कि ये बूस्टर हटें लेकिन इस पर आज तक काबू नहीं पाया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि नान बेलेबल आर्फेस में इसको लें तो निश्चित रूप से इस पर कुछ काम होगा और जिन लोगों के कनेक्शंस लास्ट पाइंट पर हैं उनको पानी मिलेगा। ऐसा मेरा सुझाव है।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कनेक्शन पर जो अभी चार्ज हो रहे हैं, 600 रुपये, वह बड़ा अन्याय है। 14 रुपये और 16 रुपये महीने आपके बिल का आता है, शहर में 16 रुपये और गांव में 14 रुपये, 100 रुपये कनेक्शन फीस और सिक्योरिटी के 500 रुपये जो शहरों में साढ़े छह गुना कनेक्शन फीस का है और 32 गुना सिक्योरिटी फीस का यह, यह बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा महीने का जो बिल आता है पानी का वह तो कनेक्शन फीस होनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा तीन गुणा सिक्योरिटी फीस होनी चाहिये लेकिन 32 गुणा शायद इस डिपार्टमेंट के अलावा और किसी डिपार्टमेंट में इतनी सिक्योरिटी जमा नहीं होती होगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और गरीब लोगों को, अब आप कहेंगे कि साहब 10 लाख और 5 लाख के मकान बना रहे हैं तो 600 रुपये क्या है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रेल्वे स्टेशन से गलताजी बस चलती है 2 रुपये लेती है, उसमें आप देखेंगे कि करोड़पति भी बैठा है और गरीब भी बैठा है वहां तो सब के लिए 2 रुपये का ही टिकट है। गरीब भी उससे सुविधा लेते है और अमीर भी लेते हैं। इसलिए जो कनेक्शन की फीस और डिपोजिट की रेट है इसको कम करके तीन गुना, जो महीने का बिल आता है, सिक्योरिटी के लिए 3 गुणा, अर्थात् 48 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों में 42 रुपये और जो कनेक्शन फीस है वह एक गुणा, अर्थात् पानी का एक महीने का जितना बिल आता है उतनी ही कनेक्शन फीस होनी चाहिये। आप इस बारे में विशेष तौर से ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : विजयनगर में तो कोई नहीं है समस्या ? आप समस्या हो तो बता दें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि प्याऊ, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल में वर्तमान में कामर्शियल रेट ली जाती है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और डोमेस्टिक रेट्स इन पर लगे यह आम जनता की सुविधा का सवाल है, विद्यार्थियों और गरीब लोगों की सुविधा का सवाल है, प्याऊ में भी कोई पानी राहगीर ही पीता है इसलिए प्याऊ में और मन्दिर में भी डोमेस्टिक चार्ज होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प किसी गांव में खुद गया और उसके बाद में हम चाहें कि वहां के लिए जलदाय योजना बनायी जाय तो कहते हैं कि यह तो कवर है, किसी न किसी स्कीम से। इसलिए हैण्ड पम्प की स्कीम जलदाय योजना में परिवर्तित नहीं हो सकती है जब तक कि राज्य स्तर पर सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं करे। मेरा यह कहना है कि दो हजार ढाई हजार की पापुलेशन है, वहां के लिए जलदाय योजना बनाने के लिए नियमों में रिलेक्सेशन दिया जाय और हैण्ड पम्प स्कीम से या किसी न किसी स्कीम से कवर है, हैण्ड पम्प लगाने मात्र से सुविधा नहीं मिलती है। अगर वहां जलदाय योजना बनाने की आवश्यकता हो तो नियमों में रिलेक्सेशन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें। एक मिनट और है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्या है।

श्री अध्यक्ष : क्षेत्र की बात करो ना। वरना इण्टरनेशनल भाषण तो बहुत हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आकाश-पाताल बाकी रह गये।

श्री अध्यक्ष : अन्तरराष्ट्रीय भाषण कई होंगे, आप तो अपनी समस्या बताइये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत विकट समस्या है, पहाड़ी क्षेत्र है बहुत दूरदराज से पानी लाने के लिए जनता को जाना पड़ता है। हैण्ड पम्प की स्कीम भी वहां पूरी तरह से सफल नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह के पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ी सी गर्मी होते ही जल स्तर नीचे चला जाता है, हैण्ड पम्प सूख जाते हैं। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय कोई न कोई स्कीम से उन क्षेत्रों को जोड़ें, रीजनल स्कीम से, 3-4 गांवों की एक रीजनल स्कीम बनायी जाय जिससे नल से उनको पानी मिले और गर्मी में या अन्य समय में पानी की समस्या न हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरे क्षेत्र में पिछले 10-12 सालों से, जब से ब्यावर की समस्या रही है मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा से ब्यावर क्षेत्र के आस-पास के गांवों से पानी ट्रांसपोर्ट होता था, उसके कारण से पानी का लेवल नीचे चला गया है। फिर भी ब्यावर को ट्रकों से पानी दिया जाता था। लेकिन अब ब्यावर में बीसलपुर का पानी मिलने लग गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आस-पास के गांवों को भी इस योजना से जोड़ा जाना चाहिये।

जब सकंट में ब्यावर शहर को सारा पानी प्रोवाइड करते थे तो अब, जब ब्यावर में पानी आने लगा तो ब्यावर की जो पुरानी स्कीम हैं, जो निमाज की है, जो भकरेड़ा की है, आसपास की जो भी है, आसपास के गांवों को कनेक्शन देकर पानी सप्लाई से जोड़ना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : विजयनगर पर पहुंचता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पेयजल की चर्चा के बजाय बीसलपुर की चर्चा हो रही है। जैसे इन्द्र देवता का घर है और यह बीसलपुर सबके यहां पानी लेकर पहुंच जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, यह बीसलपुर की योजना अजमेर जिले के लिए बनी, अजमेर जिले के लिए प्राण है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। भीमराज जी भाटी। बिराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह तो हमारा नेतृत्व कमजोर था और अजमेर जिले का नेतृत्व कमजोर होने की वजह से यह आप जयपुर और टोंक में ले जाने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कोगटा जी, बिराजिये। आपके सुझाव बहुत उत्तम हैं। आप मंत्रीजी को लिखकर दे दें। माननीय भाटी साहब।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं, जहां पानी बहुत दूर से, 2-2 किमी. से आता है तो मेरा सुझाव है कि जो पंचायत हैडक्वार्टर हैं या जहां पानी की समस्या है, उन गांवों को जलदाय योजना में तुरन्त लेने की व्यवस्था हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विजयनगर की समस्या ...

श्री अध्यक्ष : विजयनगर में तो है ही नहीं। बोल ही नहीं रहे हैं आप, इतनी देर से बोल रहे हैं इधर-उधर की।

श्री किशन गोपाल कोगटा : विजयनगर में अभी 120 घंटे में पानी आता था, कुछ प्रयत्न हुआ, अब 36 घंटे में पानी आता है लेकिन जो पानी आता है, वह बहुत खारा पानी है, ट्यूब वैल में कोई मीठा पानी है नहीं। मेरा यह

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

कहना है, विजयनगर को भी बीसलपुर योजना से जोड़ें।

श्री अध्यक्ष : खारी नदी के पास है इसलिए खारा ही आयेगा। बिराजिये आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी। 5-5 मिनट में समाप्त करें। माननीय सदस्य, आप तो बहुत विद्वान हैं।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : 5 मिनट ही लूंगा, छठा मिनट नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारी राजस्थान सरकार के माननीय भंवरलाल जी शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आर्कषित करना चाहूंगा, पिछले साल भी मैंने यह निवेदन किया था कि मेरी रोही पंचायत समिति में, जहां पीने के पानी का कोई स्त्रोत अवेलेबल नहीं है। हमारे गांव में 4-5 तालाब हैं जैतपुरा का, मांडावास का गेलावास का और पांचपदरिया का, जब तक उन तालाबों को जंवाई नहर से नहीं भरा जाता, तब तक हमारी उस पंचायत समिति से पीने के पानी की व्यवस्था, आप कितना ही जोर लगा लें, कितना भी खर्चा कर लें, कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

अगर जोधपुर जो पानी जाता है, मात्र 8 दिन थोड़ा गेज घटाकर उन तालाबों को पानी से भर दिया जाय तो हमारी रोही पंचायत समिति क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 45 साल के बाद भी कितना ही विकास हुआ होगा, कितना भी काम हुआ होगा, मैं यह नहीं कहता लेकिन आज भी आजादी के 45-47 साल के बावजूद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी ऐसे गांव हैं, जहां पीने के पानी की एक बूंद भी अवेलेबल नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। ऐसे गांव जैसे मेरे इलाके में एक गांव नेशनल हाईवे पर आया हुआ है, वह नयाबेरा का गांव है। वहां 47 साल के बावजूद भी पानी का आधा इंच पाइप का कनेक्शन भी नहीं है आज भी 47 साल के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में खारा पानी पिलाया जा रहा है, जहर के माफिक पानी को पीने के बाद, हमारे इलाके के लोगों को आप देखिये। उन लोगों की आंखे धंसी हुई, गाल अन्दर धंसे हुए, कमर ऐसी कुबड़ हुई हुई, ऐसी बुरी हालत है। उन गांवों को खारा पानी अभी भी पिलाया जा रहा है। उन गांवों में मीठा पानी अवेलेबल है। अध्यक्ष महोदय, पुराने लोगों ने बताया है कि मीठा पानी वहां पर है लेकिन कोई ऐसी सरकारी योजना नहीं जिस योजना के तहत वहां मीठे पानी का बन्दोबस्त किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, जलदाय योजना जो बनती है, उसमें आप आदमियों का और जनसंख्या का ख्याल रखकर योजना बनाते हैं लेकिन जानवरों की संख्या का जो पशुधन है, उस पशुधन को आप उसमें लेते नहीं और पशुधन को लेते हैं तो इतना कम पानी वहां पर अवेलेबल होता है जो उन आदमियों के पीने के लिए और पशुओं के पीने के लिए पर्याप्त नहीं होता। आज हमारे इलाके में खेती-बाड़ी तो हो नहीं सकती तो जो जानवरों की संख्या है, उनके लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था का अलग से इंतजाम किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो इस राजस्थान की सर्वोच्च पंचायत है, उस पंचायत से यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे इलाके

(श्री भीमराज भाटी)

में जो कुछ पानी की वाटर सप्लाई स्कीम है, उस स्कीम से बड़े-बड़े और असरदार लोगों ने, जिनकी राजनीति में घुसपैठ है या जो राजनीति में कुछ न कुछ टिकली कमेड़ी बने हुए हैं, उन्होंने अपने घरों में कनेक्शन ले रखे हैं और गांवों में उन बड़े-बड़े लोगों के घर में तो कनेक्शन हैं। सालों से उनके कनेक्शन चल रहे हैं, गांव प्यासा मरता है और उनके घर में, गांव में टांके भर जाते हैं। छोटी-छोटी ढाणियां हैं, 8-8 कि. मी. दूर से वहां पानी लाना पड़ता है, उन ढाणियों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं। गांवों में रहे जिसकी तो मान लीजिए कि दूर-दराज का मामला है, परन्तु अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में ही नहीं, मेरे पाली शहर में जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों में अवैध कनेक्शन हैं। 2-2 इंच की पाइप के कनेक्शन लगे हुए हैं। यह जलदाय विभाग के कर्मचारियों की जानकारी में है और उनकी मिलीभगत से लगे हुए हैं। शहर में पीने के पानी की तकलीफ पाली जैसे शहर में, जिला मुख्यालय पर तकलीफ। यहां ऐसी-ऐसी कॉलोनियां हैं, वहां आज भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। जबकि आजादी को 47 साल हो गये हैं। जैसे मास्टर कॉलोनी है, हैदर कॉलोनी है, शिव कॉलोनी है, अम्बेडकर नगर है और तो और, यहाँ मेरे आर. एस. एस. के माननीय भाई जान विराजमान हैं, उनकी केशव नगर कॉलोनी है—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : उस केशवनगर तक में पीने के.....

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब, अब एक मिनट में ही समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप जितना समय देंगे, उतने ही समय में समाप्त करूंगा। मेरी आदत ही नहीं है आपके आदेश की अवहेलना करने की।

अध्यक्ष महोदय, पेयजल योजना पर ए. ई. एन., जेईएन. बराबर ड्यूटी देते नहीं। कोई कहीं जोधपुर रहता है, जोधपुर से अप-डाउन करता है। सादड़ी में कई स्कीम ऐसी हैं, मुझे पता है। अभी पिछले दिनों मैं गया था तो वहां एईएन. और जेईएन. हैं ही नहीं, जो आपके कर्मचारी हैं, जो लाइनमैन है, वे सालों से वहां लगे हुए हैं। उन लोगों ने, पीने के पानी का वाल्व कम खोलना और ज्यादा खोलना, वे लोग उसका चार्ज वसूल करते हैं। जब चाहे पानी का वाल्व खोल देते हैं, जब चाहे तब उस इलाके को पीने के पानी से महरूम कर देते हैं और जो उनको चौथ देते हैं, जो उनके घरों में गेहूं की बोरी पहुंचा देते हैं, उस गांव को पानी देते हैं। हालत यह होती है अध्यक्ष महोदय कि 10-10 दिन तक उनको पानी नहीं मिलता और तो और, मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा, पिछले साल इन्होंने कंटीन्जेंसी में कुछ फण्ड्स अवेलेबल कराये थे। शहरी इलाके के लिए कराये थे और ग्रामीण इलाके के लिए भी कराये थे लेकिन मुझे आज इस सदन में यह कहते हुए दुख होता है कि पूरे 12 माह गुजर जाने के बाद, अब जब विधान सभा का सत्र चालू होने का समय आया, तब जाकर वह स्कीम इम्प्लीमेंट हुई, तब जाकर उसमें कार्यवाही हुई।

अध्यक्ष महोदय, इनकी पाइप खरीदने की जो प्रक्रिया है। पता नहीं, कौन इनके पाइप खरीदता है, पता नहीं, कौन इनकी सामग्री खरीदता है? सरकार का पूरा पैसा लगता है और इतनी घटिया पाइप, कि वह जो पाइप लाइन, जैसे ही उस पाइप को बिछाकर गांव के लोग, शहर की बस्ती के गरीब लोग, वे तो पानी का इन्तजार कर रहे थे...

186

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : जैसे ही पाइप लाइन में पहले दिन पानी छोड़ा, 10-15 जगह से वह पाइप फूट गया। ऐसी घटिया सामग्री खरीदने से और ऐसे सरकार का पैसा कुएं में डालने से क्या फायदा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : एक और निवेदन करना चाहूंगा छोटी सी बात, हमारे इलाके में छोटी-छोटी ढाणियां हैं। उन ढाणियों में 8-8, 10-10 किमी. दूर तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए कोई विशेष योजना बनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी इन्दौरा। माननीय सदस्य, आपके यहां काफी पानी है। 5 मिनट में समाप्त करें आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल के सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार देश के बढ़ते हुए विकास को बढ़ती हुई जनसंख्या खा रही है, उसी प्रकार से जलदाय योजनाओं की उपलब्धि को बढ़ती हुई अव्यवस्था खा रही है इसलिए जरूरी है कि जो व्यवस्था चालू हालत में है पिछले वर्ष की, उनकी मोनिटरिंग, उनकी देखरेख और व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि 1993-94 में सीमावर्ती क्षेत्र के दो निर्वाचन क्षेत्र, केसरीसिंहपुर और करणपुर के 47 गांवों के लिए पेयजल योजना बनी, लगभग 3 करोड़ रुपया खर्च किया गया। योजना बनकर तैयार हो गयी और स्टाफ क्वार्टर, डिग्गी, चैनल सब बन गये लेकिन आज डेढ़ साल हो चुका है। 10 वाटर वर्क्स जिनको 47 गांवों के लोगों को पानी देना है, वहां आज तक पीने का पानी नहीं मिला है। उसका उदाहरण है, राजस्थान पत्रिका में भी इस तरह की बात 24 तारीख को छपी और यह बात सूरतगढ़ में पेयजल योजनाओं के बारे में अखबारों में 25 तारीख को छपी है। यदि इसी प्रकार आप पैसा खर्च करते रहे और पैसा खर्च करने के बाद भी यदि अवाम को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो तो मैं समझता हूं कि यह विभाग और मंत्री की देखरेख की कमी की वजह से है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह तीन-तीन, चार-चार करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, इनकी मानिटरिंग होनी चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में किन अधिकारियों की गलती है, जिनकी वजह से पैसा खर्च करने के बाद भी और सरकारी की तरफ से पैसा मुहैया करवाने के बाद भी हम पीने का पानी नहीं दे पाये। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरसिंह रावजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ी सोच के साथ में यह तय किया राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से कि जो भारतवर्ष के कोने-कोने में, मजरों में जो लोग बसे हुए थे, ढाणियों में, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा था तो मिशन के माध्यम से यह तय करवाया और उसको राजस्थान सरकार ने लागू किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिये एक ढाणी को आप पानी देते हैं, माननीय भाटी साहब कह रहे थे कि ढाणियों को पानी मिलना चाहिए, यह सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है भारत सरकार ने भी और राजस्थान सरकार ने भी कि मजरों और ढाणियों में चाहे एक घर भी दस किलोमीटर पर हो, उसको पीने का पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। मेरा इसमें यही निवेदन करना है कि जहां से पानी ले जाते हैं, जिस ढाणी को पानी देना है, उसका जो रास्ता है, चाहे दो......

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

(17.42)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

किलोमीटर का है, चाहे तीन किलोमीटर का है, यदि उसमें कोई बड़ा गांव पड़ता है और उसमें पहले से हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं, चाहे वह हैण्ड पम्प खारे हों या मीठे हों, उन गांवों को नहीं छोड़ा जाय। क्योंकि आप जब दो बड़े गांवों को छोड़कर मजरे और ढाणियों को पानी देते हैं तो बीच में आने वाले गांवों को नहीं छोड़ना चाहिए और उनको उस योजना में शामिल करना चाहिए। दूसरा निवेदन यह था कि हरेक जगह कानून बने हुए हैं...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जिस प्रकार से नहरों में कोई पानी चोरी करेगा तो उसका भी एक्ट बना हुआ है लेकिन आपके यहां प्रोवीजन नहीं है ऐसा कि कोई आदमी वाटर वर्क्स की स्कीम्स का पानी चोरी करे, उदाहरण के तौर पर एक चैनल आ रही है, खेत में से निकल रही है और वाटर वर्क्स का पानी 24 घंटे चलता है, रात को चौकीदार नहीं होने की वजह से चैनल तोड़कर खेत में एक बीघा, दो बीघा को पानी पिला दिया जाता है, अधिकारी चिल्लाते रहते हैं लेकिन कोई मामला नहीं बनता। गांव में आपकी सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन प्लास्टिक की होती है, आपको उस गांव में दस पब्लिक टेप देने हैं, आपने दस पब्लिक टेप दे दिये लेकिन उसके बावजूद भी कई गांव में गर्म सरिया किया, सुराख किया और पानी शुरू कर लेते हैं। एक ही गांव में जगह-जगह पानी पाइप को तोड़ कर लिया गया है लेकिन वहां कोई भी काम, कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि लोगों को रोका जाय। इससे वेस्टेज हो रहा है और जिनको पानी मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है।

श्री सभापति : श्री भंवरसिंह डांगावास। कृपया बिराजें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक मिनट तो हुआ ही नहीं मुझे बोलते हुए। दूसरा मेरा निवेदन यह था डोमेस्टिक कनेक्शन्स का। आपने पांच हजार की आबादी के लिए डोमेस्टिक कनेक्शन्स देने की बात कही है, मेरा निवेदन यह है कि जहां शार्टेज आफ वाटर है, जहां दिक्कत है, जहां बांधों से पानी लिया जाता है या बरसात पर निर्भर रहते हैं लोग, जहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर की कमी की वजह से पानी कम दिया जाता है, लेकिन जो नहरी क्षेत्र है, जहां पानी है उन लोगों को आपको डोमेस्टिक कनेक्शन की परमिशन प्रत्येक गांव में दे देनी चाहिए।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, गत वर्ष पेयजल का गम्भीर संकट होने के कारण राज्य सरकार ने एक विशेष समिति श्रीमान भाभड़ा साहब के सभापतित्व में बनायी। उस समिति ने सुझाव देने के अतिरिक्त वक्त की आवश्यकता के अनुसार पूरे जिलों में प्रभारी बना कर सब जगह पेयजल उपलब्ध कराने की अथक चेष्टा की। माननीय, मैं नागौर जिले का, जिसका मैं प्रभारी था, निवेदन कर दूं। नागौर को गत वर्ष हमने दो ट्यूबवैल सोडियाना में नागौर शहर के लिए बनाकर जल उपलब्ध कराया। इस वर्ष की योजना में एक और नलकूप खुदा कर नागौर को पर्याप्त पानी देने की चेष्टा कर रहे हैं। मेड़ता, जहां से मैं आता हूं, वहां बीस वर्ष से फ्लोराइड युक्त पानी दिया जा रहा था, वह कतई पीने योग्य नहीं था। गत वर्ष इसी सरकार ने तीन करोड़ की योजना मंजूर कर इस वर्ष की गर्मी आने से पहले मीठा पानी उपलब्ध

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

कराया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और जन स्वास्थ्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, नागौर का, मेड़ता का, पूरे क्षेत्र का जन-जन इनको धन्यवाद अर्पित करता है। डीडवाना शहर में और दूसरे शहरों में हमने करोड़ों रुपये खर्च करके गत वर्ष ही करीब-करीब थ्री-फोर्थ पर कैपिटा के हिसाब से पानी उपलब्ध कराया है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं, इसके साथ-साथ हमने शहरों के अलावा गांवों के अन्दर कई योजनायें बनायीं और करीबन 35 करोड़ रुपये हमने खर्च किये। यही नहीं, हम मानते हैं कि राजस्थान शहरों और गांवों में ही नहीं है, ढाणियों में बसा हुआ है। गत वर्ष में हमने ट्रांसपोर्टेशन आफ वाटर, पानी दुलाई मात्र के लिए, सोर्स अलग, निकाल कर 36 हजार रूपये प्रति दिन के हिसाब से नागौर जिले में खर्च करके ढाणी-ढाणी को पानी पहुंचाया। हमारी सरकार इन सब कृत्यों के लिए धन्यवाद की पात्र है। माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि इतनी चेष्टा करने के बावजूद भी कमी है और उसके लिए इस वर्ष सम्पूर्ण योजनायें बनकर करीब-करीब सारी योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं और कुछ योजनाओं में कार्य भी चालू हो गया है। मैं आप से निवेदन कर दूं. . .

श्री सभापति : आप कुछ मांग करना चाहते हैं ? जल्दी करिये आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, मांग पर भी आ रहा हूं। मांग बहुत बड़ी है, मांग मैं कर रहा हूं। सभापति महोदय, भाभड़ा साहब की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उससे पूर्व और उसके निर्देशों में नागौर जिले को राजस्थान कैनाल से पानी लाने के लिए एक सर्वे कराया गया। स्वीडन की टीम आयी, उसने सर्वे किया और नागौर जिले के उत्तरी भाग के लिए तो उसने कहा कि पानी उपलब्ध करा सकते हैं। मेरी मांग यह है कि चाहे हमें जलोत्थान योजना लेनी पड़े या किसी अन्य जगह से हमें पानी लेना पड़े, नागौर जिले के दक्षिणी भाग, जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र आता है, डेगाना विधान सभा क्षेत्र आता है, मूण्डवा विधान सभा क्षेत्र आता है, इनमें किसी न किसी स्रोत से, चाहे चम्बल का पानी लायें, चाहे हिमालय की नदियों का पानी लायें, पानी उपलब्ध करायें वरना अगले दस साल बाद यह जो पानी अब शुरू किया है मीठा, यह भी फ्लोराइडयुक्त हो जायेगा। सभापति महोदय. . (समय समाप्ति सूचक घंटी) . . मैं अभी तीन मिनट बोला हूं, देख रहा हूं घड़ी और आप चिन्ता न करें।

श्री सभापति : समय ही तीन मिनट का है अब केवल।

श्री भंवरसिंह डांगावास : बिल्कुल, मैं आपका आदेश मानूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री भी नहीं बनाया, बोलने भी नहीं दो, दोनों बातें कैसे हो।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उसकी आप चिन्ता न करें, बनेगें तो हम ही बनेंगे, आप नहीं बन पाओगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं आप ही की कह रहा हूं, मैं कोई मेरी थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : छोटे-छोटे कामों के लिए 30 जिला 30 काम योजना के अन्तर्गत गत वर्ष हमने दस करोड़ रुपये खर्च किये नागौर जिले में। अब विडम्बना यह है, जल जितना उपलब्ध है उसको उसी तरह से बेरहमी से जनता खर्च करती है। एक सोच है, कन्जर्वेशन ऑफ वाटर परम आवश्यक है। सभापति महोदय, जहां हमने टूंटियां लगा दीं, गांव के रास्ते कीचड़ से भर गये। जहां हमने हैण्ड पम्प लगा दिये, गांव में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। पानी को निर्दयता से मुफ्त का मान कर काम में लिया जा रहा है। इस सदन

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

के पूरे सदस्यों का यह कर्तव्य है कि हम गांव-गांव में जाकर पानी को सही उपयोग में लेने के लिए समझाइश करें। अगर नहीं की गयी तो चाहे कोई सरकार आये, कभी न कभी कन्जर्वेशन ऑफ वाटर एक्ट लगाना पड़ेगा तभी हमें पानी मिल सकेगा अन्यथा सभापति महोदय, क्या होगा, अर्ज कर देता हूं। जल थोड़ो न घणो, लाग्या प्रीत रा बाल, तू पी, तू पी करता तजिया दो दो प्राण। यह स्थिति राजस्थान के जन-जन की हो जायेगी। समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति माहोदय, राजस्थान प्रदेश की जहां 3 करोड़ 39 लाख जनसंख्या ग्रामों में बसती है और 222 शहरों में एक करोड़ जनता बसती है। राजस्थान में 37889 गांव और 45311 ढाणियाँ, इस का अर्थ यह हुआ कि राजस्थान गांव-ढाणियों में बसता है। आज ऐसा शायद राजस्थान में महसूस होता है। प्रदेश के इन सारे गांवों और ढाणियों में पेयजल की समस्या का संकट निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

श्री सभापति : तीन मिनट का भी ध्यान रखें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे काल अटेंशन में भी कहा गया था, कुछ समय बोलेंगे इसलिए 5-7 मिनट चाहिए साहब।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की जनसंख्या लगभग पांच करोड़ की हो गयी है, उसके बावजूद भी राजस्थान की योजनाएं इस प्रकार नहीं बनायी गयीं जिससे संकट ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि दूरगामी योजनाएं आज बनाने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में मध्य प्रदेश से चम्बल निकलती है और उत्तर प्रदेश में जा रहा पानी। एक करोड़ एकड़ फीट पानी राजस्थान का बेकार उत्तर प्रदेश में जा रहा है जबकि राजस्थान प्यासा है।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान के लिये योजनाएं अभी से बनाने की आवश्यकता है, यही स्थिति बनानी चाहिए। नदी के किनारे-किनारे गांव जिसका मैंने उदाहरण दिया है। भीलवाड़ा जिले के लगभग 6 सौ गांव फ्लोराइड के पानी से आज प्रभावित हैं और इस प्रकार का वर्तमान में राजस्थान की सरकार वहां की जनता को पिला रही है। उसके बावजूद वहां की योजनाएं जो विभाग में वर्षों से लम्बित हैं। 89 के बाद जो योजनाएं बनी हैं स्वीकृत नहीं हुई, बार-बार पता नहीं किन एतराजों के बीच में इंजीनियरों की एफिशिएंसी कहें या क्या तरीका है इस विभाग का, मैं कह नहीं सकता। वह वापस लौटाफेरी में कुल मिलाकार आज बेकार जा रही हैं। 48 प्रतिशत पानी, राजस्थान का सतही पानी आज पेयजल समस्या के समाधान में बहुत योगदान दे सकता है। मेरा निवेदन यह है कि एक बार राजस्थान की सम्पूर्ण पानी की समस्या का मास्टर प्लान बनाया जाय। भाभड़ा साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनायी, उन्होंने कुछ प्रयत्न किये जो अधूरे मानता हूं मैं। शायद राजस्थान की पूरी तरह से तैयार नहीं हुई पर जितनी रिपोर्ट बनी है, जो सिफारशें कीं, उस आधार पर राज्य सरकार से अभी से योजनाएं बनाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक ओर राजस्थान की जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास गांवों में है वहां 150.90 करोड़ शहरों के लिये और गांवों के लिए 102 करोड़ रुपये है, यह कितना भेदभाव है, इस बात का प्रतीक है। हमारे जनस्वास्थ्य मंत्री महोदय

(श्री रतनलाल ताम्बी)

शहर में रहते हैं, शहर की समस्याओं से परिचित हैं, चारदीवारी की समस्याओं से बहुत चिन्तित हैं, वह राजस्थान के 222 शहरों की समस्याओं और उसके साथ राजस्थान के 37889 ग्राम और ढाणियों की समस्याएं गम्भीर हैं। मेरा राज्य सरकार से आपके मार्फत निवेदन यह है कि जिस प्रकार मुख्य अभियन्ता शहर और ग्रामीण अलग-अलग होते हैं, उसी तरह राजस्थान की समस्याओं को देखते हुए एक ग्रामीण समस्या के समाधान के लिये पी.एच.ई.डी. मंत्री अलग होना चाहिए और एक शहर की समस्या को देखने वाला पी. एच. ई. डी. मंत्री अलग होना चाहिए ताकि इस समस्या का (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

. . . . . . समाधान हो सके। वर्तमान हालातों में मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान की जनता जो प्यासी है उसकी समस्या के लिए एक मंत्री जिन पर इतना बड़ा भार जयपुर की चारदीवारी की समस्याओं का हैं, पूरे राजस्थान के 222 नगरों और राजस्थान के 37889 गांव और 45311 ढाणियों की समस्या को समाधान करना उनके बूते की बात नहीं है। अब उनका कितना ही विरोध करें, कितनी ही आलोचना करें, यह उनके बूते की बात नहीं हैं। इसलिए मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक पी.एच.ई.डी. मंत्री कम्प्लीटली गांवों के लिए बनाया जाय जो सारे राजस्थान की समस्याओं को देख सके और समाधान हो सके। यह मेरा इस मौके पर सुझाव है। इसके साथ-साथ, मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फ्लोराइड-युक्त पानी जो राजस्थान के गांवों में है, यह राजस्थान का इतिहास नहीं बख्शेगा राजस्थान के पी.एच.ई.डी. मंत्री जी को कि इस तरह का खारा पानी फ्लोराइड का पानी राजस्थान के गांवों में हैं, यह राजस्थान के जन-जीवन को पिलाया जा रहा है जिससे सैकडों आदमी कई बीमारियों से मौत के शिंकार बनते हैं या कुबड़े हो रहे हैं, कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले उन गांवों में जो खारा पानी है, फ्लोराइड का पानी है उनकी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तब राजस्थान का भला होगा। वरना यह भंवरलाल जी शर्मा का नाम राजस्थान के इतिहास में अगली पीढ़ी तक भी काले अक्षरों में लोग पढ़ेंगे।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : और कहेंगे कि राजस्थान में ऐसे मंत्री जी हुए थे ऐसा पानी पिलाकर + + + कर दी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे मालूम है सारी बात...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, यह नाम के काले अक्षरों की बात सही नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं साहब, यह नाम सही नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे इसमें दिक्कत नहीं, जहां की समस्या हल हो गयी उनका धन्यवाद दें, यशोगान करें। यह आपका अधिकार है पर राजस्थान का इतना बड़ा हिस्सा खारे पानी से ग्रसित है, फ्लोराइड से ग्रसित है, वहां जनता प्यासी नहीं रह सकती, ऐसा पानी नहीं पिया जा सकता। इसकी योजनाओं को तुरन्त प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और मंत्रीजी में कोई मानवता है आपमें कहीं भी,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

संवेदनशील सरकार है, कल्याणकारी सरकार है तो ऐसे गांवों की समस्या और आपके विभाग की जो प्रक्रियाएं हैं 3, 4, 5 वर्ष तक लम्बित योजनाएं जो आप स्वीकृत नहीं करते, 1989 की स्वीकृतियां_

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : बस एक मिनट। योजनाएं आज पूरी नहीं होती हैं उस समय सोर्स के लिए पैसा दे दिया तो बाकी का काम आगे की स्वीकृति के लिए पैसे का प्रावधान नहीं देने से आज गांवों की समस्या गम्भीर है। मेरे इलाके में 4-5 योजनाएं फ्लोराइड की जो खारे पानी की विशेष तौर से बनी हुई हैं आज विभाग में उदयपुर, जयपुर और भीलवाड़ा के बीच में फिरती रहती हैं। मंत्रीजी यह क्या व्यवस्था है ?

श्री सभापति : श्री कालूलाल गूजर।

श्री रतनलाल ताम्बी : इस व्यवस्था को आप ठीक कीजिये, यह मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

श्री हरिसंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है पेयजल के ऊपर।

श्री सभापति : तो आ रहा है अब नम्बर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : व्यवस्था यह है कि जिसने ध्यानाकर्षण दिये हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाय यहां पर।

श्री सभापति : आ रहा है नाम। आप सब का नाम आ रहा है।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या-27 पेयजल पर सदन में विचार हो रहा है। मैं भी संक्षेप में ही मेरे विचार और कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, पानी के बिना यह जीवन नीरस हो जाता है इसलिए पानी आवश्यक है। रहीमदास जी ने वर्षों पहले कहा कि रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊब्र मोती मानस चून। इसलिए बिना पानी के मनुष्य का जीवन असम्भव है इसलिए पानी के लिए जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, कम है उतनी और की जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके मंत्री बनने के बाद इन्होंने विभाग में एक-दो-व्यवस्था बहुत बढ़िया की जिसके कारण से पी.पी.सी. की जो स्कीम है जो इनके यहां स्वीकृति के लिए आती हैं उसकी नियमित आप मीटिंग करते हैं और बराबर उसमें स्वीकृति होती है परन्तु कुछ और जो हैं इनके यहां पर नार्म्स नहीं हैं जैस पी.पी.सी. की मीटिंग इन्होंने नियमित की हैं, अच्छा काम किया परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करुंगा कि कुछ हमारे यहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिससे योजनाएं बराबर समय पर यहां आयें और उनका क्रियान्वयन हो। माननीय सभापति महोदय, 1990, 1991, 1992 में कई योजनाएं स्वीकृत हुई और योजना बनकर यहां आई। पी.पी.सी. ने स्वीकृत भी कर दी परन्तु उन योजनाओं का क्रियान्वयन मौके पर नहीं हुआ और योजनाएं ऐसी हैं जो 1989 की स्वीकृत शुदा हैं लेकिन अभी तक कुए नहीं खुदे, उनमें कन्स्ट्रक्शन की रेट बढ़ गयी, ठेकेदार लोग पीछे हट गये और वह जानबूझकर कुछ कार्य करना नहीं चाहते। ऐसी कई योजनाएं अटकी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, ये योजनाएं क्यों अटकती हैं, विभाग के किस अधिकारी का इसमें दोष है, इसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय को कुछ मानदण्ड तय करने पडेंगे। मेरा इसमें मंत्री महोदय

(१९८)

(श्री कालूलाल गूजर)

को सुझाव है कि कोई भी योजना आप पी.पी.सी. से स्वीकृत करके भेजते हैं तो उसकी एक समयावधि बनाइये कि इतने समय में ये योजनाएं बन जानी चाहिए, इतने समय में उसका वाटर सोर्स डवलप हो जाना चाहिए उसके बाद इतने दिनों में वाटर सोर्स डवलप होने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए परन्तु समस्या यह है, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यहां पी.पी.सी. की योजना स्वीकृत करते हैं उसमें पहले वाटर सोर्स स्वीकृत कर देते हैं, वाटर सोर्स डवलप होने के बाद में योजना पी.पी.सी. में वापस आती है। हमने पहले भी सुझाव दिया था कि आप इसमें वाटर सोर्स एसई.और एक्सईएन. आपके अफसर हैं वे सन्तुष्ट हो जायं कि पानी पर्याप्त है, अच्छा पानी है तो उसके बाद सैकिण्ड काम जो पाइप बिछाने और टंकी बनाने का है, वह शुरु कर दें लेकिन आपने पहले एक बार मीटिंग भी ली 1992 में और यह कहा कि हमने यह योजना लागू कर दी। अब योजना बनेगी उसमें यह वापस दुबारा पी.पी.सी. में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी परन्तु आज दिन तक आपके विभाग के अधिकारी आपके इस डिसीजन को मानते नहीं हैं। 92 में आप मंत्री थे तब से उसके बाद दुबारा आपको एक साल पहले मैंने याद दिलाया लेकिन आज दिन तक अधिकारी नहीं मानते क्योंकि यह कह सकते हैं कि नयी योजना बनेगी उसमें तो लागू है लेकिन पुरानी योजना का सैकिण्ड फेज और बनाना पड़ेगा। अब वह बनाना पड़ेगा तो बनायेंगे कब। मैं निवेदन करना चाहता हूं कौन इंजीनियर है जो इतने दिन तक यह योजना नहीं बनाकर भेजता है, कौन इसमें डिले करता है और क्यों डिले होता है? कितने दिन में सैकिण्ड फेज बनना चाहिए, कितने दिन में स्वीकृति के लिए आनी चाहिए और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। यह आप मानदण्ड तय करें। तो मैं कहता हूं बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक तरफ तो मांग की जाती है, पानी नहीं है, इसलिये हैण्ड-पम्प लगायें, नये ट्यूबवैल लगाये, कुआं खोदिये। दूसरी तरफ कुएं खुदे हुए हैं पानी भरा हुआ है लेकिन टंकी नहीं है, पाइप नहीं है, मोटर नहीं लगी और उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है इसलिये पानी नहीं पिला पा रहे हैं। इस समस्या का समाधान तब हो सकता है जब हम टाइमबाउण्ड प्रोग्राम लेकर चलें।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, मैं और सुझाव देना चाहता हूं कि जितने हैण्ड-पम्प लगते हैं, वे हैण्ड-पम्प भी आप स्वीकृत करते हैं लेकिन वे समय पर नहीं लगते हैं और जो हैण्ड-पम्प लगते हैं कई बार उसमें हैण्ड पम्प खराब हो जाते हैं। अब उसके देख-रेख और उसके रख-रखाव की भारी प्रॉब्लम है कभी तो पंचायत पर, कभी पी.एच.ई.डी. पर तो इसका भी एक...

श्री सभापति : ये सारी बातें आ गयीं, कोई नयी बात कहिये।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, नयी बात, मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितनी योजनाएं बना रहे हैं, उनमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर ये पाइप खरीदे जाते हैं, वे पाइप ऐसे हैं कि फट जाते हैं। मेरे यहां पर एक चांदरास योजना है जिसमें पाइप टूट गये और टेस्टिंग का काम, साल भर हो गया, वह लाइन टेस्ट नहीं हो रही। हर बार ज्यों ही चालू करते हैं, पाइप टूटते हैं। मैंने एक्सई.एन.साहब को भी कहा तो उन्होंने भी कहा कि हां यह पाइप तो बहुत खराब आते हैं। अब वे आये कहां से, कौन लाया? इसकी कुछ मानिटरिंग तो होनी चाहिए। दूसरा यह, सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मेरी प्रॉब्लम है। अभी तो दो ही मिनट हुए हैं मुझे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : सम्मानीय सभापति महोदय, आज हम...

श्री कालूलाल गूजर : मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो-तीन समस्याएं हैं, जिसके बाद में, सभापति महोदय मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की डिमाण्ड पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री कालूलाल गूजर : दो मिनट में खत्म कर दूंगा। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जैसा मैंने बताया कि 1990-91 में स्वीकृत की थी। ऐसी है एक तो तिलोली सांगवा, टुका भोजपुरा, बावड़ी थाबोला, हीसनिया, आलपास, चान्दरास, जोरावरपुरा, उमरी, कमेड़ी, कीड़ीमाल पीथास जिनके सैकिण्ड फेज अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं और लम्बे समय से ही यहां वाटर सोर्स डवलप हो चुके हैं, एक तो यह। एक यह है कि नये कुछ...

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अभी आप लिखकर के दे देना फिर।

श्री कालूलाल गूजर : कुछ गांव ऐसे हैं सभापति महोदय, गोरख्या, दही यथा, भभाणा, गोरधनपुरा, मालास, कालूखेड़ा, गुन्दली, कोचरिया, सेंतुरीया, कारोई, दुडिया, जोरावरपुरा, चाकेत, बांकली, बडडू, सहनून्दा, रामपुरिया, चावंडिया और नोगांवा। इन गांवों में पीने के पानी की समस्या है सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री कालूलाल गूजर : और जो हैण्डपम्प हैं उनमें पानी सूख गया और खारा पानी है इसलिये इन गांवों की योजना बनाकर मंगायी जाय और उसको पी.पी.सी. में स्वीकृत की जाय। अंत में मैं एक सुझाव दूंगा कि आपने कुछ पावर डेलिगेट किये एडिशनल चीफ और चीफ साहब को कि 5 लाख रुपये तक की योजना वे स्वीकृत कर सकते हैं, 2 लाख रुपये तक की एडिशनल कर सकते हैं। परन्तु उनमें आपने एक शर्त लगा दी की अगर हैण्ड-पम्प खारे हैं या हैण्ड पम्प उनमें लगें पर पानी सूख गया तो वह योजना वे स्वीकृत नहीं कर सकते। चाहे दो लाख की हो, वह फिर पी.पी.सी. में आयेगी। मेरा यह सुझाव है कि पावर देना हो तो पूरे दीजिए। उसमें यह कहिये कि दो लाख रुपये की कोई भी योजना हो, चाहे वह हैण्ड-पम्प से कंवर्टेड हो...

श्री सभापति : श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री कालूलाल गूजर : और चाहे नयी योजना हो। एडिशनल चीफ साहब और चीफ इंजीनियर को अधिकार हो...

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण...

श्री कालूलाल गूजर : छोटी-मोटी योजना वहीं स्वीकृत हो जायं और गांव की पीने के पानी की समस्या को समाधान हो सके। मेरे सुझाव तो बहुत हैं, अब आप समय नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : बोलिये। आपका समय जा रहा है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पर हम चर्चा कर रहे हैं। पेयजल की समस्या हमारी राष्ट्रीय समस्या है। इसके प्रति केन्द्र सरकार और हमारी राजस्थान सरकार, चाहे वह आज की

१९५

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

सरकार है, चाहे वह पहले की सरकारें हैं, पीने के पानी के लिये सब हमेशा चिन्तित रही हैं। संवदेनशील भी रही हैं। यह निश्चित बात है, आपने राज्यपालजी के भाषण में भी कहलवाया है कि हम पीने के पानी के लिये बराबर ध्यान देते रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बात है कि चिन्तित सब लोग हैं, सरकार में बैठे हैं वे लोग भी पीने के पानी के लिए चिन्तित हैं। और जो सरकार के बाहर हैं वे लोग भी पीने के पानी के लिये चिन्तित हैं। योजनायें भी बनी हैं समय-समय पर बनी हैं, जो भी सरकारें आयी हैं। योजनायें बनी है।उनके लिए पैसा भी दिया गया है। आज भी इनको हम पैसा दे रहे हैं लेकिन सवाल इस बात का है कि इस वर्ष जो गांव पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त हैं, आने वाले साल में आयेंगे तो माननीय सभापति महोदय, इनसे भी ज्यादा गांव आपको समस्याग्रस्त मिलेंगे। पेयजल की समस्या ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। पीछे के आंकड़े आप देख लीजिए...

श्री सभापति : आप सुझाव दीजिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : यह जो कमियां हमारी हैं मैं तो यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेण्ट है, इसके अन्दर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए थी। सदस्यों की क्योंकि यह राजस्थान की समस्या है। इसके ऊपर सबसे सुझाव आने चाहिए थे। आज हमारे सामने भय लगा हुआ है कि आप घण्टी न बजा दें। पूरे क्षेत्र की बात भी बतानी है, जितना समय हमें मिला है उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं चूरू जिले की बात कहना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर चूरू जिला, रेगिस्तान वहां से प्रारम्भ होता है और चूरू जिले के अन्दर पीने के पानी की भंयकर समस्या बनी हुई है। ऐतिहासिक जिला भी है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रीजी वहां से हैं। इनसे ही आप पूछ लीजिए। इनसे पूछ लीजिए कि आप के चूरू जिले में, चूरू तहसील में जहां से ये चुनकर आये हैं, वहां पीने के पानी की क्या पोजीशन है, क्योंकि मैं भी जहां से ये चुनकर आये हैं, वहां का रहने वाला हूं। वहां मेरा गांव है। मेरे गांव में पीने के पानी की क्या समस्या है, इनसे पूछ लीजिये। दो साल से पाइप लाइन डाली हुई है लेकिन एक दिन भी, एक बूंद पानी वहां नहीं गया। सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जो समस्या हुई है, यह गर्मियों की समस्या नहीं हैं, सर्दियों में भी यही समस्या बनी रहती है। मैंने अक्टूबर, 1994 में सरकार को एक नोटिस दिया था। जिलाधीश को नोटिस दिया और विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, 7 दिन के अन्दर आपने पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। यह माननीय सभापति महोदय, हमको इसलिये कहना पड़ा क्योंकि हम उस क्षेत्र के लोग दुःखी हैं। वहां जितनी भी आपकी रीजनल स्कीम्स बनी हुई हैं, सारी की सारी वहां बंद पड़ी हुई हैं। जितने भी ट्यूब-वैल, ओपनवैल पड़े हैं, वह बन्द पड़े हैं। सभापति महोदय, वे लोग आज कहां जायेंगे। आप सर्वे करवा कर देख लीजिये। यदि आप किसी चीज का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि हमारे विभाग में कैसा काम हो रहा है तो मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को आमंत्रित करता हूं, सरदारशहर के लिये कि आप स्वयं आकर देख लें। आज गर्मियों में क्या हालत होने जा रही है। राजस्थान सरकार ने, विधान सभा ने भाभड़ा जी की कमेटी बनायी। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने दौरे किये, लेकिन उसको लाभ उन दौरों से तो नहीं मिला। उनके सुझावों से कितना लाभ मिलेगा, यह आगे देखने की बात है। माननीय सभापति महोदय, चूरू जिले के अन्दर और हनुमानगढ़ के कुछ गांवों के लिए जर्मनी के सहयोग से

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

एक स्कीम शुरू हुई है। उसमें मेरा एक सुझाव है कि उसके चीफ इंजीनियर का ऑफिस आपने जयपुर में बना रखा है स्थायी रूप से। मैं आपके मार्फत सरकार से पूछना चाहता हूं कि योजना चूरू जिले के लिये, हनुमानगढ़ के लिये और आपके चीफ इंजीनियर यहां बिराजमान हैं, क्यों बिराजमान हैं वहां ?

18.08

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

सारे ऑफिस वहां पर मौजूद हैं। वहां रहने के लिये मकान भी हैं। अधिकारी लोग वहां रहते हैं वहां चीफ इंजीनियर रह सकते हैं। आप तुरन्त उनको वहां भेजिये। आपने दो करोड़ रुपये मंजूर किये मकानों के भवन बनाने के लिए। उनके रहने के आवास के लिये। वहां बड़ी-बड़ी कोठियां बनी हुई हैं और हमारे वहां पर विभाग में बड़े-बड़े कमरे हैं। वहां पर आप उनके कार्यालय को भेजिये। आप वह पैसा पीने के पानी के लिये लगाइये न कि इतना जल्द आप भवन और निर्माण में लगाइए उनमें भी लगाइए लेकिन आपने दो करोड़ तो वहां लगा दिये और आगे का कोई काम शुरू नहीं। आप राजस्थान की जितनी भी योजनाएं देख लीजिए, आपने जहां दो साल का समय फिक्स किया है वहां आपका तीन, चार पांच साल का समय लगा है। आज जर्मनी के सहयोग से यह जो योजना स्वीकृत हुई है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केन्द्र सरकार को और राजस्थान सरकार को कि इस जिले के लिये योजना मंजूर कराई है। लेकिन आपने सम्वत् 2000 तक इसको पूरा करने की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2000 आयेगा कैसे उस क्षेत्र के लोगों के लिये, जो आज पीने के पानी के लिये प्यासे मर रहे हैं। मैं यह भाषण नहीं कर रहा हूं। मैं यह सही, हकीकत बात कर रहा हूँ। सरदार शहर क्षेत्र ही नहीं, आप चूरू की बात कर लीजिए, आप सुजानगढ़ की बात कर लीजिए, विधायक रामेश्वर जी यहां हैं नहीं, आप राजगढ़ की बात कर लीजिए, आप तारानगर की बात कर लीजिए सारे के सारे क्षेत्रों में पीने के पानी का बुरा हाल बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के लिए एक साहबा गंधेली लिफ्ट पेयजल योजना बनी थी, वह दो चरण में बनी हुई है। एक चरण में उसके करीब 84 गांव थे और दूसरी योजना के अन्दर भी करीबन 335 गांव थे। सरदार शहर तहसील के उसके अन्दर 72 गांव थे। चूरू तहसील के उसके अन्दर आठ गांव थे। मैंने पिछली विधान सभा के अन्दर भी यह निवेदन किया था कि उन 72 गांवों में से मात्र 15 गांवों के अन्दर वह पाइप लाइन डाली उन 15 गांवों में, आप पूछ लीजिये अपने अधिकारियों से कि उन 15 गांवों में से चार गांवों में कभी छह महीने में एक बार पानी आया होगा तो आया होगा। यह यदि आठ गांवों में पानी आया हो तो जन स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं, इनसे पूछ लीजिये। इतना बुरा हाल क्यों है ? आप पैसा मंजूर करते हैं आप योजना बनाते हैं फिर यह क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है, इस प्रकार आपकी पकड़ ढीली कैसे हो गयी है अधिकारियों के ऊपर, कैसे पकड़ ढ़ीली हो गयी कर्मचारियों के ऊपर? अब गर्मी का समय आ रहा है, आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि उस गर्मी के समय में उस क्षेत्र के अन्दर कुछ भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदारशहर के अन्दर जितनी भी_

श्री अध्यक्ष : बुडानियाजी, जल्दी करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे क्षेत्र के लोग मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे.....

श्री अध्यक्ष : मैं तो चाहता हूं आप बोलें पर.....

श्री नरेन्द्र बुडानिया : और अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले की तरफ से सबने मुझे बोलने के लिये कहा है इसलिये चूरू जिले की तरफ से बोल रहा हूं इसलिये मुझे दो मिनट का समय और दिया जाय, वे तो बोल नहीं सकते उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, दो मिनट में ही समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, रीजनल स्कीम्स, सरदारशहर तहसील, चूरू की जितनी भी रीजनल स्कीम्स बनी हुई हैं, उनकी हालत बहुत चिन्ताजनक है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक इनका उदाहरण देना चाहता हूँ कि सरदारशहर की आसपालसर स्कीम है, जिसके तहत 20 गांवों को पानी जाता है। एक गांव को छोड़ कर जो सबसे पहला गांव है, उसको छोड़ कर 20 गांवों में साल के अन्दर बीस दिन से ज्यादा पानी नहीं जाता है। आप पता करवा लीजिये, आप सर्वे करवा लीजिये। बाकी जितनी भी रीजनल स्कीम्स हैं, उनके अन्दर पहले गांव में तो पानी है लेकिन उसके आगे जितने भी गांव हैं, उनमें पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी स्कीम्स मंजूर हैं उनके बुरे हाल हैं। चूरू तहसील के अन्दर बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आज ऐसी की ऐसी ही पड़ी हैं। जितनी भी रीजनल स्कीम्स हैं, वे आज मेरे पास लिस्ट है लेकिन अभी...

श्री अध्यक्ष : आप यह लिस्टें माननीय मंत्रीजी को दें दे...

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चूरू तहसील और सरदार शहर तहसील दोनों बिल्कुल जुड़ी हुई तहसीलें हैं, और जितनी भी ए. आर. पी. के अन्दर यह स्कीम्स मंजूर हैं, दूधवाखारा स्कीम, दूसरी गन्धेल स्कीम, यह जितनी भी स्कीम्स बनी हुई हैं, यह पड़ी हुई हैं...

श्री अध्यक्ष : आप भी बाद में आ जाना।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया करिये सरदार शहर की तरफ, सरदार शहर के लोगों ने भंवरलाल जी का काम किया, क्यों, पहले हवामहल लगाते थे, पहले सरदार, भंवरलाल शर्मा ब्रेकिट में हवामहल, सरदार शहर के लोगों ने इनका हवामहल हटा दिया। पूछ लीजिए इनसे, आज इनको हवामहल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनका ध्यान सरदार शहर के लोगों की तरफ बिलकुल भी नहीं है। यह बिलकुल इसको अलग-थलग किये हुये हैं। सारी की सारी समस्याएं बनी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दो बात और कहूंगा कि यह एयरो प्लांट लगे हमारे जिले के अन्दर, चूरू के अन्दर 11 एयरो प्लांट लगे, सरदार शहर के अन्दर करीब 9 एयरो प्लांट लगे, चूरू के अन्दर करीब 21 एयरो प्लांट लगे, राजगढ़ के अन्दर 11 एयरो प्लांट लगे और सरदारशहर के अन्दर 9 एयरो प्लांट लगे और सुजानगढ़ की संख्या मुझे मालूम नहीं है, मंत्री महोदय, सारे के सारे बन्द पड़े हैं। आपने मीटिंग ली थी, तब भी मैंने निवेदन किया था, आपकी विधान सभा के अन्दर जब भी चर्चा हुई मैंने निवेदन किया था कि वहां की स्थिति बहुत खराब है पीने के पानी का इन संयंत्रों के अलावा और कोई साधन नहीं हैं।

पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर से लोग पानी लेकर आते हैं। सक्षम लोग तो ऊंटों से टंकियां भरवा कर ला सकते हैं लेकिन वह गांव का गरीब आदमी पानी कहां से लायेगा? वह गांव

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

का गरीब आदमी, जो टंकी लेकर आते हैं उनके आगे झोली फैलाये रहता है कि हमें कम से कम दो लीटर पानी तो मिले। इसलिये आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपके कंटिंजेसी प्लान पिछली बार बने। मुझे बड़ा दुःख है कि कंटिंजेंसी प्लान बनाते वक्त आपने विधायकों से कहा था कि आपके साथ अधिकारी बैठकर प्लान बनायेंगे और उन्होंने हमारे साथ बैठकर प्लान बनाया, दस्तख्त करवाये, आज कॉपी हमारे पास मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उन अधिकारियों से पूछिये कि सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के जो कंटिंजेंसी का प्लान बना है आपका वह एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं? और हुआ तो क्या वे योजनाएं वे ही एग्जीक्यूट हुई, जो माननीय विधायक के साथ बैठकर तैयार की। मुझे बड़ा दुःख होता है मंत्री महोदय, कि एक-एक ट्यूबवैल जो चालू हुआ देहाती क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के कोने के ऊपर, जिनका लाभ देहाती क्षेत्र के लोगों के लिये मंजूर किया था कंटिंजेंसी प्लान के अन्दर लेकिन हमने निवेदन किया था कि देहाती क्षेत्र को भी पानी मिले और शहरी क्षेत्र के इस भाग को भी पानी मिल जाय आप दोनों के कोनों पर कर दीजिये। मंत्री महोदय, मुझे बड़ा दुःख है इस बात का और मेरा आरोप है यह कि आपके विभाग के अधिकारियों ने यहां से रातों रात फोन किया और वहां से मशीन हट कर के एक ऐसे मौहल्ले में चली गयी जहां आपके विभाग के तीन ट्यूबवैल पहले से चल रहे थे। आप जांच करवाइये कि आपके ट्यूबवैल खोदने की यह जो मशीन लग चुकी थी, ड्रिलिंग मशीन लगने के बाद वहां से शिफ्ट क्यों हुई? देहाती क्षेत्र का पैसा कंटिंजेंसी प्लान का और शहर के अन्दर उस मौहल्ले में कैसे लगा जिस मौहल्ले में आलरेडी दो-तीन ट्यूबवैल लगे हुए हैं। माननीय अक्ष्यक्ष महोदय, तीन लाख रुपये विधायक कोटे से हमने उनको आवंटित किये...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री जीतरामजी।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मैं पूछना चाहता हूँ कि तीन लाख रुपये जो मैंने मेरे विधायक कोटे में से दिये थे, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है मेरे क्षेत्र के अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस बात की जरूरत है कि आप इस भंयकर बढ़ती हुई पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की कोशिश करें...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : वैसे कोशिश कर रहे हैं, मुझे खुशी है। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को और आपको लेकिन आज जो आपकी पकड़ ढीली हुई है, आपकी कोई पकड़ नहीं है अधिकारियों के ऊपर, आपके कर्मचारी वहां पर नहीं रहते हैं। लापरवाही की वजह से समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, आज इस सरदार शहर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन लोग सड़क पर आ जायेंगे और वही हालत होगी जो ब्यावर की हुई थी, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री जीतराम जी। अच्छा, चूरू की बात है इसलिये माननीय मंत्रीजी बिराजें...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छे सुझावे दिये हैं।

श्री जीतराम (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-27 पेयजल पर जो चर्चा हो रही है, मैं मेरे जिले और क्षेत्र के लिये निवेदन करता हूं। टोंक जिले में पानी की योजना

(श्री जीतराम)

बनायी। निवाई, टौंक, टौडा, देवली, इनके लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : अभी आपका भी नम्बर आने वाला है आप बिराजिये।

श्री जीतराम : माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। अफसोस की बात है कि मेरे मालपुरा क्षेत्र में पिछले सालों में एक पैसा भी नहीं लगाया है। इसकी उपेक्षा की गयी है इसलिये मैं मंत्रीजी से यह कहता हूँ कि मैं खेद प्रकट करता हूं। मेरे मालपुरा क्षेत्र में एक पैसा नहीं लगाया.. (व्यवधान)..धन्यवाद तो मैंने पहले दे दिया टौंक के लिये। मालपुरा क्षेत्र के लिये, मेरे क्षेत्र के लिये मैं खेद प्रकट करता हूं। जो मेरे क्षेत्र का पानी, टौंक जिले का पानी जो बनास नदी से आगे बह जाता है, जो चम्बल की नदी में जाता है, चम्बल से आगे यमुना में मिल जाता है और यमुना से अपने राजस्थान में वापस लेकर आते हैं। तो इसलिये बनास नदी पर ईसरदा बांध के, जिससे पीने के लिये पानी जयपुर को भी देंगे और आप बांसवाड़ा और आस-पास वाले, जैसे नागौर वाले मांगें तो उनको भी देंगे जो हमारा ज्यादा फालतू पानी होगा उसमें हमारे टौंक जिले के लिये, विशेषकर मालपुरा के पीने के लिये भी और जो बचेगा सिंचाई के लिये भी मालपुरा क्षेत्र को दिया जाय, यही कहना है सबसे ज्यादा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जीतराम : बिराजिये नहीं, अभी तो एक मिनट चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा कि यही कहना है सबसे ज्यादा इसलिये..

श्री जीतराम : क्योंकि पानी का जलस्तर नीचे चला गया। जो हैण्डपम्प थे, वे बेकार हो गये हैं। मैं पंचायत चुनावों में जब गांवों में गया तो 80 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब थे। हर गांव में यह कहते थे कि हैण्डपम्प खराब हैं। गांव वाले पंचायत समिति को कहें तो कहते हैं कि वे तो पी.एच.ई.डी. के हैं। अब तीन महीने तो पी.एच.ई.डी. वाले रखते हैं और नौ महीने पंचायत समिति वाले रखते हैं। मेरा यह सुझाव है कि इसको एक ही डिपार्टमेंट को दिया जाय। यह जीपें लेकर घूमते रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं..(व्यवधान)..हाँ, नौ महीने में तो काम पूरा हो जाता है, तब ही तो कह रहा हूँ। तीन महीने में पी.एच.ई.डी. से काम पूरा नहीं हो सकता। मेरे मालपुरा क्षेत्र में कम से कम 43 गांव ऐसे हैं जिनमें फ्लोराइड भी है। दो तीन योजनाएं बनीं, अब तक एक भी इन्होंने, जो अधिकारी लोग बैठे हैं, एक भी पास नहीं की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1991 में जो डोरिया स्कीम बनायी गयी थी वह भी इन्होंने लागू नहीं की उसके बाद डिग्गी के पास, हमारे किरावड़ में, डिग्गी ही एक ऐसा स्थान है कल्याणजी का जहां पर दूर-दूर से लोग आते हैं उसकी स्कीम बनायी, कुंआ खोद दिया जो कि दो साल से बन्द पड़ा हुआ है। आज तक उसको चालू नहीं किया तो इसलिये मेरा यह कहना है कि मेरे मालपुरा क्षेत्र में जो दो-तीन स्कीम्स बनी हैं, अधिकारियों और मंत्रीजी से मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको पूरी की जाये। पानी सबसे जरूरी चीज है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हो गया?

श्री जीतराम : पानी का इसलिये विशेषतया बता रहा था..(व्यवधान)..एक मिनट, पहले हमारे बुजुर्गों का लालासर गांव था, पानी के लिये हम छोड़ कर पंजाब में गये। पंजाब में जाने के बाद मिला क्यों नहीं पानी? पानी मिला ..(व्यवधान)..आज इस जगह पहुंचे हैं तो पानी की वजह से पहुंचे हैं और हमारे गांव में एक

(श्री जीतराम)

बीघा की दो लाख रुपये की कीमत है। जहां मेरा जन्म हुआ 10 एम.पी.और एम.एल.ए. बन चुके एक गांव के, उप प्रधान मंत्री, दो-दो मुख्य मंत्री मेरे गांव के रह चुके हैं और पानी की वजह से हैं ना कि वैसे हैं। इसलिये पानी सबसे जरुरी चीज है क्योंकि बरसात पिछले साल बहुत हुई गांव में। बरसात होने के बाद अब छोटे तालाब थे उन पर कब्जे हो गये, कब्जा होने की वजह से गांव में जो बरसात हुई उस पानी का निकास पार नहीं हुआ और उससे मकान गिर गये। मकान गिर गये तो सरकार से मुआवजा और मांगा, दुगुना नुकसान हुआ। मुआवजा तो दिया मगर दुगुना नुकासान होने की वजह से मेरा यही कहना है, माननीय मंत्रीजी से, अधिकारियों से, जो इंजीनियर बैठा रखे हैं जो इनको पैसे देते हैं, इनसे कि नयी स्कीम बनायी जाय। रिचार्ज सिस्टम। कि छोटे-छोटे जो तालाब थे उनको वापस तैयार किया जाए। रिचार्ज सिस्टम किया जाय। यही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आपका आ रहा है इनके बाद। आप बिराजें, मैं अवश्य सबका नाम लूंगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि 131 के जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं उन्हें अवसर देंगे बोलने का।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, अगर समय नहीं दें तो फिर यहां बैठने का कोई लाभ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष जी, हमें भी दो बात कहनी है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या लाभ है फिर। यानि आपने अपनी व्यवस्था दी उस व्यवस्था को मानें या नहीं मानें अब हम ? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मैं ज्यादा समय नहीं रुक सकता हूं इसलिए मैंने निवेदन किया है कि मेरे को ज्यादा समय नहीं चाहिये मेरे को तो 10 मिनट का समय

श्री अध्यक्ष : मैं आप को सब को मौका देना चाहता हूँ, आप बिराजें। (व्यवधान) जिनके कटौती प्रस्ताव हैं उनको भी देख रहा हूं, जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं, जिनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं उन सब को मिलाकर के लिस्ट है, और फिर माननीय मुख्य सचेतकजी ने जो लिस्ट दी है उसका भी मुझे पालन करना है, मेरे को तो आपके आदेश की पालना ही करनी है, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। आप बिराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : इस पेयजल के मामले में ही मेरा है, अध्यक्ष (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको जरूर मौका दूंगा, आप बिराजें दो मिनट। यों करेंगे तो राजेन्द्र जी का समय खराब हो जाएगा। आप बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

"जस जस सुरसा बदन बढ़ावा,
तासु दून कपि रूप दिखावा।".

हम किसी भी योजना में कितना भी बड़ा बजट ले लें, जनसंख्या वृद्धि इस रूप में हो रही है कि आपके इस बजट की सारी महत्ताएं, सारी उपयोगिताएं अपने आप समाप्त हो जायेंगी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अध्यक्ष महोदय, समय इतना कम है कि इस पर विस्तार से चर्चा तो नहीं की जा सकती लेकिन एक जो महती समस्या है उस पर हमें ध्यान देना होगा और उस पर जब हम गौर करते हैं तो हमारे बजट की सीमायें बढ़ती जाती हैं साथ-साथ जब पापुलेशन बढ़ती है तो वह छोटी पड़ती जाती है। लेकिन इस पर न माननीय मंत्रीजी का कोई कुछ जोर चल पायेगा न माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का, वैसे उन्होंने कोशिश तो काफी की है अब देखिये कि कहां तक सफल होते हैं।

हम इन समस्याओं को जब बांटते हैं तो हमें इनको दो भागों में बाटंना पड़ेगा, एक शहरी जल समस्या और दूसरी ग्रामीण जल समस्या। जब हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, शहर के प्रति वहां का नागरिक स्वतः ही इतना जागरूक है कि वह हर तरह से हल्ला-गुल्ला मचा कर के अपनी पेयजल की समस्या को ज्यादा से ज्यादा पुरंजोर शब्दों में मांग के जरिये उसको निपटाने में वह अपनी कोशिश करता है और शहर में आफिसर्स का भी ध्यान जाता है, गवर्नमेंट का भी ध्यान जल्दी जाता कहीं ज्यादा एक्यूट प्राब्लम होती है तो हम लड्ढों के जरिये, टैंकर्स के जरिये पानी पहुचाते हैं। ओपन वैल्स भी होते हैं, ट्यूबवैल्स भी होते हैं, और अन्य तरह के जो पानी उपलब्ध कराने के साधन हो सकते हैं हम वह उपलब्ध कराते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है वह एक अजीब सी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, पूर्व में तो गांव एक जगह सीमित हुआ करता था लेकिन आज हालात यह हो गये हैं जमीन बंटती जा रही है और जैसे-जैसे जमीन बंट रही है, भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा है वह अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई कहीं जा कर ढाणी बना रहा है, कोई कहीं जाकर ढाणी बना रहा है। कहीं 20 आदमियों की बस्ती है, कहीं 10 आदमियों की बस्ती है और वह लोग यह चाहते हैं कि वहां पर पानी की सुविधा उपलब्ध हो। वहां हैण्डपम्प की सुविधा नहीं है तो यह आवाज उठेगी की इस ढाणी को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालांकि यह 20 आदमियों की ढाणी है बावजूद इसके भी एक जनकल्याणकारी सरकार होने के नाते वह आप से यह उम्मीद करता है कह उन 20 लोगों की बस्ती में भी पानी की सुविधा हो, हैण्डपम्प की सुविधा हो।

अध्यक्ष महोदय, सरकार के साधन तो सीमित हैं, मैं कतई इन्कार नहीं करता लेकिन हमें योजनाएं बनाते हुए यह खास तौर से ध्यान देना होगा कि जब हमारी योजनाएं बनें तो एक तो बने तात्कालिक और एक हो दीर्घकालिक। हम समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, हम समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं, मैं कतई सरकार पर यह आक्षेप लगाने को तैयार नहीं हूं कि सरकार पानी के मामले में संवेदनशील नहीं है या सरकार पानी के मामले में जन समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि तात्कालिक समस्याओं और दीर्घकालिक समस्याओं को हमने इतना मिक्स अप कर दिया है कि गर्मी की समस्या हमारे सामने है, और आज हम कमेटियां बना रहे हैं, आज हम लोगों को बुला कर मीटिंग्स कर रहे हैं। आपकी इन मीटिंग्स की उपयोगिता क्या रह गयी? अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह निवेदन है और खास तौर से, माननीय मंत्री महोदय, आपसे कि बजाय अप्रेल में आप यह कमेटी गठित करें। बेहतर यह होगा कि आप जनवरी में ही इस कमेटी का गठन कर दें और आप अपने अधिकारियों को इस बात के लिए ताईद करे दें, आप अपने अधिकारियों को इस

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बात के लिये पाबंद कर दें कि वह जनवरी में आपको आने वाली जो समस्याएं हैं उनकी पूर्ण रूप से जानकारी दें ताकि समय रहते आप उन समस्याओं को निराकरण करे सकें। अन्यथा, अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, सरकार पैसा दे देती है, आपके यहां से योजनाएं बन जाती हैं लेकिन उन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं होती। उनकी क्रियान्विति नहीं होने में, अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी टेक्निकल प्राब्लम भी है वह है गेप ऑफ कम्यूनिकेशन। आपके जलदाय विभाग की एक डिवीजन है बोरिंग की डिवीजन, एक है आपकी पेयजल की योजनाएं बनाने वाली डिवीजन और एक आपकी डिवीजन है जो आपको भू-गर्भ जल से यह सर्वेक्षण कर के बताता है कि यहां पर पेयजल अच्छा है, खारा है या मीठा है। और आपके इन तीनों डिवीजनों में आपस में सामंजस्य नाम की कोई चीज नहीं है। आपने कोई योजना तय कर दी, आपने उसमें समय की सीमा नहीं लगायी, इसके चलते जहां हैण्डपम्प की या ट्यूबवैल की बोरिंग होनी थी तो आपकी ड्रिलिंग मशीन नहीं पहुंची और ड्रिलिंग मशीन पहुंच गयी तो आपको बोरिंग का पाइण्ट नहीं दिया। आपस में तालमेल का इतना ज्यादा अभाव है कि जो समय सीमा आपने तय की है कि यह हैण्डपम्प फलां तारीख को लगना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, वह हैण्डपम्प नहीं लगता है। मैं इसके साथ बड़े दुखी मन से यह कहना चाहूंगा कि आपने पिछली बार जो कंटिन्जेंसी प्लान में सीकर को पैसा मुहैया कराया भले ही वह ट्यूबवैल का रहा हो, भले ही वह हैण्डपम्प का रहा हो, अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज तक भी वह आपकी इस गेप ऑफ कम्यूनिकेशन की वजह से, संवादहीनता की वहज से आज भी वह योजनायें कार्य रूप में परिणित नहीं हुई हैं। जबकि विभाग तो इस बात को सोचकर खुश बैठा है कि हमने पैसा दे दिया और हम इस बात के लिए खुशी मना रहे हैं हमने जनता को जाकर यह कर दिया कि सरकार ने आपके लिए योजनाएं बना दीं लेकिन उन योजनाओं का उपयोग कुछ नहीं। इसलिए मेरा आपसे विशेष रूप से यह निवेदन है कि योजनाएं बनाते वक्त आप उसमें समय सीमा निर्धारित करें कि यह जो हैण्डपम्प आज की तारीख में सेंक्शन हुआ है यह हैण्डपम्प फलां तारीख तक लग जाना चाहिये और यदि वह उस तारीख को नहीं लगता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लें और जिम्मेदारी भी ऐसी कि उसको पेनेलाइज किया जाय जब तक आप किसी ऐसे पनिशमेंट की उस पर कोई शास्ति आरोपित नहीं करेंगे वह आप से डरने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : और वह यह मानकर कि आये दिन ऐसी बातें होती हैं, वह आपको इस बात को कतई गौर नहीं करेगा इसलिये एक तो आप यह विशेष रूप से ध्यान रखें।

दूसरा, तात्कालिक समस्याओं के बजाय दीर्घकालिक समस्यायें हैं। आपको यह विचार करना होगा कि इस जयपुर की आज इतनी पापुलेशन है, आज के दिन इतना पानी हमें उपलब्ध हो रहा है तो आपको आगे आने वाले 20 वर्षों को देख कर के, भले ही वह ग्रामीण क्षेत्र हो, भले ही वह शहरी क्षेत्र हो आपको उसकी योजनाएं आज की तारीख में बनानी होंगी। आप हुड़को से लोन लें, जीवन बीमा से लोन लें, विश्व बैंक से लोने लें, लोन की कमी नहीं, रुपये की कमी नहीं लेकिन कमी है तो दूरदर्शिता की। आज आप जो योजनाएं बना

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रहे हैं वह आगे जाने वाले 20 वर्षों की योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं में भी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये कि यह योजना फलां समय तक बन कर तैयार होगी। होता क्यों है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक योजना बनती है दो करोड़ रुपये की। उसमें समय जब निकल जाता है तो दो करोड़ की योजना आपके इन अधिकारियों के लाल बस्ते से ही निकलकर इस बस्ते से उस बस्ते में, उस बस्ते से उस बस्ते में, इन बस्तों के आवागमन में वह योजना तीन करोड़ की हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें अब।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा_

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और।

श्री राजेन्द्र पारीक : कई दिनों बाद बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और। बहुत अच्छे बोल रहे हैं। मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूं पर एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन योजनाओं में समय सीमा पाबन्दी से की जानी चाहिये और यदि आपने यह पाबन्दी नहीं लगायी तो इन योजनाओं का भी वही हश्र होगा जो आज तक की उन योजनाओं का होता आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि मेरे शहर सीकर में 2.60 करोड़ की स्कीम थी, चार टंकियां पास हुई। मैंने माननीय मंत्रीजी का वहां घेराव किया, उनसे निवेदन किया। इन्होंने चार के बजाय पांच टंकियां पास कर दीं। आज हमें उनसे कुछ सुविधा उपलब्ध हुई है। मैं आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, एक विशेष और निवेदन करना चाहूंगा। डिमाण्ड पर जब भी चर्चा होती है, हमें उसको आलोचना के रूप में नहीं लेना चाहिये। आपको जो पैसा मिल रहा है, आपको जो इस हाउस में बजट मिल रहा है, इस सर्वोच्च सदन से जो बजट आपके लिये यहां सैंक्शन हो रहा है। हम केवल यहां पर आपको सजेशन देने के लिये उपस्थित हुए हैं। हम आपको केवल यहां राय देने के लिये उपस्थित हुए हैं कि यदि आप इस पैसे का इस तरह से उपयोग करेंगे तो इसका आपको ज्यादा लाभ होगा। यदि आप हमारी कही हुई बात को आलोचना के रूप में लेते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कहने की जरूरत नहीं है। हमें अभी दुःखी मन से कहना पड़ता है। हम यह कतई नहीं चाहते लेकिन जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसे यदि आलोचना के रूप में न लेकर सार्थक विचार के रूप में लेंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आयेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या इस कदर पहुंच गयी है। आपने देखा होगा कोई माननीय सदस्य कहता है कि मेरे क्षेत्र में मैं एनीकट नहीं बनने दूंगा। कोई माननीय सदस्य कहता है कि मेरे क्षेत्र से आने वाले पानी को मैं वहां तक नहीं पहुंचने दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें। माननीय मंत्रीजी को जवाब देना है और सात बजे मुख बंद कराना है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई कहता है कि मेरे मौहल्ले का पानी वहां तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज ही विचार करना होगा कि यह समस्या एक राष्ट्रीय जल समस्या के रूप में विचार करेंगे तभी जाकर इस समस्या का निवारण होगा वरना हम एक मौहल्ले से दूसरे मौहल्ले में पानी को जाने नहीं देंगे। पानी की समस्या इसी तरह से विकट होती जा रही है। आपके

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हाथ में कुछ है नहीं, हो क्या रहा है ? रिचार्जिग का सिस्टम तो डवलप नहीं हो रहा है। पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं। पानी नीचे जा रहा है। उसका दोहन हम पूरी तरह से कर रहे हैं। हमने अपनी पानी की आवश्यकताओं को इतनी बढ़ा दिया कि हमें 135 लीटर पानी रोज चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब अपने क्षेत्र की बात करता हूं तो हमें वहां मुश्किल से 60-70 लीटर पानी मिलता है। वह भी कंडीशनल है, यदि बिजली 20 घण्टे उपलब्ध होगी तो हमें 90 लीटर पानी उपलब्ध करायेंगे। बिजली की समस्या तो आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री गोपीचन्द जी गुर्जर।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। मैं तो अपने शहर की बात करता हूं। यह एक बड़ी भारी समस्या है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : सिर्फ दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब दो मिनट नहीं माननीय सदस्य, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : पानी की समस्या है...

श्री मोहनलाल मोदी : ...(व्यवधान)...कब मिलेगा ? या नहीं मिलेगा मुझे, इतना तो निश्चित कर दें कम से कम, अगर समय नहीं देना है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विकट समस्या है। हो क्या रहा है ? कहना इसलिये जरूरी है कि पानी से आने वाले समय में बीमारियां फैल रही हैं। सीकर शहर में सोक पिट की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही आपके जो पुराने ड्रेनेज सिस्टम बने हुए हैं, उनमें होकर पाइप लाइनें गुजर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी दस आदमियों की मृत्यु दूषित पानी पीने से हुई है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। एक तो यह सोक पिट की वजह से जो 40-45 फीट गड्ढे खोदते हैं, उनको बंद करवाने के लिये आपको कोई सीवरेज का सिस्टम डवलप करना होगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत सारी बातें हैं माननीय सदस्य, मुझे पता है कि आपका ज्ञान बहुत बड़ा है और आप थोड़ा लिखकर दे दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : ड्रेनेज से जो पाइप लाइनें गुजर रही हैं उस पर आपको कुछ पाबन्दी लगानी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिर्फ दो बात और कहूंगा।

एक तो मेरा जो क्षेत्र है उसमें कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी की एक-बूंद के लिये तरसते हैं। वह गांव है एक तो भगवा, एक है डाबक्यारी, एक है डाबपनोरा और बराय की ढाणियां और शोभ और नाड़ा। यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां या तो पानी इतना कड़वा होता है कि आदमी पानी मुंह में नहीं रख सकता और या फिर पानी की एक-एक बूंद के लिये तकलीफ है। इसके साथ में एक निवेदन और करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : माननीय, अब बहुत हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : विभाग के पास रिग्स की कमी है। मेरा निवेदन यह है कि हर डिविजन पर एक-एक रिग्स डी.टी.एच.उनको वहां पर उपलब्ध होनी चाहिये। ताकि अपनी सुविधानुसार जब उनको यहां से सैंक्शन होकर ट्यूबवैल या हैण्डपम्प की स्वीकृति मिले, उस

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वक्त बजाय जयपुर की ओर देखने के अपने डिविजन से उस रिग को लेकर अपने क्षेत्र में हैण्डपम्प खुदवायें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया। इसके लिए बहुत धन्यवाद॥

श्री अध्यक्ष : बिराजें बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गोपीचन्द जी गुर्जर। बहुत अच्छे सजेशन हैं।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की पी.एच.ई.डी. की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर करीब अठारह ऐसी जी.एल.आर. टंकियां बनी हुई हैं जिनको पांच-दस साल बने हुये हो गये और एक बूंद पानी उसके अन्दर अभी तक नहीं पहुंच पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कई जगह पर कहीं बोर हो रहा है, कहीं टंकी नहीं बन रही। जो भी योजना बने उसका लाभ जनता को मिले, हमको मिले जब तो उसका कोई उपयोग है। लागत भी लग जाती है और उसका लाभ भी जनता को नहीं मिल पाता है।

अब हैण्ड पम्प अभियान 1 अप्रेल से शुरू हो गया। लेकिन डीग उप खण्ड के अन्दर न तो कोई सामान हैं, न कोई गाड़ियां उपलब्ध हैं। सीकरी के अन्दर आज गर्मी जैसी स्थिति में जे.ई.एन. नहीं हैं। नगर के जे.ई.एन. के पास में चार्ज है। हमारे नगर के जो एई.एन. महोदय कभी टिकते नहीं और काम बिल्कुल जानते नहीं। उनकी वजह से मेरी करोड़ों की योजनायें फेल हो गयीं। लगातार पिछले दो साल से मैं निवेदन कर रहा हूं ऐसे नकारा और नये अधिकारी को कम से कम ग्रीष्म काल के अन्दर नगर जैसे पानी के संकट क्षेत्र के अन्दर से कहीं दूसरी जगह भेजा जाना जरूरी समझा जाय।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। भरतपुर जिले के अन्दर जो पानी की समस्या है, वह हमेशा रिचार्ज सिस्टम से ही सम्भव है। इन हैण्ड पम्पों के स्थान पर यदि आप जैसा शीशराम जी ने निवेदन किया था, माननीय साथी ने कि तालाब खुद जायं और डी.आर.डी.ए.का पैसा दूसरी मदों में खर्च किया जाता है वह केवल तालाबों पर खर्च किया जाय। अभियान के तौर पर तालाब खुदवायें और बरसात की एक बूंद पानी को इधर से उधर नहीं नहीं जाने दिया जाय। गांवों की आबादी न टूटे। मकान न टूटें। झौपड़ियां न टूटें। पानी तालाबों में रहे तो सिंचाई के लिये ट्यूबवैलों का स्तर बढ़ेगा। इससे हमारे गांव के पानी की समस्या साल्व होगी।

आज गांवों में कनेक्शन लेते हैं तो नलों से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। पचास उस पी. एच. ई. डी. की नल योजना से हमको नुकसान है। हमारे यहां पर बल्कि राजस्थान में यह स्थिति मेरे ख्याल से होगी। तो गांवों के अन्दर बड़े-बड़े तालाब खुदवाये जायं और उन तालाबों में बरसात के पानी का स्टाक किया जाय। मैं समझता हूं पी.एच.ई.डी. का बहुत बड़ा खर्चा बच जायेगा और इस हैण्ड पम्प में, मुझे माफ करना, नहीं कहना चाहिये, ठेकेदार और अधिकारियों का कमीशन बनता है, इसका लाभ नहीं मिलता है। 70-80 फीसदी हैण्ड पम्प हर साल खराब पड़े रहते हैं और नाटक बना रखा है। बजाय हैण्ड पम्प के यदि यह पैसा तालाबों में लगा दिया जाये तो पानी का एक स्थायी हल होगा और भरतपुर जिले के अन्दर तो रिचार्ज के अलावा पानी के समाधान का कोई रास्ता नहीं है।

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

दूसरा, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भट्टपुरा कस्बा नगर के लिये गंगोरा, हैवत और जो जुलाई यह तीन स्कीमें मेरे यहां पिछले तीन साल से पेन्डिग पड़ी हैं। बार-बार वापस चली जाती हैं अधिकारियों की कमी की वजह से। एक तीन करोड़ चौतीस लाख समर्थिंग की है, एक पैंतीस लाख की है, एक चालीस लाख की है। मेरी इन तीनों योजनाओं को अविलम्ब चालू किया जाये।

माननीय मंत्रीजी पिछले वर्ष वहां नगर के मेले के टाइम पर गये थे। वहां चर्चा करके आये हैं। लोगों के बीच में कहकर भी आये लेकिन दूसरा वर्ष पूरा हो गया। अभी तक वहां पर एक भी स्कीम सैंक्शन नहीं हो पायी। माननीय ललितकिशोर जी गये। माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में पानी सम्भाग की जो कमेटी नियुक्त की गयी, उसके अन्दर नगर के लिये पैंतीस हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्र में, सिर्फ पांच कस्बों के लिये प्रस्तावित किये गये। लेकिन अभी तक एक भी सैंक्शन नहीं है।

इसी तरीके से डीग के नीलामी घोटाले के बारे में मैं, अध्यक्ष महोदय, चर्चा करना चाहूंगा। उसमें जिस कमेटी ने उस सामान को नीलाम किया है। उस कमेटी को दोषी बनाना चाहिये। उसमें एईएन.को वहां से हटाया हटाओ मुझे किसी अधिकारी से लगाव नहीं है। लेकिन वह ईमानदार था। एक्सईएन.ने और उसे कमेटी ने, वह कम से कम दस टन माल था, और मात्र 2,000 किलो में उसको नीलाम किया। वह करना चाहिये था प्रति क्विटंल या प्रति किलोग्राम के हिसाब से, वह ढेरी के रूप में किया। पुलिस में एफ.आई. आर. दर्ज हुई। मात्र 700 किलो ग्राम माल को जब्त किया है। जबकि आज भी डीग के पुलिस थाने में जाकर देखा जाये तो कम से कम हजार किलोग्राम आज भी माल पड़ा हुआ है वहां पर। उसको तोला जाये तो रिकार्ड में कुछ दिखाया जा रहा है। उसमें काफी घोटाला हो रहा है। किसी चीज के बीच में यदि इन्क्वायरी हो तो उसके अन्दर सख्ती हो तो दुबारा कोई नहीं कर पायेगा और यदि इन्क्वायरी में बच जायेगा तो दुबारा उनकी हिम्मत होगी। पांच लाख रुपये अन्तिम टाइम पर हैण्ड पम्प के सर्वे कराकर उखाड़ने का उनका चबूतरा बनाने की व्यवस्था होती है। कोई सर्वे कमेटी की रिपोर्ट नहीं दी और 31 मार्च के अन्तिम दिनों के अन्दर पांच लाख रुपया एई.एनों को बांटकर एक्सईएन. महोदय डीग ने उस पैसे को आपस में बांट लिया। अन्तिम टाइम पर बिना रिपोर्ट के तो ऐसा पैसा अधिकारी से रिकवर होना चाहिये। 1990-91 के अन्दर कम से कम 10-15 ऐसी फर्में हैं। जिनसे लाखों करोडों का माल मंगाया गया दुनियां में कहीं अस्तित्व नहीं है उन फर्मों का और उनके नाम से टेण्डर। आज भी उन फर्मों की कीमत पर माल मंगाया गया उस कीमत से तिगुनी रेट तो उस समय थी। यानि उस समय उस रेट पर मंगाया गया जो आज की रेट से तिगुनी रेट है। आज कीमत बढ़नी चाहिये या घटनी चाहिए।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पानी की बात कहना चाहता हूं। पिछले वर्ष 110 रु. प्रति हजार लीटर की दर से टेंकर को पानी का ठेका छोड़ा था। इस बार चालीस और पचास रुपया प्रति हजार की दर से। यह एक साल बाद बढ़ेगा या घटेगा? तो इस तरह की जो अनियमितता होती है। हम लोग अन्धेरे में रहते हैं।

इसी तरह पाइपों का है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता मैं तो इशारे में चलाना चाहता हूं कि इन फर्मों के नाम से लाखों,

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है इनको बख्शना नहीं चाहिये। कहां पर किस अधिकारी के टाइम यह फर्में बनीं? उसकी रिकवरी निकलें अधिकारियों के नाम पर, तो निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा, सरकार बदनामी से बच पायेगी। चाहे कोई भी आये, बदनामी हमारी सरकार की हो रही है। निश्चित रूप से इन भ्रष्ट अधिकारियों का कुछ इन्तजाम होना चाहिये।

भरतपुर जिले के लिए तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन गर्मी के दिनों में तालाब सूखे हैं उनके अतिक्रमण को भी हटाया जा सकता है। तालाबों के लिए निश्चित रूप से अभियान छेड़ा जाये और यदि तालाबों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो पानी की समस्या केवल आंकड़ों में पूरी होगी। आने वाला समय हमको माफ नहीं करेगा। और पानी की समस्या का समाधान निकल नहीं सकता। इसलिए प्राथमिकता के साथ तालाब खोदे जायें ऐसा कोई गांव नहीं बचे। इन हैण्ड पम्पों को और दुनियां भर की स्कीमों को समाप्त कर दो और डी.आर.डी.एस. के पैसे को भी वहीं लगा दो, हैण्ड पम्प के पैसे को भी वहीं लगा दो। बहुत बड़ा कमीशन जाने से बच जायेगा, बहुत बड़े घोटाले से हम लोग बच पायेंगे और राजस्थान के गांवों के नागरिकों को पीने का पानी और खेत को सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी (अनुपस्थित) श्री मोहन लाल जी मोदी।

सदन की कार्यवाही

मुख बन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख बन्द का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मुख बन्द का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

मुख बन्द का समय एक घण्टा, आठ बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल की मांगों पर विचार हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की ऐसी समस्या है। पानी हर आदमी को चाहिये। आज लोग प्यासे मर रहे हैं। यह व्यवस्था की कमी भी है। मैंने मन्त्री महोदय से पहले निवेदन किया था कि इन हैण्ड पम्पों को ठीक करने का काम आप पी. एच. ई. डी. के सुपुर्द कर दीजिए लेकिन वह पंचायतों के जिम्मे रखा। अगर आप इसको पहले से अपने डिपार्टमेंट के अन्दर दे देते तो आज आपको यह परेशानी नहीं होती। जैसे ही गर्मी आती है आपको इस बात की सूझ होती है। पानी के लिय कमेटी बनाते हैं आपने हमारे विधानसभा अध्यक्ष की कमेटी बनायी। उस कमेटी की तरफ से हमारे घनश्याम जी वहां गये। एक नया पैसा भर सीकर जिले को उसका लाभ नहीं मिला। अब माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी साहब ने परसों यहां मीटिंग बुलाई। सारे अधिकारी आ गये, सीकर से आ गये, इतना बड़ा लवाजमा आ गया। टाइम उनको दो घण्टे का, आधा घण्टा उनके भाषण में चला गया और डेढ़ घण्टे में वह अपनी क्या समस्याएं बतायें, किस तरह की बात करें। आपको अगर व्यवस्था करनी है तो सही ढंग से एक-एक विधायक को बैठाकर के आप बात करिये कि आपके इलाके की क्या समस्या है, किस तरह आप उसको कर सकते हैं। साधन

(श्री मोहनलाल मोदी)

सीमित हैं हम भी समझते हैं लेकिन इन सीमित साधनों का किस तरह से उपयोग होना चाहिए। आज हैण्ड पम्प ठीक कराने के आपने आदेश दे दिये हैण्ड पम्प ठीक होने जा रहे हैं लेकिन क्या हो रहे हैं? अभी तक तो आपने उनको आदमी नहीं रखने का अधिकार दे रखा था। अब कल यह बताया गया कि आपने यह अधिकार तो दे दिया है। वह मिस्त्रियों से काम कराते थे और आज वह ठीक करने जा रहे हैं कल पीछे-पीछे हैण्ड पम्प खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं क्योंकि उसमें आप पाइप नहीं डाल रहे हैं। वर्षों के हैण्ड पम्प लगे हुए हैं सारी पाइप लाइन उनकी खराब हो गयी। उसमें पाइप लाइन नहीं बदल रहे, उसमें रॉड नहीं बदल रहे। आप इन हैण्ड पम्पों को ठीक कराना चाहते हैं और आपको जो रुपया लग रहा है इस इमरजेंसी में आप उनको बिल्कुल सही ढंग से ठीक कराइये। उनकी सारी पाइप लाइन बदलिये, उनकी रॉड बदलिये और उनको अच्छे ढंग से ठीक कराइये। खाली यह नहीं कि आपने जुलाई तक का अभियान चला दिया। विधान सभा के टाइम पर आप हमेशा अभियान चला देते हैं। लोगों का मुंह बन्द करने के लिए नहीं, लोगों लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए पानी पीने की। किस तरह से पानी लोगों को मिले, इस बात पर विचार करना चाहिये। यह एक आवश्यक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं सिरोही के अन्दर टंकी बन रही है, लोगों को पानी मिल रहा है और पानी गलियों में फैल रहा है। लेकिन वहां ढाणियां, कोई पचास गज कोई पन्द्रह गज, 44 ढाणियां हैं, मन्त्री महोदय, उन 44 ढाणियों की ऐसी हालत है कि आज कुंए पर कोई पानी लेने ही नहीं जाने देता आज परिस्थिति बहुत खराब है उनकी भी आप कोई स्कीम बना करके उन ढाणियों के बीच में आप एक टंकी बना दीजिए और टंकी बनाकर आप उन सारी ढाणियों की व्यवस्था करिये। मैंने ढाई लाख रुपया सांसद के कोटे से इसमें दिलाया लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं हुआ। मैंने आपके उन अधिकारियों से कहा कि सिरोही की टंकी से पाइप लाइन से कुछ ढाणियों को तो दे दीजिये। लेकिन नहीं इनका भी उपयोग नहीं। वहां बोले कि हमारा हाइड्रोलोजिस्ट आयेगा वह देखेगा। यह सारी व्यवस्था करा दीजिए।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ऐसे ही पुराना बास है। उस गांव में तो अपने टंकी बना दी। गांव के लोगों को पानी मिल रहा है और ढाणियों के लिए इस लिस्ट में भी कोई हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं किया। वहां इतनी बड़ी परेशानी है कि खारा पानी अलग हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे यहां सिरोही, पुराना बास यह दोनों तो कस्बे हैं, इनकी ढाणियां हैं, 44 ढाणियाँ हैं, एक की पन्द्रह ढाणी हैं। गांओली उसमें एस.सी.एस.टी. के लोग रहते हैं। वहां आठ हैण्ड पम्प लगे हुये हैं लेकिन एक हैण्ड पम्प काम नहीं करता। ऐसी जगह आप टंकियों की व्यवस्था करें। उसके आधा किलो मीटर पर बिहारीपुर है। वहां एक ट्यूबवैल खुदा हुआ है उससे जोड़ दीजिये।

कोई आदमी यह समझे कि हमको पानी की व्यवस्था करनी है तो यह व्यवस्था हो सकती है। आप तो बीसलपुर से लोगों को पानी दे रहे हैं। हमारे पास न तो कोई बीसलपुर है, हमारे तो जमीन का पानी आयेगा उस पानी से हमारे लोगों को पानी मिलेगा।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मांवडा खुर्द है, वहां खारा पानी मिल रहा है लोगों को। जिसके लिए आपको कभी वहां

(श्री मोहनलाल मोदी)

जाने का मौका मिले, शायद चुनावों के समय रामदास जी अग्रवाल गये थे वहां पर। खारा पानी गांवों को मिलता है, कारण एक ही है। न तो कोई सही व्यवस्था है आपकी तरफ से। एक कुएं में मीठा पानी है, और जो कुआं बना हुआ है उसमें खारा पानी है वह खारा पानी उस मावडा खुर्द को सप्लाई होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें। आप जानते हैं कि आज मुख बन्द कराना है तो आठ बजे हर हालत में मन्त्री जी का भाषण खत्म हो जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी : रामपुरा, रेगा का नांगल वहां पर दो-तीन हैण्ड पम्प हैं, पानी नहीं हैं। एक कुएं के लिए मैंने कलक्टर साहब से भी कहा कि इसके अनदर आप बिजली का कनेक्शन करा दें, बोरिंग करा दें और ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपये का खर्चा आपके उस विभाग ने बताया। लेकिन वह एक लाख रुपया कौन खर्च करेगा? कहां से आयेगा वह एक लाख रुपया? उस रामपुरा रेगा का नांगल की पूरी समस्या हल हो सकती है। आपके हैण्ड पम्प में पचास हजार रुपये लगते हैं उस कुएं में आप एक लाख रुपया लगाकर के बोरिंग करा दें और कनेक्शन करा दें तो वहां की समस्या हल हो सकती है।

एक ढाणी ग्वार, मंत्री महोदय इसमें इतनी बड़ी परेशानी है, इसमें ट्यूबवैल खुदा दिया, पानी नहीं आ रहा। तो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस ग्वार को आप गणेश्वर में एक ट्यूबवैल पड़ा हुआ है हास्पिटल के पास उसी पाइप लाइन से इस गांव को जुड़ा दीजिए तो इन गांव वालों का भला हो जाएगा। ऐसे ही एक रामसिंहपुरा है, किशनपुरा का पहाड़ी पर गांव है वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हैण्ड पम्प कामयाब होता नहीं है तो इस किशनपुरा की भी आप कोई न कोई तजबीज करिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : दूसरा, नगरपालिका नीम का थाना। आपने और आपकी सरकार ने कभी चार पैसे उस नीमकाथाना की नगरपालिका योजना में कहीं नहीं लगाये। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि वहां बहुत पहले की टंकी बनी हुई है। आज आबादी डबल हो गयी तो उसके अन्दर आप टंकी बनाने की योजना करिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा दो एक मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : साढ़े सात बजे पहले-पहले माननीय मंत्री जी की बात कहनी पड़ेगी नहीं तो सारे राजस्थान की बात नहीं आ पाएगी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इतना-सा टाइम तो चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पूरा टाइम दिया है आपको। पूरे दस मिनट हो गये हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : इतनी देर में तो मैं अपनी बात ही समाप्त कर लेता। एक काचरडा है। वहां आपके रायपुरपाटन का सोर्स है। इतना पानी है वहां पर इस काचरडा को ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर पाइप लाइन से इस पूरे गांव को पानी मिल सकता है लेकिन आपके अधिकारी कहते हैं कि यह तो हैण्ड पम्प में स्वीकृत है। तो, मंत्री महोदय इन बातों पर जरा विचार करके चलिये कि किस तरीके से यह व्यवस्था हो सकती है।

(श्री मोहनलाल मोदी)

अध्यक्ष महोदय, यह जो पहाड़ों का पानी आता है यह बेकार चला जाता है अगर आप उनको रोक कर के थोड़ा एनिकट्स की बात करें तो भी पानी की व्यवस्था हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। अब बिराजें माननीय। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप बिराजें। और भी हैं तो आप माननीय लिख कर भेजें मंत्रीजी को। यह सारी बातें तो याद रहेंगी नहीं। बिराजें आप।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुखी हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी जमीन का पानी ऊपर लायें, यही मेरा सबसे बड़ा निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल जीनगर (अनुपस्थित) श्री सुरेन्द्र गोयल (अनुपस्थित) श्रीमती सूर्य कान्ता (अनुपस्थित) श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय मोदी साहब, आपने कुछ हैण्ड पम्प्स की बात कही थी वह लगे या नहीं ? क्या रिपोर्टिंग है उसकी ?

श्री मोहनलाल मोदी : हैण्ड पम्प का काम शुरू हो गया है। आपकी मशीन चल गयी और इसमें एक बात कहना मैं भूल गया मेरे यहां 270 हैण्ड पम्प मंजूर हुए हैं अलग अलग योजनाओं के...

श्री अध्यक्ष : यह बाद में हिसाब कर लेना।

श्री मोहनलाल मोदी : मई के अन्दर इस एक महीने में अगर वहां 50 प्रतिशत भी आप उनको ठेके देकर लगवा दें तो मेरे यहां की समस्या हल हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्रीमती तारा जी, 5 मिनट में बात समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : 5 मिनट घड़ी देखकर बोलूंगी एक मिनट चली गयी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पानी के मामले में आज का दिन सबसे भाग्यशाली दिन हैं। सन् 1955 से जो राजस्थान यमुना के पानी की मांग करता आ रहा था, आज राजस्थान का सपना पूरा हुआ और राजस्थान में यमुना का पानी आया। राजस्थान के इतिहास में हमारे मुख्य मंत्री श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी मेरे क्षेत्र में विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में तीस जिला तीस काम, अन्टाइड, जे.आर.वाई., इन सब योजनाओं के माध्यम से बहुत काम हुआ है गांव-गांव पनघट बने, गांव-गांव नल योजना बनी। गांव-गांव पानी के आग्मेंटेशन का काम हुआ। इसके बाद भी मेरे इलाके में पानी की समस्या बहुत है। अभी माननीय बुडानिया जी कह रहे थे कि हमारे यहां पर डिफ्लोराइडेशन के यंत्र लगवाये, खराब हो गये। अध्यक्ष महोदय, खराब नहीं, दो वर्ष पहले मेरे क्षेत्र में 19 डिफ्लोराइडेशन के यंत्र लग रहे थे और लगाने के दो महीने बाद हमने दौरा किया, दो ही महीने बाद वह सारे यंत्र खराब हो गये। बंद पड़े हैं। किसी काम के नहीं हैं। ग्रामीण जनता वहीं फ्लोराइड वाला पानी पी रही है। सिरोही जिले में सबसे ज्यादा 90 से भी ज्यादा गांव ऐसे हैं कि फ्लोराइड का जो मिनिमम परसेण्टेज होता है उससे ज्यादा का पानी पी रहे हैं। आज हालत यह है कि अगर परमात्मा किसी को विकलांग बनाये तो समझ में आता है। माननीय मंत्रीजी मेरे क्षेत्र की हालत देखकर आये हैं। 40 वर्ष के एक व्यक्ति ने जब मंत्रीजी से निवेदन किया कि मंत्रीजी नमस्कार, तो यह पूछते हैं कि बाबा क्या बात है ? उसने कहा बाबा नहीं, मैं तो 40 वर्ष का जवान आदमी हूं। यह स्थिति मेरे क्षेत्र की

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है। मंत्रीजी की आंख में पानी आ गया। मुझे उस दिन बहुत महसूस हुआ कि हमारे मंत्रीजी की संवेदनशीलता से निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र की समस्या का हल होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और पेजजल मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उनके प्रयासों से इस बार बजट में भी फ्लोराइड का कॉलम रखा है और फ्लोराइड वाले एरिया को ठीक करने की जरूर योजना बनी। इसी तरह से हमारे यहां खारे पानी की समस्या है। कुछ क्षेत्रों का पानी इतना खारा है कि आप जबान पर नहीं लगा सकते। मैंने वह पानी स्वर्गीय राजीव गांधी जी को लाकर दिया था लेकिन आज भी समस्या ज्यों की त्यों है तो यह विचारणीय विषय है।

सिरोही और शिवगंज नगर की एक बात और कहूंगी। वहां पर बहुत ज्यादा समस्या है। समस्या यह है कि जिस दिन भी वहां पर नल योजना प्रारम्भ की थी उसके बाद आज दिन तक वहां की पाइप लाइनें बदली नहीं गयी। एक पाइप लाइन पर जहां पांच कनेक्शन थे आज पचास कनेक्शन हो गये और जो मुख्य कनेक्शन पर हैं उस घर को पानी मिलता है पीछे वालों को नहीं मिलता। सिरोही के अधिकारियों ने सिरोही और शिवगंज के लिये, सिरोही के लिये 119 लाख की और शिवगंज के लिये 152 लाख की पेयजल योजनायें बनायी थी लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा खेद होता है कि 5 वर्ष तक ये योजनायें, 1990 से लेकर आज 95 आ गया, जयपुर से सिरोही और सिरोही से जयपुर की लौटा फेरी में पतली हो गयी। पतली होकर घिस गयी और घिसते-घिसते खत्म हो गयी। आज उन योजनाओं का पता नहीं है। सिरोही और शिवगंज में अधिकारियों ने पानी देने के लिये भरसक कोशिश की हैं। मैं उससे मनाही नहीं करती। बहुत कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट आज यह है कि वहां पर पेयजल समस्या ज्यों की त्यों है। मैं विचार करती हूं, सोचती हूं कि हमारे मंत्रीजी इस बारे में थोड़ी गम्भीरता से विचार करके सिरोही, शिवगंज को पानी देने के बारे में सोचेंगे। एक बात और कहूंगी...

श्री अध्यक्ष : एक ही मिनट में कह दें अब आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक ही मिनट में। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी।

अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे 120 लीटर मिलता है, कोई कहता है 70 लीटर मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 40 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलता है। मेरा मंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि जब सारे जिलों में पशुओं की जनसंख्या अनुसार पेयजल की गिनती होती है तो सिरोही जिले को भी उसमें जोड़ा जाय और पशुओं की भी गिनती करा के पेयजल वृद्धि करायी जाय। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं और धन्यवाद भी देती हूं, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं। जयपुर में बैठे हुए चीफ इंजीनियर और जोधपुर में बैठे हुए चीफ इंजीनियर के बीच में जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, कापरेशन नहीं होगा, पेयजल की एक भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में लाकर ही इस व्यवस्था का समाधान होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार मीणा (अनुपस्थित) श्री रामनारायण डूडी। 5 मिनट में मैंने तो आपको मौका दिया है।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पेयजल पर विचार विमर्श हो रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आ

ो रामनारायण डूडी)

ा हूं, वह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से पानी के मले में वहां कई तरह की दिक्कतें आती हैं। मेरे सारे गांव पी.एच.ई.डी. स्कीम से जुडे ा हैं। सारे गांव का निवेदन इसलिये कर रहा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बोलने दें माननीय... ावधान)...माननीय हरिसिंह जी आपका नम्बर ाने वाला है, नहीं तो यह नम्बर कट जाना है ाभी। आप बिराजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : लगातार पिछले 35 ाल से यमुना का पानी भरतुपर...

श्री अध्यक्ष : माननीय, आपका नम्बर आने ाला है। नहीं तो यह नम्बर गड़बड़ हो ायेगा। माननीय बोलें आप।

श्री रामनारायण डूडी : मेरे यहां लम्बी म्बी पाइप लाइनें हैं। जलप्रदाय योजनायें ाी हुई हैं। कई ट्यूबवैल से जुड़े हुए हैं। गर पिछले 2-3 साल से पूर भोपालगढ़ क्षेत्र ा जल स्तर नीचे जाने की वजह से आज पूरी ी पूरी स्कीम्स बिल्कुल नाकारा हो गयी हैं। हां आज 400 फुट नीचे पानी चला गया है। ापके पी.एच.ई.डी. के जितने भी हैण्ड पम्प ौरह खुदे हुए हैं, ट्यूबवैल्स हैं, वह 300-350 ज्यादा नहीं है। हमने डी.एस.ओज. की ाटिंग में जब कभी भी पेयजल के सम्बन्ध में ाधपुर में हमारी मीटिंग्स हुई, हमने इस बात ी और अधिकारियों का ध्यान दिलवाया और ने विशेष तौर से भोपालगढ़ के सम्बन्ध में हा कि हमारा जल स्तर आज सारा का सारा ाचे है। आज सारी स्कीम्स को आप पुनर्गठित ारावें। फिर भी 4-5 ट्यूबवैल्स की बजाय मैं ापसे निवेदन करना चाहूं कि हमारी भारत रकार की ए.आर.पी.क्की स्कीम 90-92 से ाीकृत पड़ी है मगर अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा है। आज कई 400-400 की आबादी की ढाणियां हैं। आज वह पाइप लाइन से वंचित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं, यह निवदेन इसलिये कर रहा हूं कि मेरे जो गांव हैण्ड पम्प के अन्तर्गत आते हैं वह आज वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से, जैसे डोडिया, लवारी, आसीन्दा, हिंडोली, ताम्ड़िया, तामड़ियाखुर्द, कलावास, कंगड़ा, गोदावास, बालड़ी, कूकरदा, सेंणा, बासमी, देवातड़ा, ये सारे गांव हैण्ड पम्प स्कीम के नीचे हैं। आज वहां एक बूंद पानी गांव वालों को नहीं मिल रहा है। मैं पिछले साल से निवेदन कर रहा हूं कि वाटर लेबल नीचे जा रहा है। इसके लिये आग्मेंटेशन और ट्यूबवैल स्कीम बनाइये, मगर यह कहते हैं जयपुर में जायेगी, पास होगी। तो मैं, यह पूछना चाहता हूं जयपुर में जायेगी पास होगी और आज वहां पशुधन मर रहा है। जो मैंने गांव बताये वहाँ...

केवल काश्तकारों के गहरे कुएँ 600-700 फीट खुदे हुए हैं। यदि वे कुएं नहीं हो तो एक बूंद भी पानी हमें नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ट्यूबवैल की स्कीम है उसके अन्दर आपके नान्दिया, बुडकिया, गजसिंहपुरा, छापला, कजनाऊ खुर्द, खेड़ापार, नाउसर, अरटिया, धनारी, मोरनावड़ा, मानसागर, डांवरा में ट्यूब वैल है मगर पानी नीचे जाने की वजह से वे सब सूख गये हैं। मेरा एक निवेदन है कि पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से कि जोधपुर के मामले के अन्दर, मंत्रीजी आपके राज्य मंत्रीजी पास में बिराजते हैं, कहीं खारा है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं मीठा है तो कहीं भूमिगत नीचे चला गया है। ऐसी हालत के अन्दर आने वाले पांच साल के बाद आप चाहे राजस्थान कैनाल से लावें, चाहे कहीं से भी लावें जोधपुर में पानी मिलने का नहीं है, अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेवल के हिसाब से। मेरा निवेदन है कि जो भी व्यवस्था है आप कृपया

(२१२)

(श्री रामनारायण डूडी)

कुछ गाड़ियां वहां दीजिये। आज एक भी गाड़ी वहां कार्यरत नहीं है। पूरी की पूरी गाड़ियां एक-एक साल से आपके यहां आ गई हैं, जोधपुर डिवीजन की सारी गाड़ियां आपके यहां चल रही हैं, पी. एच. ई. डी. की गाड़ियां आपके यहां चल रही हैं। ये तीनों ही गाड़ियां आपके यहां काम कर रही हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री रामनारायण डूडी : एक मिनट और बोलने दें, मेरा निवेदन है आपसे। तीसरी बात में यह निवेदन कर रहा था कि आपके जी.एल.आर.बने हुए हैं और पाइप लाइनआपने कहीं बिछायी नहीं है। पिछले सालों का आप रेकार्ड उठा कर देख लीजिए मेरे भोपालगढ़ के अन्दर आपने एक इंच भी पाइप लाइन लगायी हो तो। पिछली बार मंत्री स्तरीय मीटिंग विधान सभा के अन्दर हुई और उस मीटिंग के अन्दर मैंने कुछ निवेदन किया, कुछ समस्याएं रखी और मैंने कहा खेड़ापाल में, चोखी ढाणी के अन्दर आप पाइप लाइन बिछा दीजिये क्योंकि वहां खाई खुदी हुई है और उसमें गायें पड़ जाती हैं। मुझे लैटर मिला अध्यक्ष महोदय, कि एक महीने के अन्दर आपका यह काम करवा दिया जायेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ आज यह बात कहनी पड़ती है और अफसोस के साथ इसलिए कहनी पड़ती है कि एक महीने के बजाय एक साल और तीन महीने हो गये आज तक 500 मीटर पाइप लाइन ये नहीं दे पाये। मुझे पता चला है कि वहां से पाइप्स उठा लिये गये हैं और उन पाइपों को वहां के जे. ईएन. ने दूसरी जगह कहीं उनकी खुद की ढाणियों होंगी वहां ले जाकर लगा दी है अपने आदिमियों को खुश करने के लिए...

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये। माननीय श्री विजय सिंहजी।

श्री रामनारायण डूडी : एक सैकण्ड, सर।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट के बजाय दो मिनट हो गये, अब आप बिराजें।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय मेरे ओसियां क्षेत्र के अन्दर ए.आर.पी.की स्कीम तीन-चार साल से पास हुई पड़ी है और हम-कहते हैं कि ट्यूब वैल दिये जायं। स्कीम पाइंट लगा हुआ होता है वहां तो वह खुदती नहीं है और आपके जेईएन. रातों रात जाकर दूसरी जगह खुदवा देते हैं। जहां दो-तीन ढाणियों होती हैं और 50 ढाणियां या पूरे एक गांव को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की आपकी जो व्यवस्था है कम से कम उसको सुधारिये और सुधार करके उनको हिदायत दीजिये कि जहां ज्यादा लोग हों, वहां खोद कर लोगों को पानी दें। अब राज्य का व्यय कर रहे हैं और पूरी की पूरी स्कीम चैंज कर देते हैं। 1971 के अन्दर जलप्रदाय योजना रतकुडियावास में बनी और आज तीन गांवों को पानी मिल रहा है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें माननीय आधा घंटा भी नहीं है और सदस्यों को भी बोलना है।

श्री रामनारायण डूडी : इसलिए मेरा निवेदन है कि जोधपुर के अन्दर राजस्थान केनाल की स्कीम बनायें और जब तक के लिए आप ट्यूब वैलों को गहरा करवायें। इसके लिए सामान दिलवायें, वहां सामान कुछ भी नहीं है और हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप बिराजें।

श्री रामनारायण डूडी : हैड नहीं है, पम्प नहीं है। मेरा निवेदन है कि एक तो आप पम्प और हैड भिजवा दीजिये। दूसरा जहां हैण्ड पम्प है वहां ट्यूब वैल खुदवाये जांय, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विजय सिंहजी।

श्री विजय सिंह (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 पेयजल के सम्बन्ध में जो बजट का प्रावधान है और उसकी मांग के ऊपर आज बहस हो रही है। राजस्थान में पेयजल की समस्या देश में सबसे ज्यादा विकट है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रान्त है और पूरे देश का एक प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान का है। पर पानी का स्रोत है वह पूरे देश का एक प्रतिशत राजस्थान में है। राजस्थान में ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहां पर पानी की बरसात की बहुत कमी है और उसकी वजह से पानी की यहां हमेशा कमी रहती है। लेकिन एक हिस्सा जहां से मैं चुन कर यहां पर आया हूं उस हिस्से में बरसात काफी होती थी और वह मालवा का जैसा क्षेत्र है लेकिन इतने वर्षों में हमने देखा है कि उस क्षेत्र में भी जैसे रेगिस्तान में हुआ करता है, पानी की लगातार कमी होती जा रही है। इसके कुछ कारण हैं और उन कारणों को जानने के बाद ही स्थाई समाधान ढूंढने पर योजना बन सकती है।

जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी, पशु संख्या में लगातार बढोतरी, जंगल का कटना, बरसात का पानी बह कर निकल जाना, भूमि का कटाव, जमीन के अन्दर जो पानी का भण्डार था उसका सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने के कारण, पानी का समाप्त होना और जो भूमिगत पानी के स्रोत थे जिससे लोगों को पानी मिलता था, पहले तालाब, बावड़ी इस तरह की दूसरी चीजों पर ध्यान कम होकर अन्य दूसरी चीजों पर ध्यान ज्यादा गया इसकी वजह से वे बेकार हो गये और पानी भरने की क्षमता उनकी कम होने की वजह से और उनकी तरफ ध्यान नहीं होने की वजह से यह समस्या आज खड़ी हो गयी।

ज्यादातर पानी का जो प्रबन्ध किया गया है वह हैण्ड पम्पों के मार्फत किया गया है। राजस्थान में 37 हजार 990 गांव हैं उनमें से 36 हजार 900 गांवों में पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके बावजूद आज सब गांवों में पानी की समस्या है। वह इस कारण से है कि ज्यादातर गांव हैण्ड पम्पों के ऊपर आधारित हैं और उनके ऊपर ही पानी का सारा काम चल रहा है। हैण्ड पम्प करीब 15-17-18 साल पहले लगे थे और हर साल इनको ठीक करने का अभियान चलाया गया था लेकिन इन हैण्ड पम्पों की भी लाइफ टर्म होती है वह खत्म होने की वजह से हैण्ड पम्प बार-बार ठीक होते हैं और बार-बार खराब हो जाते हैं। लाखों की संख्या में ऐसे हैण्ड पम्प हैं। मैं समझता हूं कि सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं और सरकार इन सारे हैण्ड पम्पों को इस तरह से ठीक करवा दे कि कम से कम एक साल तक काम कर सके परन्तु चाहे जितनी हम कोशिश करें, चाहे जितना हम प्रयत्न करें, चाहे जितना हम अनुरोध करें लेकिन सरकार के पास इतने साधन मैं समझता हूं कि नहीं हो सकते। या हैण्ड पम्पों को इस तरह से ठीक करवा दें या हर हैण्ड पम्प की जगह नये हैण्ड पम्प लगा दें। दूसरी समस्या जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जहां पर बरसात ज्यादा होती थी आज से 15-20 साल पहले वहां पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी कोई शिकायत नहीं करता था। लेकिन आज वहां पर वह समस्या खड़ी हो गयी है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में हमेशा से पानी की समस्या चलती आयी है। इसके क्या कारण हैं? इसके कारण यह हैं कि जमीन के अन्दर पानी की कमी होती जा रही है। अब जमीन के अन्दर तो पानी बरसात से ही आयेगा और कहीं से आ नहीं सकता। यह एक धारणा है कि एक जमीन के अन्दर पानी का भण्डार है। यह मैं समझता हूँ कि यह धारणा ठीक नहीं है, सही नहीं है। जमीन के अन्दर पानी तो बरसात से ही आयेगा। इसलिए बरसात के

२१५

(श्री विजय सिंह)

पानी को जमीन पर रोकना आवश्यक है। इसको इकट्ठा कर सकें और जमीन के अन्दर जाने के लिये मजबूर कर देंगे तो आपको जमीन के अन्दर पानी मिल सकता है नहीं तो पानी नहीं मिलेगा।

जनसंख्या बढ़ोतरी की दर अपने राजस्थान में ढाई प्रतिशत है और यह दर सबसे ज्यादा है। इस तरफ आपने ध्यान नहीं किया है। इसके साथ-साथ पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वह भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण जितने चारागाह थे वे खेत में परिवर्तित हो गये, जंगल कट गये। तो बरसात के पानी को जंगल रोकता था, चारागाह रोकते थे आज वह पानी बह कर नदी नालों में चला जाता है। नहरें नहीं होने से भी ट्यूबवैल लगाकर जमीन का पानी निकाल कर सिंचाई के काम में लेने से जमीन के नीचे का पानी घट रहा है। तो इसके लिए खास तौर से योजना बनानी पड़ेगी, एक स्थायी योजना बना कर हाथ में लेनी चाहिये। जिससे जमीन में वर्षा का पानी रूके, इससे भूमि का कटाव नहीं हो और वह साफ नहीं हो। भारत सरकार की रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वाटर शेड डवलपमेंट प्रोग्राम बनाकर भेजा हुआ है, उसके अन्तर्गत काफी मात्रा में रुपया भेजते हैं और मैं समझता हूँ कि आज ऐसी स्थिति है कि वह पूरा का पूरा प्रोग्राम फाइनेंस कर सकते हैं। यह प्रोग्राम डी.आर.डी.ए. द्वारा चलाया जाता है, इस प्रोग्राम को अगर चलाया जाय, वाटर शेड डवलपमेंट प्रोग्रोम के अन्तर्गत जो पानी को रोकने का प्रोग्राम होता है, नदी-नालों पर एनीकट्स बनाये जा सकते हैं, तालाबों को गहरा और मजबूत किया जा सकता है।, नदी, बावडी, कुएं, तालाब ठीक किये जा सकते हैं, जंगल लगाये जा सकते हैं, सरकारी जमीन में, चारागाह का डवलपमेंट किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों में लगाया जायेगा तो जमीन में पानी का भण्डार होगा और जमीन भी नहीं कटेगी। पर्यावरण का सुधार होगा, पेयजल और सिंचाई के लिए जल की समस्या, इन सबका निराकरण होगा, मैं नहीं समझता कि आज जो स्थिति हैं वह हल हो पायेगी। क्योंकि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो पानी देने का काम करता है, एक अलग डिपार्टमेंट है। यह तो जहां पानी का स्रोत उपलब्ध है वहां से पानी किसी प्रकार से नल, पम्प या ट्यूबवैल द्वारा उपलब्ध कराने का काम करता है। आज जो डवलपमेंट प्रोग्राम है उसको दूसरा विभाग करेगा। दूसरे विभाग के काम में और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के काम में इन दोनों में तालमेल हो, तब ही वाटर शेड डवलपमेंट, विकास का काम होगा इस दृष्टि से काम किया जाय कि उसमें जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी शामिल हो। इस तरह से अगर किया जाये तो यह कार्यक्रम सफल होगा नहीं तो यह समस्या ज्यादा से ज्यादा आती चली जायेगी। इस साल वर्षा ज्यादा हुई, हमारे क्षेत्र में नार्मल से ज्यादा वर्षा हुई। इसके बावजूद अभी से पानी की कमी आ गई। सारे तालाब सूख गये, जो पहले नहीं सूखते थे, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए इसके समाधान की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह जी दीवान (अनुपस्थित)। श्री हरिसिंहजी कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। क्योंकि हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, उन्हें पता है कि हमारे भरतपुर में पानी की स्थिति बहुत नाजुक है, विशेष तौर से कुम्हेर क्षेत्र में। उसमें ड्रिलिंग की मशीनरी चाहिए।

(श्री हरिसिंह)

भरतपुर में जो सब डिवीजन था, ड्रिलिंग का उसको आप धौलपुर के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। अलवर में दो और सवाई माधोपुर में दो सब डिवीजन हैं। अलवर में एक और सवाईमाधोपुर में दो ड्रिलिंग के सब डिवीजन हैं। आपको यदि शिफ्ट करना था तो जहां दो या उससे अधिक डिवीजन हैं, वहां से धौलपुर में शिफ्ट करना चाहिये था। भरतपुर में जहां गम्भीर संकट है वहां ड्रिलिंग की जरूरत है, वहां एक सब डिवीजन था वह भी आप धौलपुर में शिफ्ट कर रहे हैं। मेहरबानी करके गर्मियां काटने के लिए आप उस सब डिवीजन को भरतपुर से शिफ्ट न करें। दूसरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में आपने जो छोटी-बड़ी स्कीमें मंजूर की हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए जल्दी से जल्दी बिजली के कनेक्शन देवें जिससे उन पर काम चालू हो सके। तीसरा निवेदन है कि कुम्हेर के अन्दर नीचे खारा पानी है, आपको यमुना का पानी लाकर स्कीम बनानी चाहिए_

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपके तो पहुंच गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : स्कीम बनी हुई है, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यमुना का पानी साधिकार मिलना शुरू हो गया है। स्कीम बनी हुई है तो क्यों नहीं आप भरतपुर जिले के लिये यमुना से पानी लाने की स्कीम को क्रियान्वित करें। अब तो एक करोड़ रुपया दे रहे हैं यू. पी. वालों को। मैं समझता हूं कि एक करोड़ रुपया ज्यादा नहीं पड़ेगा यू.पी. वालों के लिए क्योंकि साधिकार पानी मिलता है। अब जब 289 क्यूसेक पानी मिलेगा, उसमें आपकी 4 क्यूसेक की स्कीम है उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने लिए पानी लेने की स्कीम आप बनायें। कुम्हेर, डीग और अन्य जगह जहां आप बनायें पाइप से जो पानी आप लायेंगे वह 12 महीने तो चलेगा नहीं इसके अन्दर और लोग भी रास्ते में काट लेते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे फीडर में बिछी गांव है वहां के लोग पानी से पोखर भी भर लेते हैं और इर्रिगेशन के लिए भी काम ले लेते हैं। पानी इस प्रकार से चलायें की उस क्षेत्र में जितने भी पोखर हैं पहले वे भर जायं और बीच में लोग काटें नहीं, इसे सब जगह पानी प्राप्त हो जाय, अन्यथा पोखर सूख गये तो मवेशी प्यासे मरने लग जायेंगे।

मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा हमारे गोपीचंदजी कह रहे थे उन सबको प्रोजेक्ट बनाकर खुदवायेंगे। पोखर के करीब जितने कुएं हैं उनको इन्हीं गर्मियों में खुदवा देंगे तो मैं समझता हूं कि गांवों में जितने कुएं बने हुये हैं उनसे पानी मिलना शुरु हो जायेगा। यही आपसे मुझे निवेदन करना था, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। श्री महावीर भगोरा, संक्षेप में।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं तो दो लाइन का मुखड़ा बोल कर बात शुरू करूंगा—

"जल जौहरी, जल हीरा, जल मोतियन की खान,
निगाह उठाकर देखिये, जल बिन जगह कंगाल।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी जिले की बात कहूंगा हमारे यहां अनुसूचित जाति की आबादी है, वे बिखरे हुए हैं और छोटी-छोटी ढाणियों में लोग रहते हैं। वहां कोई बड़ी योजना लागू नहीं हो सकती इसलिये वहां हैण्डपम्प लगे हुये हैं। ज्यादा हैण्डपम्प होने के कारण हैण्डपम्प रिपेरिंग अभियान में दो

(श्री महावीर भगोरा)

दल गठित किये जायं, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय और विभाग के अधिकारियों से निवेदन है। क्योंकि गत वर्ष मात्र एक दल से काम चलाया था जिससे समस्या हल नहीं हुई तथा सारे हैण्डपम्प रिपेयर नहीं हुए। इसके लिए उन दलों को ट्यूर प्रोगाम इस तरह से बनाया जाय कि वे अप-डाउन न करें और आगे से आगे बढ़ते रहें, 15 दिन में या 20 दिन में वापस जायं। इसी तरह से इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए जनता जल योजना का प्रावधान किया है उसके लिए मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। जनता जल योजना का सारा खर्चा उस एरिये में पी.एच.ई.डी. दे रहा है। मेरा निवेदन है कि माड़ा क्षेत्र के लोग गरीबी के कारण अपनी तरफ से खर्चा नहीं उठा सकते इसलिए उस क्षेत्र को भी इस योजना से जोड़ा जाय।

अभी पुराने स्रोत की जो बात आयी, मवेशियों को भी पीने के लिए पानी चाहिए, पुराने स्रोत जो सूख गये हैं उनमें सुधार करके कम से कम मवेशियों का पीने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। इसी तरह से पुराने पोखर और तालाबों की बात हुई है। मेरा यह आग्रह है कि कुओं का जल स्तर दिन-व-दिन गिरता जा रहा है, उसको बनाये रखना है तो सिंचाई विभाग और जल प्रदाय विभाग में तालमेल बैठाकर छोटे-छोटे तालाब या नालियां बनावें ताकि मवेशियों के पीने के पानी की भी व्यवस्था हो जायेगी और कुओं का जलस्तर भी विकसित होगा। सबसे ज्यादा पानी शहर में खर्च होता है। लैट्रिन के फ्लश सिस्टम के बारे में डिपार्टमेंट को विचार करना चाहिए कि एक फ्लश में कितना पानी जाता है, ऐसी कोई अल्टरनेट व्यवस्था करें जिससे उसमें पानी कम व्यय हो। कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग शेयर देकर नल योजना ले जाना चाहते हैं तो अपना गांव अपना काम योजना में इस स्कीम को जोड़ा जाय ताकि कुछ शेयर जनता से मिल जाय और कुछ शेयर सरकार का हो जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरा आग्रह है कि क्षेत्र में ट्यूबवैल या पेयजल की स्कीमें लागू की गयी हैं लेकिन बिजली विभाग से तालमेल नहीं होने के कारण समय पर स्कीम चालू नहीं हो सकती है। इसलिए जल प्रदाय विभाग बिजली विभाग से तालमेल बैठाकर जो योजनाएं स्वीकृत हैं, कम से कम उनको शुरू करवा दे ताकि इस ग्रीष्मावकाश में राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय, श्री शैलेन्द्रजी, संक्षेप में कहें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर पानी की समस्या इतनी गहरी है कि यदि उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जाये तो क्षेत्र के अन्दर जन-आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। मेरा निवेदन करना यह है कि दौसा जिले में पानी 125 फुट से 150 फुट तक चला गया है। मेरे यहां 890 हैंण्ड पम्पों में से 785 हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय को कई बार रिपीटेड रिक्वैस्ट की कि इनकी जगह आप 50 पर्सेन्ट तो नये हैण्ड पम्प लगा दें लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। इसके अलावा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के लिए हैंडपम्पों के रखरखाव, संधारण, सुधार और मरम्मत के लिए बारहों मासी कोई व्यवस्था करें। यह 3 महीने पी.एच.ई.डी. के जिम्मे और 6 महीने उधर के जिम्मे किस ने पाला किस ने जनमा और किस ने पीसा पता ही नहीं पड़ता है क्योंकि न तो टूलवाक्स और न टूल किट ग्रामीणों को दिये हैं। एक ही पंचायत में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि 9 महीने तक उनकी मरम्मत और मेन्टीनेन्स की जा सके। इसलिए एक ही व्यवस्था की जाये। इस

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दोहरी व्यवस्था से लोग बहुत तंग आ गये हैं। इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि हैंड पम्प लगाने के लिए आंकड़े दे दिये लेकिन दौसा जिले में ड्रिलिंग मशीन नहीं पहुंची है। अब जब तक आपकी ड्रिलिंग मशीन दौसा में पहुंचेगी तब तक जून का महीना खत्म हो चुकेगा और आपके बताये हुए आंकड़े और जो एडमिनिस्टेटिव और फाइनेन्शल सेंक्शन है यह हमारे लिए मीनिंगलैस रहेगी और इनफ्रक्चुअस हो जायेगी। तो ऐसी स्थिति में ड्रिलिंग मशीन दौसा जिले में जल्दी से जल्दी भेंजे ताकि जून के महीने में जो आपके प्रस्तावित आंकडे हैं उनके अनुसार ड्रिलिंग कर सकें ओर हैंड पम्प बना सकें।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बसवा एक टाउन है जिसमें कि बांणगंगा से पानी जाना था। उसके लिए पहले पौने चार करोड़ की योजना बनी थी, वर्ल्ड बैंक से, वह वापिस ड्राप कर दी गयी है। अब कहा जाता है कि चीमापुरा में 6 ट्यूबवैल खोदे जायेंगे। लेकिन वह कार्यवाही नहीं हुई। आज बसवा टाउन जो कि करीब 25-30 हजार की आबादी का है वह पानी के कारण त्राहि-त्राहि कर रहा है, ऐसी स्थिति वहां है। वहां पर एक आदमी को 8 लीटर पानी मिल रहा है, जो कि न्यूनतम जो आपका स्टेन्डर्ड हैं 20 या 25 लीटर पर डे का, उससे भी कम है। ऐसी स्थिति में मैं यह चाहूंगा कि कन्टिन्जेन्सी प्रोग्राम में बसवा को लेकर वहां समुचित पानी की व्यवस्था की जाये, जिससे कि लोगों को पानी मिल सके। भले ही यह बाणगंगा से पानी लाया जाये या और कहीं से लाया जाये। इसके अलावा मैं अंत में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ऐसी घोषणा हो कि जैसे चुनावों के दिनों में होती है कि एक किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पोलिंग बूथ नहीं होंगे, उसी तरह से जहां जैसे 50 या 100 आदमियों की आबादी है वहां पर 500 गज से ज्यादा दूर पर हैंड पम्प नहीं होगा। ऐसा कोई यार्डस्टिक तैयार किया जाये। आज आप घोषित कीजिए कि जहां 100 आदमी हैं वहां करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा दूरी से पानी नहीं लाना पड़ेगा और एक हैंडपम्प उसके बीच में लगा दिया जायेगा। मैं यह नहीं कहता कि 5-5 आदमी की आबादी है और दूर-दूर है, वहां ऐसा कीजिए।

दूसरा मेरा यह भी निवेदन है कि मंत्री महोदय ऐसी स्थिति में आप हर जिले में पहुंचे और जिले में हम आपको हमारी समस्यायें बतायें, वहां के जो लोकल पी.एच.ई.डी. के अधिकारी हैं उनको हम हमारी बात कहें ताकि प्रभावी कार्यवाही हो सके और अविलम्ब जो कन्टिजेन्सी प्रोग्राम है उसके अन्तर्गत राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मंत्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे दो मिनट दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा भी नाम था। सुबह से बैठे थे कि नम्बर आयेगा। तीन-चार बार आपको कह दिया_

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं आप थोड़ा धीमें से बोलें। माननीय सदस्य, माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने आपका नाम नहीं दिया है। बिराजें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज तो दो मिनट का समय चाहिए आपसे।

श्री अध्यक्ष : मेरी मजबूरी है। 8 बजे तक माननीय मंत्री जी का जवाब आना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं और सुबह से बैठा हूं। मुझे आप एक मिनट का टाइम दिला दें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको क्या निवेदन करूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे दो मिनट का समय दे दें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले से कोई नहीं बोला है इसलिये मुझे दो मिनट तो आपको देने ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं तो लिस्ट के अनुसार ही बुला रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमारा तो कटमोशन भी था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे बाद में इनको मौका दे दें, आप।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोलिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आम तौर पर आप जानते हैं न तो बहस में भाग लेता हूं और न ही बोलता हूं लेकिन जो जुल्म शेरगढ़ की जनता के साथ हुआ है वैसे जुल्म राजस्थान के 40-50 वर्षों में कभी नहीं हुआ है। आप मेरी पूरी बात सुनियें। जुल्म किया भैरोंसिंहजी शेखावत की गर्वनमेंट ने। मैं आपको सुनाता हूँ पूरी स्टोरी, आप सुन लिजिए उसके बाद में माननीय पक्ष के जितने भी विधायक हैं अगर मैं गलत साबित होऊं तो आप मुझे कह दें कि आप बिल्कुल असत्य बोलते हैं कि आप पर कोई जुल्म नहीं हुआ। शेरगढ़ के अन्दर 16 गांवों के लिए एक स्कीम पुरानी बनायी गयी थी। बहुत पहले बनी थी और उससे 54 मील से पानी लाया जाता था और डेजर्ट के सारे विलेजेज हैं। बहुत बड़े-बड़े टीबे हैं उनके लिये यह योजना बनाई थी और उस योजना से उन लोगों को पानी मिलता था। लेकिन धीरे-धीरे वह टयूबवैल इतने गहरे चले गये और जैसा कि आप जानते हैं कि री-चार्ज नहीं हो तो टयूबवैल का पानी अपने आप नीचे जायेगा। री-चार्ज नहीं होने से सालों साल इन टयूबवैलों का पानी नीचे जा रहा है और अब हालत थोड़े दिनों में यह आ जायेगी कि चाहे आप उसको डार्कजोन घोषित करो या कुछ भी करो लेकिन वहां पर पानी खत्म होने की स्थिति में आ गया। उन दिनों हमारे एम.पी. थे श्री वृद्धिचन्द्र जी जैन। हमने सारी योजना उनको बतायी थी और हमने उनसे कहा था कि आप गर्वनमेंन्ट आफ इण्डिया में कोशिश करो और जोधपुर जो नहर जा रही है यह हमारी कान्सटीटुएंसी तहसील शेरगढ़ में से जा रही है। शेरगढ़ तहसील की 5 पंचायतें इस नहर के नीचे आती हैं। तो हमने उनसे कहा कि चोमूं से लगाकर 54 मील तक, 54 मील पर जो 16 गांवों की स्कीम है उसके लिये एक नहर आप यहां तक मन्जूर करवा दें क्योंकि इन कुओं में पानी खत्म हो जायेगा और इन लोगों को पीने के पानी का फिर कोई सवाल ही नहीं है। अमुमन जो गांव है वह सारे खारे पानी के गांव हैं। लिहाजा आप इसमें हमारी मदद करो। उन्होंने बड़ी कोशिश की, मिनिस्ट्री आफ रूरल डवलपमेंट में भी गये और भी इधर-उधर उन्होंने भागदौड़ की। मैं भी उनके साथ में दो-तीन बार गया और अंत में जाकर हमारे लिए यह योजना मंजूर हुई कि चामू से लेकर 54 मिल तक एक नहर खोद दी जाये और उस नहर से पाइपलाइन लगा दी जाये और 54 मील को उससे जोड़ दिया जाये कि जिससे आगे के सब गांवों को पूरा-पूरा पानी मिलता रहे। 90 में आपकी गवर्नमेन्ट आ गयी। उससे पहले स्कीम मन्जूर हो गयी थी। गर्वनमेन्ट आफ इण्डिया ने इसकी स्वीकृति दे दी और राजस्थान सरकार के बजट में भी यह पैसा आ गया और उसके बाद हमारी गर्वनमेन्ट चली गयी और

(श्री खेतसिंह राठौड़)

शेखावत साहब की गर्वनमेन्ट आ गयी। मान्यवर शेखावत साहब ने क्या किया कि सारा का सारा पैसा राजस्थान नहर से लेकर गजरूप-सागर जो जैसलमेर का तालाब है, उसको जोड़ने के लिए शेरगढ़ की स्कीम का पैसा उधर लगा दिया और इन्जिनियर्स से कहलवा दिया कि जोधपुर में ही पूरा पानी नहीं जा रहा है तो फिर शेरगढ़ के गांवों को कैसे देंगे। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? इसलिए मैं आपको खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि इस बात को बहुत ही गम्भीरता से लें और एक दिन वह आने वाला है कि इन 16 गांवों के अन्दर जिसमें हमारा तहसील हैडक्वार्टर भी है और यह सारे के सारे गांव हैं यह पानी से महरूम हो जायेंगे। हमने यह तो देखा है कि हाकिम बदलते हैं लेकिन हुकम नहीं बदलते हैं लेकिन यहां पर इनकी गर्वनमेन्ट में ऐसा भी हुआ है कि मन्जूरी आने के बाद में वह काम हमारे लिये शुरू हो जाना चाहिए था जिसको इन्होंने काटकर पैसा उधर लगवा दिया और हम मुँह ताकते बैठे हैं। कुछ ही वर्षों में हमारे वहां पर पानी की इतनी भारी किल्लत हो जायेगी कि आप चाहे गांवों को खाली कराओ, इससे बड़ी दुश्मनी तो और कोई पाल नहीं सकता। आप खुद ही सोच सकते हो। इसलिए मेरा खास तौर से आपसे निवेदन है कि...

श्री रोहिताश्व कुमार : लोग तो कहते हैं कि आप सी.एम. के मित्र हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मित्रता में ही यह अन्याय हुआ करता है। बाकियों का तो थोड़ा बहुत इन पर जोर भी रहता है। यह जानते हैं कि हमारे मित्र हैं कुछ बोल नहीं सकेंगे और अन्याय करेंगे तो भुगतते रहेंगे और मित्र के साथ कैंची चलाते हैं, ताकि मित्र का आगे सफाया हो जाये और वापिस असेम्बली का मुंह नहीं देखे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खेतसिंह जी गैरों पे करम, अपन पे सितम, ए जाने वफा यह जुल्म तो ना कर,

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आप समझें या मैं समझूं। अपन दो ही इस बात को समझे हैं, बाकी कोई नहीं समझा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : याने कि सफाया हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी पानी की बड़ी समस्या है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : अब मैं क्या कर सकता हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट का टाइम चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोलिये एक मिनट में ही।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाह रही हूं कि मेरे क्षेत्र में जो दो-तीन चार मुख्य समस्यायें हैं सिर्फ उनके बारे में बता रही हूं...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में बता दें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : 2 मिनट में बताऊंगी। एक समस्या तो यह है कि पिछले वर्ष हमारे 145 हैण्ड पम्प खराब थे और इस बार में 255 हैण्ड पम्प खराब हैं आज की तारीख में। दूसरी समस्या यह है कि पिछले वर्ष हमने बताया था कि फ्लोराइड़ हमारे क्षेत्र में 5 पर्सेन्ट चाकसू के एरिया में हैं और इस बार 11 पर्सेन्ट हैं। पिछली बार 9 टंकियां पानी की चालू हालत में नहीं थीं और इस बार 13 टंकियां चालू हालत में नहीं हैं। तो मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहती हूँ कि

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

कम से कम नयी बनाने की बात तो अलग है पिछली बार 20 हैण्ड पम्पों की आज्ञा दी और मेरे यहां सिर्फ 6 हैण्ड पम्प ही लगे और कहा कि ड्रिलिंग मशीन जून में आ रही है, जुलाई में आ रही है। वह आज तक भी नहीं आयी। हर सदस्य को इन्होंने 20 के लिये कहा था जयपुर में इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो नये हैण्ड पम्प अनुसूचित जाति के हुए हैं उनमें आपको जो भी ड्रिलिंग मशीन का इन्तजाम करना है वह जल्दी करें और हमारे सांगानेर नगर के लिये जो 2 करोड 65 लाख की स्कीम हुड़को से मन्जूर हुई है वह कहां पड़ी है, उसको भी निकलवायें और जो टंकियां बनी हैं उससे पानी भी चालू करवायें। इसी प्रकार बगरू नगर में टंकी पुरानी हो गयी है और नगर बहुत बड़ा हो गया है, कालोनीज बहुत हो गयी हैं...

वहां भी पानी की भयंकर समस्या है इस पर आप संवेदनशील सरकार संवेदनशील मंत्री और संवेदनशील समस्या फिर इस पर क्रियान्वित क्यों नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रामस्वरूप जी। आप अपनी बात एक मिनट में कह दें। रोज ही बोलते हैं इस बारे में।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मात्र तीन सुझाव हैं क्योंकि आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह जल स्तर की है। 150 फीट का जल स्तर आज 600-700 फीट पर पहुंच गया है यह बड़ा ही चिन्तनीय विषय है। अगर पानी न रहा तो आपकी योजनाएँ कहां से चलेंगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक सुझाव है कि जल स्तर कैसे ऊपर हो इसके लिए एनीकट बनाये जायें और दूसरे बांधों का पानी उसको दिया जाए।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि हमारे सबडिविजन हिण्डोन की एक योजना स्वीकृत हुई थी मेहन्दीपुर के बाला जी की, उसका पैसा हमारे यहां दिया गया था लेकिन बड़े दुःख की बात है कि मेरे क्षेत्र से योजना को बदल करके दौसा में लगा दिया गया है। इसका मुझे खेद है। यह योजना मुझे दी जाये।

तीसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां दो पंचायत समिति है टोड़ाभीम और नादोती। माननीय मंत्री महोदय, अब योजनाएँ आपकी बढ़ चुकी हैं आपने जिस प्रकार टोड़ाभीम में सहायक अभियन्ता बैठा रखा है इसी प्रकार सहायक अभियन्ता नादोती में भी बैठा दें। आपने हिण्डौन में नादोती को लगवा दिया वहां अलग से सहायक अभियन्ता नियुक्त कर दें।

चौथा मेरा निवेदन है सात आठ पोस्टें एक्सईएन. की पहले ही लगा रखी हैं लेकिन वह खाली पड़ी हुई हैं और मुझे आशा है 7 पोस्टें आप और स्वीकृत करने जा रहे हैं। अगर आपने यह पोस्टें नहीं भरी और पोस्ट आप लगातार स्वीकृत करते चले जा रहे हैं, अगर आपने इनको भरा नहीं तो पोस्ट बढ़ाने से क्या फायदा?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : एक ही मांग की है इनकी योजना इनको दीजिए।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप : एक और है। जो भी पेयजल योजना है इनको आप सम्भागीय स्तर पर स्वीकृत करें अन्यथा वह योजनाएँ बहुत लेट हो जाती हैं और बहुत समय लग जाता है। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सीधी ही अपनी बात कहना चाहता हूँ। मेरे निवाई क्षेत्र का सीधा मसला है। पानी बहुत नीचे चला गया था कुएं सब फेल हो गये थे इसके कारण मासी डैम से पानी लेकर के एक स्कीम बनायी जिससे आज पानी निरन्तर दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि आबादी बहुत बढ़ गयी, उसका विस्तार बहुत अधिक हो गया आज जो मौजूदा स्कीम थी वह नाकाफी हो गई और सरकार ने दूसरी स्कीम अर्बनटेशन की बनाई है। वह तीन करोड़ और कुछ लाख रुपये की स्कीम थी यह हुड़को की सहायता से बन रही है। उसके लिए तीस लाख रुपये की पहली किश्त विभाग में आ गयी थी लेकिन चूँकि मासी डैम वालों ने पानी देने से शायद एतराज किया इसलिए आज वह सफल नहीं हो पा रही है, उसको नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि उस मासी डैम के अन्दर 1700 एमसी एफटी पानी है, उसमें 440 एमसी एफटी तो डैडवाटर है और बाकी में से 32 एमसी एफ टी निवाई को दिया जाता है और बाकी का इर्रिगेशन के लिए दिया जाता है। आग्मेन्टेशन की जो स्कीम है उसके अन्दर कुल मिलाकर एम. सी. एफ. टी. पानी मांगा गया है। 35 एम.सी.एफ.टी. पानी की बात है कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है लिहाजा मेरा आपसे निवेदन है कि आप इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब से बात करें...

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मंत्री जी। मेरी मजबूरी है, 8 बजे मुखबन्द करना है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मुझे केवल दो बात कहनी है। हैण्डपम्प सब बेकार होते जा रहे हैं। हमारे मण्डावर, बाची, सिरस, सोयला आदि यह वह स्कीमें हैं जहां हमको पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए और ईसरदा और बीसलपुर की बहुत बातें हो चुकी हैं और बात कहना नहीं चाहता। ईसरदा डैम तो आप जल्दी से जल्दी मंजूर करवा दें और जयपुर को पानी वहां से उपलब्ध करावें।...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : टोंक का जहां तक सवाल हैं चूंकि टोंक से बहुत पुरानी स्कीमें थी और वहां पर पानी की यह स्थिति भी आ गई है कि आज उन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं, मुख्य सचेतक को पता है...

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें, माननीय सदस्य, आपके सजेशन हैं जिन माननीय सदस्यों ने सजेशन दिये हैं उनके उत्तर आ जायेंगे। माननीय मन्त्री जी की बात पूरी नहीं हो पायेगी 8 बजे मुख बन्द करना है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बहुत तरीके की बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं लिहाजा टोंक के लिए जो पानी की व्यवस्था है वह बीसलपुर से करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस मांग पर चर्चा हो रही है मैं समझता हूँ कि वह मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता का विषय है। आज की चर्चा में 30 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और शेष माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स के द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित किया है पर मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस गम्भीर समस्या पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण विद्वतापूर्ण

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अपने विवेक से बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं। और वह मेरे लिए वह बहुत उपयोगी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि पानी समस्या हमारे प्रदेश में बहुत अधिक है। जब स्तर दिनों-दिन नीचे जाता रहता है। बरसात का पानी भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे उपयोग में नहीं आता है। जो हमारी स्कीम हैं वह भी बहुत पुरानी हैं। जिस समय वह बनीं थीं उस समय की जनसंख्या द्वारा कितना पानी का उपयोग होगा उस आधार पर जो योजनाएं बनी थीं। आज इतने समय के बाद जनसंख्या की वृद्धि, पानी के उपयोग में वृद्धि और ज़ल स्तर नीचे जाने के कारण वह पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक समस्या यह भी है कि जिस समय योजना बनी थी उस समय यह मानकर बनायी गयी थी कि हमको 16 घंटे बिजली मिलेगी। वह 16 घंटे बिजली यदि मिलती रहेगी तो हमारी योजनाएँ कामयाब होंगी। माननीय सदस्यों को और पूरे सदन को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में जल का संकट तो है ही लेकिन बिजली भी हमको बहुत बड़ी मात्रा में, जितनी हमारी आवश्यकता है, उतनी उपलब्ध नहीं होती। जब कभी बिजली नहीं आती तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा हमारे विभाग को होता है। और जब उसके कारण पानी नहीं मिलता है तो उपभोक्ताओं को यह पता नहीं है कि बिजली विभाग की व्यवस्था के कारण पानी नहीं मिला, उसको पर्याप्त बिजली नहीं मिली तो उसका मुकाबला हमारे लोगों को करना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर सब का किया क्या जाए? जल स्तर नीचे जाता है उसको कैसे रोका जाये। मैंने कई समझदार लोगों से राय ली है कि क्या कोई ऐसी योजना हो सकती है कि हम जल स्तर को नीचे जाने से रोक लें, कोई अध्यादेश हो सकता है, या कोई ऐसी बात हो सकती है कि तत्काल हम इस समस्या से निजात पा सकें। लेकिन हम सब जानते हैं कि वह अभी सम्भव नहीं है। दूसरी समस्या......

श्री परसराम मदेरणा : आप तो जानते हैं लेकिन आपने बहुत से टैक्निकल लोगों से और दूसरे लोगों से बात की किसी ने कोई उपाय बताया या नहीं बताया? मुख्य मन्त्रीजी आज कुछ बता दीजिये, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ और आप बीच में......

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : एक ही बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह उपाय बहुत दीर्घकालीन होगा। दूसरा, पानी भी उपलब्ध है, वह पानी इतना कड़ा है, इतना हानिकारक है कई स्थानों पर कि पशु भी उसको नहीं पी सकते और पानी उपलब्ध होकर भी, जब तक वह पीने योग्य नहीं है वह काम में नहीं आ सकता। ऐसी सारी परिस्थिति में हमारे पास कुल मिलाकर जो हमारी योजना है उसके साथ-साथ हैण्डपम्प जो हमारे गांवों में लगे हुए हैं, उनका ही सहारा हमको लेना पड़ता है। माननीय सदस्यों को शायद यही भी कई बार भ्रान्ति रहती है, कि असल में हैण्डपम्प का हमारे विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, इनका संधारण पंचायतें करती हैं। यह ठीक है कि जब यह ग्रीष्मकाल का अवसर आता है और संवेदनशील सरकार होने के कारण अगर हैण्डपम्प काम नहीं कर रहे हैं और नागरिकों को पीने को पानी नहीं मिलता तो सरकार यह काम विभाग को देती है और विभाग फिर इस अल्पकाल में पूरी मेहनत कर यह कोशिश करता है कि हैण्डपम्प जितने ठीक किये जा सकते हैं वे किए जायें। मुझे इस बात की तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्रसन्नता है कि इस बार भी यह हैण्डपम्प रिपेयर का जो अभियान चलाया है, उसने गति पकड़ी है और कई स्थानों पर बड़ी सफलता से इनको ठीक किया गया है लेकिन अभी यह कार्यक्रम चालू है, 31 मई तक हम सोचते हैं, हमारा संकल्प है कि जितने भी हैण्डपम्प खराब हैं उनको जो ठीक हो सकते हैं उनको ठीक कर दें। हमारे सामने हैण्डपम्प ठीक करने में एक समस्या और आती है। अभी तक एक हैण्डपम्प के लिए हम पंचायत समितियों को 200 रुपया प्रति हैण्डपम्प देते हैं लेकिन वह लगा कि कम है तो अब उसको 400 कर दिया है और 400 रुपये देते हैं। हम जब क्षेत्र में काम करने जाते हैं तो जो हैण्डपम्प मिस्त्री हैं, उनका सहयोग लेते हैं लेकिन उनको हम एक दिन का 10 रुपये के हिसाब से भत्ता दिया करते थे, उनकी माँग थी—

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई नहीं आता था।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई नहीं आता था। इसलिए हमने ठीक समझा और अब 10 रुपये के बजाय उनको 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना शुरू किया है। अब हमारे साथ वे लगे हैं। पहले से डबल कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : डबल तो कर दिया है लेकिन वह तो स्किल्ड है, मिस्त्री है, 20 रुपये में मजदूर यों ही नहीं मिलता।

श्री भंवरलाल शर्मा : हैण्डपम्प मिस्त्री की बात करता हूँ कि अपना पैसा तो वे लेते ही हैं लेकिन जब वह अपना इलाका छोड़कर जाते हैं, जो मिलता है वह तो मिलता ही है, जो पंचायत देती है। जब वे हमारे साथ जाते हैं और वह भी अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर, उस दिन के लिए 20 रुपये देते हैं। लेकिन अब उसके बाद हमको काफी सहायोग मिल रहा है और यह काम गति पकड़ रहा है। इस सरकार का संकल्प है, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, और इसलिए हमने यह तय किया है कि जिन गांवों या जिन स्थानों पर सर्विस लेबल 50 पर्सेण्ट से कम है उसको हम 50 पर्सेण्ट पर ले आयेंगे और उसके लिए यदि हमको अधिक हैण्डपम्प लगाने पड़े तो, पिछली बार हमने तीन हजार लगाये थे, इस बार लगभग 10 हजार हैण्डपम्प हम लगा देंगे और लोगों को आराम देंगे।

श्री रामस्वरूप : कब तक लगा दोगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपका कहना ठीक है। यह अभी तक हम अपनी मशीनों के द्वारा या रिग्स के द्वारा हैण्डपम्प खोदते थे, अनुभव यह आया कि हमारी जो रिग्स हैं, यद्यपि उन्होंने पूरी केपिसिटी से काम किया है लेकिन फिर भी आवश्यकता पूरी नहीं हो पायी है इसलिए हमने यह भी तय कर दिया कि अगर कोई प्राइवेट काम करने वाली मशीन होगी तो हमने कलक्टर्स को अधिकृत कर दिया कि वे अपने लेबल पर प्राइवेट लोगों से भी यह काम करवा सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 15 मिनट ही रहे हैं, बोलो आगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : टाइम नहीं बढ़ेगा क्या? एक तो हमने यह कर दिया, मैं शॉर्ट में पाइण्ट्स देता हूँ।

दूसरा, यह किया, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि जहां भी सर्विस लेबल कम हो गया या हैण्डपम्प परित्यक्त हो गया, अबेण्डन हो गया, उन अबेण्डन हैण्डपम्पस को भी इस बार हम बड़ी मात्रा में बदलने का प्रयास करेंगे जो कई वर्षों से पड़े हुए थे। तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैण्डपम्प ठीक करना और परित्यक्त, जो बेकार हो गये हैं, नकारा हो गये हैं उनके स्थान पर इनका परिवर्तन कर नये हैण्डपम्प लगाने का काम भी हम इस बार हाथ में ले रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 10 हजार तो आपने पिछली साल ही अबेण्डन कर दिये थे न। माननीय मंत्रीजी आपने फिगर दिये थे उस कमेटी में कि 10 हजार तो कर दिये और 10 हजार आये साल आप लगा रहे हैं। तो यह सब अबेण्डन की जगह लगा रहे हैं या नये भी लगा रहे हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें दोनों ही सम्मिलित हैं। जहां मान लीजिये, 5-6 हैण्डपम्प थे, अब दो ही रह गये तो उनको 50 पर्सेण्ट लाने के लिए भी लगायेंगे और जो नकारा हो गये उनमें भी लगायेंगे।

श्री रामस्वरूप : कब तक ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अब वह जल्दी से जल्दी लगायेंगे। कब तक क्या।

श्री परसराम मदेरणा : गति पकड़ ली है और इस गति से मैं समझता हूँ कि और तेज हो जायेगी और एक्सीलरेटेड नहीं करा सके तो हैण्ड्स-अप कर देना।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो जब तक आप मेरे साथ हो तब तक वह स्थिति नहीं आयेगी तो फिर कैसे हैण्डस-अप करूंगा।

श्री रामनारायण डूडी : जहां हैण्डपम्प 400 फीट तक पानी चला गया है। वहां पर क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह सब बात हो रही है। आप सुनें, बोलने दो मन्त्रीजी को।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु हमने अधिक आबंटन किया है। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम केवल शहरों में पैसा लगा रहे हैं और गांवों में कम पैसा लगा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु पिछली बार 1994-95 में 72.85 करोड़ रुपये थे, इस बार हमने इसको 102 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है।

श्री परसादी लाल मीणा : शहरों के लिए पिछली बार कितना था और अब कितना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह भी बताता हूं। 1994-95 में अरबन था 137.50 करोड़ रुपये और रूरल था 182.22 करोड़। इस बार अरबन 150.40 करोड़ रुपये और रूरल 202 करोड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पापुलेशन के हिसाब से तो बहुत कम है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर वह 10 हजार हैण्डपम्प भी तो लगायेंगे, भाई, 10 हजार हैण्डपम्प भी तो लगेंगे, अलग से। जैसा मैंने निवेदन किया जब अभी माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। बोलने दें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : श्री भंवरजी पारीकों के वोटों से ही जीत कर आते हैं इसलिए. . . . (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : सीकर का विशेष ध्यान रखे जाने वाली बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रतनलाल ताम्बी....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो चले गये उनका जवाब मत देओ, जो हैं उनका जवाब देओ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कह रहे थे, अच्छा है मेरी बात पहुंच जायेगी वहाँ तक, वह ये कह रहे थे कि फ्लोराइड वाला पानी पिला रहे हैं, वह यह चलता रहा तो वह मेरे लिए कुछ कहना चाहते थे। वह चले गये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह पानी कब से खराब पड़ा है, इस सरकार के आने के बाद खराब हुआ है क्या? वे खुद मन्त्री रहे हैं श्रीमानजी, वे खुद मंत्री रहे हैं तो उस समय जब वे मन्त्री थे तो मेरे यह समझ में नहीं आया कि वे अपने इलाके की प्राब्लम को साल्व नहीं कर सके, श्री ताम्बीजी।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके इलाके की तो पूरी हुई प्राब्लम्? वह तो साल्व हो गयी?

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने पहली बार इस समस्या को अपने हाथ में लिया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने 5,293 गांव जो इस प्रकार के बीमारी से ग्रसित हैं। उनमें क्या व्यवस्था हो सकती है, उनको कैसे लाभान्वित किया जा सकता है? उसके लिए 5,293 गांवों का चयन कर, उनके लिए हमने राय मांगी है और अभी कन्सलटेंट ने यह राय दी है और आगे कैसे इसका समाधान किया जा सकता है इस पर सरकार काम कर रही है और इसमें हमने काफी पैसा खर्च किया है और काफी पैसा इसके लिए इस बार रखा है, पहली बार। अब वह जितना होगा, उतना होगा।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो पानी दूषित होता है उसकी जांच के लिए लेबोरेटीज नहीं है, यह बात ठीक है, कई जिलों में यह स्थापित नहीं थीं। इस बार, हर बार, हर स्थान पर, इसका परीक्षण हो सके पानी का ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। उसके लिए बून्दी, बारां, कोटा, धौलपुर, झुन्झुनूं, टोंक, राजसमन्द और डूंगरपुर-यहां प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी ताकि यहां पीने वाले पानी की जांच की जा सके और जो बीमारी की सम्भावना है, उससे मुक्ति मिल सके।

इसी प्रकार से जगह-जगह से यह शिकायत आती रहती है कि पीने के पानी में गन्दा पानी मिल जाता है अब तक उसके लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी। इस बार हमने इस काम के लिए 150 लाख रुपये का प्रावधान रखा है ताकि वह पैसा उसमें लगाकर इस प्रकार की समस्या का निवारण हम कर सकें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नारू?

श्री भंवरलाल शर्मा : नारू के लिए भी कह रहा हूं। यह जो इलाके हैं जहां बिजली की बड़ी समस्या रहती है, फलक्च्युएशन बहुत आता है और वहां अक्सर बिजली की कमी के कारण मोटरें जल जाती हैं, और एक बार यदि मोटर जलती है तो वहां कई दिनों तक पानी नहीं मिलता है। इसलिए हमने यह तय किया है कि बीकानेर, चूरू और नागौर यहां वोल्टेज कण्ट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर लगायेंगे, उसकी हमने निविदाएँ आमन्त्रित कर ली हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और हमारे यूं ही?

श्री भंवरलाल शर्मा : जिन योजनाओं में पम्पसेट जल जाते हैं और उसको दुबारा लगाने में दिक्कत होती है उसके लिए हमने कलक्टर साहब को इस बात के अधिकृत कर दिया है कि जहाँ आवश्यकता समझें तो वहां स्टेण्ड बाई पम्प खरीद लें और उस काम पर लगा दें ताकि पानी की कमी नहीं हो और रुकावट नहीं हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको अपने एसई. पर विश्वास नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनको आसानी रहती है ना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप अपने एसई. को ही अधिकृत कर देते।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब उनको ले लेंगे, आप कहेंगे, दोनों को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उनके पास निर्बन्ध योजना का पैसा रहता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देना है तो एसई. को ही दो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : किराये पर कुएं लेने की ऐसी कोई व्यवस्था पहले नहीं थी। इस बाहर यह भी हमने अधिकृत कर दिया है कि जहाँ पर भी कुएं से किराये पर पानी मिल सकता है, जल आपूर्ति बनाये रखने के लिए नागौर, भरतपुर, बाड़मेर और जोधपुर इनके लिए हमने यह व्यवस्था कर दी है कि प्राइवेट कुओं से पानी लेकर काम चला सकते हैं। अनुसूचित जाति/जन जाति, इसके लिए भी हमने बहुत चिन्ता की है, पिछली बार भी करते हैं हम, इस बार 1981 की जनसंख्या के आधार पर जिन ग्रामों की एससी. की जनसंख्या 50 पर्सेन्ट से अधिक है उनको सम्बल ग्राम की परिभाषा दी गयी है एवं उनकी योजना हेतु 10 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या करेंगे, घर पर कनेक्शन देंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं खुद ही लगायेंगे। हमने यह भी तय किया है कि जहां जो योजनाएं चल रही हैं और जिन पंयाचत में चल रही हैं, यदि वे पंयाचत उनको लेना चाहेंगी तो कम्प्लीट कर उनको हैण्ड ओवर कर देंगे। उसमें यदि कोई किराया आता है, पानी का, तो उसके आधार पर वह खुद चलायें।

हम पूरी पंचायत को स्कीम दे देंगे और यदि कोई संस्था भी आयेगी तो पूरी स्कीम उसको दे देंगे ताकि वह उन्हें आसानी से चला सकें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खराब होने पर भी आप फरमायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : राजस्थान में नारू की बीमारी बहुत अधिक रही है। हमने उस पर चिन्ता की है और उसका अर्थ यह निकला है कि 1984 में इन बीमारों की संख्या 15210 थी और अब प्रयत्न करने के बाद 1994 में यह संख्या 15210 से घटकर मात्र 443 रह गयी है। और यह प्रयत्न चलता रहता है तो मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब कभी मौका आयेगा तो कहेंगे कि नारू रोग से कोई आदमी पीड़ित नहीं है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलने दें, बोलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है काम करने का तरीका, खेतसिंह जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बड़ा कम है। लेकिन अधिक बोलने का कारण भी नहीं है मुझे, और जिन माननीय सदस्यों ने....

श्री परसराम मदेरणा : आज की बजट की जो डिमाण्ड है, है ना वह कितने करोड़ की है?

श्री भंवरलाल शर्मा : सात अरब और कुछ।

श्री अध्यक्ष : 753 करोड़ की, आपने करोड़ का पूछा है ना इसके लिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसलिए कह रहा था कि आप अभी 10 करोड़, 10 करोड़ की बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : एस.सी., एस.टी. के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : Please apply the guillotine Sir, The time is over.

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जिस भावना से इस समस्या का आपने जिक्र किया, आने वाली गर्मी के समय में हम सब मिलकर जो हमारा उद्देश्य है कि स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल हम राजस्थान की जनता को उपलब्ध करवायें। हम आपका सहयोग मांगते हैं। धन्यवाद।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या–27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,53,10,61,000/- (सात अरब, तिरेपन करोड़, दस लाख, इकसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,41,11,000/- (छह करोड़ इकतालीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2 मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,46,38,000/- (दो करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,18,01,000/- (छब्बीस करोड़ अठारह लाख एक हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

228

(श्री अध्यक्ष)

99,36,55,000 (निन्यानवे करोड़ छत्तीस लाख पचपन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 5 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,08,16,000 (अठारह करोड़ आठ लाख सोलह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा स्वीकृत राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,50,44,000/- (तियालीस करोड़ पचास लाख चवालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31, मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,60,02,000/- (छब्बीस करोड़ साठ लाख दो हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–8 राजस्व के सम्बन्ध में 31, मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,22,54,000/- (चौरासी करोड़ बाइस लाख चौवन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,56,000/- (नौ लाख छप्पन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 17,76,66,000/- (सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख छियासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय का रुपये 95,70,79,000/- (पिचानवे करोड़ सत्तर लाख उन्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,69,14,000/- (चौबीस करोड़ उनहत्तर लाख चौदह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -15 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,19,44,71,000/- (तीन अरब उन्नीस करोड़ चवालीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,32,38,000/- (पन्द्रह करोड़ बत्तीस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,99,50,000/- (पाँच करोड़ निन्यानवे लाख पचास हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या - 19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को

230

(श्री अध्यक्ष)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,84,90,44,000/- (दो अरब चौरासी करोड़ नब्बे लाख चवालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,13,42,000/- (एक अरब तीन करोड़ तेरह लाख बियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -21 सड़क एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,55,22,36,000/- (तीन अरब पचपन करोड़ बाइस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,71,22,32,000/- (एक अरब इकहत्तर करोड़ बाइस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,41,62,000/- (उनतालीस करोड़ इकतालीस लाख बासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -25 कोषागार एवं लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,42,78,000/- (इक्कीस करोड़ बियालीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,96,36,90,000/- (एक अरब छियानवे करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,38,74,000/- (तैंतीस करोड़ अड़तीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,01,000/- (सोलह लाख एक हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,00,96,000/- (चौदह करोड़ छियानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -34

प्रश्न यह है मांग संख्या -34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,36,45,02,000/- (दो अरब छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख दो हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,54,73,36,000/- (छः अरब चौवन करोड़ तिहत्तर लाख छत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,52,26,000/- (साठ करोड़ बावन लाख छब्बीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,26,44,02,000/- (एक अरब छब्बीस करोड़ चवालीस लाख दो हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,54,42,000/- (तिहेत्तर करोड़ चौवन लाख बियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,45,21,000/- (दो करोड़ पैंतालीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -43

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,55,51,000/- (छत्तीस करोड़ पचपन लाख इक्कावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -44 लेखन सामग्री और मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,35,26,000/- (अठारह करोड़ पैंतीस

(श्री अध्यक्ष)

लाख छब्बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,30,20,000/- (सत्तर करोड़ तीस लाख बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -47

प्रश्न यह है की मांग संख्या -47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,31,65,000/- (चौदह करोड़ इकतीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,93,41,000/- (चौदह करोड़ तिरानबे लाख इकतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या -50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,96,43,75,000/- (एक अरब छियानवे करोड़ तियालीस लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995

माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर। मेरा पाइंट आफ आर्डर सुन लें साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग

(श्री भैरोसिंह शेखावत)

(संख्या-3) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री हरिसिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर। कोई भी एप्रोप्रियेशन बिल....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री हरिसिंह : पाइंट आफ आर्डर पर तो....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर तो सुनना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब नहीं होता है पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : मुख बन्द हो गया।

श्री हरिसिंह : बिल्कुल नहीं होता है साहब, पाइंट आफ आर्डर पर कोई मुख बन्द थोड़े ही होता है।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी मन्त्री, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री हरिसिंह : नहीं, पाइंट आफ आर्डर पर मुख बन्द नहीं होता, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मन्त्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 1 मई, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.17 बजे सोमवार, 1 मई, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 555 की सूची

पाली विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं एवं उनमें स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद: पशु. चिकि.	स्वीकृत पद: शल्य सहा. पशु. श. चिकि.	स्वीकृत पद: पशु चि. सहायक	स्वीकृत पद: पशुधन सहायक	स्वीकृत पद: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रिक्त पद: पशु. चिकि.	रिक्त पद: शल्य सहा. पशु. श. चिकि.	रिक्त पद: पशु चि. सहायक	रिक्त पद: पशुधन सहायक	रिक्त पद: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1.	बहु उद्देश्यीय पशु चिकित्सालय (पॉलिक्लिनक)	4	—	—	6	3	2 (4/94)	—	—	3 (4/94)	—
2.	पशु चिकित्सालय, तायप	—	1	—	2	3	—	—	—	1 (9/94)	—
3.	पशु चिकित्सालय, रोहट	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, मारवाड़	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—
5.	ग्राम आधार योजना (मुख्यालय) एवं उपकेन्द्र	1	—	—	6	2	—	—	—	1 (4/95)	—
	योग :	5	3	2	16	14	2	—	—	5	—

235

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 562 का विवरण

क्र.सं.	एनीकट का नाम	स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि (माप पुस्तिका अनुसार)	कार्य की स्थिति
1.	सांधरी	12053-56/15.2.93	662500/-	172453/-	अपूर्ण
2.	फरैदुआ तलहटी	12870-73/2.3.93	622800/-	438628	अपूर्ण
3.	सीरीया नाला	12866-69/2.3.93	482300/-	216069/-	अपूर्ण
4.	बमनगंवा	12049-52/15.2.93	680000/-	175000/-	अपूर्ण
	योग		2447600/-	1002150/-	

ह/-
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
बारां

परिशिष्ट (क)

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 563 की सूची

क्र.सं.	मृतक का नाम/निवास	पुलिस थाना/जिला	मृत्यु की दि.	मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5
1.	श्री रामुडा पुत्र प्रतापजी जाति बावरी, नि. बौरागी, जिला जोधपुर।	महामन्दिर, जोधपुर	20.4.94	नैनाराम ने दि. 21.4.94 को एक लिखित रिपोर्ट पेश कि की उसके भाई रामुडा को पुलिस वालों ने दि. 20.4.94 को मारपीट की थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
2.	श्री छीतरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति मीणा, नि. खुरखावता, जिला बॉरा	छीपाबडोद, जिला बॉरा	16.4.94	मृतक को चोरी करते हुए गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया व मारपीट करदी थी, जिसकी चोटों के कारण मृत्यु हुई।
3.	श्री आबिद हुसैन पुत्र नुरमौहम्मद, जाति मुसलमान, नि. जिला बून्दी	कोतवाली, जिला बून्दी	21.1.94	मु. न. 11/94 धारा 394 भा.द.स. में रिमाण्ड हेतु बून्दी ले जाया जा रहा था, मृतक हाथ की हथकड़ी खुलवाकर भाग गया व मनोहर बावड़ी में कुद कर मर गया।
4.	श्री राजेन्द्र स्वामी पुत्र सुमेर स्वामी नि. गढी, हरीयाणा	गढी, हरीयाणा	15.5.94	मृतक राजेन्द्र स्वामी को दि. 18.4.94 की रात गांव मेंजूसर थाना भालेरी जिला चूरू में चोरी करते हुए रंगे हाथों अन्य साथियों सहित पकड़ा गया था जो दि. 15.5.94 को हवालाती लैट्रीन में फांसी लगाकर मर गया।
5.	श्री रमेशचन्द्र जी पुत्र [illegible] चौपड़ा नि. गोविन्दगढ़, जिला अजमेर।	पादूकलाँ, नागौर	17.6.94	दि. 16.6.94 को रमेश मय साथियों के संदिग्ध अवस्था में पाये जाने पर पुरोहितान विसह से रिया बड़ी चौकी पर लाया गया जहां संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई।

1	2	3	4	5
6.	श्री महमिन कौशिक उर्फ बोबी, पुत्र सुरेन्द्र बिहारी, नि. खैरापतियों का मोहल्ला, जिला भरतपुर।	थाना अटलबन्द, जिला भरतपुर	16.7.94	महमिन कौशिक उर्फ बोबी की धर्मसिंह, स.उ.नि. मानसिंह व हरिसिंह सिपाईयों के द्वारा की गई पिटाई के कारण मृत्यु हुई।
7.	श्री शंकरलाल सोनी पु. दीना सौनी नि. सलेमाबाद, जिला अजमेर।	रूपनगढ़, जिला अजमेर	28.7.94	रामनिवास सोनी नि. सलेमाबाद में लिखित रिपोर्ट पेश कि की उसके भाई शंकर सोनी को थाना रूपनगढ़ बुलाकर मारपीट की गई व इलाज हेतु जवाहर लाल नेहरू हास्पिटल अजमेर भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।
8.	श्री महेश जैन पुत्र [illegible] जैन नि. रकाबगंज, आगरा	गुमानपुरा, जिला कोटा शहर	29.5.94	अभियोग सं. 277/94 थाना गुमानपुरा में महेश जैन को थाना अधिकारी गुमानपुरा पूछताछ के लिए आगरा से लेकर आये जिसकी दि. 29.5.94 कोटा ले जाते समय तेज बुखार से मृत्यु हो गई।
9.	श्री तेजाराम भील पुत्र [illegible] भील नि. जुडींगा, जिला जोधपुर।	बालेसर, जिला जोधपुर	21.8.94	अभियोग सं. 85/94 धारा 457, 380 भा.द.स. थाना बालेसर के सिलसिले में तेजाराम को पूछताछ के लिए लाया गया व गांव जुडींगा लेकर गये जहां तेजाराम ने कुए में छलांग लगा दी और मर गया।
10.	श्री पाँचू भील पुत्र हेमा भील नि. पेच की बावड़ी जिला, बून्दी।	हिन्डोली, जिला बुन्दी	3.11.94	दि. 3.11.94 को 11 ए.एम. पर चौकी पेच की बावड़ी पर छोटे खाँ ने रिपोर्ट पेश की की पाँचू भील को तीन आर.ए.सी. के आदमियों ने पीट-पीट कर मार डाला।
11.	श्री गोपालसिंह पुत्र रामसिंह नि. बड़ी सादड़ी, उदयपुर	धरीयावाद, जिला उदयपुर	22.12.94	श्री गोपालसिंह को थाना दरीयाबाद में मु.न. 147/94 धारा 379 में गिरफ्तार किया जिसकी पुलिस थाने में मृत्यु हो गई।
12.	ख्यालीलाल मौग्या पुत्र पोखुरलाल नि. डेलपास, चित्तौड़गढ़	थाना डूगलां, जिला चित्तौड़गढ़	12.4.94	श्री ख्यालीलाल को छोटी सादडी पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, व छोड़ने के बाद कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई जिसकी लाश 12.4.94 को श्री माल के कुएं में मिली।

239

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

मथुरादास माथुर नव अध्ययन अस्पताल (जोधपुर) की सी.टी. स्केन मशीन

566. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डॉ. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के अधीन मथुरादास माथुर नव अध्ययन अस्पताल के लिए सी.टी. स्केन मशीन क्रय करने के आदेश कब दिये गये थे ? मशीन कॉलेज में कब प्राप्त हुई और इस मशीन की खरीद में कितनी राशि अब तक व्यय हो चुकी है और मशीन की कीमत का भुगतान कब किया गया ?

(2) क्या सी.टी. स्केन मशीन की स्थापना की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सी.टी. स्केन मशीन की स्थापना में क्या बाधा हैं और इन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

(4) क्या यह सही है कि मशीन की स्थापना नहीं होने से रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(5) सी.टी. स्केन मशीन की स्थापना नहीं होने के कारण सरकार को ब्याज, मशीन से होने वाली आय आदि के रूप में अब तक कितनी हानि हो चुकी है ?

(6) सरकार उक्त मशीन की स्थापना अब कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सी.टी. स्केन मशीन क्रय करने हेतु दिनांक 31.3.94 को आदेश प्रदान किये गये थे। मशीन कॉलेज में दिनांक 28.9.94 को प्राप्त हुई थी। मशीन क्रय करने में 9638782/- रूपये व्यय हो चुके हैं जिसका भुगतान दिनांक 21.9.94 का किया गया। शेष 10 प्रतिशत बकाया भुगतान मशीन की स्थापना एवं सफल प्रदर्शन के पश्चात् किया जावेगा।

(2) जी नहीं। प्रस्तावित भवन एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर मशीन की स्थापना कर दी जावेगी।

(3) कोई बाध्य नहीं है। भवन एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां। मशीन की शीघ्र स्थापना करने के प्रयास जारी है।

(5) इसकी सही गणना वर्तमान में करना सम्भव नहीं है।

(6) प्रस्तावित भवन एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने पर दिनांक 12-5-95 तक मशीन की स्थापना होने की सम्भावना है।

राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त सहायता

567. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा गत वर्ष और चालू वर्ष में किस-किस कार्य के लिए कितनी सहायता कब-कब दी गई और उसको कब-कब किस-किस कार्य में खर्च किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशियों के उपयोग के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या-क्या दिशा-निर्देश व

(श्री हरजीराम बुरड़क)

शर्तें राज्य सरकार को जारी की गई? योजनावार सम्पूर्ण दिशा-निर्देशों व शर्तों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दिशा-निर्देशों व शर्तों की पालना राज्य सरकार द्वारा कहां तक की गई?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में गैर आयोजना, आयोजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए निम्नानुसार सहायता अनुदान दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95
1. गैर आयोजना हेतु	221.34	223.47
2. आयोजना हेतु	511.95	593.33
3. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना हेतु	577.89	510.74

(2) गैर आयोजना हेतु प्राप्त अनुदान में कुछ अनुदान नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अधीन प्राप्त हुई हैं एवं कुछ अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा विशेष प्रयोजनों हेतु दी गई है। इसी प्रकार आयोजना हेतु प्राप्त अनुदानों में कुछ अनुदान तो आयोजना व्यय के पेटे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर प्राप्त हुई है एवं कुछ नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत प्राप्त हुई है। जहां तक केन्द्रीय प्रवृतित योजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान का प्रश्न है, यह भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रायोजित योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय के पेटे कुछ अग्रिम रूप में एवं कुछ पुनर्भरण के रूप में प्राप्त होती है।

गैर आयोजना एवं आयोजना व्यय हेतु मिलने वाले अनुदान की राशियां एवं प्रयोजनों का विवरण परिशिष्ट (क) पर उपलब्ध है। केन्द्रीय प्रवृतित योजनाओं की राशि एवं प्रयोजनों का विवरण परिशिष्ट (ख) पर उपलब्ध है।

गैर आयोजना हेतु प्राप्त अनुदान यथा गैर आयोजना राजस्व घाटे के बदले में अनुदान, रेल्वे पैसेन्जर किराये कर के पेटे अनुदान मासिक किश्तों में एवं प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत निधि के लिए अनुदान भारत सरकार से त्रैमासिक किश्तों में प्राप्त होता है। इसी प्रकार आयोजना हेतु मिलने वाला अनुदान यथा आयोजना राजस्व घाटे को पूरित करने के लिए प्राप्त अनुदान, योजना व्यय के पेटे प्राप्त होने वाला एक मुश्त अनुदान भारत सरकार से मासिक किश्तों में प्राप्त होता है। केन्द्रीय प्रवृतित योजनाओं हेतु मिलने वाले अनुदान के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है। यह वर्ष भर समय-समय पर अग्रिम एवं पुनर्भरण के रूप में प्राप्त होता रहता है।

केन्द्रीय प्रवृतित योजनाओं की स्वीकृतियां में उनके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो दिशा-निर्देश एवं शर्त उल्लिखित की जाती है उनकी अनुपालना करने पर ही भारत सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है। इन योजनाओं की संख्या इतनी अधिक है कि इनसे सम्बन्धित समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों की प्रतियां उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(3) गैर-आयोजना एवं आयोजना हेतु प्राप्त अनुदान के संबंध में शर्तों का उल्लेख प्रश्न के भाग (1) में किया जा चुका है। केन्द्रीय प्रवृतित योजनाओं की स्वीकृतियों में उनके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

दिशा-निर्देश एवं शर्त उल्लिखित की जाती है उनकी अनुपालना करने पर ही भारत सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है। इन योजनाओं की संख्या इतनी अधिक है कि इनसे सम्बन्धित समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृतियां की प्रतियां उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलवर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

568. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में कार्यरत जिला समाज कल्याण अधिकारी की वर्ष 1987 से 1993 के बीच कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन शिकायतों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किसी प्रकार की जांच प्रारम्भ की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस जांच को गम्भीर मानकर इसे निपटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हाँ। शिकायतों की प्रतियाँ सदन की पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। दो शिकायतों की प्राथमिक जांच करवाकर निष्पादन कर दिया गया है। दो शिकायतों की प्राथमिक जांच चल रही है जिनका शीघ्र निष्पादन कर दिया जावेगा।

(शिकायतों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

उप खण्ड मुख्यालय, जैतारण का नया मुंसिफ न्यायालय

569. **श्री. सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर सरकार द्वारा इस वर्ष नया मुंसिफ न्यायालय खोलने की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो इसे किन कारणों से अभी तक शुरू नहीं किया गया? सरकार इसे कब तक चालू करने का विचार रखती है?

(2) इस न्यायालय के भवन निर्माण हेतु इस वर्ष कितनी राशि दिया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी हां। जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय राज्य में खोले जाने वाले 20 नये मुंसिफ न्यायालयों में शामिल है। इसके लिए वित्तीय प्रावधान मौजूदा बजट में किया जा रहा है। बजट उपलब्ध होने के साथ न्यायालय शुरू हो जायेगा।

(2) उक्त न्यायालय भवन के निर्माण हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं वित्तीय भार स्वीकृत होने पर इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के पंचायत मुख्यालय मार्गों पर गिट्टी/डामर

570. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

242

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितने और कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो अभी तक गिट्टी रोड़ या डामर रोड़ द्वारा मुख्य सड़कों से नहीं जुड़े हैं? क्या सरकार उक्त सभी पंचायत मुख्यालयों को गिट्टी या डामर रोड़ से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

विधानसभा क्षेत्र बेगूं में 21 पंचायत मुख्यालय हैं जिन्हें मेटल सड़क या डामर सड़क द्वारा जोड़ा जाना है। विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है। जी हॉं। सड़क नीति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल सड़क से एवं नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में पंचायत मुख्यालय

क्रमांक	पंचायत मुख्यालय का नाम	पंचायत समिति	1971 की जनसंख्या	वर्तमान स्थिति	स्वीकृत योजना का नाम
01.	धामन्च	बेगूं	536	ग्रेवल	—
02.	दुगार	"	898	"	—
03.	जयनगर	"	272	"	—
04.	जालखेडा	भैंसरोडगढ़	675	"	—
05.	माधोपुर	बेगूं	980	"	—
06.	मेद निवास	"	208	"	—
07.	राजपुरा	भैंसरोडगढ	180	"	—
08.	रेन खेडा	"	622	"	—
09.	अनोपपुरा	बेगूं	406	अनकनैक्टैड	—
10.	बर खेड़ा	भैंसरोडगढ	622	"	आश्वासित रोजगार योजना में स्वीकृत।
11.	बरनियास	बेगूं	352	"	—
12.	दौलतपुरा	"	193	"	—
13.	धावतकलां	भैंसरोडगढ	648	"	—
14.	गोपालपुरा (बेगूं)	बेगूं	442	"	—
15.	गोपालपुरा (भैंसरोडगढ)	भैंसरोडगढ	332	"	—
16.	इटावा	बेगूं	375	"	—

क्रमांक	पंचायत मुख्यालय का नाम	पंचायत समिति	1971 की जनसंख्या	वर्तमान स्थिति	स्वीकृत योजना का नाम
17.	लुहारिया	भैंसरोडगढ	409	"	आश्वासित रोजगार योजना में 5.00 लाख की स्वीकृति
18.	मोतीपुरा	बेगूं	423	"	–
19	रायला	"	745	"	–
20.	सादी	"	538	"	–
21.	सुवानिया	"	491	"	–

ग्राम देवाणा (राजसमन्द) नदी पर एनीकट निर्माण

571. **श्री शान्तिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द तहसील के ग्राम देवाणा में नदी पर एनीकट निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त योजना पर पूर्व में कराया गया कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त अपूर्ण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस एनीकट निर्माण कार्य पर अकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 86-87,87-88 एवं 92-93 में कुछ कार्य करवाया गया जो अपूर्ण है।

अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाया जाना विचाराधीन नहीं है, क्योंकि देवाणा एनीकट बनास नदी पर स्थित होने के कारण बीसलपुर सिंचाई योजना के कैचमेन्ट क्षेत्र को प्रभावित करता है, और इससे बीसलपुर सिंचाई योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

जिला अजमेर व पाली के स्टोर विक्रेताओं में बिक्री कर की बकाया

572. **श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर व पाली जिलों की कितनी फर्में लाइम स्टोन (मूंगिया) व अन्य पत्थर सप्लाई करती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर से मारवाड़ जंक्शन के बीच चल रहे ब्रोडगेज लाइन के निर्माण कार्य में वर्ष 1994-95 में कुल कितना फर्मों ने कितना-कितना विभिन्न प्रकार का पत्थर सप्लाई किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त फर्मों द्वारा वर्ष 1994-95 से अब तक निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि का पत्थर सप्लाई किया गया ?

(4) सप्लाई किये गये लाइम स्टोन एवं अन्य पत्थरों पर कुल कितना विक्रय कर बना

(श्री सुखलाल सेणचा)

एवं उसमें से कितना विक्रय कर वसूल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त फर्मों से कब तक विक्रय कर जमा करा लिया जावेगा ?

(5) उक्त फर्मों पर कितना विक्रय कर बकाया है एवं इसे वसूल नहीं करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मूंगिया व लाइमस्टोन अलग-अलग खनिज हैं। अजमेर व पाली जिले में जो 6 फर्मे मूंगिया व अन्य पत्थर सप्लाई करती हैं, उनका ब्यौरा प्रदर्श "अ" में दर्शाया गया है।

(2) उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) द्वितीय पश्चिम रेल्वे, अजमेर के अनुसार अज़मेर से मारवाड़ जक्शन के बीच चल रहे ब्रोडगेज लाइन के निर्माण कार्य में वर्ष 94-95 में जिन-जिन फर्मों ने विभिन्न प्रकार का पत्थर सप्लाई किया है। उसका ब्यौरा प्रदर्श "अ" में बताया गया है।

(3) उक्त फर्मों द्वारा अब तक सप्लाई किये गये पत्थर हेतु रुपये 5, 76, 58, 764 राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग व ट्रान्सपोर्टिंग की राशि भी सम्मिलित है। इस राशि का ब्यौरा भी प्रदर्श "अ" में बतलाया गया है।

(4) वाणिज्य कर विभाग, अजमेर व ब्यावर से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्लाई किये गये पत्थरों पर विक्रय कर रुपये 3, 73, 249 बना है, जो सारा वसूल किया जा चुका है।

(5) वाणिज्य कर विभाग, अजमेर व ब्यावर के अनुसार विक्रय कर बकाया नहीं है।

(ब्यौरे की प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नावां (नागौर) की ढाणियों/मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करना

573. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नावां (नागौर) की ढाणियों एवं मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कब से व कौन-कौनसे मजरों व ढाणियों के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त क्षेत्र के मजरों व ढाणियों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील नावां (नागौर) की ढाणियों एवं मजरों को नये राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव जिला कलक्टर कार्यालय में दिनांक 11.3.94 से विचाराधीन हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

(2) तहसील नावां के मजरें/ढाणियों को नये राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव जिला कलक्टर, नागौर के द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत राज्य सरकार को प्राप्त होने पर उन पर शीघ्र कार्यवाही की जाकर नये राजस्व ग्राम घोषित किये जा सकेंगे।

तहसील नावां के विचाराधीन नये प्रस्तावित ग्रामों की सूची जिला नागौर

क्र.सं.	प्रस्तावित ग्राम	क्र.सं.	प्रस्तावित ग्राम
1.	लोरपुरा	24.	सारणपुरा
2.	शेखावतपुरा	25.	खारडापुरा
3.	कचनपुरा	26.	देवनगर
4.	कालिया का बास	27.	श्रवणपुरा
5.	दानपुरा	28.	गुढा राजावता
6.	सुण्डा का वास	29.	शिवपूर्वी
7.	विजयनगर	30.	नोनपुरा
8.	सामतो का बास	31.	भवानीपुरा
9.	वानपुरा	32.	बूंटीनाथपुरा
10.	देदिया का बास	33.	कोकपुरा
11.	नयाबास	34.	लोरा का वास
12.	तकिया	35.	हनुमानपुरा
13.	भींवपुरा	36.	रामपुरा
14.	रामनगर	37.	लाम्वा
15.	सिंहपुरा	38.	वेगपुरा
16.	श्रीनगर	39.	शेरपुरा
17.	केरिया वास	40.	ओमपुरा
18.	जोशीपुरा	41.	रतनपुरा
19.	हरिनगर	42.	देऊसर
20.	देवनगर	43.	देवनगर
21.	हनुमानपुरा	44.	मोतीराम की ढाणी
22.	लिखमासर	45.	नेहरूनगर
23.	रामपुरा	46.	उदयपुरा

ग्राम भौड़की (झुंझुनूं) के चिकित्सालय के चिकित्सक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

574. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले के भौड़की ग्राम के राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक के विरूद्ध लम्बे समय से अस्पताल से अनुपस्थित रहने सम्बन्धी अनेक शिकायतें विभाग तथा मंत्री महोदय को की जाती रही हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों के संबंध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर तथा जिला चिकित्सा अधिकारी ने भी

(246)

(श्री शिवनाथ सिंह)

संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध अनुपस्थिति की रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां, सम्बन्धित चिकित्सक को प्रथम शिकायत पर चेतावनी दी गई, दूसरी बार शिकायत प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है तथा स्थानान्तरण जिला नागौर में कर दिया गया है।

(2) जी हां, इसी प्रकार की शिकायतें जिला कलक्टर से भी प्राप्त हुई थीं, उन सभी को ध्यान में रखते हुये प्रश्न के भाग 1 में बताई गई कार्यवाही की गयी।

भारतीय प्रशासनिक/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों व परिजनों द्वारा बेनामी व्यवसाय

575. **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे बेनामी तौर से व्यापार, उद्योग व व्यवसाय करने की कोई जांच या सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच या सर्वे के अनुसार राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के किन अधिकारियों द्वारा स्वयं या परिवार वालों द्वारा व्यापार, उद्योग या, अन्य कार्यों से धनार्जन किया जा रहा है? विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बात का पता लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो यथोचित रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) जी नहीं।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़ की स्वीकृत सड़कें

576. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में वर्ष 1990 से अब तक वर्षवार कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी लम्बाई की स्वीकृत की गई?

(2) क्या उक्त स्वीकृत समस्त सड़कें बन गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी लागत से बनी? शेष सड़कों का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 1990 से अब तक कुल 7 सड़क कार्य स्वीकृत हुए जिनकी कुल लम्बाई 34.5 कि.मी.। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट "अ") सदन के पटल पर रखता है।

(2) उक्त स्वीकृत सात सड़क कार्यों में से चार सड़क 90 से 94 में स्वीकृत हुई उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष तीन सड़क कार्य प्रगति पर हैं क्योंकि इनकी स्वीकृतियां 1994-95 में ही प्राप्त हुई हैं। पूर्ण हुई 4 सड़कों पर राशि रुपये 50.09 लाख का व्यय किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" में दिया गया है। शेष तीन कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष मार्च, 96 तक पूर्ण करवा दी जावेगी।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में वर्ष 1990 से अब तक स्वीकृत/निर्मित सड़कों का विवरण : —

क्र. सं	स्वीकृति वर्ष	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि. मी.	स्वीकृत राशि लाखों में	स्कीम	निर्माण पर व्यय की गई राशि	भौतिक प्रगति	विवरण
1.	1991	सम्पर्क सड़क मलसीसर	5.00	12.50	5054 एम.एन.पी.	14.42 लाख	5 कि.मी. डामर सड़क पूर्ण	पूर्ण
2.	1991	सम्पर्क सड़क रेल्वे फाटक से इन्दु बाबा की बगीची सुजानगढ़	2.00	6.00	„ „	5.97 „	2 „ „ „	„
3.	1991	मालासी से ढाकाली मिसिंग लिंक रतनगढ़ सालासर	2.50 (18.50)	8.75 (65.00)	„ „	8.70 „	2.5 „ „ „ समस्त 18.50 कि.मी. पूर्ण	„
4.	1993	छापर से जेतासर	9.50	29.45	„ „	21.00 „	9.5 „ „ „	„
	वर्ष 1990 से 1994 तक का योग		19.00	56.70		50.09 „		
5.	1994	जेतासर से जोगलिया	6.00	22.20	„ „	7.92 „	2.0 डामर पूर्ण 2.5 कि.मी.	यह सड़क 1994-95
6.	1994	सुजानगढ़ से बाघसरा	9.00	25.20	„ „	5.80 „	डब्ल्यू कार्य प्रगति पर है।	में ही स्वीकृत हुई है
7.	1994	सुजानगढ़ से लाडनूं सड़क से नगमा तालाब तक	0.5	2.00	3054 „ आर.एण्ड बी.	1.70 „	0.50 कि.मी. डब्ल्यू. बी.एम. पूर्ण	जिसे इसी वित्तीय वर्ष 1995-96 में पूर्ण करवा दिया जावेगा। कार्य पूर्ण
	वर्ष 1994-95 में स्वीकृत सड़कों का योग		15.05	49.40		15.42 „	21 कि.मी. डामर सड़क	
	कुल योग		34.50	106.10		65.51 „	+ 3 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. सड़क	

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत भवन निर्माण

577. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा आवास योजना में पक्के भवन निर्माण का प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पहाड़ी एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में जनजाति के परिवार दूरदराज में आवाज करते हैं जहां पक्के भवन निर्माण की सामग्री ले जाना बड़ा कठिन होता है जिससे निर्धारित राशि में पक्का भवन निर्माण करना सम्भव नहीं हो पाता ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे क्षेत्रों के लिए कच्चे भवन निर्माण करने का प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो तब तक ?

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजना की मार्ग निर्देशिका में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कच्चे व पक्के आवास निर्माण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस योजनान्तर्गत लाभार्थी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्माण सामग्री का अधिकाधिक उपयोग कर स्वीकृत इकाई लागत में स्वयं ही आवास निर्माण करेगा।

(2) इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका में लाभान्वित द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आवास निर्माण का प्रावधान है। इसके लिए कोई भी टाइप, डिजाइन अथवा अन्य मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं केवल इसके कि आवास निर्माण लगभग 20 वर्गमीटर क्षेत्र में कराया जाना है तथा आवास निर्माण में स्थानीय सामग्री का अधिकाधिक उपयोग किया जाये।

भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत पहाड़ी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु इकाई लागत रु. 10800/- एवं शौचालय व निर्धूम चूल्हा निर्माण हेतु इकाई लागत रू. 1500/- निर्धारित की गई है। यही इकाई लागत राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों हेतु निर्धारित की गई है। अतः लाभान्वित द्वारा स्वयं के परिश्रम से स्वीकृत इकाई लागत में अपनी सुविधा अनुसार आवास निर्माण कार्य कराया जाना है।

सहायक अभियन्ता, कोटपूतली द्वारा अवैध खनन एवं निर्गम के दर्ज प्रकरण

578. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नयी खनिज नीति में अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त प्रावधान होने के बाद कोटपूतली के सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा अवैध खनन एवं निर्गम के मामले पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अवैध खनन व निर्गम में पकड़े गये लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा आगे अब क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सहायक खनिज अभियन्ता, कोटपूतली के कार्यालय के सृजन के बाद अब तक अनाधिकृत खनन के 8 मामले पकड़े गये हैं एवं अनाधिकृत खनिज निर्गमन के 23 मामले पकड़े गये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) अवैध खनन के 8 मामले जिनमें मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है

(खनिज मंत्री)

शेष 4 मामलों में औजार आदि जब्त करने के एवं खनिज की कीमत जमा कराने के कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं व अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। बिना रवन्ना के खनिज निर्गमन के वाहनों से मौके पर 23 मामलों में पैनल्टी वसूल की गई। अवैध खनन पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु अचानक निरीक्षण कर अवैध खनन के प्रकरणों में मामले दर्ज कर अवैध खननकर्ताओं को नियमानुसार दण्डित कराया जाता है। आगे भी सरकार अवैध खनन के प्रकरणों में सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है।

अवैध खनन के पकड़े गये मामलों की सूची

क्र.सं.	दिनांक	अनाधिकृत खननकर्ता का नाम	क्षेत्र	खनिज
1.	23.9.94	श्री राजसिंह पुत्र श्री बगडावतसिंह	कुजोता	लाइम स्टोन
2.	11.11.94	1. श्री प्रीतमसिंह पुत्र श्री अमरसिंह निवासी भैंसलाना 2. श्री बलवीर सिंह पिताश्री फतेहसिंह नि. भैंसलाना	ढाणी जानकी दास वाली तह. भैंसलाना	लाइम स्टोन
3.	16.11.94	श्री लीलाराम श्री पप्पूराम श्री कमलेश बनवारी आदि	भैंसलाना	लाइम स्टोन
4.	17.11.94	श्री कमलेश सिंह	गोरधनपुरा	ईंट मिट्टी
5.	25.11.94	श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री हनुमान अहीर	माण्डन	स्लेट स्टोन
6.	10.1.95	मैसर्स बिरला जी.टी.एम. इंटरप्राइजेज, शाहपुरा	राजपुरा	मोर्रम
7.	25.1.95	श्री पाबुदान	माण्डन	स्लेट स्टोन
8.	25.2.95	श्री जयकिशन श्री महेन्द्र कुमार आदि	अमरपुरा	क्वार्टज

ह/-
वास्ते निदेशक

250

बिना रवन्ना पकड़े गये वाहनों की सूची

क्र.सं.	रसीद का दि.	वाहन चालक/पट्टाधारी का नाम	खनिज का नाम	वाहन नम्बर	राशि
1.	5.10.94	मैसर्स नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी	लाइम स्टोन	आर.एन.जी. 3662	3225 = 00
2.	5.10.94	श्री रामजीलाल	लाइम स्टोन	आर.एन.एक्स. 8175	2100 = 00
3.	23.10.94	मैसर्स आर.एस.एम.डी.सी.	लाइम स्टोन	—	2337 = 00
4.	28.10.94	श्री सोहनलाल	बजरी	आर.जे.वी. 4246	356 = 00
5.	28.10.94	श्री ओमप्रकाश	स्लेट स्टोन	आर.जे.डी. 2959	800 = 00
6.	9.11.94	—	चेजा पत्थर	आर.जे.डी9414	180 = 00
7.	9.11.94	—	चेजा पत्थर	आर.आर.बी. 1495	300 = 00
8.	16.11.94	—	बजरी	आर.आर.जी. 593	400 = 00
9.	10.1.95	श्री गणेश लाल	ईंट मिट्टी	आर.जे.14जी 2530	320 = 00
10.	11.1.95	श्री महेन्द्र सिंह	चेजा पत्थर	आर.आर.जी. 3829	300 = 00
11.	11.1.95	श्री भूरोसिंह	चेजा पत्थर	आर.जे.ए. 4556	120 = 00
12.	1.2.95	श्री राकेश कुमार	लाइम स्टोन	आर.एस.आई. 7716	2475 = 00
13.	1.2.95	श्री श्यामलाल	लाइम स्टोन	ट्रेक्टर मेशी	2335 = 00
14.	1.2.95	श्री ओमप्रकाश	लाइम स्टोन	आर.जे. 14आर. 2551	2667 = 00
15.	2.2.95	श्री रमेशसिंह	स्लेट स्टोन	ऊंटगाडी	250 = 00
16.	3.2.95	श्री विजय कुमार	चेजा पत्थर	आर.जे02–1557	360 = 00
17.	3.2.95	श्री मक्खन	मोरम	आर.जे. 2-1434	160 = 00
18.	3.2.95	श्री मन फूलो	चेजा पत्थर	ट्रेक्टर	120 = 00
19.	3.2.95	श्री पन्नालाल	चेजा पत्थर	एच.आर.ओ. 1561	120 = 00
20.	3.2.95	श्री रामअवतार	चेजा पत्थर	आर.एन.जी. 2934	300 = 00
21.	3.2.95	श्री रामअवतार	चेजा पत्थर	ट्रेक्टर	180 = 00
22.	5.2.95	—	चेजा पत्थर	ट्रेक्टर	120 = 00
23.	24.2.95	श्री परीक्षित यादव	लाइम स्टोन	आर.एन.एक्स. 8175	2025 = 00
				योग : —	21,550 = 00

ह/-
वास्ते निदेशक,

राज्य में खेतों की पैमाइश प्रक्रिया

579. श्री तैयब्यब हुसैन (कामां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में खेतों की पैमाइश की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि बहुत से गांवों की मसावीह पैमाइश के लिए उपलब्ध नहीं है और नक्शों में खेतों की नाप भी अंकित नहीं है ?

(3) ऐसी नाप नक्शों में अंकित नहीं होने पर सरकार द्वारा पैमाइश की व्यवस्था कैसे की जाती है ?

(4) क्या इस व्यवस्था से राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की जाने वाली खेतों की पैमाइश विवादग्रस्त बन जाती है ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसी प्रणाली के लिए अब तक क्या-क्या उपाय किये ? भरतपुर जिले में इसे कहां-कहां उपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) पूर्व में राज्य के विभिन्न पैमानों की जरीबें प्रचलित थी, पर वर्तमान में खेतों की नाप मैट्रिक प्रणाली से की जा रही है, अर्थात् 1 : 4000 (40 मीटर)।

(2) जी हां। कुछ संख्या में ग्रामों के पुराने नक्शे उपलब्ध नहीं है। रियासत के जमाने में कुछ रियासतों द्वारा कराई पैमाइश के नक्शों में खेती की नाप गठ्ठों में अंकित की हुई पाई गई है, किन्तु राजस्थान बनने के बाद खेतों की नाम नक्शों में अंकित नहीं की जाती है।

(3) खेतों के नक्शे एक निश्चित पैमाने पर तैयार किये जाते है। नक्शे को पैमाने के आधार पर नाप कर खेतों की नाप ज्ञात की जा सकती है।

(4) जिस पैमाने पर नक्शे बने हुए है, उनमें गठ्ठे तक की नाप पैमाने से ज्ञात की जा सकती है। भरतपुर जिले हेतु कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था पूरे राज्य हेतु एक सी ही है।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के कम्पाउण्डर्स के स्थानान्तरण प्रकरण

580. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अनेक कम्पाउण्डर्स ने स्थानान्तरण आदेशों के खिलाफ अदालतों से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले एक वर्ष से इन स्थगन आदेशों के कारण सम्बन्धित अस्पतालों में दोहरी व्यवस्था चल रही है जिससे सरकार को वित्तीय हानि हो रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग की निष्क्रियता से कर्मचारी स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के मात्र दो कम्पाउण्डर्स के स्थानान्तरण आदेशों के खिलाफ स्थगन आदेश चल रहे हैं।

(2) जी हां, वाद को खारिज कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य के अधिकारियों को उपलब्ध वाहन सुविधा

581. श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा किन-किन श्रेणी के अधिकारियों को राजकीय वाहन सुविधा निवास पर छोड़ने एवं लाने हेतु उपलब्ध हैं? इस संबंध में क्या प्रावधान है?

(2) राज्य में राजकीय वाहनों पर गत चार वर्षों अर्थात् वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक कितना व्यय किया गया? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राजकीय वाहनों पर होने वाले व्यय में मितव्ययता का विचार रखती है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न 13 श्रेणियों के अधिकारियों को राजकीय वाहन सुविधा निवास पर छोड़ने एवं लाने हेतु उपलब्ध है। इस संविधा का उपयोग करने वाले अधिकारियों के वेतन से 100/- मासिक की कटौती की जाती है। इन अधिकारियों की श्रेणी संबंधी ब्यौरा संलग्न है (परिशिष्ट "क")

(2) समस्त राजकीय वाहनों पर गत चार वर्षों अर्थात् वर्ष 1991-92 से वर्ष 1994-95 की अवधि में कुल रुपये 126.79 करोड़ व्यय किया गया है। वर्षवार ब्यौरा संलग्न है (परिशिष्ट "ख")

(3) जी हॉं। राजकीय वाहनों के उपयोग पर नियंत्रण, नये वाहनों के क्रय पर प्रतिबन्ध तथा यात्रा कार्यक्रमों को सीमित करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। भविष्य में भी सरकार राजकीय वाहनों पर होने वाले व्यय पर आवश्यक नियन्त्रण बनाये रखेगी।

परिशिष्ट "क"

अधिकारियों का विवरण जिन्हें राजकीय वाहन से निवास पर छोड़ने एवं लाने की सुविधा उपलब्ध है : —

निम्नलिखित अधिकारीगण रुपये 100/- प्रतिमाह के भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक ले जाने हेतु अधिकृत होंगे : —

1. मुख्य सचिव।
2. समस्त पुलिस महानिदेशक।
3. समस्त शासन सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक।
6. समस्त शासन विशिष्ट सचिवगण।
7. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त जिला कलक्टर।
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
11. पुलिस मुख्यालय पर पद स्थापित समस्त पुलिस अधीक्षक, कमाण्डेंट आर.ए.सी. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, राज्यपाल के एडी.सी., एवं प्राचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर/जोधपुर।
12. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी।
13. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो विभागाध्यक्ष है।

राज्य में राजकीय वाहनों पर वर्ष 1991-92 से वर्ष 1994-95 में किये गये व्यय का विवरण

रुपये करोड़ों में

	मद	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	योग
1.	कार्यालय वाहनों का संधारण	2.21	3.02	2.40	2.83	10.46
2.	कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संधारण	14.39	14.59	18.26	22.74	69.98
3.	कार्यालय वाहनों का क्रय	1.40	1.87	1.75	0.66	5.68
4.	कार्यकलाप संबंधी वाहनों का क्रय	11.06	11.93	10.59	7.09	40.67
	कुल योग	29.06	31.41	33.00	33.32	126.79

253

अपर लूणी बेसिन परियोजना हेतु जर्मन विकास बैंक से सहायता

582. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अपर लूणी बेसिन परियोजना के लिये जर्मन विकास बैंक से 4 करोड़ रुपये की सहायता मिलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह सहायता कब तक प्राप्त हो सकेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस परियोजना की क्रियान्विती से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अत्यधिक विकास हो सकेगा ? यदि हां, तो सरकार इस परियोजना को शीघ्रतिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) अपर लूणी बेसिन परियोजना के रु. 142 करोड़ के प्रस्ताव के एफ.डब्ल्यू.फ्रेकफर्ट जर्मनी को वित्तीय सहायता देने के लिये भिजवाये गये थे। इस संबंध में जर्मन दल परियोजना क्षेत्र का दो बार भ्रमण कर चुका है। प्रस्तावित योजना की शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति, परामर्शदाता की नियुक्ति एवं उनके द्वारा बनाये गये परियोजना प्रतिवेदन के पश्चात ही निश्चित हो सकेगा कि परियोजना हेतु कितनी धनराशि प्राप्त होगी व कब तक प्राप्त होगी।

(2) जी हां। अपर लूणी बेसिन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों को लाभ प्राप्त होगा। राज्य सरकार योजना की स्वीकृति प्राप्त होते ही इसके क्रियान्वयन का कार्य शुरू करवा देगी।

थाना पूगल (बीकानेर) में दर्ज प्रकरण संख्या 15/95

583. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1)क्या यह सही है कि थाना पूगल में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 15/95 में मुलजिमान के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से चक 12 बी.एल.डी. में आतंक फैलाने के उद्देश्य से मुलजिमान द्वारा पूर्व नियोजित योजनानुसार जीप में सवार होकर महिलाओं के साथ मारपीट व बदसलूकी की गई ?

(2) यदि हां, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्रीमती परमेश्वरी पत्नी जगदीश नायक निवासी चक 12 बी.एल.डी. ने थाना पूगल पर जुबानी रिपोर्ट देने पर मु.नं. 18/95 जुर्म धारा 341/323/147/148/149/ भा.दं.सं. व 3एससी/एसटीएक्ट पंजीबद्ध कराया था वह अन्वेषण पर झूंठा पाया गया हैं।

(2) इस संबंध में पुलिस थाना पूगल पर मु.नं. 15/95 धारा 147/148/149/323/420/ 436/364 भा.दं.सं. व 3 एससी/एसटी एक्ट दिनांक 9.3.95 को एवं मु.नं. 17/95 धारा 147/148/149/341/323/भा.दं.सं. एवं 3 एससी/एसटी एक्ट दिनांक 16.3.95 को पंजीबद्ध हुए जो अभी अन्वेषणाधीन हैं।

पटवार प्रशिक्षण स्कूल का संचालन

584. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अरूण सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर संभाग में पटवार प्रशिक्षण स्कूल चल रहे हैं? यदि हां, तो कब से एवं कितने?

(2) क्या यह भी सही है कि डीग जिला भरतपुर में भी कोई पटवार प्रशिक्षण स्कूल चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पटवार स्कूल को डीग से अलवर स्थानान्तरित कर रही है? यदि हां तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर सम्भाग में एक पटवार प्रशिक्षण शाला वर्ष 1978 से डीग में चल रहा है।

(2) जी हाँ। पटवार प्रशिक्षण शाला डीग में चल रहा है। डीग स्कूल किराये के भवन में है जो बहुत ही जीर्णशीर्ष अवस्था में हैं व पटवार ट्रेनिंग स्कूल के लिये पूर्णतः अनुपयुक्त है। इसके अतिरिक्त डीग छोटा कस्बा है जो मुख्य मार्ग से अलग है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत पटवार शाला के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6.4.91 के द्वारा अलवर में शाला के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। शाला भवन अलवर में अब लगभग पूर्ण हो गया है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.9.94 के द्वारा इस शाला को डीग से अलवर स्थानान्तरित की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। छात्रावास नहीं होने के कारण फिलहाल स्थानान्तरण की कार्यवाही होनी शेष है।

चिकित्सा मंत्री द्वारा चिकित्सालयों का निरीक्षण

585. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माननीय चिकित्सा मंत्री द्वारा किन-किन चिकित्सालयों का किस-किस दिन निरीक्षण किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का कितनी बार किन-किन अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न स्थानों पर किये गये अपने दोरों पे राह में आने वाले तथा गन्तव्य स्थान पर स्थित चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया है। यह निरीक्षण सामान्य तौर पर हर दौरे में किये गये हैं किन्तु मन्त्री महोदय द्वारा चिकित्सा संस्थानों का औपचारिक निरीक्षण नहीं किया जाता है। अतः निरीक्षण प्रतिवेदन भी तैयार करने की प्रक्रिया नहीं है। जहां-जहां व्यवस्था में सुधार हेतु तथा सामान्य जनता की सुविधाओं की उपलब्धता हेतु कार्यवाही की आवश्यकता महसूस हुई, वहां-वहां तो स्थानीय जिला एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय का तीन बार दिनांक 21-2-93, 1-6-94, व 22-2-95 का निरीक्षण क्रिया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारीगण साथ रहे :—

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा
3. निजी सचिव, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री
4. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज, जयपुर
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, स.मा. सिंह चिकित्सालय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

7. उप अधीक्षक, स.मा.सि. चिकित्सालय

8. नर्सिंग अधीक्षक, स.मा. चिकित्सालय

चूंकि निरीक्षण अनौपचारिक था। अतः निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। व्यवस्था में सुधार के लिये मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

योजना निर्माण के लिए आधार वर्ष

586. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1971, 1981 तथा 1991 को आधार मानकर कौन-कौनसी योजनाएं बनाई जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सभी योजनाओं में आधा दशक बीत जाने पर भी वर्ष 1991 को आधार माने जाने में क्या कठिनाई है ? उक्त कठिनाई को दूर किये जाने का सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में वर्ष 1971, 1981 व 1991 को आधार मानकर कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं का आधार वर्ष इसके पूर्व की पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष अथवा पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष का पूर्ववती वर्ष होता है। इसी प्रकार वार्षिक योजनाओं के लिए इसके पूर्व के वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। उदाहरणार्थ आठवीं योजना का आधार वर्ष 1991-92 माना गया है एवं वार्षिक योजना 95-96 का आधार वर्ष 1994-95 है।

(2) योजनान्तर्गत विभिन्न सुविधाऐं प्रदान करने हेतु आगामी जनसंख्या का अनुमान न केवल 1991 की जनगणना को आधार मानकर वरन् इसके पूर्व वर्षों की जनगणना के सम्मिलित आधार पर लगाया जाता है, जिससे भविष्य के लिए आंकलन कतिपय सही हो।

अब सभी योजनाएं वर्ष 1991-92 को आधार मानकर ही बनाई जा रही है। जो 1991 के बाद का वर्ष है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आधार वर्ष 1991-92 रहा है और आगामी नवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए आधार वर्ष 1996-97 होगा।

बनास नदी पर पुल निर्माण

587. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-12 में बनास नदी पर पुल का निर्माण राजस्थान राज्य पुल निगम के द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां तो यह कार्य कब चालू किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि 1 मार्च, 1991 से 30 जून, 1992 की अवधि में इस पुल के गर्डर टूट कर नीचे गिर गये थे ? यदि हां, तो कितने ? क्या इसके लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हॉं। बनास नदी पर पुल का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम द्वारा कराया गया। यह कार्य दिनांक 6.6.87 को चालू किया गया।

(2) जी नहीं, 1.3.91 से 31.6.92 की अवधि में इस पुल के गर्डर टूट कर नीचे नहीं गिरे। जॉंच करने पर किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। इसलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

पंचायत समिति नैनवां में कराये गये योजनागत कार्य

588. श्री राम नारायण (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नैनवां के गांवों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ करवाये गए मकान एवं कालोनियों के कार्य अधूरे हैं ? यदि हां, तो कब से, कितने व क्यों ? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि आवास कार्य अधूरा रह जाने से खर्च की गई राशि का लाभ वांछित व्यक्ति तक नहीं पहुंच सका है ? यदि हां, तो अधूरे मकान पूर्ण करवाये जाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नैनवां के गांवों में विभिन्न योजनान्तर्गत अधूरी कालोनी एवं मकानों का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	योजना	कॉलोनी सं.	आवास संख्या	अधूरे आवास
86-87	आरएलईजीपी एवं अकाल सहायता	4	63	—
87-88	आवास अनुदान एवं अकाल सहायता	1	15	15
88-89	आवास अनुदान (छप्पर योजना)	—	67	—
	इन्दिरा आवास	—	—	—
89-90	आवास अनुदान	—	50	—
	इन्दिरा आवास	—	24	—
90-91	आवास अनुदान	—	56	—
	इन्दिरा आवास	—	75	—
91-92	आवास अनुदान	—	59	—
	इन्दिरा आवास	—	90	—
92-93	आवास अनुदान	—	70	9
	इन्दिरा आवास	—	54	—
93-94	आवास अनुदान	—	45	71 प्रगति पर
	इन्दिरा आवास	—	300	—
94-95	आवास अनुदान	—	63	—
	इन्दिरा आवास	—	107	59 प्रगति पर

योजनावार सूची परिशिष्ट—"अ" "ब" एवं "स" पर संलग्न कर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । कॉलोनी के रूप में निर्मित अधूरे पड़े आवासों में आबंटी रहने के इच्छुक होने पर उनको पंचायत राज विभाग द्वारा क्रियान्वित आवास अनुदान योजनान्तर्गत रु. 2600/- प्रति आवास अनुदान की सहायता से आबंटियों को दिये जाने के आदेश दिये गये हैं ताकि इस राशि से आबंटी मकान को पूर्ण करें ।

एकल रूप से निर्मित आवासों पर स्वीकृत इकाई लागत की पूर्ण राशि व्यय होने के पश्चात अधूरे रहने पर अधूरे मकानों को पूर्ण कराने का दायित्व लाभार्थियों का ही है ।

258

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	नाम लाभार्थी मय पिता	जाति	गांव	योजना	विशेष वि.
1.	श्री बद्रीलाल/खाना	मीणा	बटावती	आरएलईजीपी	वर्ष 86-87 से
2.	श्री राजाराम/भंवरलाल	,,	बटावती	अकाल योजना	आवासीय
3.	श्री रामफूल/रामनिवास	,,	ग्रा. पं. (खेथूदा)	,,	कॉलोनियां
4.	श्री बजरंगलाल/भूरा	,,	,,	,,	
5.	श्री मोरपाल/भूरा	,,	,,	,,	
6.	श्री कैलाश/गोपाल	,,	,,	,,	
7.	श्री रामनाथ/माधोलाल	,,	,,	,,	
8.	श्री मोजीराम/अम्बा	,,	,,	,,	
9.	श्री रामफूल/गोपाल	,,	,,	,,	
10.	श्री सिवाराम/रामनारायण	,,	,,	,,	
11.	श्री हंसराज/रामपाल	,,	,,	,,	
12.	श्री दल्ला/दुर्गा	,,	,,	,,	
13.	श्री हेमराज/गोकुल	,,	,,	,,	
14.	श्री सोराज/हरिराम	,,	,,	,,	
15.	श्री भवंरलाल/सत्यनारायण	बैरवा	,,	,,	
16.	श्री गंगाराम/मांगीलाल	,,	,,	,,	
17.	श्री कस्तूरा/माधोलाल	,,	,,	,,	
18.	श्री पांचू/धूला	,,	,,	,,	
19.	श्री मांगीलाल/देवीलाल	,,	,,	,,	
20.	श्री बजरंगलाल/भागोता	,,	,,	,,	
21.	श्री रामदेव/छीतर	,,	,,	,,	
22.	श्री हेमराज/रामनिवास	मीणा	डेलपुरा ग्रा.प. गुढादेवजी	,,	
23.	श्री बद्रीलाल/भूरा	,,	,,	,,	
24.	श्री धन्ना/हजारा	,,	,,	,,	
25.	श्री सूखा/हजारा	,,	,,	,,	
26.	श्री राजूलाल/सुखलाल	,,	,,	,,	
27.	श्री गोपाल/मोतीशंकर	,,	,,	,,	
28.	श्री बंजरलाल/किशना	,,	,,	,,	
29.	श्री प्रहलाद/कस्तूरा	,,	,,	,,	
30.	श्री जन्सी/मोतीशंकर	,,	,,	,,	
31.	श्री गोपाल/ऊंकार	,,	,,	,,	

क्र.सं.	नाम लाभार्थी मय पिता	जाति	गांव	योजना	विशेष वि.
32.	श्री मोतीलाल/ऊंकार	•	सहण मा.प. सहण	•	
33.	श्री श्या.लाल/ऊंकार	•	•	•	
34.	श्री रामनिवास/ऊंकार	•	•	•	
35.	श्री हरपाल/हरपाल (मडया)	•	•	•	
36.	श्री रामपाल/मडया	•	•	•	
37.	श्री चौथमल/मडया	•	•	•	
38.	श्री राजमल/ भुसिंह	•	•	•	
39.	श्री किशनलाल/ भुसिंह	•	•	•	
40.	श्री कालूलाल/सुखलाल	•	•	•	
41.	श्री सौभागमल/सुवालाल	•	•	•	
42.	श्री रामकुंवार/गोमदा	मीणा	लक्ष्मीपुरा मा.प. मवनेरी	आरएलईजीपी/ अकाल	
43.	श्री मोहन/नारायण	•	•	•	
44.	श्री मोहन/ भूरा	•	•	•	
45.	श्री भंवरलाल/हीरा	•	•	•	
46.	श्री हरपाल/किशन	•	•	•	
47.	श्री कजोड़/छनना	•	•	•	
48.	श्री कालूलाल/ धन्नालाल	•	•	•	
49.	श्री रामधन/लाडूलाल	•	•	•	
50.	श्री रामकुंवार/ भूरा	•	•	•	
51.	श्री गोपाल/छनना	•	•	•	
52.	श्री प्रहलाद/माधो	•	•	•	
53.	श्री हीरालाल/सुखा	•	•	•	
54.	श्री प्रहलाद/केसरा	•	•	•	
55.	श्री मोतीशंकर/ऊंकार	•	•	•	
56.	श्री मोती/ भूरा	•	•	•	
57.	श्रीमती छोटी/मडया	•	•	•	
58.	श्री सूरजकरण/नन्दा	•	•	•	
59.	श्री रामनाथ/गोमदा	•	•	•	
60.	श्री प्रभुलाल/श्रवण	•	•	•	
61.	श्री प्रभूलाल/रामदेव	•	•	•	
62.	श्रीमती रामचन्द्री/लादू	•	•	•	
63.	श्री बन्सी/नन्दा	•	•	•	

260

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	नाम लाभार्थी मय पिता	जाति	गांव	योजना	विशेष वि.
1.	श्री कल्लानाथ/जगन्नाथ	कालबेलिया		दुगानी ग्रा.प. दुगारी	आवास अनु. वर्ष 87-88 अकाल राहत से
2.	श्री जगदीशनाथ/जगन्नाथ	"	"	"	
3.	श्री बन्नानाथ/जगन्नाथ	"	"	"	
4.	श्री जयरामनाथ/बन्नानाथ	"	"	"	
5.	श्री प्रभुनाथ/कल्लानाथ	"	"	"	
6.	श्री केशोनाथ/गंगानाथ	"	"	"	
7.	श्री मोहननाथ/गंगानाथ	"	"	"	
8.	श्री केशोनाथ/घासीनाथ	"	"	"	
9.	श्री ऊंकारनाथ/लालूनाथ	"	"	"	
10.	श्री ऊंकारनाथ/माधोनाथ	"	"	"	
11.	श्री किशननाथ/लालूनाथ	"	"	"	
12.	श्री लालूनाथ/घासीनाथ	"	"	"	
13.	श्री गोपीनाथ/कालूनाथ	"	"	"	
14.	श्री श्योजीनाथ/फालूनाथ	"	"	"	
15.	श्री भैरूनाथ/माधोनाथ	"	"	"	

परिशिष्ट "स"

क्र.सं.	नाम लाभार्थी मय पिता	जाति	गांव	योजना	विशेष विवरण
1.	श्रीमती गुलाब/छोगा	बैरवा	नया गांव ग्रा.पं.	इन्द्रा आवास व्यक्तिगत आवास	वर्ष 92-93 से
2.	श्रीमती सुखी/शौकरण	मीणा	डोडी ग्रा.पं. डोकूल	"	
3.	श्रीमती पार्वती/सीताराम	ढोली	देई	"	
4.	श्रीमती मोत्या/भूरा	हरिजन	समिधी	"	
5.	श्रीमती बदाम/हरचंदा	बैरवा	चन्दनपुरा	"	
6.	श्रीमती भूरी/अमरा	"	रामीधी	"	
7.	श्रीमती रानी/श्योजी	मीणा	माणकचौक	"	
8.	श्रीमती सन्तरा/तादू	मीणा	देवरिया	"	
9.	श्रीमती बसन्ती/रामनाथ	चमार	डोकूल	"	

तहसील शेरगढ़ व बालेसर के खनिज क्षेत्र में खान आबंटन

589. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ के बालेसर खनिज क्षेत्र में नई खानों के आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र मांगे गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने प्रार्थना पत्र विभाग को प्राप्त हुए और इससे विभाग को कितनी आमदनी हुई ?

(2) क्या यह सही है कि लम्बी अवधि के बाद भी इन प्रार्थना पत्रों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? इन खानों का आबंटन किस पद्धति से किया जाएगा ? देरी के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार बालेसर की तरह ही अन्य 18 गांवों में जहां खनिज बहुतायत में हैं वहाँ भी सर्वे करवाकर खानों का आबंटन करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील शेरगढ़ के बालेसर खनिज क्षेत्र में नई खानें आबंटित करने हेतु दिनांक 25.8.94 व 27.8.94 को आवेदन पत्र आमन्त्रित किये थे। कुल 26,396 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। इस विभाग को आवेदन शुल्क के 26,39,600/- रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(2) जी नहीं। खानों का आबंटन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 27(3) के तहत लॉटरी प्रक्रिया से किया जावेगा। आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने तथा लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगने के कारण इन आवेदन पत्रों का निस्तारण अब किया जावेगा।

(3) जी हां, शेरगढ़ तहसील में बालेसर की तरह अन्य गांवों में जहां-जहां खनिज सैण्डस्टोन बहुतायत में उपलब्ध है, वहां 60x30 वर्गमीटर माप के प्लॉट बनाने की कार्यवाही जारी है जो चालू वित्तीय वर्ष 95-96 में डेलीनियेशन की कार्यवाही की जाकर आबंटन किया जावेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या - 590

(स्थगित)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की न्यूरो सर्जरी इकाई

591. श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के न्यूरो सर्जरी विभाग में मरीजों की संख्या उपलब्ध पलंगों से अधिक रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि न्यूरो सर्जरी विभाग में दो ही इकाइयाँ (यूनिट) कार्यरत हैं ? जबकि मेडिसिन में 8 इकाइयां, सर्जरी में 6 इकाइयां, कार्डियोलोजी में 3 प्रोफेसर हैं ? इन सभी विभागों में एक समय में भर्ती मरीजों व उपलब्ध यूनिट का क्या अनुपात है ?

(3) क्या यह सही है कि सिर्फ न्यूरो सर्जरी विभाग में आधे से अधिक भर्ती मरीजों को न केवल पलंग उपलब्ध नहीं होते वरन नीचे लिटाने के लिए गद्दे भी उपलब्ध नहीं होते हैं ? यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

(4) क्या सरकार का न्यूरो सर्जरी विभाग के विस्तार का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) जी हां। एक समय में भर्ती मरीजों का उपलब्ध यूनिट अनुसार अनुपात का विवरण निम्नानुसार है :-

विभाग	यूनिट भर्ती मरीज अनु.
1. न्यूरो सर्जरी	2:175 = 1:88
2. मेडिसिन	8:218 = 1:27
3. कार्डियोलोजी	2:58 = 1:29
4. सर्जरी	6:193 = 1:32

(3) जी नहीं। उपलब्धता के अनुसार भर्ती मरीजों को गद्दा उपलब्ध कराया जाता है।

(4) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप इस सम्बन्ध में कार्यवाई की जाएगी।

राज्य में शराबबन्दी

592. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या मुख्य (आबकारी) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार शराब बन्दी लागू करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने पूर्व में सदन में यह घोषणा की थी कि नाजायज शराब बनाने वालों से कड़ाई से निपटा जायेगा और नाजायज शराब नहीं बनाने दी जावेगी? यदि हां, तो इस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि राज्य सरकार का मत है कि सभी राज्यों में नशाबन्दी हुए बिना राज्य में शराब बन्दी की नीति सफल नहीं हो सकती।

(2) नाजायज शराब बनाने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा समय-समय पर धावों का आयोजन कर अभियोग पंजीकृत किये गये व नाजायज शराब पकड़ी गई। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है-

वर्ष	पंजीकृत अभियोग	गिरफ्तार व्यक्ति	पकड़ी गई अवैध मदिरा (लीटर)	नष्ट किया गया वाश (लीटर)
1993-94	5757	6050	96304	14064
1994-95	5080	5196	64511	11555

इसके अतिरिक्त आबकारी नीति वर्ष 1995-96 में लिए गये निर्णयों के अनुसार अपराधों की रोकथाम करने हेतु आबकारी अधिनियम/नियमों में विद्यमान सजा एवं दण्ड के प्रावधानों को और अधिक कठोर करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही निरोधक दल को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

दौसा में महिला महाविद्यालय की स्थापना

593. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार दौसा में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। दौसा में सह शिक्षा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या कन्या महाविद्यालय के लिये पर्याप्त न होने के कारण वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

जिला बूंदी में स्वीकृत कार्य

594. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

(1) अप्रेल, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक जिला बूंदी में क्या-क्या कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये और कितने पूरे किये गये ?

(2) क्या विभाग द्वारा बूंदी जिले के लिए कोई कार्य योजना अप्रेल, 1995 से मार्च, 1998 तक के लिए बनायी गई है ? यदि हाँ, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी द्वारा वर्ष 1994-95 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कुल 705 कार्य स्वीकृत किये गये। उपरोक्त कार्य स्कूल भवन, वृक्षारोपण, उप स्वास्थ्य केन्द्र, हैण्ड पम्प, नाली निर्माण, एनीकट, बाढ़-बचाव, श्मशान घाट, इंदिरा आवास एवं जीवन-धारा योजनान्तर्गत कूप निर्माण आदि से सम्बन्धित है। इन कार्यों में से 130 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं, जिनका योजनावार विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रेषित दिशा-निर्देशानुसार प्रति-वर्ष, वर्ष के प्रारम्भ में ही कार्य योजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों के तहत बनाई जाकर शासकीय परिषद से अनुमोदनपरान्त क्रियान्वयन किया जाता है। इस परिपेक्ष में दीर्घकालीन योजनाएँ भी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों यथा - जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए तैयार की जाती है तथा उक्त दीर्घकालीन योजना के आधार पर ही वार्षिक योजना तैयार कर कार्यों का क्रियान्वयन प्रतिवर्ष किया जाता है। अतः अप्रेल, 1995 से मार्च, 1998 तक की कोई अलग से कार्य योजना नहीं बनायी गयी है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बून्दी द्वारा वर्ष 1994-95 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं उनका प्रगतिस्तर

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्थिति अनुसार कार्यों की संख्या	
			पूर्ण	प्रगति पर
1	2	3	4	5
1.	जवाहर रोजगार योजना	133	63	70
2.	आश्वासित रोजगार योजना	70	-	70
3.	इंदिरा आवास योजना	369	62	307
4.	जीवन-धारा योजना	44	1	43
5.	तीस जिला तीस काम	30	-	30
6.	निर्बन्ध राशि योजना	39	-	39
7.	अपना गाँव-अपना काम योजना	20	4	16
	योग	705	130	575

(264)

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 564 की सूची)

मुख्यालय एवं जयपुर यूनिट पर कार्यरत अतिरिक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची

नाम व पद	कब से	इकाई
मुख्यालय		
[illegible]	12.7.93	बीकानेर मा. उच्च न्यायालय के स्थान आदेश दि. 2.2.95 के अन्तर्गत जयपुर मुख्यालय में पद स्थापित।
श्री गजेन्द्र सिंह क्रय सहायक	17.9.88	जयपुर
श्री अतिवीर सिंह क. का. सहायक	31.1.87	जोधपुर
श्री तेज सिंह क.का. सहायक	31.1.87	जोधपुर
श्री मनोहर लाल वाहन चालक	7.11.86	अलवर
श्री जोध सिंह वाहन चालक	9.4.87	बीकानेर
श्री भंवर सिंह वाहन चालक	2.11.85	जयपुर
श्री कुंज बिहारी च.श्रे.कर्मचारी	20.4.89	जयपुर
जयपुर इकाई		
श्री फूलचन्द व.का.सहायक	21.1.95	बीकानेर

परिशिष्ट - 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 800 की प्रति)

PROCEEDINGS FOR AUDIT

The Rajasthan Local Fund Audit Rules, 1955

Rule–9

Removal of documents by auditor :

The auditor shall not remove any book, voucher or other document from the office of the local authority whose accounts are being audited by him.

Provided that if in case of fraud or for other good reasons he considers it necessary to keep any book, voucher or other document in his possession, he may, remove if after giving a receipt therefor and shall forthwith report the matter to the Examiner.

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 806 का विवरण)

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग

क्रमांक : प 162 (2) प्र. सु/ अनु/94 जयपुर, दिनांक 28.2.94

परिपत्र

संसद सदस्य व विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे नागरिकों की सार्वभौम सत्ता का विधायिका में निर्वहन करते हैं। जनहित एवं विकास कार्यक्रमों की योजनाओं की रुपरेखा तैयार करने, जन समस्याओं से सम्बन्धित कार्यों के निस्तारण, में उनका विशेष योगदान रहता है। इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(28)प्र.सु/अनु-1/81 दिनांक 9.9.81 एवं परिपत्र क्रमांक प. 16(31)प्र.सु/अनु. 1/87 दिनांक 28.10.87, 13.4.88, 26.8.89 एवं 10.1.92 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी संसद सदस्य/विधायक द्वारा जन हित के कार्यों के बारे में किसी भी विभाग से पत्राचार किया जाए तो उस विभाग द्वारा उन्हें उनके पत्रों का उत्तर अवश्य भेजा जाय तथा मामले की प्रगति से भी उनको समय-समय पर अवगत कराया जावे।

सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद भी कई विभाग सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने, समय-समय पर मामले की प्रगति से अवगत कराने तथा पत्रों की पावती भिजवाने आदि के बारे में उन्हें अवगत नहीं कराते हैं। यह बात चिन्ताजनक है।

266

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ध्यान उक्त परिपत्रों की ओर पुनः आकर्षित कर निर्देश दिये जाते हैं कि जब कभी भी संसद सदस्य/विधायकों द्वारा जनहित कार्यों के लिये राजकीय विभागों से पत्र-व्यवहार अथवा संपर्क किया जाये तो उनके साथ विनम्रता एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाएं तथा उनके पत्रों का उत्तर एवं पावती अवश्य भेजी जाय। यदि उनके द्वारा उठाये गये मामले लम्बित हों तो, मामले की प्रगति से भी उन्हें समय-समय पर अवश्य अवगत कराया जावे। जनहित एवं मानवीयता की दृष्टि से यदि उनके पत्रों का उत्तर दिया जाना उचित नहीं हो तो भी उन्हें इस आशय का उत्तर अवश्य भिजवाया जाय। नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के बारे में केवल पावती पत्र ही भेजा जाय। ऐसे मामलों में निरन्तर पत्र व्यवहार करना आवश्यक नहीं है।

विशेषतः पुलिस एवं परिवहन के क्षेत्र में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि रेलों/बसों में यात्रा के दौरान एवं जनहित के कार्यों हेतु सम्पर्क के दौरान उनसे किसी प्रकार की अभद्रता नहीं हो।

उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाय तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

ह/-
(एम.एल.मेहता)
मुख्य सचिव

जयपुर
दिनांक 28.2.94

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, मुख्यमन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त मन्त्रीगण/राज्यमन्त्री गण/उपमन्त्रीगण।
4. विशिष्ठ सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
6. समस्त उप शासन सचिव।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, राजस्थान।
9. समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ शासन सचिवालय, जयपुर।

ह/-
(टी.आर.वर्मा)
शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है—

1. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर/लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

ह/-
(टी.आर. वर्मा)
शासन सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग

परिशिष्ट–ख

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग

क्रमांक : प. 16 (2) प्र. सु/अनु-1/94 जयपुर, दिनांक : 7-4-94

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.2.94 (प्रतिलिपि-संलग्नित) द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी संसद सदस्य/विधायक द्वारा जनहित के कार्यों के बारे में किसी भी विभाग से पत्राचार किया जाय तो उनके पत्रों की पावती एवं उत्तर अवश्य भेजा जाय तथा मामले की प्रगति से भी उन्हें समय-समय पर अवगत कराया जाय एवं उनसे सम्पर्क के दौरान उनके साथ विनम्रता व सम्मानजनक व्यवहार किया जाय। उक्त परिपत्र दिनांक 28.2.94 के क्रम में निम्नलिखित निर्देशों को और समाविष्ट किया जाता है—

1. जिले में जो विकास कार्य हो रहे हैं/नये प्रारम्भ किये जाने हैं, इसकी प्रगति से सम्बन्धित सांसद/विधायक को समय-समय पर अवगत कराया जाय।

2. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं श्रमिक संख्या के बारे में नियमित रूप से उन्हें सूचित किया जाय।

उपर्युक्त प्रोग्राम्स (कार्यक्रमों) के बारे में यदि पत्र प्राप्त हो तो उसका प्रत्युत्तर तत्काल दिया जाय और समय-समय पर प्रगति से भी अवगत कराया जाय। यदि तत्काल उत्तर भिजवाना किन्हीं कारणों से सम्भव नहीं हो तो अन्तरिम उत्तर अवश्यमेव भिजवाया जाना चाहिये।

समस्त विभागाध्यक्ष/जिलाधीश एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाय।

ह/-
(एम. एल. मेहता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।

2. सचिव, मुख्यमन्त्री, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, समस्त मन्त्रीगण/राज्य मन्त्रीगण/उप मन्त्रीगण।

4. विशिष्ट सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।

6. समस्त सम्भागीय आयुक्त।

7. समस्त विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, राजस्थान।

8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को मय अतिरिक्त प्रति के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।

9. समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ शासन सचिवालय, जयपुर।

ह/-
(टी. आर. वर्मा)
शासन सचिव, प्र.सु.विभाग

क्रमांक : प 16 (2) प्र. स/अनु-1/94 जयपुर, दिनांक 7.4.94

प्रति निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैं—

1. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

3. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।

4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर/लोकायुक्त, सचिवालय, जयपुर।

5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

ह/-
(टी. आर. वर्मा)
शासन सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 809 की सूची)

राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर की विज्ञान संकाय के महाविद्यालयों की सूची :

1. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
2. आर.आर. महाविद्यालय, अलवर
3. एम.एल.वी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा
4. डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर
5. एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर
6. राजकीय महाविद्यालय, कोटा
7. एस. के. महाविद्यालय, सीकर
8. राजकीय महाविद्यालय, नागौर
9. राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़
10. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
11. राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
12. राजकीय महाविद्यालय, बून्दी
13. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर
14. राजकीय महाविद्यालय, सिरोही
15. राजकीय महाविद्यालय, टोंक
16. लोहिया महाविद्यालय, चूरू

269

परिशिष्ट - 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 810 की सूचना)

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान में सा. नि. वि. द्वारा रख-रखाव की जाने वाली सड़कों का जिलेवार विवरण (लम्बाई किलोमीटर में)

क्र.सं.	जिला	डामर की सड़कें	डब्ल्यू. बी. एम.सड़कें	ग्रेवल सड़कें	मोसमी सड़कें	कुल सड़कें
1.	अजमेर	2020	105	138	-	2263
2.	अलवर	2295	118	55	-	2468
3.	बांसवाड़ा	1134	88	177	-	1399
4.	बारां	750	37	53	26	866
5.	बाड़मेर	2583	273	646	-	3502
6.	भरतपुर	1398	111	39	-	1548
7.	भीलवाड़ा	2034	233	1190	25	3482
8.	बीकानेर	2474	122	438	-	3034
9.	बूंदी	918	63	171	22	1173
10.	चित्तौड़गढ़	1622	190	250	-	2062
11.	चूरू	1738	65	188	10	2001
12.	दौसा	683	54	-	-	728
13.	धौलपुर	777	57	7	51	892
14.	डूंगरपुर	840	149	144	12	1233
15.	गंगानगर	2968	13	26	-	3007
16.	जयपुर	2604	71	46	2	2721
17.	जैसलमेर	1705	75	533	-	2313
18.	जालौर	1272	127	385	36	1820
19.	झालावाड़	817	71	38	3	929
20.	झुन्झूनूं	1597	51	136	-	1784
21.	जोधपुर	3454	142	1274	-	4870
22.	कोटा	942	33	2	22	999
23.	नागौर	2211	370	1089	-	3670
24.	पाली	2042	274	1764	-	4080
25.	राजसमन्द	1032	117	198	23	1370
26.	सवाईमाधोपुर	1587	90	142	-	1819
27.	सीकर	1431	45	374	-	1850
28.	सिरोही	981	48	187	-	1208
29.	टोंक	872	52	184	19	1127
30.	उदयपुर	2257	169	382	52	2860
	योग	49138	3395	10256	289	63078

परिशिष्ट 'ख'

गत तीन वर्षों में सड़कों रख-रखाव पर किये गये व्यय का जिलेवार विवरण

क्र. सं	जिला	रख रखाव पर किया गया खर्च (लाखों में)		
		92-93	93-94	94-95
1.	अजमेर	455.34	491.61	474.00
2.	अलवर	362.05	435.23	458.00
3.	बांसवाड़ा	264.54	342.24	279.00
4.	बारां	185.01	221.01	210.00
5.	बाड़मेर	277.65	336.55	369.20
6.	भरतपुर	282.00	334.54	333.15
7.	भीलवाड़ा	312.10	400..72	412.00
8.	बीकानेर	414.93	598.09	643.17
9.	बूंदी	182.02	211.23	196.92
10.	चित्तौड़गढ़	261.05	319.62	319.00
11.	चूरू	399.71	428.21	418.00
12.	दौसा	121.28	181.01	226.30
13.	धौलपुर	177.85	208.24	194.86
14.	डूंगरपुर	186.98	223.18	250.00
15.	गंगानगर	537.97	634.37	600.02
16.	जयपुर	1058.88	1136.60	1387.23
17.	जैसलमेर	115.31	138.03	150.60
18.	जालौर	178.27	257.09	255.50
19.	झालावाड़	195.21	212.91	255.17
20.	झुन्झुनूं	255.05	261.86	263.00
21.	जोधपुर	525.30	697.87	689.25
22.	कोटा	366.17	467.58	504.50
23.	नागौर	356.94	411.01	471.00
24.	पाली	300.35	307.21	404.27
25.	राजसमन्द	137.47	170.57	189.00
26.	सवाईमाधोपुर	372.53	427.89	355.51
27.	सीकर	231.07	249.04	257.00
28.	सिरोही	209.77	238.24	206.60
29.	टोंक	141.77	169.22	216.20
30.	उदयपुर	436.50	514.04	512.54
		9301.15	11033.01	11500.00

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 811 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि
वर्ष 1993-94				
1.	डामर सड़क निर्माण हरीपुरा ब्यावर सड़क से बराना (627/5057/एमएनपी/प्लान/93-94)	4.0	9.60	कार्य पूर्ण
2.	डामर सड़क निर्माण सरेरी कुंडिया कलां से डाबला (628/-" "-)	7.00	12.50	10/95
3.	डामर सड़क निर्माण नसीराबाद नीमच सड़क से लाम्बिया कलाँ (629/- /-)	4.00	9.15	कार्य पूर्ण
4.	डामर सड़क निर्माण कोटडी जहाजपुरा से बिसानिया (630 " ")	7.50	17.03	9/95
5.	भीलवाड़ा बाईपास	-	10.00	भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है।
वर्ष 1994-95				
6.	अपग्रेडेशन सड़क दौलतगढ़ लाछुडा (748/5054/एम.एन.पी./प्लान/94-95)	6.00	16.50	3/96
7.	सड़क माली खेड़ा से कादीसहना (749/-" ")	9.00	31.40	3/96
8.	सड़क अवसींद भीम से शिवपुर (750/-" ")	6.00	8.70	3/96
9.	संपर्क सड़क तहनाल (751/-" "/-)	8.00	26.40	12/95

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-813 का विवरण)

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कच्चे व अपूर्ण कार्यों का विवरण—

क्र.सं.	सड़क का नाम	जोड़े जाने वाले गांव का नाम	सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	आबादी 1971	आबादी 1991	पूर्व में स्वीकृत योजना का नाम	मौजूदा योजना की स्वीकृति	भौतिक प्रगति मेटल किमी.	भौतिक प्रगति ग्रेवल किमी.	कार्य पूर्ण है या अपूर्ण	योजना जिसमें कार्य स्वीकृत/प्रस्तावित
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	रूपनगढ़ त्योद सड़क	त्योद (पं.मु.)	6	1588	2487	अकाल राहत कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत	2	4	अपूर्ण	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रगति पर है।
2.	रूपनगढ़ ने नुवां सड़क	नुवां (पं.मु.)	2	675	1027	""	" "	2	-	पूर्ण	प्लान 1995-96 में प्रस्तावित
3.	चिता खेड़ा से मोहनपुरा	चिताखेडा	5	932	1185	""	""	5	-	अपूर्ण	" "
4.	भदूण से सिनोदिया	सिनोदिया (पं.मु.)	5	1178	1711	""	""	5	-	पूर्ण	" "
5.	रघुनाथपुरा नुवां	रघुनाथपुरा	3	827	1024	""	""	2	1	अपूर्ण	नवीं योजना में प्रस्तावित किया जायेगा।

6.	दादिया देवपुरी बरना	देवपुरी (पं.मु.) बरना (पं. मुं.)	12	963 2560	1371 2491	अकाल राहत कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना	12	-	अपूर्ण	दादिया से देवपुरी को डामर सड़क से जोड़ने हेतु कार्य प्रगति पर है। बरना पूर्व में डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।
7.	संपर्क सड़क सरगाँव	सरगाँव (पं.मु.)	4	1064	1771	""	""	4	-	पूर्ण	कृषि उपज मंडी समिति में स्वीकृति
8.	नोसल भिलावट	भिलावट (पं.मु.)	5	927	1435	""	""	5	-	पूर्ण	प्लान 95-96 में प्रस्तावित
9.	हरमाड़ा से छोटा नरेना	छोटा नरेना	10	755	1476	""	""	2	8	अपूर्ण	प्लान 95-96 में प्रस्तावित
10.	रलावता से हरमाड़ा	हरमाड़ा (पं.मु.)	6	3155	4399	""	""	2	-	अपूर्ण	मिसिंग लिंक नॉन क्राइट एरिया
11.	भदूण से पालडी भोपतान	पालडी	3	661	899	""	""	-	3	अपूर्ण	नॉन क्राइट एरिया
12.	पाटन नलू	नलू (पं.मु.)	5	1004	1568	""	""	5	-	पूर्ण	डामरीकरण कृषि उपज मंडी द्वारा स्वीकृत
13.	राष्ट्रीय उ.मा. 8 से टोकड़ा	टोकडा	5	888	752	""	""	-	3	अपूर्ण	नॉन क्राइट एरिया
14.	मुण्डोती से बान्दर सिन्दरी	मुण्डोती	5	828	1122	""	""	5	-	पूर्ण	प्लान 95-96 में प्रस्तावित
15.	मुण्डोलाव से टिका-वडा	मुण्डोलाव	6	809	1239	""	""	-	6	अपूर्ण	नवीं योजना में प्रस्तावित किया जावेगा।
16.	कटसूरा कालानाडा	कालानाडा (पं. मु.)	6	444	711	""	""	-	6	अपूर्ण	प्लान 95-96 में प्रस्तावित

(273)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
17.	हरमाड़ा बुहारू	बहारू (पं.मु.)	6	885	1355	अकाल राहत कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना	3	3	अपूर्ण	प्लान 95-96 में प्रस्तावित
18.	बबाइचाअमरपुरा करखेडी	अमरपुरा (पं. मु.)	8	514	820			-	8	अपूर्ण	""
19.	नोसल झाग बोर्डर	-	4	-	–	""	""	4	–	अपूर्ण	नोसल एवं झाग पूर्व में डामर सड़क द्वारा जुड़े हुये हैं।
20.	पनेर खाजपुरा भैरवाई	भैरवाई	5	1084	1228	""	""	-	5	अपूर्ण	प्लान 95-96 में प्रस्तावित
21.	भोगाहित से गागुन्दा	गागुन्दा	5	995	1481	""	""	-	5	अपूर्ण	""
22.	तिहारी काळा मुण्डोलाव	काळा (पं. मु.)	6	430	698	""	""	3	3	अपूर्ण	प्लान 95-96 में प्रस्तावित
23.	होशियारा मंगरा सराणा	सराणा	3	783	1223	""	""	-	-	अपूर्ण	नवीं योजना में प्रस्तावित किया जावेगा।
24.	संपर्क सड़क मंगरी	मंगरी	1	725	1062	""	""	–	1	अपूर्ण	""
25.	अंराई भामोलाव	भामोलाव (पं.मु.)	6	1375	2325	""	""	6	-	अपूर्ण	कृषि उपज मंडी समिति द्वारा प्रस्तावित
26.	रूपनगढ़ सलेमाबाद वाया सिनगारा	सिणगारा	12	1099	1654	सिंचाई विभाग द्वारा डिपाजिट	डिपोजिट	6 किमी. डामर		अपूर्ण	डिपाजिट में कार्य प्रगति पर है।
27.	बबाईचा पालडी सलेमाबाद वाया रोडावात	रोडावास कता	10	828	706	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	-	4 किमी. डामर		अपूर्ण	जवाहर रोजगार योजना में प्रस्तावित
				कुल योग :		डामरीकरण 8 किमी.		मेटल 62 किमी.	ग्रेवल 63 किमी.		

परिशिष्ट - 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 815 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

पंचायत मुख्यालय जो किसी भी सड़क से जुडे हुए नहीं हैं—

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या 1971	1981	1991
1.	भरनाई	726	854	1132
2.	धानधनवा	875	1172	1459
3.	कूकडोद	-	942	1311
4.	जूसरिया	989	1243	1649

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 818 की संलग्न प्रति)

प्रथम सूचना नं. 219/90 धारा 457 भा.दं.सं. थाना अशोकनगर जयपुर (शहर)

मुख्यालय सन्दर्भ संख्या जीबीएमएस/90 मुख्यालय दिनांक 2-8-90 श्रीमान् थाना प्रभारी अशोकनगर थाना सी-स्कीम जयपुर महोदय निवेदन है कि मुझे दूरभाष पर सूचना मिली की बैंके के ताले टूट गये हैं। मैं तुरन्त घर से श्री सी.पी. जैन साहब को लेकर बैंक आया वहाँ पर पहले से ही पुलिस कर्मी बैठे हुये थे मैंने बैंक का निरीक्षण किया उसमें गेट (दरवाजा) का कुन्दा व ताला टूटा था। अन्दर सेफ के कमरे का भी कुन्दा टूटा हुआ था तथा सैफ को तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन टूटा नहीं पास में स्टेशनरी के कमरे का भी कुन्दा टूटा हुआ था पर यह सब निरीक्षण पुलिस कर्मियों के बीच हुआ मेरी जानकारी में बैंक के कागजात व अन्य कोई सामान नहीं गया है। कार्यवाही शीघ्र की जावे। एसडी. राष्ट्रेन्द्र सिंह। कार्यवाही पुलिस उक्त रिपोर्ट तहरीरी मौका पर श्री राष्ट्रेन्द्र सिंह सांखला पुत्र श्री बंशी सिंह सांखला जाति राजपूत उम्र 41 वर्ष निवासी बी-293 जनता कालोनी जयपुर हाल व्यवस्थापक, नागौर जयपुर आँचलिक ग्रामीण बैंक आजाद मार्ग, सी. स्कीम, जयपुर ने मुझे हरीराम एस. आई. को पेश की रिपोर्ट के मजबून से मामला 457 भा.दं.सं. का वकु में आना पाया जाता है। अतः असल रिपोर्ट वय दस्त कानि. श्री सुभाष चन्द्र नं. 1719 के वास्ते काईमी जुर्म भेजी जाती है। जुर्म नं. से सूचित करें। मन एस. आई. मशरुक तफती मौका है। एसडी. राष्ट्रेन्द्र सिंह दिनांक 2.8.90 एसडी हरी राम एसआई दिनांक 2.8.90 थाना अशोक नगर जयपुर 9.30 एएम

कार्यवाही पुलिस

उक्त रिपोर्ट आमदा एफ.सी. श्रीसुभाष चन्द्र ने थाने पर उपस्थित होकर पेश की जिसकी नकल एफआईआर रजिस्टर में अक्षरथ दर्ज की गई। मजबून रिपोर्ट से मामला 457 भा.दं.सं. का गठित होना पाया जाता है। अतः मु.नं. 219/90 दफा उपयुक्त अंकित कर तफतीश सुपुर्द श्री हरि राम एस.आई. को दी गई।

एसडी.
अशोक कुमार
थानाधिकारी थाना अशोक नगर

276

अन्तिम प्रतिवेदन संख्या - 121/90 दिनांक 31-8-90

श्रीमान् जी,

संक्षिप्त हालात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 2.8.90 को जरिये फोन इतला मिलने पर कि जयपुर नागौर आँचलिक ग्रामीण बैंक आजाद मार्ग सी-स्कीम जयपुर के ताले टूट गये हैं। इस इतला पर हरि राम एस.आई. को मय कानि. श्री सुभाष 1719 मौका पर भेजा गया। जहाँ श्री राष्ट्रेन्द्र सिंह पुत्र बंशी सिंह साँखला जाति राजपूत उम्र 39 वर्ष निवासी व्यवस्थापक जयपुर नागौर आँचलिक ग्रामीण बैंक आजाद मार्ग सी-81 जयपुर ने मौका पर एक रिपोर्ट तहरीरी इस आशय की पेश की, कि "मुझे दूरभाष पर सूचना मिली कि बैंक के ताले टूट गये हैं तुरन्त घर से श्री सी. पी. जैन साहब को लेकर घर से आया वहाँ पर पहले से ही पुलिस कर्मी बैठे हुए थे मैंने बैंक का निरीक्षण किया गेट का कुन्दा व ताला टूटा हुआ था। अन्दर सेफ के कमरे का ताला भी टूटा हुआ था। सैफ को तोड़ने की कोशिश की गई किन्तु टूटी नहीं। स्टेशनरी के कमरे का भी ताला टूटा हुआ था। निरीक्षण पुलिस कर्मियों के बीच हुआ। मेरी जानकारी में बैंक के कागजात व अन्य कोई सामान नहीं गया है।" इत्यादि रिपोर्ट प्राप्त होने पर मु.नं. 219/90 धारा 457 भादसं. दर्ज कर तफतीश अमल में लाई गई। दौराने तफ्तीश मुआयना मौका किया गया। बयान गवाहान लिये गये मौका पर कोई संदिग्ध वस्तु सारकान धारा छोडी हुई नहीं मिली बदमाशान से पूछताछ की गई। मुलजिमाम की तलाश करवाई गई व की गई। हर मुमकिन कोशिश के भी मुलजिमान का कोई पता नहीं चल सका है एवं निकट भविष्य में पता चलने जैसी उम्मीद भी नजर नहीं आती है मुकदमा काफी पुराना हो चुका है। अतः इसे और ज्यादा देरी न करना ठीक प्रतीत नहीं होता है। मुलजिमान के दीगर मुकदमात माल की तफ्तीश के साथ लताश जारी रखी जाकर मुकदमें में फिलहाल एफ.आर. नं. 121/90 दिनांक 31-8-90 बय सिगे अदमपता मुलजिमान में दी जाती है। मंजूर फरमावें। मुकदमें में कोई माल जब्त नहीं किया गया है।

एस.डी. थानाधिकारी,
थाना अशोकनगर
जिला जयपुर (शहर)

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 819 की प्रति)

Extract copy of the instructions issued by the Police Headquaters, Raj., Jaipur on January 1, 1975 in connection with the maintenance of law and order.

15. Use of Force-

The use of force by the Police is regulated entirely by the provisions of law. These provisions are contained in Chapter V (especially sections 46 and 49) and Chapter IX (especially Section 129) of the Criminal Procedure Code. Only an officer-in-charge of a Police Station and in his absence any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector (and Police Officer superior in rank by virtue of section 36 Cr. P.C.) can act under section 129 Cr. P.C. Section 149. Cr. P.C. empowers every Police officer to interfere for the purpose of preventing offences and requires that every Police officer shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offence. Section 152 Cr. P.C. enables a Police Officer, on his own authority, to interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property. In addition, all Police Officer have the same right of private defence which is available to every other persons. All Police Officers should be fully conversant with the provisions relating to the right of private defence as embodied in sections 96 to 106 I.P.C. Section 97 I.P.C. makes it clear that every person has right to defend his own body and the body of another person against any offence affecting the human body. He has also a right to defend his property or that of any other person against any act which is an offence falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal tresspass or the attempt. The extent to which the right of private defence may be exercised is laid down in Sections 99, 100, 101 and 103 IPC and the period during which the right exists is explained in section 102 and 105 of the I.P.C.

(a) The main principle to be observed is that minimum necessary force to achieve the desired object should be used, regulating it according to the circumstances of each case. The object of the use of force is to prevent disturbance of the peace, or to disperse an assembly which threatens such distrubance and has either refused to disperse or shows a determination not to disperse; no punitive or repressive considerations being permitted to become operative while this is being done.

(b)(i) Any officer in charge of a police station and in his absence any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector or a Police Officer of higher rank has power independently of the authority of a Magistrate, to call upon an unlawful assembly to disperse and to use force to disperse it, (Vide Section 129 Cr. P.C.) When a District Magistrate, S.D.M. or an Executive Magistrate is present, an assembly shall not be called upon to disperse nor shall force to use to disperse it without the orders of such

278

Magistrate; provided that if a Police Officer is present and no District Magistrate, S.D.M. or Executive Magistrate is present, such Police Officer may act independently in ordering an assembly to disperse. In other circumstances, the Senior Police officer present having the powers of an Officer in charge of Police station or in his absence Police Officer not below the rank of Sub-Inspector shall act on his own responsibility; but shall communicate with and report his action to the Executive Magistrate who may be accessible, as soon as possible. When any Police officer lower in rank that Sub-Inspector and not being an officer in charge of a Police Station has to deal with an unlawful assembly he should, if time and circumstances permit, sent for a Magistrate or a Police officer empowered to act under section 129 Cr. P.C.

(ii) In case the unlawful assembly commits or is likely to commit any overt act or violence before the arrival of a Magistrate or Police officer empowered to act u/s 129 Cr.P.C., the senior police officer present must take such action as is neccessary to prevent these offences and for that purpose use such force as is necessary.

(iii) When a Magistrate takes the decision that an unlawful assembly should be dispersed by force, the Senior Police officer present will be responsible to decide as to the exact amount of force to be used

(c) In order that a Magistrate accompanying the Police party detailed for dispersal of the mob may be marked out as such, he will, as far as possible, wear some distinctive mark of identification.

(d) As far as possible all attempts to disperse a crowd by persuation and warning shall be made before force is used to disperse it. the warning should be administered in a clear and distinct manner that the crowd has been declared an unlawful assembly and should disperse within the stipulated period. Failing which force shall be used for the dispersal of the assembly.

(e) Once an order to disperse has been defied or when the attitude of the crowd is obviously threatening the Senior Police Officer concerned may proceed to disperse the crowd force.

(f) The effectiveness of the force depends mainly upon the determination with which it is applied; its direction against the most defiant section of the crowd to be dispersed, and its absolute control. It is not possible to lay down any definite rules as to when different methods or different weapons shall be used. The officer responsible is required to decide this in each case on consideration of the strength and attitude of the crowd to be dispersed, and the strength of the force available for its dispersal. As far as possible use of Tear Smoke or lathi charge or both should be made before resorting to the use of fire-arms.

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 82) की तालिका)

क्र.सं	अपराध शीर्षक	वर्ष	कुल दर्ज प्रकरण	व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए	जैर तफ्तीश	एफ आर अदम वकू	एफ आर अदम पता मुलजिम	एफ आर अदम सबूत	एफ आर तथ्य की भूल	एफ आर गलत फहमी वाका	एफ आर नाकाबिल दस्त. पुलिस	एफ आर सिविल नेचर	चालान	अभियुक्तों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	दहेज हत्याकाण्ड	1992	4	16	—	—	—	—	2	—	—	—	2	7
		1993	9	33	—	—	—	—	2	—	—	—	7	27
		1994	6	15	3	—	—	—	—	—	—	—	3	4
2.	शराब	1992	236	236	—	—	—	—	—	—	—	—	236	236
		1993	274	274	—	—	—	—	—	—	—	—	274	274
		1994	316	316	—	—	—	—	—	—	—	—	316	316
3.	दंगे	1992	198	1018	—	72	4	—	—	—	—	—	122	490
		1993	180	1106	—	70	5	—	—	—	3	—	102	447
		1994	150	963	—	52	2	—	—	—	12	2	82	192
4.	वलात्कार	1992	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11
		1993	6	18	—	3	—	—	—	—	—	—	3	7
		1994	4	8	—	1	1	—	—	—	—	—	2	4
5.	अपहरण	1992	30	84	—	8	4	—	—	12	—	—	6	15
		1993	21	53	—	1	5	1	—	10	—	—	4	6
		1994	30	54	—	8	3	—	—	10	—	—	9	13

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 823 का विवरण)

पटवार मण्डल खानपुरा के ग्राम मानपुरा में दिनांक 27.11.97 को किये गये आबंटन की सूची

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	मिसल संख्या	नाम आबंटी	खा.नं.	रकबा	विवरण
1.	11/75	श्री जगदीश आ. रामनारायण लुहार, मानपुरा	98/446	8	रिकार्ड में अमल हो गया है।
2.	12/75	चौथमल आ. कालू कुम्हार,	46/444	8	,,
3.	15/75	गंगाराम आ. औंकार भील मानपुरा	46/444	10	,,
4.	18/75	श्री किशन आ. कंवरा भाकड़ मानपुरा	46/444	8	,,
5.	16/75	श्री छीतर आ. दुर्गा धाकड़ मानपुरा	68	5/15	आबंटन निरस्त कर दिया गया है
6.	22/75	श्री भूरया आ. मांगीलाल गूजर मानपुरा	63	8	,,
7.	23/75	श्री चतुरभुज आ. जग्गा धाकड़ मानपुरा	64	0/18	,,
			66	0/17	,,
			67	3/15	,,
		योग	3	5/10	,,
8.	24/75	श्री सूनरा आ. जगन्नाथ मीणा मानपुरा	62	8	,,
9.	20/75	श्री मूलीलाल आ. भज्जा धाकड़ मानपुरा	56	5	,,
10.	26/75	श्री केसरदास आ. रतनदास बेरागी मानपुरा	98/446	5	अमल नहीं हुआ है।
11.	13/75	गोमदा आ. चतरा बलाई मानपुरा	158	10	,,
12.	25/75	उदा आ. चमना रेगर मानपुरा	338	3/4	अन्य व्यक्ति की खातेदारी में होने से आबंटन का अमल नहीं हुआ है।
			337	4/16	अमल नहीं हुआ है।
		योग	2	8/00	

नोट :—क्र.सं. 10, 11, 12 के आबंटन का अमल बरामद नहीं हुआ है। इसकी जांच कराई जा रही है जो स्थिति स्पष्ट होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

ह/-
जिला कलक्टर, बून्दी

परिशिष्ट—17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 841 की सूची)

जिलेवार पूर्णकालीन एवं अंशकालीन खाद्य निरीक्षकों का विवरण :

क्र.सं.	पूर्ण कालीन खाद्य निरीक्षकों की सं.	अंशकालीन खाद्य निरीक्षकों की सं.	जिले का नाम
1.	1	8	अजमेर (ब्यावर)
2.	1	7	टोंक
3.	1 (निलम्बित)	9	भीलवाड़ा
4.	1	11	नागौर
5.	2	6	बीकानेर
6.	1	7	रतनगढ़, चूरू
7.	–	15	श्री गंगानगर
8.	1	16	जयपुर
9.	1	–	मुख्यालय निदेशालय ए.पी.ओ. जयपुर
10.	1	11	भरतपुर
11.	–	5	दौसा
12.	1	3	धौलपुर
13.	–	9	झुन्झुनूं
14.	1	15	अलवर
15.	1	9	सीकर
16.	1	6	जोधपुर
17.	–	7	जालौर
18.	1	8	पाली
19.	–	8	बाड़मेर
20.	1	3	सिरोही
21.	1	–	जैसलमेर
22.	1	9	कोटा
23.	–	5	बून्दी
24.	–	2	बारां
25.	1	9	सवाई माधोपुर
26.	1	3	झालावाड़
27.	3 (1 निलम्बित)	7	उदयपुर
28.	–	8	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)
29.	–	4	बांसवाड़ा
30.	–	5	डूंगरपुर
31.	–	5	राजसमन्द
	27	222	योग

परिशिष्ट—18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 848 की प्रति)

RAJASTHAN NURSING COUNCIL

JAIPUR-302001

NO. RNC/APPTT/REG/1993
Dated, Jaipur the 2nd July, 1993.

OFFICE ORDER.

In absence of Miss. S.E. Jacob, Dy. Chief Nursing Superintendent and Part-Time Registrar, Rajasthan Nursing Council, Jaipur who is on long leave on medical ground as intimated by her vide her letter dated 28th June, 1993. Shri R.A. Mehta working against the post of Dy. Director of Medical and Health Services (Nursing Administration) Rajasthan, Jaipur is hereby ordered to look after the work of Registrar, Rajasthan Nursing Council, Jaipur Non Part-time basis during her absence in-addition to his own duty in Government of Rajasthan Service with immediate effect.

Miss. S.E. Jacob shoud hand over the charge of Registrar to Shri Mehta.

Shri Mehta will get conveyance allowance Rs. 500/- per month as per decision of the council which is already effective till he will remain on the post.

sd.
(G.S. Gahlot)
PRESIDENT
Rajasthan Nursing Council,
Jaipur (Raj.)

No. RNC/Aptt/Reg/1993/6695-98
Dated, Jaipur the 2nd July, 1993.
Copy forwarded to the following for information and necessary action : —

1. D.M.H.S. (F.W.), Rajasthan, Jaipur.
2. Miss S.E. Jacob, Dy. C.N.S., Jaipur.
3. Shri R.A. Mehta, Dy. DMHS(N. Ad), Raj., Jaipur.
4. Cashier, R.N.C.,

PRESIDENT

परिशिष्ट—19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 856 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

मकराना विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर योजनावार व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजनावार व्यय वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95
1	2	3	4
	(अ) विशिष्ट योजना विभाग के माध्यम से क्रियान्वित योजना		
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	16.27	16.31
2.	ट्राईसम योजना	0.24	0.16
3.	जवाहर रोजगार योजना	41.11	49.13
4.	आश्वासित रोजगार योजना	12.47	81.30
5.	अपना गांव-अपना काम योजना	1.36	—
6.	मरू विकास कार्यक्रम	61.22	61.23
7.	तीस जिला तीस काम योजना	13.09	8.12
8.	निर्बन्ध राशि योजना	2.22	6.65
9.	बायोगैस कार्यक्रम	0.84	0.61
10.	मैसिव कार्यक्रम	0.20	0.33
	(ब) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं पर व्यय	6.36	11.43

283

284

मकराना विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत उपलब्धि

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	योजना	इकाई	भौतिक उपलब्धि 1993-94	भौतिक उपलब्धि 1994-95
1	2	3	4	5
(अ) विशिष्ट योजना विभाग के माध्यम से क्रियान्वित योजनाएं				
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	लाभान्वित परिवार	532	422
2.	ट्राईसम योजना	प्रशिक्षित युवक	9	4
3.	रोजगार जनित योजनाएं	सृजित मानव दिवस (लाखों में)	3.57	6.75
4.	इन्दिरा आवास योजना	आवास	120	60
5.	बायोगैस	संयंत्र	16	11
6.	मैसिव कार्यक्रम	लाभान्वित कृषक	7	1
(ब) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित योजनाएं				
1.	ग्रामीण आवास	संख्या	24	37
2.	ग्रामीण दुकानें	संख्या	39	118
3.	बुनकर शाला	संख्या	33	66
4.	शिल्पीशाला	संख्या	46	43
5.	सामूहिक पम्पसेट	संख्या	4	—
6.	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या	19	8

285

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न संख्या–[redacted]9 का विवरण)

दिनांक 20.9.93 के पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को दी गई नियुक्तियों का वर्षवार विवरण : –

सं. विभाग का नाम	अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की की गई नियुक्ति		
	1993	1994	1995
2	3	4	5
प्राचार्य, मेडीकल कॉलेज, अजमेर	—	7	—
निदेशक, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग, जयपुर	—	3	—
निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	—	—	29
निदेशक, एन.सी.सी. जयपुर	—	2	—
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़	—	4	—
जिला कलक्टर, जोधपुर	1	5	—
प्राचार्य, मेडीकल कॉलेज, जोधपुर	—	1	—
निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	—	7	—
निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग, जयपुर	—	8	—
जिला कलक्टर, अलवर	—	3	1
आयुक्त, भूप्रबन्ध विभाग, जयपुर	—	—	1
अति. महानिदेशक, पुलिस अपराध शाखा, जयपुर	—	295	144
जिला कलक्टर, दौसा	—	3	—
निदेशक, अल्प बचत विभाग, जयपुर	—	1	—
निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	—	25	—
निदेशक, कम्प्यूटर विभाग, जयपुर	—	20	—
कलक्टर, भीलवाड़ा	—	1	—
कलक्टर, सिरोही	—	—	1
निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, जयपुर	—	—	10
आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	—	—	2
महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर	—	1	—
जिला कलक्टर, जालौर	1	1	—
जिला कलक्टर, जैसलमेर	—	3	—
जिला कलक्टर, अजमेर	—	2	—

1	2	3	4	5
25.	मुख्य अभियन्ता, सा.नि. विभाग, जयपुर	—	—	25
26.	निदेशक, संस्कृत शिक्षा	—	3	8
27.	निदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर	—	1	—
28.	निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	—	—	48
29.	पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर	—	—	1
30.	प्राचार्य, मेडीकल कॉलेज, बीकानेर	—	2	—
31.	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर	—	21	3
32.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	—	—	8
33.	निदेशक तकनीकी शिक्षा, जोधपुर	—	30	—